

OCTOBER 2016

Topic	Page
Polity	2-30
Geography, Environment& Ecology	31-36
Science and Technology	37-47
International Relation& International events	48-80
Editorials	81-103
Security issues	104-110
Social issues	111-121
Economy	122-161
Miscellaneous	162-176

GENERAL STUDIES HINDI

1. न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर होंगे देश के नए मुख्य न्यायाधीश

देश के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है।

- मेमोरेण्डम आफ प्रोसीजर के मुताबिक विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने न्यायमूर्ति ठाकुर को नवंबर में पत्र लिखकर उनसे अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति ठाकुर ने अपने जवाब में न्यायमूर्ति खेहर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। फिलहाल चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर तीन जनवरी तक अपना कार्यभार संभालते रहेंगे।
- जस्टिस खेहर देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस खेहर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वो कर्नाटक और उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।

2. दिव्यांग : अधिकार आधारित सशक्तिकरण:-

Differently abled population in India

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ (2.21 प्रतिशत) दिव्यांगजन हैं, लेकिन कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हमारी आबादी का 5 प्रतिशत अधिक हो सकती है। **Government schemes and Programme for disabled:**

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। सरकार ने भी अब दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार आधारित आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है।

- 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। -
- भारत में 1995 के दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम समान अवसर), अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागितालागू होने के साथ ही उनके अधिकार आधार (ित आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला कदम बढ़ाया गया है। भारत का दूसरा कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता (यू.एन.सी.आर.पी.डी) स्वीकार करना है। राज्यसभा में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिसमें इस प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रावधान है। इस विधेयक को अभी संसद से मंजूरी मिलनी |

दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु प्रयास :-

सुगम्य भारत अभियान:-

- यह अभियान लगभग एक वर्ष पहले 15 दिसंबर को शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य सक्षम और बाधरहित वातावरण तैयार कर दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता उपलब्ध कराना है।
- इसे तीन उद्देश्यों तैयार वातावरण में सुगम्यता -, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता और ज्ञान तथा आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंच पर केंद्रित किया गया है।

दिव्यांगजन अधिकार विधेयक, 2014:-

- यह 1995 के अधिनियम का स्थान लेगा।
- इस विधेयक में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं की कई मांगों को शामिल करने का प्रावधान है।
- इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में कानून के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुगम्यता को अनिवार्य करना, प्रस्तावित लाभार्थी श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 19 करना, कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी कुछ लाभ की पात्रता देना शामिल है।
- इसमें सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों और परिवहन के साधनों, मतदान केंद्रों आदि स्थानों पर दिव्यांगों के अनुकूल सुगम्यता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।
- इस विधेयक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना कानून के अंतर्गत दंडनीय है। इसके अलावा प्रस्तावित कानून के जरिए सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के कई उपाय किए हैं।

सुगम्य पुस्तकालय:-

- सरकार ने इस वर्ष अगस्त में एक ऑनलाइन मंच "सुगम्य पुस्तकालय" का शुभारंभ किया, जहां दिव्यांगजन बटन क्लिक करते ही पुस्तकालय की किताबें पा सकते हैं।
- दिव्यांग व्यक्ति अपनी पंसद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर, डैजी प्लेयर यहां तक की ब्रेल डिस्पले पर ब्रेल लिपि में भी कोई प्रकाशन पढ़ सकते हैं।
- ब्रेल प्रेस वाले संगठन के सदस्य के जरिए ब्रेल लिपि में भी प्रति के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

यूडीआईडी कार्ड:-

- सरकार ने वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी और अलगअलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की परेशानी दूर होगी-, क्योंकि दिव्यांग का प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

छात्रवृत्ति योजना:-

सरकार ने मैट्रिक के पहले (46000 स्लॉट्स), मैट्रिक के बाद (16650 स्लॉट्स) और उच्च स्तरीय शिक्षा (100 स्लॉट्स) पाने के इच्छुक छात्रों के लिए भी योजना शुरू की है।

स्वावलंबन:-

दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए पिछले वर्ष एक राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ किया गया। एनएसडीसी के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अगले तीन वर्षों (पहले वर्ष में एक लाख, दूसरे वर्ष में डेढ़ लाख और तीसरे वर्ष में ढाई लाख) में पांच लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वकांक्षी लक्ष्य तय करने का प्रस्ताव किया है। कार्य योजना का उद्देश्य 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण देना है।

सामाजिक अधिकारिता शिविर:-

विभाग दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण वितरित करने के लिए शिविर आयोजित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सितंबर में गुजरात में आयोजित ऐसे एक शिविर में 11 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए। देश भर के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इसी प्रकार के शिविर आयोजित किए गए।

चिंता के क्षेत्र (Some cause of concern) :-----

- दिव्यांगजनों के लिए पहले कानून के एक दशक से भी अधिक गुजर जाने और समय समय पर- विशेष भर्ती अभियान के बावजूद सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षितसीटों में से लगभग एक प्रतिशत भर्तियां ही हो पाई हैं और यह बात सरकार ने स्वयं स्वीकार की है।
- 14,000 से अधिक चिन्हित पदों पर अभी भी भर्तियां होनी शेष है। लगभग 10,000 नेत्रहीनों के लिए आरक्षित सीटें भरी जानी है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2011 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अभी भी 73 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन श्रमशक्ति से बाहर हैं और मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं।
- सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिए कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं।

आशाएं और आकांक्षाएं:-----

पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई कई योजनाओं और कार्यक्रमों की तेजी से समावेशी और न्यायसंगत विश्व बनाने की परिकल्पना साकार हो सकती है।

--

3. सिनेमाघरों में राष्ट्रगान

Why in news:

- सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है
- । शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस दौरान सिनेमा के परदे पर राष्ट्रध्वज मौजूद रहना चाहिए। मकसद देश के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जगाना है।
- साथ ही परदे पर राष्ट्रध्वज की तस्वीर भी दिखाई जानी चाहिए। जिस वक्त राष्ट्रगीत बज रहा हो, वहां उपस्थित लोगों का उसके सम्मान में खड़े रहना जरूरी है।
- इसके अलावा राष्ट्रगान का किसी भी रूप में व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसकी धुन को बदल कर गाने या फिर इसे नाटकीय प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए।

Argument of court

कुछ समय पहले जब सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किए जाने को लेकर मांग उठी तो इस पर विवाद खड़े हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि इस तरह राष्ट्रगान का अपमान होगा। कुछ लोगों ने इसे मान्यता के अनुकूल नहीं समझा। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि:

- अब वक्त आ गया है कि देश के नागरिकों को समझना होगा कि यह उनका देश है।
- उन्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा, क्योंकि यह संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा मामला है।
- लोगों को महसूस होना चाहिए कि वे अपने देश में हैं और यह हमारी मातृभूमि है। विदेशों में तो आप उनके हर प्रावधान का पालन करते हैं, मगर अपने देश में हर प्रावधान से दूर भागते हैं।
- अदालत ने माना कि यह हर नागरिक का फर्ज है कि जब और जहां राष्ट्रगान गाया या प्रदर्शित किया जा रहा हो, वह उसके सम्मान में खड़ा हो जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा भी है कि देश है तभी लोग स्वतंत्रता का लाभ ले पाते हैं। इसलिए राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करने में उन्हें गुरेज क्यों होना चाहिए। दूसरे देशों में राष्ट्रगान को लेकर वहां के नागरिकों में ऐसा लापरवाही भरा रवैया नहीं देखा जाता, जैसा हमारे यहां होता है।

Some view in opposition to SC View:

शीर्ष अदालत ने कहा, 'आजकल लोगों को पता नहीं कि राष्ट्रगान कैसे गाया जाता है और लोगों को यह सिखाना होगा.' इससे दो सवाल उठते हैं।

- **पहला सवाल न्यायपालिका के अपने दायरे से बाहर जाने का है :** न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, का काम कानूनों की व्याख्या करना है, उन्हें बनाना नहीं। लोकतंत्र शक्तियों के इस बंटवारे पर खड़ा है। लेकिन न्यायपालिका पर अगर अपने दायरे से बाहर जाकर काम करने के आरोप बहुत आम हो गए हैं तो इसका कारण यही है कि न्यायपालिका अक्सर कार्यपालिका के अधिकारों में अतिक्रमण करने लगी है।
- **दूसरा नागरिकों से किसी बच्चे की तरह बर्ताव करने का:** अगर फिल्म से पहले सबको राष्ट्रगान गाने का आदेश हो गया है तो कल इसी तर्क पर हर क्रिकेट मैच या हर फ्लाइट के जमीन पर उतरने से पहले यह करने की मांग होने लगेगी। यह मूर्खतापूर्ण नहीं बल्कि गंभीर बात है। जोर-जबर्दस्ती का राष्ट्रवाद पहचान और व्यवहार के धरातल को अंतहीन रूप से समतल करने की मांग करता है। इस तरह के राष्ट्रवाद को लोकतंत्र की विविधता नहीं भाती। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ गुस्सा, दंड या तानाशाही नहीं बल्कि सुंदरता, श्रेष्ठता और सबका ख्याल भी होना चाहिए। अच्छी बात के लिए जोर-जबर्दस्ती करने की जरूरत नहीं होती। जबर्दस्ती थोपा गया कोई गीत उतना मीठा नहीं लग सकता जितना वह जिसे आजादी के साथ गाया गया हो। जब लोगों को राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनकी वास्तविक भावनाएं इसके बिल्कुल उलट हो सकती हैं।

Historical background:

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की परंपरा बहुत पुरानी है। साठ और सत्तर के दशक तक यह परंपरा बहुत समृद्ध थी। सिनेमाघरों में फिल्म खत्म होने के तुरंत बाद राष्ट्रगान होता था। धीरे-धीरे इसमें क्षरण आया। सिनेमा खत्म होते ही निकलने की जल्दबाजी में कई बार लोग ठहरकर खड़े नहीं होते थे या फिर भीड़ छंटने के इंतजार में बैठे रहते थे। इस तरह राष्ट्रगान का अपमान होता था। धीरे-धीरे देशभक्ति का यह अनुष्ठान पहले कमजोर पड़ा, फिर न जाने कब बंद हो गया। कुछ उत्साही लोगों की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने भी साल 2002 में राज्य के तमाम सिनेमाघरों में शो शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का प्रदर्शन अनिवार्य कर दिया था।

कुछ एहतियात बरतने की जरूरत

- कुछ एहतियात जिन पर ध्यान न देने के कारण एक परंपरा कई दशक पहले खत्म हो गई थी। हमें उस वक्त इस परंपरा के खत्म होने की वजहें भी तलाशनी होंगी।
- सोचना होगा कि राष्ट्रगान का एक नियम है, एक संस्कार है-पूरे देश के सिनेमाघरों में इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि यह वह देश है, जहां लोग ट्रेन पकड़ने से लेकर सिनेमा का शो देखने तक भागते-दौड़ते ही दिखाई देते हैं।
- यह कैसे सुनिश्चित होगा कि जिस वक्त परदे पर राष्ट्रगान चल रहा होगा, तब सारे लोग अपनी-अपनी सीट पर पहुंच चुके होंगे।
- सिनेमा तो इत्मीनान की चीज है, लेकिन सोचना होगा कि यह इत्मीनान राष्ट्रगान को कितना सम्मान दे पाएगा? यह भी सोचना होगा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम के चक्कर में हम कुछ ऐसा न कर बैठें कि फिर से साठ और सत्तर के दशक वाले हालात में वापस पहुंच जाएं।

--

क्या न्यायालयों में सीटे बढ़ाने से case कम होंगे

why in news

National Court Management Systems Committee (NCMSC) की रिपोर्ट जिसके अनुसार केवल न्यायालयों में सीटे भरने या बढ़ाने से सारे backlog खत्म नहीं हो जायेंगे।

यह committee SC द्वारा बने गई थी जिसका उद्देश्य था की जो विधि आयोग ने जजों की strength बढ़ाने को कहा है वो backlog से तारतम्यता रखती है की नहीं।

१९८७ में विधि आयोग ने ४४००० जजों के लिए बोला था परन्तु अभी १८००० ही है

क्या तर्क है committee का :

committee का तर्क है की बस सीटे बढ़ाना ही समाधान नहीं है। यंहा तक की जिन court में पूरी strength भी है वो backlog clear नहीं कर पाए है इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से जाचना होगा की असल में कितने चाहिए और न्यायालय में कार्यानुसार जिसे hours में नाप सकते है उसके आधार पर समीक्षा होनी चाहिए

GENERAL STUDIES HINDI

जातीय संघर्ष में परिवर्तित होता जल संकट

पानी हजारों सालों से विभिन्न समाजों की अनिवार्य आवश्यकता रहा है। भारत में पिछले दो दशकों में यह बहुत विचित्र रूप में सामने आई है।

- देश के विदर्भ क्षेत्र या अन्य इलाकों में जब बड़ी तादाद में किसान आत्महत्या कर लेते हैं तो भारतीय समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह ऐसी बातों को सहजता से लेने लगा है।
- जल प्रदूषण ने देश के कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। देश में अनाज का कटोरा कहा जाने वाला पंजाब प्रांत जो एक समय हरित क्रांति का घर और देश का गौरव हुआ करता था आज उसकी मिट्टी कीटनाशकों से त्रस्त है। उसके किसान गरीबी में दिन काट रहे हैं और वहां के लोगों को

अपने आपको जिंदा रखने के लिए आय के अकल्पनीय स्रोत जैसे कि मादक पदार्थ आदि का सहारा लेना पड़ रहा है जिनकी तस्करी सीमा पार से की जाती है। एक ऐसा राज्य जो अपने जवानों के लिए देश में गौरव का विषय था वहां के युवा अब कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका जाने के लिए बेकरार रहते हैं।

- पश्चिम बंगाल अपना पानी सांस्कृतिक रूप से साझा विरासत वाले बांग्लादेश के साथ बांटना नहीं चाहता। यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार ऐसा करने की इच्छुक है। शायद पश्चिम बंगाल को लगता है कि ऐसा करने से स्थानीय स्तर पर जल संकट का भय उत्पन्न होगा। ऐसे में दूर स्थित दिल्ली उदार हो सकता है लेकिन वह नहीं।
- कर्नाटक में हाल ही में कावेरी जल संकट दोबारा पनपता दिखा। यह संकट कुछ हद तक अलग है क्योंकि कन्नड़ किसानों ने तब तक विद्रोह नहीं किया होता जब तक कि उनको यह भय और आशंका न होती कि अगर वे अपना पानी तमिलनाडु के साथ साझा करेंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। ऐसे में मामला जातीय कम और आर्थिक अधिक था। इसलिए भी क्योंकि इस क्षेत्र में सदियों से कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगू भाषी लोग सहअस्तित्व में रह रहे हैं।

Is this water problem is due to bad management

- स्थानीय धारणा तेजी से मजबूत हो रही है कि कर्नाटक में चल रहा मौजूदा विवाद अन्य राज्यों में बाढ़ और सूखे के खराब प्रबंधन का नतीजा है।
- बेंगलूरु और उसके आसपास का इलाका केवल सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि तमाम अन्य तरह के रोजगार का केंद्र बना हुआ है। इसमें बाल काटने वाले, बर्दई, रसोइये, मूवर्स, सुरक्षा गार्ड और अन्य तमाम रोजगार शामिल हैं। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अन्य तमाम इलाकों के कामगार शामिल हैं। सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में आने वाली दिक्कतों और बेंगलूरु शहर में कचरे के भंडार का ठीकरा अक्सर इन प्रवासियों के सर पर फोड़ा जाता है

Water crisis turning into a caste/class crisis

इस गलत यकीन के पनपते जाने के कारण आर्थिक तत्त्व अपने आप में समेटे यह विवाद जातीय संघर्ष में बदलता जा रहा है। खेदजनक बात यह है कि भारत इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है। याद करें तो भारत को विभाजन के वक्त अपने इतिहास के अत्यंत रक्तरंजित दौर से गुजरना पड़ा था। हालांकि उस वक्त धार्मिक मतभेद उजागर थे लेकिन वह इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो लोगों में अलगाव पैदा करे। बेंगलूरु में केरल के लोगों के खिलाफ ऐसा जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है।

International experience:

- युगोस्लाविया में ऐसा ही संघर्ष देखने को मिला था जिसने आर्थिक से जातीय स्वरूप ग्रहण कर लिया था। यह सच है कि तत्कालीन सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर दूसरे विश्वयुद्ध के बाद युगोस्लाविया का निर्माण किया था। इस प्रक्रिया में सर्ब, जर्मन, क्रोएट, स्लोव, रोमन, ग्रीक कैथलिक और मुस्लिम आदि तमाम समुदायों के लोग शामिल हुए थे। मार्शल जोसेफ टीटो ने एक आधुनिक अर्थव्यवस्था और मजबूत सामाजिक तानेबाने वाले देश का निर्माण किया था।
- यहां अलग-अलग जातीय समूहों के बीच विवाह होना सामान्य प्रथा थी। आर्थिक मसलों को लेकर मतभेद तब शुरू हुए जर्मन स्लोवेनियाइयों ने यह शिकायत की कि शेष यूगोस्लाविया को सब्सिडी दी जा रही है। आर्थिक संसाधनों को लेकर द्वंद्व शुरू हो गया। अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति की शिकार हो गई। पश्चिमी प्रांत स्लोवेनिया ऑस्ट्रिया के निकट था और उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जर्मनी ने अपनी जातीय प्राथमिकता का उदाहरण देते हुए तत्काल उसे मान्यता दे दी और उसे यूरोपीय संघ में शामिल कर लिया। यह उसके खुद के यूरोपव्यापी नजरिये के उलट था। एक अन्य निकटवर्ती पश्चिमी प्रांत क्रोएशिया ने भी स्लोवानिया के ही नक्शे कदम पर चलना पसंद किया।
- यूगोस्लाविया का पतन हो गया। सर्ब जो रसूखदार नस्ल के थे, उन्होंने इसे अपना अपमान माना। आजाद होने वाले इससे आगे के प्रांतों से बहुत सख्ती से निपटा गया। बोस्निया-हर्जेगोबिना और उसकी राजधानी सरायेवो जो शीतकालीन ओलिंपिक के लिए तैयार हो रही थी वह मलबे में तब्दील हो गई। विभिन्न जातियों में हुए विवाह टूटने लगे। यहां तक कि पुराने विवाह भी खत्म हो गए। यातना शिविर तैयार किए गए जहां इस्लाम को खत्म करने के लिए पुरुषों और बच्चों को जान से मारा गया और प्रताड़ित किया गया।
- कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेग्रो आदि बचेखुचे प्रांत रह गए। कुछ सर्ब नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय अदालत ले जाया गया ताकि उन पर नरसंहार का मामला चले। लेकिन युगोस्लाविया के मूल विचार का एक भयानक अंत हो चुका था।

Lesson to be learnt from this event

इतिहास ने बार-बार दिखाया है कि आर्थिक संसाधनों को लेकर छिड़ी लड़ाइयां बहुत जल्दी जातीय संघर्ष में बदल जाती है और उसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं। देश में जल को लेकर जो लड़ाइयां छिड़ी हैं उनको भी इसी परिदृश्य में देखना होगा। क्योंकि देश के लिए इनके भयावह परिणाम हो सकते हैं।

Conclusion : How to solve twin problem of water and environment

जो लोग आर्थिक प्रगति का विरोध करते हैं उनको अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। नर्मदा बांध और अन्य बांधों की भारत जैसे देश में आवश्यकता है। समस्या का हल इनका निर्माण रोकना नहीं है बल्कि उनको पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी सक्षमता से बनाना और पुनर्वास को व्यवस्थित ढंग से अंजाम देना है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। यह मानना होगा कि अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में भारत का भ्रष्टाचार काफी ऊंचे स्तर पर है। ऐसे में यह सब आसान नहीं होगा।

--

लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स संसोधन बिल

नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा हो रही नकदी पर निगरानी रखने और इसमें से कर चोरों को ढूंढ निकालने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में आयकर संसोधन विधेयक पेश किया है।

- नोटबंदी के बाद रोज रोज आ रहे सरकार के नए नए नियमों के बीच यह जानना जरूरी है कि इस बिल के क्या मायने हैं और कौन कौन इसके दायरे में आएगा। सरकार की मंशा है कि टैक्स चोरी करने वाले या दूसरों के खाते में अपनी अघोषित आय जमा करके बचने का प्रयास कर रहे लोगों पर लगाम कसी जाए। इसी को देखते हुए सरकार लोकसभा में आयकर संसोधन विधेयक लेकर आई है।

महत्वपूर्ण बातें ...

1. बिल के तहत बैंक में 2.5 लाख रुपये से अधिक की अघोषित आय या 2.5 लाख जमा करने वाले लोगों से पूछताछ की जा सकती है।
2. इनमें वो सभी खाता धारक आएंगे जिन्होंने 9 नवंबर के बाद बैंक में अपनी रकम जमा कराई है और उसका पुख्ता हिसाब उनके पास नहीं है।
3. बिल के तहत आय के बारे में संतुष्टिपरक जानकारी न देने वालों पर 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।
4. इसके अलावा सरकार 33 फीसदी के करीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस भी लेकर आई है जो इस रकम पर लगाया जाएगा।
5. इसका मतलब सरकार अघोषित आय रखने वालों पर कुल 73 फीसदी के करीब टैक्स लगाएगी।

TAXING BLACK MONEY
A look at the Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2016, a key step to force declaration of unaccounted cash

- ➔ Till Dec. 30, declarant to pay tax @ **30%** & penalty @ **10%** of undisclosed income, and surcharge @ **33%** of tax — totalling to **50%** of such income
- ➔ Besides, the declarant must deposit **25%** of such income in interest-free scheme for 4 years
- ➔ **75%** tax and possible penalty of **10%** of tax payable to be levied on undisclosed income detected after December 30
- ➔ No changes proposed to current general provision for penalty on under-reporting of income @ **50%** of tax, and misreporting @ **200%** of tax
- ➔ Bill proposes total incidence of tax at **75%** up from **30%** on unexplained credit, investment, cash and other assets
- ➔ In seizure cases, Bill levies a penalty at **30%** of income, if admitted, a return filed and taxes paid, & **60%** of income in other cases

Since it's a Money Bill, it cannot be rejected in the Upper House, but only reviewed

ILLUSTRATION: DEEPAK HARICHANDAN

6. इसके अलावा बची रकम का मात्र 25 फीसदी ही बैंक से निकाला जा सकेगा
7. जबकि बची 25 फीसदी को चार साल के लिए बैंक में छोड़ना पड़ेगा जिस पर शून्य ब्याज मिलेगा।

8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस के तहत प्राप्त रकम को ग्रामीण इलाकों में विकास कराने पर खर्च किया जाएगा।
9. जनधन खातों में जमा रकम पर सरकार का विशेष ध्यान है इसलिए इन खातों में जमा की गई भारी रकम पर सरकार विशेष निगरानी बरतेगी
10. सरकार ने इस बिल को लोकसभा में मनी बिल के रूप में पेश किया है ताकि इसे राज्यसभा में न

अशोभनीय तकरार: न्यायाधीशों की नियुक्ति पर

Present Context:

हाल में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 77 नामों की एक सूची केंद्र सरकार को भेजी थी। सरकार ने इसमें 43 नामों को अपनी टिप्पणियों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। कॉलेजियम ने एक सप्ताह के अंदर सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए उन सभी नामों की दोबारा पुष्टि कर दी।

उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जारी तकरार हमारे लोकतंत्र के लिए अपशकुन है। इस तकरार के लिए जिम्मेदार कौन है?

- स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की प्राण-वायु है।
- न्यायपालिका को स्वतंत्र और जीवंत बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
- साथ ही, न्यायपालिका को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।

Is it completely justified to ignore voice of elected government

- एक निर्वाचित सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता।
- उच्चतम न्यायालय ने 1993 में 'सेकेंड जजेज केस' में व्याख्या के जरिये न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका से छीन लिया था। इस निर्णय की वैधता पर बड़े-बड़े विधिवेत्ताओं ने सवाल उठाया है। इसके अलावा कॉलेजियम के कामकाज पर स्वयं कई न्यायाधीशों ने सवाल खड़े किए हैं।
- न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने यह कहकर कॉलेजियम की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया कि इसके काम में पारदर्शिता नहीं है।
- 'सेकेंड जजेज' मामले में निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति जे एस वर्मा ने स्वयं बाद में कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की सलाह दी।

Initiative to change collegium system and issue of conflict

- जब से उच्चतम न्यायालय ने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में लिया है, तभी से सरकार के अंदर इसको लेकर असंतोष है। मगर 2014 में पहली बार सरकार ने संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान कर इसे बदलने का प्रयास किया।
- लेकिन उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से इस संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। हालांकि प्रस्तावित आयोग के छह सदस्यों में से तीन उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और बाकी में एक विधि मंत्री व दो विशिष्ट व्यक्ति।

- न्यायालय का तर्क है कि विधि मंत्री किसी एक विशिष्ट सदस्य की मदद से न्यायाधीशों के सुझाए किसी नाम को रोक सकता है।

Some basic question

यहां यह सवाल है कि क्या संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ जजों की है? बेशक उच्चतम न्यायालय संविधान का मुख है, पर विधायक, सांसद और मंत्री भी जज की तरह एक शपथ लेते हैं। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी है, जितनी जजों की।

Conclusion:

न्यायपालिका की स्वायत्तता इससे प्रभावित नहीं होती है कि जजों की नियुक्ति कौन करता है। यह कहना कि यदि कार्यपालिका के हाथों में नियुक्ति का अधिकार होगा, तो राजनीतिक चरित्र वाले न्यायाधीश बनाए जाएंगे, आधारहीन है। कई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जज बनाए जा चुके हैं, लेकिन उनकी निष्पक्षता कभी संदिग्ध नहीं हुई। न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला किसी के अहंकार व प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनना चाहिए।

--

मध्यस्थता (Arbitration) को सुधारने में आने वाली दिक्कतें

हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कारोबारी विवादों के निस्तारण में मध्यस्थता का वैश्विक केंद्र बनाने की बात कही है जो बहुत सराहनीय है। सोच के स्तर पर यह विचार बढ़िया है लेकिन इसका क्रियान्वयन उतना ही महत्वाकांक्षी

- प्रधानमंत्री ने प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने और पेशेवर आचरण को अंतरराष्ट्रीय मामलों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त खूबी बताया।
- इस दिशा में 23 अक्टूबर, 2015 को सरकार ने पंचाट एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
- अधिनियम मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुसंगत बनाने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा प्रक्रिया की अवधि तय करने और उन्हें तेजी से निपटाने में भी यह मददगार होगा।

Some lacunaes (कुछ खामिया)

- पंचाट एवं सुलह (संशोधन) में कई प्रावधान ऐसे हैं जो नए कानून के प्रवर्तन पर प्रश्नचिह्न लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए नए कानून के तहत एक मध्यस्थता पंचाट आवश्यक है जिसके पास अदालत के समान अधिकार होंगे। वह 12 माह के भीतर निर्णय दे सकेगा।
- इस अवधि को छह माह तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह अवधि जितनी कम रखी जाएगी शुल्क उतना ही ज्यादा होगा।
- अगर देरी होती है तो हर बीतते महीने के साथ शुल्क पांच फीसदी कम किया जाएगा।
- अधिनियम में यह व्यवस्था भी है कि इसके तहत दिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ अगर अदालत का रुख किया जाता है तो उसे एक साल में निपटाना होगा।

- परंतु इस अवधि में देरी होने पर किसी जुर्माने की बात नहीं कही गई है। देश की अदालतों के सामने लंबित मामलों को देखते हुए यह प्रश्न उठता ही है कि क्या यह समय सीमा हकीकत के करीब है? क्या कभी इसका पालन हो जाएगा?
- विभिन्न पक्षों को मध्यस्थता काम निपटाने के लिए अवधि विस्तार की खातिर भी अदालत जाना होगा।
- वाणिज्यिक मामलों के निपटान में जितना वक्त लगता है उसे देखते हुए यह ठीक नहीं प्रतीत होता। देश की 1,200 के करीब फास्ट ट्रैक अदालतों में ही छह लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इससे उनकी काम करने की गति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
- मध्यस्थता का काम देश की विधिक व्यवस्था में निहित है। जिस किसी का पाला देश की अदालतों से पड़ा होगा वह यह जरूर मानेगा कि वैश्विक कारोबार निकट भविष्य में शायद ही वाणिज्यिक मामलों की मध्यस्थता के लिए सिंगापुर या लंदन को छोड़कर भारत का रुख करेंगे।
- वोडाफोन और उसके बाद हाल ही में टाटा डोकोमा का अनुभव भी उनके यकीन को बढ़ाने वाला नहीं है।
- यह बात ध्यान देने लायक है कि लंदन की अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जून में अपनी भारतीय शाखा बंद कर दी। जबकि यह संस्थान कुछ समय में देश के प्रमुख संस्थागत पंचाट के रूप में उभरा था।
- बीते छह सालों से इसे मामलों की कमी बनी थी। यही इसे बंद करने की वजह बना।
- इस बीच महाराष्ट्र सरकार और भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विधिक समुदायों ने मिलकर इस वर्ष अक्टूबर में मुंबई में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की है।

सैद्धांतिक रूप से इसकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि भारतीय मध्यस्थता मामलों को सिंगापुर स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से वापस लाया जा सके। वहां 90 फीसदी से अधिक मामले भारत से जुड़े हैं। ऐसे वक्त पर जबकि भारत एक उच्च क्षमता वाले निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है तब अनुबंधों के प्रवर्तन जैसे कारोबारी सुगमता मानक बहुत अहम हो चले हैं। प्रश्न यह है कि क्या विधिक व्यवस्था इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है?

लोकपाल के बगैर

Why in News:

सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही, लोकपाल की नियुक्ति न होने पर, निराशा जाहिर की है। लोकपाल कानून को बने तीन साल होने को आ रहे हैं। मगर अब तक केंद्र सरकार इस तर्क पर लोकपाल की नियुक्ति को टालती आ रही है

What is hurdle:

कानून के मुताबिक चयन समिति में दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं का होना अनिवार्य है, जबकि वर्तमान लोकसभा में कोई नेता-विपक्ष नहीं है। कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, पर वह नेता-विपक्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या की शर्त पूरी नहीं करती। इसलिए सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए समिति गठित करने में आने वाली समस्या के निराकरण के लिए कानून में संशोधन का विधेयक तैयार किया है, जो संसद में लंबित है।

Question of SC to Government:

सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि अगर लोकसभा में कोई नेता-विपक्ष नहीं है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में शामिल कर प्रक्रिया को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता।

An Institutional Failure:

- लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति सरकारों को रास नहीं आती, इसीलिए वे इससे बचने का कोई न कोई रास्ता निकालती रही हैं।
- कई राज्यों ने तो लोकायुक्त संस्था का गठन ही नहीं किया है। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो करीब सात साल तक उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दी थी।
- और भी कई राज्यों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो यही बताएंगे कि लोकायुक्त का पद खाली होने पर समय से भरा नहीं जाता।
- सूचना आयोगों का भी यही हाल है, नतीजतन वहां लंबित आवेदनों और अपीलों का अंबार लगता जा रहा है। इससे सूचनाधिकार कानून के ही बेमतलब होने का खतरा पैदा हो गया है।
- लोकपाल कानून में लोकपाल और लोकायुक्तों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, जिनसे सत्तापक्ष के नेताओं और नौकरशाहों को भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं।
- सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दावा कर रही है, मगर दूसरी ओर लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उसका रवैया सवालियों के घेरे में है।
- अण्णा आंदोलन के दौरान वर्तमान सत्ता पक्ष जोर-शोर से यह जताता रहा कि वह सख्त लोकपाल कानून के पक्ष में है। पर अब जब लोकपाल की नियुक्ति का जिम्मा उसके जिम्मे है, लगता है वह इस मसले को ठंडे बस्ते में रखना चाहती है।
- सीबीआई की स्वायत्तता भी एक चिंतनीय विषय है।
- लोकपाल कानून के मुताबिक लोकपाल को अधिकार है कि वह सीबीआई को निर्देश दे सके। अगर सचमुच सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर है, जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के आचरण को साफ-सुथरा बनाना चाहती है तो उसे लोकपाल की नियुक्ति से गुरेज नहीं होना चाहिए!

सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के मुताबिक अगर अब भी उसने सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में शामिल कर लोकपाल की नियुक्ति की पहल नहीं की, तो भ्रष्टाचार से लड़ने के उसके दावे पर ही सवाल उठेगा।

बाल अपराध : असुरक्षित बचपन

क्यों खबरों में

दो दिनों में दो मासूम बच्चियों के साथ दरिदगी की घटनाएं चिंतित करने वाली हैं। पहले केशवपुरम में एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है और उसके अगले दिन सराय रोहिल्ला में भी एक बच्ची को दरिदगी का शिकार बनाकर उसे मरने के लिए गड्ढे में फेंक दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि राजधानी बच्चों के लिए बेहद असुरक्षित हो गई है।


एक नजर आंकड़ों पर : बाल अपराध रोकने में नाकाम समाज

- इस वर्ष अक्टूबर महीने तक दिल्ली से 5888 बच्चे गायब हुए हैं लेकिन इनमें से मात्र 1787 बच्चों को

○

ही पुलिस ढूँढ सकी है।

- बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने की तमाम योजनाएं बनाने, समिति व आयोग के गठन के बावजूद राजधानी में देश का भविष्य सर्वाधिक असुरक्षित है।
- नाबालिगों से देह व्यापार से लेकर बच्चों की खरीद-फरोख्त का काम भी बेरोकटोक जारी है।
- दिल्ली की यह स्थिति तब है जब यहां बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस एवं सरकार दोनों स्तरों पर तमाम तरह की योजनाएं संचालित होती हैं।
- इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ तक के बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है



समीक्षा करने की जरूरत:

कई स्वयंसेवी संस्थाएं व सरकारी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। इसके बावजूद बच्चों के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ने से इन संस्थाओं के कामकाज और योजनाओं पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए बाल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के कामकाज और योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए।

- बच्चों से होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जहां कठोर कानून बनाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
- समाज को भी जागरूक होना होगा। मासूमों को सबसे ज्यादा खतरा घर, आस-पड़ोस और रिश्तेदारों से होता है।
- बच्चों के शारीरिक शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनी पॉक्सो अदालतों में तेजी से ट्रायल नहीं हो रहा है। इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। इस बाबत जनहित याचिका भी लगाई गई है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा।
- बच्चों को यौन शोषण जैसे अपराधों से बचाने के लिए पुलिस, बाल आश्रम और अस्पतालों में रहने वाले कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना होगा, साथ ही माता-पिता को बच्चों को पर्याप्त वक्त देने के साथ ही संदिग्ध व्यवहार वाले लोगों से बच्चों को दूर रखना चाहिए।
- बच्चों को अपरिचित लोगों के साथ खेलने, शादी समारोह में किसी परिचित के साथ अकेले जाने और घर से बाहर जाने से रोकना चाहिए। ऐसे मामलों में आरोपी चाहे कोई भी इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए।

कोलेजियम ने सरकार को दोबारा भेजे 43 नाम

Why in News:

सरकार की ओर से विचार के लिए वापस भेजे गए 43 नाम कोलेजियम ने सरकार के पास दोबारा भेज दिए हैं। कोलेजियम ने 77 नामों की सिफारिश भेजी थी जिसमें से सरकार ने 34 नाम मंजूर कर लिए हैं। 43 नाम

दोबारा विचार के लिए कोलेजियम को वापस भेज दिए गए हैं। इस पर पीठ ने उन्हें बताया कि कोलेजियम ने इन 43 सिफारिशों को फिर सरकार के पास भेज दिया है।

गतिरोध :

कोलेजियम की दोबारा सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है इसलिए संभावना इसी बात की है कि इन नामों को केंद्रीय शासन की स्वीकृति मिल जाए।

Question Mark

कितना न्यायसंगत और विधि सम्मत है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें? दुनिया के किसी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। 1993 के पहले कोलेजियम के जरिये न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भारत में भी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर इस व्यवस्था को अपनाया ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

गतिरोध को दूर करने की पहल :

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस व्यवस्था में कुछ कमी है। उसके आदेश पर ही इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल हुई और सरकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी **मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर तय** करने को कहा गया। सरकार ने जो सुझाव दिए वे सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आए और इस तरह मामला जहां का तहां है।

An unending question:

न्यायाधीशों की नियुक्तियों का मामला एक लंबे अर्से से सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान का कारण बना हुआ है। यह खींचतान तब से और बढ़ी दिख रही है जब से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए बनाए गए कानून को असंवैधानिक ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के कारण यह कानून कभी अस्तित्व में आ ही नहीं सका। हो सकता है कि इस कानून में कुछ खामी रह गई हो और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसे उपयुक्त नहीं पाया, लेकिन जब कोलेजियम व्यवस्था उपयुक्त नहीं है तो उसके जरिये न्यायाधीशों की नियुक्तियां क्यों होती रहनी चाहिए?

Conclusion:

यदि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए तो यह भी ठीक नहीं कि वह सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों वाले कोलेजियम की ओर से तय किए गए नामों पर मुहर लगाने का काम करे। जब भी न्यायाधीशों की कमी की बात होती है तब विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की भी चर्चा होती है, लेकिन यह एक हद तक ही सही है। लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ते जाने का एकमात्र कारण पर्याप्त संख्या में

न्यायाधीश न होना ही नहीं है। बेहतर है कि उन कारणों की ओर भी गौर किया जाए जिनके चलते लंबित मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह तभी संभव है जब सरकार और न्यायपालिका मिलकर आगे बढ़ें।

A JURY OF JUDGES	
<p>WHAT IS THE COLLEGIUM SYSTEM?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● A forum which decides on appointments, transfers (A/Ts) of judges. ● Comprised of Chief Justice of India, 4 Supreme Court Judges ● President merely approves CJI's choice 	<p>CRITICISMS</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Administrative burden of checking professional background data ● Closed-door affair, lacks transparency ● Exclusivity sidelines talented junior judges, advocates
<p>SOME OF THE CHANGES SOUGHT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CJI cannot make unilateral choice ● Consulted judges' views need to be in writing ● Non-compliance must make CJI choice non-binding ● Transfer of Judges reviewable only in case of non-compliance 	

भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकसित

Why in News:

न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए हाल ही में सरकार की ओर से लाए गए 99 वें संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराते हुए नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को जारी रखने की बात कही। जिसके बाद केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर

लगातार तकरार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल न्यायधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली को लेकर तकरार नई बात नहीं है।

How this system developed:

1. संविधान में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान हैं, उसके मुताबिक राष्ट्रपति मुख्य न्यायधीश और वरिष्ठ न्यायधीशों की 'परामर्श' के आधार पर न्यायधीशों की नियुक्ति करेगा। 1986 में प्रथम न्यायधीश मामले में इस 'परामर्श' शब्द की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सहमति के बजाए सिर्फ विचार ज़ाहिर करना बताया।
2. 1991 में दूसरे न्यायधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए परामर्श को सहमति बताते हुए, सिफारिश को मानने के लिए बाध्यकारी बताया। लेकिन ये सिफारिश मुख्य न्यायधीश दो वरिष्ठतम न्यायधीशों की सलाह पर करेंगे।
3. 1994 में तीसरे न्यायधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका विस्तार करते हुए कहा कि नियुक्तियों की सिफारिश मुख्य न्यायधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायधीश मिलकर करेंगे। इनमें से किसी भी 2 न्यायधीशों के असहमत होने पर सिफारिश नहीं की जाएगी। यहीं से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। जिसके तहत---

Who are part of Collegium

1. मुख्य न्यायधीश के अतिरिक्त 4 वरिष्ठतम न्यायधीश मिलकर जजों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति (यानी कैबिनेट) को सिफारिश करेंगे।
2. इस सिफारिश को दोबारा विचार करने के लिए सरकार एक बार वापस सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है।
3. लेकिन बिना विचार किए सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोबारा भेजने पर ये बाध्यकारी होगा।

हालांकि हाल के दिनों में कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और न्यायधीशों की नियुक्ति के मसले पर सवाल उठे हैं, जिसे लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में तकरार भी बढ़ी है। जिस वजह से नियुक्ति में देरी होती है। जरूरी है इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालकर न्यायधीशों की नियुक्ति की रफ्तार बढ़ाई जाए, क्योंकि लंबित मामले की संख्या करीब 4 करोड़ की है।

जल बंटवारा समझौता रद्द करने वाला पंजाब का कानून असंवैधानिक: SC

Background

SC ने पंजाब के टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 की संवैधानिकता के बारे में प्रेसीडेंट की ओर से भेजे गये रिफरेंस का जवाब देते हुए यमुना सतलुज लिंक पर अपनी यह राय दी है। राष्ट्रपति ने 22 जुलाई 2004 को सुप्रीमकोर्ट को रिफरेंस भेज कर चार कानूनी सवालों पर राय मांगी थी।

कोर्ट ने क्या कहा

- सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रपति के रिफरेंस पर दी गई राय में कहा है कि जल बंटवारा समझौता रद्द करने वाला पंजाब का कानून 2004 असंवैधानिक है।
- संविधान पीठ ने कहा है कि मुकदमें और समझौते में पक्षकार राज्य एकतरफा कानून पारित कर समझौता और सुप्रीमकोर्ट का फैसला रद्द नहीं कर सकता। पंजाब ने ऐसा करके अपनी विधायी शक्तियों का अतिक्रमण किया है।
- पंजाब का कानून वैध नहीं माना जा सकता। पंजाब राज्य इस कानून के जरिये जल बंटवारा समझौते के तहत मिले अपने कानूनी दायित्वों और जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता।
- कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि 1981 के जल बंटवारा समझौते को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच मुकदमेंबाजी चली और अंत में सुप्रीमकोर्ट ने उस समझौते के मुताबिक ही जल बंटवारे की डिक्री पारित की। जिसमें समझौते को कानूनी मंजूरी मिली।
- जब एक बार अदालत डिक्री पारित कर देती है तो उस मुकदमें में पक्षकार रहा राज्य एकतरफा उस डिक्री के प्रभाव को खतम नहीं कर सकता। इस मामले में पंजाब में उचित फोरम यानी ट्रिब्यूनल के समक्ष जाकर राहत मांगने के बजाए अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करके कानून बना कर उस डिक्री को निष्प्रभावी किया है।
- कोर्ट ने कहा कि जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा का विवाद अंतर राज्यीय जल बंटवारा ट्रिब्यूनल भेजा गया था और ट्रिब्यूनल ने पंजाब पुनर्गठन कानून और अन्य प्रावधानों पर विचार करने के बाद अपना फैसला दिया था और पंजाब के इस 2004 के कानून से ट्रिब्यूनल के फैसला भी प्रभावित होता है। कोर्ट ने कहा कि रावी और व्यास नदी के जल बंटवारे के बारे में 31 दिसंबर 1981 को हुए समझौते को एक पक्षकार विधायी शक्तियों का इस्तेमाल कर एकतरफा रद्द नहीं कर सकता।
- अगर कोई राज्य या पक्ष ऐसा करता है तो उसका कानून संविधान और अंतर राज्यीय जल बंटवारा कानून के प्रावधानों के खिलाफ माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सुप्रीमकोर्ट के 15 जनवरी 2002 और 4 जनवरी 2004 के फैसले में दिये गये दायित्वों से मुक्त नहीं सकता।

What is issue all about

जल संकट

पंजाब और हरियाणा के बीच 50 साल पुराना है जल विवाद

पंजाब-हरियाणा के बीच पानी बंटवारे का विवाद 50 साल पुराना है। पंजाब सरकार का कहना है कि अगर हम नहर के जरिये हरियाणा को पानी देते हैं तो पानी का संकट हो जाएगा। वहीं, हरियाणा का कहना है सतलुज के पानी पर हमारा भी हक है।



क्या है सतलुज-यमुना विवाद

1 नवंबर 1966 : पंजाब से अलग हो हरियाणा नया राज्य बना, लेकिन दोनों राज्यों के बीच पानी का बंटवारा नहीं हुआ। विवाद खत्म करने को केंद्र ने अधिसूचना जारी कर हरियाणा को 3.5 एमएफए पानी आवंटित किया। इस पानी को लाने के लिए 214 किलोमीटर लंबी सतलुज-यमुना नहर (एसवाईएल) बनाने का निर्णय हुआ था।

1981 : पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मिलकर एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक समझौते पर दस्तखत किए थे।

1990 : पंजाब में नहर परियोजना पर काफी हिंसा हुई। 1990 में पंजाब ने नहर निर्माण का काम रोक दिया। नहर, हरियाणा के किसानों के लिए जीवन रेखा की तरह थी। पंजाब को भी घटते जलस्तर की चिंता थी।

1996 : विरोध और राजनीति के बीच 1996 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने पंजाब को वर्ष 2002 और 2004 में दो बार निर्देश दिए कि वो अपने हिस्से में नहर के काम को पूरा करे।

12 जुलाई 2004 : पंजाब विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें पंजाब के पानी को लेकर पुराने सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया।

11 वर्ष ठंडे बस्ते में रहा विवाद

20 अक्टूबर 2015 : 11 साल बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई का अनुरोध किया

26 फरवरी 2016 : इस अनुरोध पर गठित पांच जजों की पीठ ने पहली सुनवाई की। सभी पक्षों को बुलाया

12 मई 2016 : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी और फैसला सुरक्षित रख लिया

10 नवंबर 2016 : सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर निर्माण कार्य जारी करने का आदेश दिया

NDTV BAN का विरोध क्यों

Why this Ban on NDTV:

एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया गया है। वजह पठानकोट हमले के वक्त गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग

Some question that needs to be answered:

- 10 महीने पहले हुई इस घटना की लाइव रिपोर्टिंग देश के सभी न्यूज चैनलों ने की थी
- उस समय किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था कि किसी एक खास चैनल का रवैया इस मामले में बाकी सबसे अलग था।
- उस समय सरकार की ओर से किसी चैनल को अपना दायरा लांघने को लेकर ऐसी कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी।
- अगर पठानकोट हमले को लेकर एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्टिंग सरकार को नागवार गुजरी, तो उसे अपने अफसरों को हिदायत देनी चाहिए थी कि वे क्या बताएं और क्या नहीं।
- इस पाबंदी से यह भी सवाल उठता है कि क्या किसी आतंकी हमले के बारे में सिर्फ उतना और सिर्फ वही जानना तथा बताया जाना चाहिए जितना और जैसा सरकार बताना चाहती है?
- सरकार का यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है। मीडिया की आजादी हमारे संविधान में दी गई नागरिक आजादी का ही हिस्सा है।

A cause which goes against basics of democracy:

एनडीटीवी से हर मुद्दे पर हर कोई सहमत हो, यह जरूरी नहीं। लेकिन जैसे किसी को एनडीटीवी से असहमत होने का हक है, वैसे ही सरकार से एनडीटीवी को भी। अगर असहमति और आलोचना के लिए जगह नहीं होगी, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता, यह भी होता है कि नागरिक अधिकारों के साथ कैसा सलूक किया जाता है।

reference : <http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/media-censorship-when-the-screen-goes-blank/article9312321.ece>

समान कार्य के लिए समान वेतन अस्थायी कर्मचारियों पर लागू: न्यायालय

- उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत उन सभी पर लागू किया जाना चाहिए जो दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों के तौर पर नियमित कर्मचारियों की तरह ही ड्यूटी करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन से इनकार को शोषणकारी गुलामी, अत्याचारी, दमनकारी और जबर्दस्ती करार दिया। न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सिद्धांत अस्थायी कर्मचारियों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।
- कोर्ट ने कहा उनकी दृष्टि से श्रम के फल से वंचित करने के लिए कृत्रिम मानदंड बनाना गलत है।
- एक ही काम के लिए संलग्न किसी भी कर्मचारी को उस कर्मचारी से कम वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता जो वही कार्य और जिम्मेदारियां वहन करता है।
- निश्चित रूप से किसी भी कल्याणकारी राज्य में नहीं। ऐसा कदम अपमानजनक होने के साथ ही मानव गरिमा के आधार पर चोट करता है।
- पीठ ने कहा है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कम वेतन वेतन पर काम नहीं करता बल्कि उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है। कम मजदूरी पर वह सिर्फ इसलिए काम करना चाहता है कि वह अपनी आजीविका चला सके। वह अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की तिलांजलि देकर अपने परिवार के रहने-खाने के लिए ऐसा करता है क्योंकि उसे यह मालूम है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके आश्रितों

को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन न देना उस व्यक्ति का शोषण करना है।

केंद्र सरकार ने 11 हजार एनजीओ की मान्यता रद्द की

सरकार ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत 11 हजार गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मान्यता रद्द कर दी है। खबरों के मुताबिक ये सभी संगठन सरकार द्वारा तय की गई तारीख तक अपने पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाए थे।

★केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है जिन्होंने इस साल 30 जून तक एफसीआरए के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था।
◆अब इनके पंजीकरण की वैधता एक नवंबर, 2016 से समाप्त मानी जाएगी। एफसीआरए के तहत पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बाद ये एनजीओ विदेश से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

★गृह मंत्रालय ने इस साल मार्च में सभी एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 31 अक्टूबर 2016 तक बढ़ा दी थी। लेकिन उसने इन सभी से कहा था कि वे 30 जून 2016 तक अपने पंजीकरण का नवीकरण करा लें। बताया जाता है कि 11,319 संगठन नवीकरण कराने में विफल रहे जिनमें करीब 50 अनाथालय और सैकड़ों स्कूल भी शामिल हैं।

★पिछले साल भी गृह मंत्रालय ने करीब 10 हजार ऐसे गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण रद्द किए थे जिन्होंने बीते तीन वर्षों के अपने सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किए थे।

हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को फिर से बहाल करने पर सहमती

क्यों यह फैसला : उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त जजों की बहाली से 'फाइव प्लस जीरो' का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत पांच साल से अधिक समय से लंबित केसों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। संविधान के अनुच्छेद 224-ए के तहत -

क्या है अनुच्छेद 224-ए

- वर्ष 1963 में 15वें संविधान संशोधन के जरिये अनुच्छेद 224-ए जोड़ा गया। उसी साल 5 अक्टूबर से कानून प्रभावी हो गया।
- इसके तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की सहमति से किसी सेवानिवृत्त जज को फिर बहाल करने का अधिकार दिया गया।

पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

- केरल और तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है।
- इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था।

- केंद्र अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आगे सुधार करने पर फोकस करेगा। इसमें शुरू से अंत तक प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शामिल है। इसके लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है ताकि अनाजों की चोरी और डायवर्जन रोका जा सके।
- **डिजिटलीकरण** : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी का डेटा का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें लाभार्थी के स्तर तक सूचना उपलब्ध है और सूचना पब्लिक डोमेन में है। 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनाजों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न सप्लाई की पूरी श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। राशनकार्डों का आधार से 100 फीसदी जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। एफसीआई का खाद्यान्न नुकसान कम होकर 0.04 प्रतिशत रह गया है और एफसीआई के प्रमुख डीपो ऑनलाइन कर दिये गए हैं।
- **योजना का प्रारूप** : बेहतर लक्ष्य और खाद्यान्नों के चोरी मुक्त वितरण की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दो अलग-अलग रूप में चलाए जा रही हैं।
- पहली पद्धति में लाभार्थी के बैंक खाते में **खाद्यान्न सब्सिडी नकद रूप** में अंतरित की जा रही है। लाभार्थी अपनी पंसद के अनुसार बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। यह प्रयोग चंडीगढ़, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है।
- दूसरे तरीके में **उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित** करना है ताकि बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट (इ-पीओएस) उपकरण के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी के प्रमाणीकरण के साथ अनाजों का वितरण किया जा सके। इस व्यवस्था में परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती है। 31.10.2016 तक 1,61,854 उचित मूल्य की दुकानों में इ-पीओएस उपकरण काम कर रहे हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है ताकि सरकारें राज्य के अंदर परिवहन खर्च और खाद्यान्नों के उतार-चढ़ाव तथा डीलर के मार्जिन का खर्च वहन कर सकें। उचित मूल्य के दुकानों को डीलरों की मार्जिन के लिए सहायता में उचित मूल्य दुकान पर डीओएस उपकरण लगाने और चलाने के लिए सहायता भाग शामिल है।
- भारत सरकार द्वारा 2016-17 में अब तक राज्य सरकारों को 1874 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वर्तमान कवरेज पर अधिनियम के अंतर्गत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का मासिक आवंटन लगभग 45.5 लाख टन है और इसमें 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह की सब्सिडी और लगभग 1,40,700 करोड़ रुपये सालाना की सब्सिडी है।
- गन्ना बकायों के बारे में श्री पासवान ने कहा कि 2014-15 का बकाया 21 हजार करोड़ रुपये था जो घटकर 205 करोड़ रुपये रह गया है। चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है। गेहूं के मूल्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआई ओएमएस योजना के अंतर्गत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया है।

चुनाव सुधार : चुनावी शुचिता को बनाये रखने के लिए चुनावी खर्चों और प्रलोभनों पर अंकुश जरूरी

- चुनाव का मतलब है मतदाता के विश्वासपात्र राजनीतिक दल या उम्मीदवार को शासन-प्रशासन की बागडोर सौंपना।

- लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव ऐसे अवसर में तबदील हो गया है जब तमाम प्रत्याशी या राजनीतिक दल भोले-मासूम मतदाता को खरीदने या ठगने के लिए मैदान में आ डटते हैं।
- वोट झटकने के लिए झूठे सपने दिखाने वाले तरह-तरह के वादों को भी शामिल कर लें तो प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या चुनाव मतदाताओं के विश्वास के साथ छल-कपट का जरिया बनकर रह गए हैं? **चुनाव और राजनीति में सुधारों** के पक्षधर लोगों की यह मांग इसीलिए समर्थन करने योग्य है कि प्रचार के समय किए जाने वाले वादों को रिश्त के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। सही है, जो भरोसा दिलाकर आप चुनाव जीते हैं, उन्हें न निभाने का अर्थ है, मतदाता के साथ वैसा ही धोखा जैसे कोई कंपनी ग्राहक को नकली माल या सेवा का झूठा वचन देकर करती है जो कानूनन जुर्म होने के साथ ही दंडनीय भी है।

- चुनाव सुधारों की बात हम विगत चार दशक से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 41 वर्ष पूर्व एक फैसला देते हुए कहा था कि **प्रचार के दौरान पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया बिगड़ती जा रही है**। चुनाव सुधारों का सही आशय है राजनीति की रीति-नीति को बदलना। इसके लिए इंदिरा गांधी का रायबरेली से निर्वाचन अवैध ठहराए जाने के समय से ही आवश्यकता मानी जा रही है और उसके प्रयास भी किए गए हैं।

- बाबू जयप्रकाश नारायण ने इसी उद्देश्य के लिए 1974-75 में सम्पूर्ण क्रांति की हुंकार लगाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, लेकिन जो नतीजे सामने आए, उन्होंने राजनीति को कुछ और ज्यादा सिद्धांतहीन और पाखंडपूर्ण बना दिया। मतदाता ने 2011 के अन्ना आंदोलन से एक बार फिर उम्मीद बांधी, लेकिन उसके नतीजे भी उतने ही निराश करने वाले रहे।

- चुनाव प्रचार के दौरान पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। बाद में फर्जी हिसाब चुनाव आयोग के समक्ष रख दिया जाता है और आयोग सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहने का आडम्बर करता है। गोपीनाथ मुंडे ने तो भरी सभा में इस आडम्बर की पोल खोल दी थी, जब उन्होंने कहा था कि वह एक चुनाव में करीब 10 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। और, तमिलनाडु में खुलेआम कायदे-कानून की धजियां उड़ाई गईं। कई सौ करोड़ रुपये की नोटों की गड्डियां तो ट्रकों से पकड़ी गईं। मतदाताओं को पैसा, शराब, कपड़े, टेलीविजन, मोबाइल और नकदी तो छोड़िए, मोटर साइकिल व एयर कंडीशनर और पांच साल तक हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली।

- मतदाता आज चौराहे पर खड़ा है। चुनाव जीतने के लिए मतदाता को बार-बार ठगा जाता है। फिर एक ओर अरबों-खरबों के घोटाले होते रहते हैं तो दूसरी ओर उसे नए-नए टैक्स चुकाने के लिए विवश किया जाता है। समय आ गया है जब देश की जनता को यह बताया जाए कि प्रचार के समय रिश्त, उपहार और ऊलजलूल खर्च के लिए पैसा कहां से आता है! राजनीतिक दलों को इसके लिए कानून का पाबंद करना होगा।

=>समाधान के बिंदु :-

- जब तक **राजनीतिक पार्टियों को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक चुनाव सुधार की बात ही बेमानी है**। भारी जनदबाव के बावजूद सभी दलों ने खुद को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर कर लिया है।

- यही स्थिति जिम्मेदार है कि हमारी संसद और विधानसभाओं में इतनी बड़ी संख्या में ऐसे संगीन अपराधी पहुंच गए हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। सांसद या विधायक बनते ही संपत्ति में कई गुना इजाफा कैसे और क्यों हो जाता है, इसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए।

समझना यह होगा कि जब तक मतदाता छोटे-छोटे लालच और स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने दूरगामी हितों को नहीं पहचानेगा, तब तक वह राजनेताओं के झांसे में आता रहेगा। तब तक **निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनावों की बात कानून की किताबों तक ही सिमटी रहेगी।**

राजनीतिक हितों से ऊपर उठने से ही देश में लागू हो पायेगी "समान नागरिक संहिता"

- संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि शासन भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

- महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को ध्यान में रखते हुए ही विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में 16 बिन्दुओं पर सुझाव आमंत्रित करने का निश्चय किया।

आयोग जानना चाहता है कि क्या समान नागरिक संहिता के दायरे में विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, उत्तराधिकार और विरासत जैसे विषयों को भी लाया जाना चाहिए। आयोग यह भी जानना चाहता है कि क्या बहुविवाह और बहुपति प्रथा पर पाबंदी लगायी जानी चाहिए या उसे विनियत करना चाहिए? आयोग ने विभिन्न संप्रदायों के पर्सनल कानूनों को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुरूप बनाने के लिये उन्हें संहिताबद्ध करने के बारे में भी नागरिकों की राय मांगी है।

- आयोग ने मैत्री करार जैसी रूढ़िवादी प्रथाओं पर पाबंदी लगाने या इसमें संशोधन करने, ईसाई समुदाय में विवाह विच्छेद को अंतिम रूप देने के लिये दो साल की प्रतीक्षा के प्रावधान और विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य बनाने और अंतर-धार्मिक तथा अंतर-जातीय विवाह करने वाले दंपतियों को सुरक्षा प्रदान करने के उपायों पर भी सुझाव मांगे हैं।

- पारसी विवाह एवं तलाक कानून, 1936 की धारा 32-बी के तहत परस्पर सहमति से तलाक लेने के लिये पति-पत्नी को कम से कम एक साल अलग रहना होता है।

- ईसाई समुदाय से संबंधित तलाक कानून, 1869 की धारा 10-क (1) के तहत कम से कम दो साल अलग रहने का प्रावधान है।

- इस मामले में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि विशेष विवाह कानून के तहत शादी करने वाले जोड़े यदि विवाह विच्छेद करना चाहते हैं तो उन्हें इसी कानून के प्रावधानों के अनुरूप आवेदन करना होगा।

- उच्चतम न्यायालय की नजर में भले ही समान नागरिक संहिता देश की एकता को बढ़ावा देने वाली हो लेकिन इस बारे में विधि आयोग की पहल ने राजनीतिक दलों को दो खेमों में बांट दिया है। कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ इसके पक्ष में हैं।

विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर लोगों से मांगी राय

क्या तीन तलाक का चलन खत्म कर देना चाहिए ? क्या समान नागरिक संहिता वैकल्पिक होनी चाहिए ? यदि इन मुद्दों पर आपके कोई विचार हों तो आप विधि आयोग को अपनी राय से अवगत करा सकते हैं । विधि आयोग ने इन संवेदनशील मुद्दों पर लोगों से राय मांगी है।

समान नागरिक संहिता पर गर्मागर्म बहस के बीच विधि आयोग ने परिवार कानूनों के पुनरीक्षण और उनमें सुधार के विषयों पर लोगों की राय मांगी है। आयोग ने कहा कि इस कदम का मकसद कानूनों की बहुलता कायम करने की बजाय सामाजिक अन्याय को खत्म करना है।

एक अपील में आयोग ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना और विभिन्न सांस्कृतिक रिवाजों को सुसंगत बनाना है। आयोग ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि 'किसी भी एक वर्ग, समूह या समुदाय के नियम-कायदे परिवार कानूनों में होने वाले सुधार की ध्वनि पर हावी नहीं होंगे।'

एक प्रश्नावली में आयोग ने पूछा है कि क्या मौजूदा पर्सनल लॉ और प्रचलित रीतियों को संहिताबद्ध करने की जरूरत है और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।

आयोग की ओर से तैयार किए गए 16 प्रश्नों की प्रश्नावली में यह भी पूछा गया कि क्या तीन तलाक का चलन खत्म कर देना चाहिए या इसे बरकरार रखा जाना चाहिए या उचित संशोधनों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। यह भी पूछा गया है कि क्या समान नागरिक संहिता वैकल्पिक होनी चाहिए।

विधि आयोग ने पूछा है कि क्या समान नागरिक संहिता में तलाक, शादी, गोद लेने, बच्चों की कस्टडी, उत्तराधिकार और पैतृक धन जैसे विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

आयोग ने लोगों और हितधारकों से पूछा है कि क्या समान नागरिक संहिता से किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होगा।

विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (बी एस चौहान ने कहा, 'आयोग को उम्मीद है कि वह समान नागरिक संहिता के औचित्य पर स्वस्थ चर्चा की शुरुआत कर पाएगा और सभी धर्मों के परिवार कानूनों और प्रचलित रीतियों की विविधता पर फोकस करेगा, ताकि कानूनों की बहुलता कायम करने की बजाय सामाजिक अन्याय को खत्म किया जा सके।'

उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलाव की मांगों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आयोग सभी हितधारकों एवं आम लोगों की राय पर विचार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'किसी एक वर्ग, समूह या समुदाय के नियम-कायदे परिवार कानूनों में सुधार की ध्वनि पर हावी नहीं हो सकें।'

न्यायमूर्ति चौहान ने अपील में कहा कि परिवार कानूनों में सुधार के तहत महिलाओं के अधिकारों को संवैधानिक प्रावधान, धार्मिक अधिकार एवं राजनीतिक वाद-विवाद की बजाय अपने आप में उद्देश्य समझा जाना चाहिए।

सरकार ने जून में विधि आयोग से कहा था कि वह समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विचार करे। नागरिक संहिता का क्रियान्वयन भाजपा के चुनाव घोषणा-पत्र का हिस्सा है। मुस्लिम नेताओं के एक समूह ने कहा है कि वह तीन तलाक एवं अन्य पर्सनल लॉ को खत्म करने के किसी भी कदम का विरोध करेगा।

Geography

सुनामी क्या है और समुद्र तटीय इलाके क्यों इसकी ज़द में आते हैं?

जापान में मार्च 2011 में आए जबरदस्त भूकंप के बाद सुनामी की खौफनाक तस्वीरें अब भी लोगों के जेहन में बसी हैं. फिर एक बार फिर जापान के फुकुशिमा शहर के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए.

इससे पहले 2004 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी शक्तिशाली भूकंप के बाद समुद्री हलचल से भारी तबाही मची थी. आपको बताते हैं सुनामी से जुड़े कुछ तथ्य और आखिर क्यों भूकंप के बाद समुद्र तटीय इलाका इसकी चपेट में आ जाता है.

=>>सुनामी क्या है? (What is Tsunami)

★समुद्र में उठी कई मीटर ऊंची उठने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है. सुनामी यानी कोस्टल वेव और हिंदी में इसका मतलब है समुद्र तटीय लहरें.

★समुद्र के भीतर अचानक जब तेज़ हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है. इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो ज़बरदस्त रफतार के साथ आगे बढ़ता है.

★इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं. दरअसल सुनामी जापानी शब्द है जो सू और नामी से मिल कर बना है सू का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें.

★पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल समुद्र में लहरें चांद-सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं.

=>>कैसे उठती हैं सुनामी लहरें?


- सुनामी लहरों की वजह वैसे तो कई है. लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण है भूकंप. इसके अलावा ज़मीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी-कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं.

=>>सुनामी लहरों का असर किस तरह पड़ता है?

★सुनामी लहरें समुद्री तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान-माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं.

GENERAL STUDIES HINDI

How a tsunami forms



=>> क्या सुनामी लहरों का अंदाज़ा पहले से लगाया जा सकता है?

- जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते वैसे ही सुनामी के बारे में भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते.
- लेकिन सुनामी के अब तक के रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की स्थिति को देखकर वैज्ञानिक कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं.
- धरती की जो प्लेट्स या परतें जहां-जहां मिलती है वहाँ के आसपास के समुद्र में सुनामी का खतरा ज्यादा होता है.
- जैसे ऑस्ट्रेलियाई परत और यूरोशियाई परत जहां मिलती हैं वहां स्थित है सुमात्रा जो कि दूसरी तरफ फिलीपीनी परत से जुड़ा हुआ है. सुनामी लहरों का कहर वहां भयंकर रूप में देखा जा चुका है.

=> भूकंप से सुनामी लहरें कैसे उठती हैं?

- जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है, तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है.
- जो लहरें उस वक़्त बनती हैं वो सुनामी लहरें होती हैं. इसकी एक मिसाल यह है कि धरती की ऊपरी परत फुटबॉल की परतों की तरह आपस में जुड़ी हुई है या कहीं कि एक अंडे की तरह से है जिसमें दरारें हों.
- अंडे का खोल सख्त होता है लेकिन उसके भीतर का पदार्थ लिजलिजा और गीला होता है भूकंप के असर से ये दरारें चौड़ी होकर अंदर के पदार्थ में इतनी हलचल पैदा करती हैं कि वो तेज़ी से ऊपर की तरफ का रुख कर लेता है.

- धरती की परतें भी जब किसी भी असर से चौड़ी होती हैं, तो वे खिसकती हैं। इसी वजह से महाद्वीप बनते हैं। हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं कि हर भूकंप से सुनामी लहरें बनें। इसके लिए भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर या उसके आसपास होना ज़रूरी है।

=>>सुनामी लहरें किनारों से उठने लगती हैं तो क्या असर होता है?

- जब ये सुनामी लहरें किसी भी महाद्वीप की उस परत के उथले पानी तक पहुंचती हैं, जहां से वो दूसरे महाद्वीप से जुड़ा है और जो कि एक दरार के रूप में देखा जा सकता है।
- वहां सुनामी लहर की तेज़ी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह दूसरा महाद्वीप भी जुड़ रहा है और वहां धरती की जुड़ी हुई परत की वजह से दरार जैसी जो जगह होती है वो पानी को अपने अंदर रास्ता देती है।

उसके बाद अंदर के पानी के साथ मिलकर जब सुनामी किनारे की तरफ़ बढ़ती है तो उसमें इतनी तेज़ी होती है कि वो 30 मीटर तक ऊपर उठ सकती है और उसके रास्ते में चाहे पेड़, जंगल, इमारतें, गाड़ियां कुछ भी आएँ सब कुछ बहा ले जाती हैं।

ला-नीना' की ज़द में दुनिया, इस बार सर्दियां होंगी लंबी

पिछले दो-तान सालों की रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बाद इस साल पूरे दुनिया में सर्दी अपना असर दिखाएगी। इसकी वजह प्रशान्त महासागर में ला-नीना की हलचल है जिसके और ज्यादा फैलने की आशंका बढ़ रही है।

What is La nina

अल नीनो जिसका सम्बंध भारत में सूखे, बाढ़ और गर्मी से है और इसी के उलट ला-नीना है। प्रशान्त महासागर में बनने वाला अल नीनो और ला-नीना पूरे विश्व के तापमान को प्रभावित करता है।

★भारत में साल 2013 लेकर 2015 तक लगातार मौसम गर्म रहा है। इसकी प्रमुख वजह प्रशान्त महासागर में लगातार अल नीनो का बनना था। भारत में अल- नीनो का सम्बंध ऐतिहासिक रूप से मानसून के दौरान भारी बारिश से है और इससे भारत के पूर्वी तट पर भारी चक्रवाती तूफान आते हैं और इसका खतरा बढ़ जाता है।

★हाल में आया अल नीनो सबसे ज्यादा गर्मी लिए रहा है जिसका खात्मा जून 2016 में मानसून की बारिश आने से हुआ। पिछले साल रिकॉर्डतोड़ गर्मी पड़ी थी और उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था।

GENERAL STUDIES HINDI

What happens during these events?

Mechanism (How??)




Figure 21

http://www.pml.noaa.gov/tao/proj_over/diagr/ams/

=>अल-नीनो का असर क्या होता है?

अल नीनो के असर से औसतन दिसम्बर तक पेरू और इक्वाडोर के समुद्र का पानी गर्म रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि समुद्र की सतह का पानी गर्म हो जाता है और इससे पूरे अमरीका में चलने वाली हवाओं का तापमान भी बढ़ा रहता है जिसे दक्षिणी जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है। गर्म हवाओं के ऊपर उठने से सेन्ट्रल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका में सूखे के हालात उत्पन्न हुए थे।

लेकिन यही अल नीनो भारत में मानसून को प्रभावित करता है। भारतीय समुद्री सतह का तापमान और हवा गर्म हो जाती है। वहीं इसके उलट ला नीना भारी मानसून की वजह बनता है।

भारतीय मौसम विभाग ने साल 2016 के मध्य में ही मानसून के ज्यादा समय तक रहने और 106 फीसदी तक बारिश होने की उम्मीद जता दी थी लेकिन ला नीना पहुंच नहीं सका था। इस वजह से मानसून सामान्य से 97 फीसदी ही रह गया।

अल नीनो से कुछ सालों के दौरान न सिर्फ सर्दी कम पड़ी है बल्कि उसकी अवधि भी कम हुई है। भारतीय मौसम विज्ञानियों को उम्मीद थी कि अल नीनो के बाद ला-नीना की स्थिति आएगी और जिससे इस साल मानसून बेहतर हो सकता है।

=>>ला-नीना पर उम्मीदें

★प्रशान्त महासागर के एनओए के टेम्परेचर इंडेक्स में ला-नीना के मार्ग से भटकने की उम्मीद है। यह भी कहा गया है कि लम्बे समय में तापमान 0.05 डिग्री सेंटिग्रेड से भी नीचे रह सकता है। यह इंडेक्स दो 'ओवरलैपिंग सीजन' जुलाई-सितम्बर और अगस्त-अक्टूबर में 0.08 सेंटिग्रेड रहा था। इससे ला नीना उत्पन्न

होने की सम्भावना 55 फीसदी तक है और यह लगातार तीन 'ओवरलैपिंग सीजन' तक जारी रहेगा. इस दौरान ला नीना का असर पूरी तरह दिखाई देगा और सर्दी अपना असर दिखाएगी.

★ एक बार ला नीना अपने स्थान पर केन्द्रित हो जाता है तो उसका असर पांच-छह माह तक रहता है. इस वजह से अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अगले साल मानसून सामान्य रहेगा या सामान्य से ज्यादा. इतना तो तय है कि अगले साल सूखा नहीं पड़ेगा.

★ ला नीना की वजह से बंगाल के खाड़ी की समुद्री सतह गर्म हो जाती है. इस कारण मानसून का कम दबाव बनता है और समुद्री चक्रावात आते हैं. इसी के चलते आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश देखने को मिलती है.

★ अगर ला नीना अपना असर दिखाने में विफल रहता है तो क्या होगा. ऐसे में भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर-पूर्व में मानसून सामान्य रहेगा. उतना ही जितना, पिछले अक्टूबर से दिसम्बर तक था. हालांकि हाल में ला नीना की जो पुष्टि की गई है, उसके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी करने की दिशा में फिर से काम किया जाएगा.

सुपर मून

- जब पूर्णिमा का चांद कक्षा पर पृथ्वी के सबसे करीब आता है तब उसे सुपरमून कहते हैं।
- इसमें चन्द्रमा पहले से 30 % ज्यादा चमकीला दिखाई देता है
- 1948 के बाद यह पहली बार होगा जब इतना बड़ा और चमकीला चांद नजर आया है।
- इसके बाद अब 2034 तक इस तरह का नाजारा देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया के कई देशों में यह सुपर मून देखा जा चुका है

पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए चांद जब धरती के सबसे नजदीक आ जाता है तब supermoon की स्थिति बनती है और उस स्थिति को पेरीजी और कक्षा में जब सबसे दूर होता है तो उस स्थिति को अपोजी कहते हैं। सामान्य रूप से चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी हर महीने 3,57,000 किमी से 4,06,000 किमी के बीच रहती है। ऐसा उसकी अंडाकार कक्षा के कारण होता है।

चंद्रभागा नदी

- पुराणों में वर्णित सरस्वती नदी की भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने एक और 'विलुप्त' भारतीय नदी के साक्ष्य पाने का दावा कर रहे हैं।
- इस प्राचीन नदी का नाम चंद्रभागा है और माना जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में बने कोणार्क के सूर्य मंदिर से दो किलोमीटर की दूरी पर इसका अस्तित्व था।
- पौराणिक कहानियों में इस मंदिर के आसपास चंद्रभागा नदी की मौजूदगी का संकेत मिलता है। चित्रों व तस्वीरों में भी नदी को दर्शाया गया है।

=>पीएसएलवी-सी36 द्वारा रिसोर्ससैट -2ए रिमोट सेंसिंग उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

Why in news:

इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 1,235 किलो भार के रिसोर्ससैट -2ए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह पीएसएलवी का लगातार 37वां सफल मिशन है।

- रिसोर्ससैट -2ए द्वारा भेजे गए डेटा फसल क्षेत्र और फसल उत्पादन अनुमान, सूखे की निगरानी, मिट्टी मानचित्रण, फसल प्रणाली विश्लेषण और कृषि परामर्श से संबंधित कृषि अनुप्रयोगों में उपयोगी हो जाएगा।
- अपने पूर्ववर्ती रिसोर्ससैट -1 और 2 की तरह रिसोर्ससैट -2ए भी विशिष्ट थ्री-टियर टायर इमेजिंग प्रणाली और उन्नत वाइड फील्ड सेंसर (एडब्ल्यूएफएस) रैखिक इमेजिंग सेल्फ स्कैनर -3 (एलआईएसएस-3) और रैखिक इमेजिंग सेल्फ स्कैनर-4 (एलआईएसएस- 4) कैमरों से युक्त है।
- एडब्ल्यूएफएस 56 मीटर की सैपलिंग वाले फोटो 740 किलोमीटर पट्टी के साथ, जबकि एलआईएसएस-3 23.5 मीटर सैपलिंग और 141 किमी. पट्टी के साथ फोटो उपलब्ध कराएगा। एलआईएसएस-4 5.8 मीटर सैपलिंग और 70 किमी पट्टी के साथ फोटो उपलब्ध कराएगा।
- रिसोर्ससैट -2ए के प्रक्षेपण सहित भारत के पीएसएलवी यान द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की कुल संख्या 122 तक पहुँच गई है, जिनमें 43 उपग्रह भारतीय हैं और शेष 79 विदेशों के हैं।

- रिसोर्ससैट-2ए एक दूरसंवेदी उपग्रह है, जिसका लक्ष्य इससे पहले वर्ष 2003 में प्रक्षेपित रिसोर्ससैट-1 और वर्ष 2011 में प्रक्षेपित रिसोर्ससैट-2 के कार्यों को आगे बढ़ाना है।

- इसका लक्ष्य वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए दूरसंवेदी डेटा सेवाएं जारी रखना है। यह अपने पूर्ववर्ती उपग्रहों की तरह के तीन उपकरणों को लेकर जाएगा।

- रिसोर्ससैट- 2 ए उच्च क्षमतावाला एक लिनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर कैमरा, मध्यम क्षमता वाला एक एलआईएसएस-3 कैमरा और एक अत्याधुनिक सेंसर कैमरा ले जाएगा, जिनका इस्तेमाल विभिन्न बैंड के लिए किया जाता है।

**

GENERAL STUDIES HINDI

दवा का आधार

Q. फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन' क्या है ? उसके क्या लाभ और हानियाँ है ? (UPSC- 2013)

Why in news:

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनियों को राहत देते हुए 'फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन' एफडीसी (दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को खारिज कर दिया है।

Background

केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर इन दवाओं को प्रतिबंधित किया था। समिति ने पाया था कि इन दवाओं का साइड-इफेक्ट होता है और कई दवाएं तो अपने दावे के हिसाब से बीमारियों से लड़ने में सहायक भी नहीं होतीं

क्यों खारिज की गई अधिसूचना :

- दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि दस मार्च को 344 एडीसी (फिक्स डोज कांबिनेशन) दवाओं को प्रतिबंधित करने का उसका फैसला विधिसम्मत था
- न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार ने निहायत 'बेतरतीब तरीके' से इन दवाओं को प्रतिबंधित किया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया, परिस्थितियों के हिसाब से वैसा करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी।

क्या दलील थी दवा कंपनियों की :

- दवा कंपनियों की दलील थी कि सरकार ने फैसला लेते समय दवा व प्रसाधन अधिनियम की प्रक्रियाओं पर ठीक से अमल नहीं किया।
- दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड या औषधीय सलाहकार समिति से भी इस बारे में राय नहीं ली गई, बल्कि एक तकनीकी समिति गठित करके उसकी सिफारिश सरकार ने मान ली। ऐसा करना कानूनन ठीक नहीं था।
- किसी दवा को प्रतिबंधित करने से पहले निर्माता कंपनी को तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए था।
- जिस तकनीकी समिति की सिफारिश पर पाबंदी लागू की गई, वह एक गैर-स्वायत्त समिति थी, जिसे ऐसी सलाह देने का वैध अधिकार नहीं था।
- इन दवाओं का सरकार ने न तो कोई क्लिनिकल परीक्षण कराया और न ही होने वाले नुकसान का कोई आंकड़ा दिया, बस सीधे-सीधे उन्हें 'बेकार' बता दिया।

सरकार का तर्क :

- केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि दवा कंपनियां, जिन समितियों की सलाह लेने की बात कर रही हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दवाओं का नुकसानदेह होना ही पर्याप्त था। और पाबंदी ही इसका एकमात्र जवाब था।
- ऐसी किसी भी दवा का लाइसेंस दवा एवं औषधि महानियंत्रक से लेना जरूरी होता है, न कि किसी राज्य की ड्रग लाइसेंसिंग एजेंसी से, जैसा कि तमाम कंपनियों ने कर रखा है। फिर, कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि वह 'अपनी संतुष्टि' के आधार पर कार्रवाई कर सकती है।

--

‘फिक्स डोज कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना खारिज

क्यों खबरों में

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनियों को राहत देते हुए 'फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन' (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को खारिज कर दिया है. यह अधिसूचना इसी साल मार्च में जारी की गई थी। केंद्र सरकार ने ऐसी 344 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी. दवा कंपनियों ने इसकी वैधता को चुनौती दे दी थी.

क्या होती है FDC (Fixed dose combination)

- एफडीसी दो या इससे अधिक दवाओं का एक निश्चित अनुपात में मेल होता है
- कोरेक्स, विक्स एक्शन-500, सेरेडॉन और डी कोल्ड टोटल जैसी दवाएं इसी वर्ग में आती हैं.
- कई एफडीसी बढ़िया काम करते हैं और वे सुरक्षित भी होते हैं. लेकिन भारत में इन दवाओं पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि यहां हजारों ऐसे एफडीसी भी मौजूद हैं जिनके फॉर्मूलेशन को राष्ट्रीय दवा नियामक यानी **द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन** ने कभी मंजूरी ही नहीं दी.

पक्ष और विपक्ष

सरकार ने दलील दी थी कि इन दवाओं पर प्रतिबंध जनहित में लगाया गया है क्योंकि ये सेहत के लिए सुरक्षित नहीं हैं और दुनिया के अन्य देशों में भी इन पर रोक है. इस पर अदालत ने कहा कि सरकार औषधि और प्रसाधन अधिनियम की धारा-26 (ए) की शक्तियों का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब कोई उत्पाद उपभोक्ता के लिए जोखिम पैदा कर रहा हो. दवा कंपनियों ने अपनी याचिकाओं में सरकार द्वारा धारा-26 (ए) की शक्तियों के इस्तेमाल को चुनौती दी थी.

भारत और FDC

भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एफडीसी को नई चीज माना जाता है और इन्हें खूब प्रमोट किया जाता है. ये दवाएं ज्यादातर होलसेलरों, केमिस्टों और अपनी डिस्पेंसरी खोलकर बैठे डॉक्टरों के पास मिलती हैं. इनमें से कुछ अस्पतालों में भी इस्तेमाल होती हैं। कई साल तक इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं गया. फिर,

- 2007 में राष्ट्रीय नियामक ने ऐसी 294 दवाओं पर बैन लगा दिया. वजह बताई गई कि उन्हें सिर्फ मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था, मार्केटिंग की मंजूरी नहीं
- ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां अदालत गईं और अदालत में मामला अब भी लटका हुआ है.
- केंद्र सरकार ने नियामक के मानदंड और क्षमताओं की पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनाई थी. 2012 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और एफडीसी की मंजूरीयों सहित कई मोर्चों पर खामियों को रेखांकित किया.
- कमेटी ने पाया कि राज्य स्तर की एजेंसियां ऐसे नए फॉर्मूलेशनों के लिए भी मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस दे रही थीं जिन्हें कभी मंजूरी ही नहीं दी गई। रिपोर्ट के शब्दों में 'इसका नतीजा यह है कि बाजार में मौजूद कई एफडीसी की यह जांच ही नहीं हुई है कि वे कितने असरदार और सुरक्षित हैं. यह मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। कई फॉर्मूलेशन तो मेडिकल साइंस के हिसाब से जरूरी भी नहीं थे.

बिना किसी मंजूरी के बाजार में इतने सारे एफडीसी क्यों हैं

इसके बारे में रिपोर्ट में एक संभावना जताई गई थी. इसके मुताबिक नई दवाओं से संबंधित कानून में मई 2002 में हुए बदलाव से पहले कुछ अस्पष्टता थी और हो सकता है इसकी वजह से इस चलन को प्रोत्साहन मिला हो.

Need to overhaul pharmaceutical laws

दवाओं के एक बड़े निर्यातक भारत में दवाइयों से संबंधित नियम-कानूनों में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है. जिन एफडीसी को मंजूरी नहीं मिली है उन्हें बैन किया जाना चाहिए और उनकी जगह मरीजों को दूसरी दवाइयां दी जानी चाहिए. भारत में दवाइयों के नियम-कानून आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनने चाहिए न कि दवा निर्माताओं के व्यावसायिक हितों के हिसाब से.

Geostationary Operational Environmental Satellite-R (GOES-R)

- अमरीका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) के द्वारा प्रक्षेपित
- यह उपग्रह अंतरिक्ष से बादल की तरंगों की साफ तस्वीरें पृथ्वी पर तुरंत प्रसारित कर सकेगा।
- ये तरंगें ही वायुमंडल में विक्षोभ पैदा करती हैं। इसके साथ ही ये उपग्रह हवा की रफ्तार, कोहरा, बर्फ और बिजली के बारे में ज़्यादा बेहतर आकलन कर सकेगा।
- इससे विमानों का ऐसा रूट तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे कि खतरों से दूर रहा जा सकेगा। इससे मिलने वाली तस्वीरों के रेजॉल्यूशन भी पहले से चार गुना बेहतर होंगे।
- इसको दुनिया का सबसे उन्नत मौसम उपग्रह माना जा रहा है।

एलके1 प्रोटीन

- शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाने वाले प्रोटीन
- यह प्रोटीन रक्त वाहिनियों में लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एलडीएल) या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है।
- एलडीएल के उच्च स्तर से रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचने के साथ ही हृदय रोग होने का खतरा बढ़ सकता है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, शरीर में इस प्रोटीन की मौजूदगी में वाहिनियां वसा और कोलेस्ट्रॉल के कारण अवरुद्ध होने लगती हैं।
- यह प्रोटीन कोशिकाओं में एलडीएल के प्रवेश के लिए राह आसान करता है।
- 'एलके1 का एलडीएल से सीधा जुड़ाव है। इस खोज से बैड कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोकने की राह आसान हो सकती है।
- इससे वाहिनियों के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।'

सिग्नस कार्गो शिप के साथ शुरू होगा अंतरिक्ष में आग का प्रयोग


अंतरिक्ष में आग लगाएगा नासा

कभी आपने अंतरिक्ष में आग के बारे में सोचा है? शून्य गुरुत्वाकर्षण में आग कितनी देर टिकती है? उससे अंतरिक्ष अभियानों में गैर अंतरिक्ष यानियों को कितना नुकसान हो सकता है? इन्हीं सवालों पर जवाब जानने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा दूसरा महत्वपूर्ण परीक्षण करने जा रही है। इसके लिए नासा अंतरिक्ष यान में रखे नौ पदार्थों में आग लगाएगा। यह महत्वपूर्ण परीक्षण अंतरिक्ष में मौजूद सिग्नेस नामक यानों अंतरिक्ष यान के पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के दौरान 27 नवंबर को किया जाएगा। इस परीक्षण से मंगल ग्रह जैसे सुदूर अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यानियों की सुरक्षा के उपाय खोजने में मदद मिलेगी।



सिग्नेस अंतरिक्ष यान

यह मानवरहित यानों अंतरिक्ष यान है। इसे अमेरिकी कंपनी ऑर्बिटल पैटीके ने बनाया है। नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आइएसएस पर रह रहे अंतरिक्ष यानियों के लिए रसद सामग्री इसी से भेजती है। इस बार यह 23 अक्टूबर को आइएसएस पहुंचेगा। 20 नवंबर को यह 1.5 टन कवच के साथ पृथ्वी के लिए निकल पड़ा है। यह 27 नवंबर को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा। तभी इसमें आग का परीक्षण होगा।



सफायर शृंखला का हिस्सा

यह दूसरा परीक्षण नासा के स्पेसक्राफ्ट



पत्रपर सेपटी (सफायर) परीक्षण शृंखला का हिस्सा है।

इसमें सिग्नेस यानों अंतरिक्ष यान के अंदर रखे कुछ पदार्थों को जलाया जाता है। इस शृंखला में तीन परीक्षण प्रस्तावित हैं।

इस बार नौ पदार्थ जलाए जाएंगे

इस बार सिग्नेस में नासा नौ पदार्थ जलाएगा। इनमें कॉटन फाइबरग्लास, नोमेक्स, अंतरिक्ष यान की खिड़कियों में इस्तेमाल होने वाला एप्रिलिक ग्लास जैसे पदार्थ शामिल हैं। इन पदार्थों को जलाने के लिए उसमें एक अलग चैंबर बनाया गया है। आग की शुरुआत के लिए नासा के वैज्ञानिक उसमें कंप्यूटर के जरिये खास तारों को गर्म करते हैं। इन तारों के संपर्क में आने से पदार्थ आग पकड़ता है। आग को हवा देने के लिए पंखों की मदद ली जाती है।

पहला परीक्षण जून में हुआ

सेपत्रपर के तहत पहला

परीक्षण इसी साल 14 जून को सिग्नेस अंतरिक्ष यान में ही किया गया था। उस दौरान उसमें कॉटन फाइबरग्लास से बने 1.3 फीट चौड़े और 3.3 फीट लंबे कपड़े को जलाया गया था। यह आग करीब आठ मिनट तक रही थी। इसे इंसान द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई सबसे बड़ी आग कहा जाता है।



अंतरिक्ष में आग कैसे कार्य करता है? शोधकर्ताओं को यह जल्द पता लग जाएगा। उन्होंने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान पर नौ विभिन्न सामग्रियों के साथ सोमवार को पृथ्वी के वायुमंडल के फिर से प्रवेश दिलाया है।

जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप- James Webb Space Telescope (JWST)

○ यह टेलिस्कोप हबबल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है और उन आकाशगंगाओं का

पता लगा सकता है जो ब्रहमांड के शुरूआती काल में बनी थीं।

- हबबल स्पेस टेलिस्कोप नासा के लिए 26 साल से काम कर रहा है और अब उसकी जगह जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप लेगा।
- वेब टेलिस्कोप के इन्फ्रारेड कैमरे इतने अधिक संवेदनशील हैं कि उन्हें सूर्य की किरणों से बचाना जरूरी है।
- एक टेनिस कोर्ट के आकार के पांच स्तरीय सनशील्ड इसे सूर्य की किरणों से बचाएंगे ताकि टेलिस्कोप के इन्फ्रारेड सेंसरों पर इनका असर न हो सके।

डायबिटीज के मरीजों को अब प्रतिदिन के दर्द देने वाले ग्लूकोज टेस्ट से छुटकारा मिल सकता है

- अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सेंसर के जरिये शरीर में ग्लूकोज स्तर की जांच करने की विधि ईजाद की है।
- ऑरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी में इस बाबत हुए शोध में नैनो ट्रांजिस्टर के जरिये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में होने वाले बदलाव को मापा गया है।
- यह ट्रांजिस्टर इंडीयम गैलियम ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट पर काम करता है।
- यह ट्रांजिस्टर सेंसर के रूप में काम करता है और उस समय के ग्लूकोज स्तर को बताने में मदद करता है।
- यह ट्रांजिस्टर एक तरह से कृत्रिम अग्राशय के रूप में काम करता है।

- यह आंख के आंसू जैसे बफर सॉल्यूशन के संपर्क में आने पर सक्रिय होता है और उसके बाद परिणाम देता है।

कृत्रिम प्रोटीन: टीपीएक्स 2

- कृत्रिम प्रोटीन से हो सकेगा कैंसर का इलाज
- ग्लासगो यूनिवर्सिटी और सुकुबा इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में टीपीएक्स 2 नाम की कृत्रिम प्रोटीन तैयार करके उसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया तो उसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए।
- इस कृत्रिम प्रोटीन को प्राकृतिक प्रोटीन के संपर्क में रखकर तैयार किया गया। इसके बाद इसे कैंसर इलाज की अरोरा ए तकनीकी के साथ मिलाकर पीड़ित व्यक्ति पर प्रयोग किया गया।
- यह प्रोटीन कैंसर इलाज में जैविक दवा जैसा काम करेगी। इस कृत्रिम प्रोटीन के इस्तेमाल से जो सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं उससे लगता है कि कुछ वर्षों के बाद इसे चिकित्सा प्रणाली में शामिल किया जा सकेगा और यह क्रांतिकारी बदलाव की वाहक बनेगी

नौसेना में शामिल हुई INS अरिहंत, जल-थल-वायु से परमाणु हमला करने में सक्षम हुआ भारत

-भारतीय नौसेना की ताकत में अब और इजाफा हो गया है। भारतीय नौसेना में नई स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को शामिल कर लिया गया है।

- **आईएनएस अरिहंत देश में निर्मित पहली न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन** है। बता दें कि इस सबमरीन को इसी साल अगस्त में नेवी के बेड़े में शामिल किया गया।
- **अब भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन चुका है जिसने खुद न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन का निर्माण किया है।**
- इस सबमरीन के काम शुरू करने के बाद अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो चुका है, जिनके पास हवा, जमीन और पानी से न्यूक्लियर मिसाइलों को दागने की क्षमता है। भारत से पहले **अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन के पास यह त्रय पूरा हो चुका है।**
- भारत एंसी तीन सबमरीन का निर्माण कर रहा है, जिनमें से अरिहंत पहली है।
- भारत की यह स्वदेशी पनडुब्बी **रूस के मदद से** बनी है। 6 हजार टन की आईएनएस अरिहंत 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लीयर रिएक्टर से ताकत प्राप्त करती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम 1980 के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत शुरू किया गया था और यह 2009 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह द्वारा लॉन्च की गई थी। उसके बाद से ही इसके ट्रायल चल रहे थे।
- आईएनएस अरिहंत बेहद एडवांस पनडुब्बी है और यह 700 किमी तक की रेंज में हमला कर सकती है। इसे के-15 मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसके नौसेना में शामिल होने के बाद सेना की ताकत में इजाफा होगा। हालांकि इसे पूरी तरह से 'नो फर्स्ट यूज' की नीति के तहत बनाया गया है। इसका मतलब भारत पर अगर परमाणु हमला होता है तो भारत इसका जवाब दे सकता है।
- इस सबमरीन की क्षमता यह भी है कि पानी के अंदर से किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता है।

भारत-रूस मिलकर बनाएंगे ब्रह्मोस का नया वर्जन; मारक क्षमता होगी 600 किलोमीटर



भारत और रूस जल्द ही 600 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली नई जेनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे. इस 600 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान होगा.

=>MTCR का

भारत इसी साल जून महीने में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का हिस्सा बना है. इसके परिणामस्वरूप ही रूस भारत के साथ मिलकर यह मिसाइल बनाएगा.

फायदा

GENERAL STUDIES HINDI

MTCR 300 km से अधिक रेंज की मिसाइल के निर्माण पर रोक लगा

Russian-Indian BrahMos supersonic cruise missile

The BrahMos anti-ship missile was jointly developed by Russia's Engineering Research and Production Association (NPO) and the Indian Defense Ministry's Defense Research and Development Organization (DRDO)



Specifications

Lift-off weight: **3,000 kg** (sea-launched version),
2,500 kg (air-launched version)

Warhead: **Up to 300 kg**

Flight altitude: **From 5 to 14,000 meters**

Maximum speed: **Mach 2.8**

Diameter: **70 cm**

Wingspan: **1.7 meters**

Range: **290 km**

Designation

The missile is designed to hit all classes of warships

The missile is fired from mobile self-contained launchers installed onboard submarines, warships and fixed-wing aircraft

History and prospects

The BrahMos Aerospace Private Limited joint venture was established in 1998 and started working on the project

Twenty successful tests were conducted

The Indian Air Force has already adopted the missile

BrahMos Aerospace is ready to enter the international market. Prospective clients include 14 countries


The Indian Air Force requires 1,000 BrahMos missiles

In all, 2,000 Brahmos missiles can be exported

There are plans to develop the hypersonic BrahMos missile with a speed of Mach 5

The missile rapidly loses altitude while approaching its target and thus evades ship-based air-defense systems

The missile can hit a target of 1.5m x 1.5m at maximum range



Name

The acronym **BrahMos** is an abbreviation of the names of two rivers, the Brahmaputra of India and the Moskva of Russia

- भारत के पास जो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक ही है. इससे पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों को टारगेट करना मुश्किल है.
- हालांकि भारत के पास नेक्स्ट जेनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं लेकिन ब्रह्मोस की खासियत है कि वह निश्चित लक्ष्य पर हमला कर सकता है. भले ही उस लक्ष्य को कितनी भी सुरक्षा दी जाए.
- अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो यह मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है.

=>कम दूरी की मिसाइलें भी बनाएंगे भारत-रूस
 - भारत और रूस के बीच गोवा समिट के दौरान यह सौदा हुआ था. इसके मुताबिक दोनों देश मिलकर कम दूरी की मिसाइलें भी बनाएंगे. जिसे पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट से भी दागा जा सकता है.

- इस समझौते को समिट के दौरान सार्वजनिक नहीं किया गया था. लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के पत्रकारों के सामने इस समझौते का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 'दोनों देशों के बीच मिसाइल डील भी हुई है. हमने ब्रह्मोस मिसाइल को और सुधारने पर भी मंजूरी दी है, जो जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च की जा सकेगी. हम इसकी मारक क्षमता बढ़ाने पर भी काम करेंगे और साथ मिलकर पांचवें जेनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाएंगे.'

International Relationship

भारत व अफगानिस्तान के बीच विशेष कार्गो सेवा

यह योजना क्यों :

अफगानिस्तान को भारतीय मदद पहुंचाने में हर तरह की अड़चन खड़ा करने में जुटे पाकिस्तान को दरकिनार करने के लिए | अभी पाकिस्तान की अड़चन की वजह से ही भारत चाह कर भी अफगानिस्तान को दो लाख टन गेहूं नहीं पहुंचा पा रहा है। सीधे कार्गो लिंक के लिए अफगानिस्तान को भारत की तरफ से विशेष आर्थिक मदद दी जाएगी

क्या है यह योजना

योजना यह है कि जब तक ईरान-अफगान सीमा पर चाबहार पोर्ट तैयार नहीं होता है, तब तक भारत व अफगानिस्तान के बीच विशेष कार्गो सेवा शुरू की जाए। | दोनों देशों के बीच कार्गो लिंक बनने के बाद कारोबार के लिए भारत, पाकिस्तान के भरोसे नहीं रहेगा।

क्या होंगे फायदे :

- एयर कार्गो लिंक बन जाने के बाद भारत को अफगानिस्तान से सूखे मेवे, हस्तशिल्प, कार्पेट आदि की आपूर्ति काफी बढ़ जाएगी। अभी यह सामान वाघा बार्डर या कराची पोर्ट से होकर भारत आते हैं, जिसमें काफी मुश्किलें हैं।
- अभी होता यह है कि पाकिस्तानी नीति के अनुसार अफगानिस्तान से भारत आने वाले हर सामान को वाघा बार्डर पर पूरी तरह से खोल कर जांच की जाती है। इसमें समय ज्यादा लगता है और बड़ी मात्र

में सूखे मेवे नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन, सीधा कार्गो होने के बाद कंधार एयरपोर्ट से यही खाद्य सामग्री सीधे दिल्ली पहुंचेगी

- कार्गो लिंक शुरू करना भारत व अफगानिस्तान के गहराते रिश्तों का एक उदाहरण है। दोनों देश पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति से परेशान है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के समर्थन से ही तालिबान का अभी तक अफगानिस्तान से सफाया नहीं हो सका है। भारत भी पाक समर्थित आतंकवाद से पीड़ित है।

हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन

Why in news:

हाल ही में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ।

क्या है यह

- आतंकवाद और गरीबी से निपटने के लिए अफगानिस्तान और इसके पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 2011 में हार्ट ऑफ एशिया पहल की शुरुआत की गई इसको इस्ताम्बुल process के नाम से भी जाना जाता है।
- अफगानिस्तान, अजरबैजान, चीन, भारत, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, पाक, तुर्की समेत 14 देशों ने आपदा प्रबंधन, आतंकवाद को रोकने, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, व्यापार-निवेश को बढ़ाने, क्षेत्रीय अधोसंरचना विकसित करने, और शिक्षा का विस्तार जैसे छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चुना था।

भारत की कूटनीतिक कामयाबी

अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण में मदद करने के मकसद से अमृतसर में हुए 'हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन' को भारत जैसा कूटनीतिक मोड़ देने चाहता था, देने में सफल रहा।

- सम्मेलन के एजेंडे में तो आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख था ही, उसके घोषणापत्र में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को दक्षिण एशिया की शांति के लिए बड़े खतरे के रूप में रेखांकित किया गया। यह निश्चय ही भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है।
- भारत ने कहा की आतंकवाद और बाहर से प्रोत्साहित अस्थिरता ने अफगानिस्तान की शांति और समृद्धि के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है; आतंकी हिंसा के बढ़ते दायरे ने हमारे पूरे क्षेत्र को खतरे में डाला है। अफगानिस्तान में शांति की आवाज का समर्थन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही दृढ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई आतंकवादी ताकतों के खिलाफ ही नहीं, उन्हें सहयोग और शरण देने वालों के विरुद्ध भी होनी चाहिए।

मारकेश समझौता

What is this:

पेरिस समझौते के बाद मारकेश राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के खतरे से निबटने की वैश्विक प्रतिक्रियाओं को मजबूती देने की दिशा में बढ़ाने का एक कदम है।

- जलवायु परिवर्तन समझौते में दीर्घकालिक जीवनशैली के महत्व को पहली बार शामिल किया गया है
- देशों ने कम से कम सिद्धांत रूप में इस पर सहमति जताई है कि 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए 2018 तक कायदे-कानून बना लिये जाएंगे।
- पेरिस समझौते में यह तय हुआ था कि हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फंड) बनेगा जिसमें से सौ अरब डालर की मदद हर साल गरीब और विकासशील देशों को दी जाएगी, ताकि वे अपने यहां कार्बन स्रोतों पर रोक लगाने की खातिर नई तकनीक विकसित कर सकें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे माध्यमों से बिजली उत्पादन भी पेरिस समझौते की एक प्रतिज्ञा थी। परन्तु मारकेश इस फंड को सम्पूर्ण रूप से भरने में विफल रहा
- CLIMATE VULNERABLE फोरम के 50 सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा लि की वो 2050 तक अपने energy का उत्पादन renewable sources से करेंगे

परन्तु किन मामलो में असफल रही

- कुछ निहित स्वार्थों के चलते कृषि, वृत्त अनुकूलन जैसे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हुई। राजनीतिक आधार पर बंटे देशों की खींचतान कई बार साफ दिखाई दे जाती है।
- जिस हरित जलवायु कोष बनाने की बात हुई थी, उसमें अमेरिका को तीन सौ करोड़ डालर देने थे, लेकिन उसने अभी तक केवल पचास करोड़ डालर दिए हैं।

Other POINTS

सम्मेलन में भारत ने दोहा समझौते को लागू करने और विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया। बढ़ते तापमान की वजह से बाढ़, चक्रवाती तूफान और सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इस सम्मेलन में विश्व मौसम संगठन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके मुताबिक आने वाले साल के बारे में नब्बे फीसद आशंका इस बात की बढ़ गई है कि गरमी के लिहाज से पिछला सारा रिकार्ड टूट जाएगा।

A way to future:

हालांकि मराकेश सम्मेलन में देशों की भागीदारी उत्साह बढ़ाने वाली रही, और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि विकसित देश अपनी घरेलू राजनीति या क्षुद्र भू-राजनीतिक इरादों को वैश्विक पर्यावरण की रक्षा में आड़े नहीं आने देंगे। जलवायु न किसी की इजारेदारी की चीज है और न ही निजी उपभोग की। कोई भी अव्यवस्था धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे को डगमगा सकती है। कामना ही की जा सकती है कि पेरिस समझौता सौजन्यता और सख्यभाव से लागू हो जाएगा, जिसकी तरफ दुनिया पलक पसारे देख रही है।

--

राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की भारत यात्रा

इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की भारत यात्रा का महत्त्व

इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की भारत यात्रा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि दोनों के बीच के रिश्ते तेजी से पनप रहे हैं। रिवलिन भारत की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं लेकिन उनकी यात्रा दिखाती है कि दोनों देशों के बीच माहौल कुछ बदला हुआ है।

Bilateral visits of leadership:

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी उसके बाद ही इजरायल गए। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली इजरायल यात्रा थी और अब वंहा के राष्ट्रपति भारत आए हैं।

प्रगाढ़ होते सम्बन्ध :

बहरहाल, दोनों देशों के बीच के रिश्ते बीते दशकों के दौरान चरणबद्ध तरीके से बेहतर होते गए हैं। रिवलिन के साथ कारोबारियों का एक बड़ा समूह आया है और उनके मुंबई, आगरा, चंडीगढ़ और करनाल की यात्रा करने की योजना है। ये यात्राएं दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग की बानगी पेश करती हैं।

- करनाल ही वह जगह है जहां कृषि का सेंटर फॉर एक्सिलेंस मौजूद है। यह केंद्र भारत और इजरायल ने सहयोग से विकसित किया है।
- इजरायल को अपेक्षाकृत विपरीत अर्द्ध शुष्क इलाके में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में उल्लेखनीय अनुभव हासिल है। उक्त इलाका काफी हद तक भारत के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भाग की तरह है।
- भारत और इजरायल के बीच होने वाले कारोबार में हीरे का दबदबा रहा है लेकिन समय बीतने के साथ यह दायरा भी विस्तृत हुआ है।
- भारत की तरह इजरायल में भी स्टार्ट उद्यमिता की जीवंत संस्कृति मौजूद है और इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों को खास बढ़त मिल सकती है।
- इजरायल अब रक्षा उपकरण क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। उससे आगे रूस और अमेरिका का स्थान है।
- भारत सैन्य हार्डवेयर के मामले में इजरायल का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। बीते एक दशक में उसने इजरायल से 12 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। बतौर आपूर्तिकर्ता इजरायल की विश्वसनीयता भी खासी मायने रखती है।

Balancing the Relation keeping in mind Arab Peninsula

- भारत अभी भी संतुलनकारी भूमिका में है। घरेलू संवेदनशीलता को लेकर सरकारी चिंता से इतर हमें खाड़ी देशों और सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों का भी ध्यान रखना होगा। ये देश हमारे यहां धनप्रेषण का प्रमुख स्रोत हैं।
- इसके अलावा लाखों मेहनतकश भारतीय इन देशों में रोजगारशुदा हैं। ऐसे में इन देशों के साथ हमारे रिश्तों का भी ध्यान रखना होगा।
- इसके अलावा आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी इन देशों का सहयोग आवश्यक है। हाल के वर्षों में यह सहयोग बढ़ा ही है। इसकी बदौलत आतंकवाद के खिलाफ कुछ उल्लेखनीय सफलता मिली है।

इसलिए इजरायल के साथ रिश्ते गहरे करने चाहिए लेकिन इस दौरान यह गलत छवि नहीं बनने देनी चाहिए कि हम इजरायल की ओर झुक रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की इजरायल यात्रा इस बारे में अहम उदाहरण है। राष्ट्रपति मुखर्जी यह कहने में नहीं हिचकिचाए कि भारत फिलीस्तीन के लोगों के प्रति किस तरह प्रतिबद्ध है और कैसे वह लंबे समय से विवादों से जूझ रहे इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण हल की कामना करता है। मोदी जब इजरायल की यात्रा पर जाएं तो उनको यह बात ध्यान रखनी चाहिए।

रक्षा, आतंकवाद निरोधक सहयोग को मजबूत करेंगे भारत और इजरायल

सन्दर्भ:- इजरायल के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

- भारत एवं इजरायल ने अपनी बढ़ती नजदीकियों का परिचय देते हुए अपनी पहले से ही करीबी रक्षा भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा कट्टरवाद एवं चरमपंथ से निबटने के लिए सहयोग व्यापक बनाने का निर्णय किया है। दोनों देशों ने आतंकवादी नेटवर्क और उनका पालन पोषण करने वाले दशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए वैश्विक समुदाय का आह्वान किया।
- दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश, कृषि, जल संसाधन एवं साइबर अपराध सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को और गहरा बनाने के बारे में सहमति जतायी।
- दोनों देशों के लोग निरंतर आतंकवाद एवं उग्रवाद की ताकतों का खतरा झेलते रहे हैं। दोनों ही पक्ष उनसे प्रभावी ढंग से निपटने में सहयोग बढ़ाने को तैयार हो गए हैं विशेषकर साइबर क्षेत्रों जैसे विशिष्ट एवं व्यावहारिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में।
- दोनों देश यह स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जो कोई सीमा नहीं जानता तथा जिसका संगठित अपराध के अन्य स्वरूपों से व्यापक संबंध हैं।
- दोनों पक्षों ने बढ़ती रक्षा भागीदारी की क्षमता पर गौर किया और इस जरूरत पर सहमति जतायी कि उत्पादन एवं विनिर्माण भागीदारी के जरिये इसे और व्यापक बनाया जाना चाहिए।

भारत इजरायल के सैन्य साजोसमान का सबसे बड़ा क्रेता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत इजरायल से विभिन्न हथियार प्रणालियां, प्रक्षेपास्त्र, मानव रहित वायु वाहन खरीदता रहा है किन्तु अधिकतर लेनदेन गुपचुप ढंग से होता रहा है।

दोनों पक्षों ने कृषि तथा जल संसाधन प्रबंधन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

दोनों देशों के बीच गठजोड़ बढ़ने विशेषकर रक्षा क्षेत्र की ओर चर्चा करते हुए इस्राइल के राष्ट्रपति रिवलिन ने कहा कि उनका देश 'मेक इन इंडिया और मेक विद इंडिया' के लिए तैयार है।

पिछले दो दशकों में इस्राइल का राष्ट्रपति पहली बार भारत आया है। रिवलिन ने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद को कैसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। 'हम अपने लोगों एवं अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए एकजुट हैं।'

भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक ऐटमी एनर्जी डील का महत्त्व

करीब 6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु करार हो गया। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के जापान दौरे के दौरान दोनो देशों के बीच इस समझौते पर मुहर लगी।

Background:

2015 में जापान के पीएम शिंजो अबे भारत आए थे तभी दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट का फैसला किया था। भारत अब तक अमेरिका समेत 11 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर चुका है लेकिन जापान से डील खास होगी।

इस करार के कई महत्वपूर्ण मायने हैं-

- बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए जापान के साथ इस तरह का परमाणु समझौता करने वाला भारत पहला देश बन गया।
- परमाणु हमले का दंश झेल चुके जापान के साथ बिना एनपीटी पर दस्तखत किए ये समझौता भारत की परमाणु क्षेत्र में विश्वसनीयता और साख को भी बल देता है।
- परमाणु समझौते के बाद जापान, भारत को परमाणु ईंधन, रिएक्टर और तकनीक की सप्लाई करेगा।
- इस समझौते के बाद दो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में परमाणु रिएक्टर की स्थापना करने की राह आसान हो गई। क्योंकि दोनों कंपनियों में जापान के कंपनी की हिस्सेदारी होने के कारण जापान के साथ परमाणु समझौता जरूरी था।
- पेरिस समझौते के तहत भारत 2030 तक जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग पर काबू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसे में इस समझौते से बिजली उत्पादन के लिए कोयला पर भारत की निर्भरता कम होगी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत ने 2021 तक 14 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने में इस समझौते से मदद मिलेगी।

भारत और जापान के बीच इस समझौते का कूटनीतिक महत्व भी है। इस समझौते के ज़रिए भारत और जापान के रिश्तों के बीच आई नजदीकियां चीन के लिए चिंता बढ़ा सकती है। चीन एनएसजी में सदस्यता और मसूदा अजहर को आतंकी घोषित करने और पाक को अघोषित मदद पहुंचाने, सीमा पर तनाव पैदा करने जैसी कोशिशों के कारण भारत के लिए परेशानी का सबब बनता रहा है। ऐसे में चीन को अलग-थलग करने की कोशिशों के तहत ये समझौता मील का पत्थर साबित हो सकता है।

पाकिस्तान और चीन ने शुरू किया ग्वादर पोर्ट

क्यों खबरों में :

चीन के माल से लदा जहाज रवाना होने के साथ ही रविवार को पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय संपर्क का एक और नया मार्ग खुल गया। रणनीतिक महत्व वाले ग्वादर बंदरगाह से 250 कंटेनरों में भरा चीनी माल लेकर यह जहाज पश्चिम एशिया और अफ्रीका के लिए रवाना हुआ।

- चीन के उत्तर-पश्चिम जिनजियांग प्रांत से सड़क के जरिये कई तरह का सामान ग्वादर बंदरगाह लाया गया।
- इसी सड़क और इसके दोनों तरफ विकसित होने वाले इलाके को चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) का नाम दिया गया है। इसके लिए चीन पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर (तीन लाख दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा) का निवेश कर रहा है।



Projects on the ground

- By 2017, completion of Gwadar international airport and major development of Gwadar Port
- Expansion of Karakoram Highway – road that connects China with Pakistan
- Placement of fibre-optic line to ensure better communication between the two countries



What Pak gains

- Islamabad believes if all projects are implemented, value will exceed all FDI in the country since 1970
- Pakistan hopes to create over 7 lakh direct jobs between 2015 and 2030 and add up to 2.5 percentage points to its growth rate
- As China's vital energy supply route will pass through Pakistan, China will be compelled to support Pakistan's security
- Chinese naval assets at Gwadar will check India's aspirations to dominate the Arabian Sea. (After the lease period, it would be Pakistan's second naval base)



What China looks to gain

- Give Beijing locational advantage to compete with major Middle-Eastern ports
- The alternative trade route will help counter US's purported 'Contain China policy'
- Help uplift Xinjiang's economy, home to over ten million Uighurs



Why two Pak security personnel for every Chinese

- Pakistan has deployed 14,503 security personnel to secure some 7,036 Chinese nationals working on CPEC
- Tehreek-e-Taliban (TTP) warned in 2014 it will hit Chinese interests in Pak to counter the "persecution" of Xinjiang Muslims
- Groups associated with East Turkistan Islamic Movement working with TTP factions, al-Qaida



- and Jundullah also potent threat
- Attempts to abduct & kill Chinese workers in Hyderabad (Pakistan) foiled in recent years
- In Gilgit-Baltistan, an alliance of around 23 religious, nationalist and political groups has demanded a complete withdrawal of Pakistani forces from its soil

How Beijing, Islamabad are cooperating on security

- Police station recently set up in Gilgit-Baltistan, with 300 personnel and 25 vehicles (gift from China), to ensure smooth flow of traffic on the 439km stretch of the CPEC project
- Pak Navy & China collaborating on special marine battalion to ensure Gwadar's security
- Special division of Pakistan army dedicated to security of Chinese engineers
- Sindh planning to hire 2,000 retired army men for CPEC's security in the province
- Pakistan's minister for planning, reforms and development has said those protesting against CPEC will be charged under anti-terrorism laws



8,000

Chinese workers working in 210 projects in Pak



7,000

Additional workers expected for other CPEC projects



8,000 soldiers,

5,000 SSG commandos, 6 wings of paramilitary forces will protect the Chinese working in Pakistan

INDIA'S STANCE

New Delhi has objected to CPEC on point of principle, saying its projects are located and/or pass through PoK which belongs to India

चीन को लाभ : इससे उसे मध्य एशिया और अफ्रीका में घुसने का नया रास्ता मिल गया है। इसकी चीन से कम दूरी होने की वजह से यह उसके लिए फायदेमंद है

- ग्वादर का विकास चीन ने किया है।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका के भारत सहित अन्य देशों के साथ सम्बन्ध और असर

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की संभावना को कुछ समय पहले प्रतिष्ठित पत्रिका द इकॉनॉमिस्ट ने 10 वैश्विक 'खतरों' में शामिल किया था. इसे चीन की मंदी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट जैसे खतरों के बीच स्थान मिला था. सूची में आतंकवाद के खतरे के तुरंत बाद ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की संभावना थी. अब जब अमेरिका ने उन्हें अपना राष्ट्रपति चुन लिया है तो स्वाभाविक ही सवाल उठता है कि दुनिया पर इसका क्या असर होने वाला है.

- ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों में कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपना सकते हैं. लेकिन अमेरिका की इस नीति का मतलब होगा कि भारत जैसे देशों को तब कुछ मामलों में आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी पड़े
- डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में जो बातें कहते रहे हैं उनमें से कइयों का लब्बोलुआब यह है कि अमेरिका चीन और यूरोप द्वारा चतुराई से फैलाए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जाल में फंस गया है. उन्होंने यह जताने में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है कि अमेरिका के पूर्व के राष्ट्रपतियों द्वारा अपनाई गई दुलमुल अप्रवासी नीति का शिकार बन चुका है. उनकी टिप्पणियां या कहें कि गुस्से में कही गई बातें अस्पष्ट होती हैं, तथ्यों से उनका वास्ता अक्सर नहीं होता और ये उनके मूड के हिसाब से बदलती रहती हैं.
- दक्षिण चीन सागर मामले पर यदि अमेरिका और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ता है तो इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों सहित भारत भी अछूता नहीं रहेगा
- **अमेरिका खुद को अलग-थलग रखने की कोशिश करेगा** :- वाशिंगटन पोस्ट के साथ बातचीत में ट्रंप का कहना था, 'मुझे पता है कि एक दुनिया बाहर भी है लेकिन ,आप आखिर यह बात कब कहेंगे कि हमें अपना भी ख्याल रखना है.' ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों में कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपना सकते हैं. अमेरिका की इस नीति का मतलब होगा कि भारत जैसे देशों को तब कुछ मामलों में आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी.
- यदि अमेरिका मध्य-पूर्व एशिया या अफगानिस्तान-पाकिस्तान से पूरी तरह अपने हाथ खींचेगा तो यहां आतंकवाद का असर बढ़ने की आशंका पैदा होगी और भारत इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता. हालांकि इसके साथ ट्रंप यह भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हैं इसलिए अमेरिकी बलों का अफगानिस्तान में रुकना जरूरी है.
- **अमेरिका और चीन का औपचारिक भाईचारा भी खत्म हो सकता है** :- इस समय अमेरिका और चीन दक्षिण चीन सागर जैसे कई मसलों पर एक दूसरे को असहज करते रहते हैं. ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तेजी से बिगड़ सकते हैं. हो सकता है दोनों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ जाए. ट्रंप कई बार अपने भाषणों में चीन, जापान, मैक्सिको और यहां तक कि भारत पर भी अमेरिकी
- रोजगार छीनने का आरोप लगा चुके हैं. वे चीनी माल पर तगड़ा सीमा शुल्क (45 फीसदी तक) लगाना चाहते हैं और चीन के साथ व्यापार की शर्तों पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं. इस कदम से

अमेरिका की अर्थव्यवस्था और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा. विकासशील देशों में सबसे तेज गति से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

वहीं दक्षिण चीन सागर मामले पर यदि अमेरिका और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ता है तो इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों सहित भारत भी अछूता नहीं रहेगा.

=>>अमेरिका के पाकिस्तान से संबंध :-

* पिछले साल ट्रंप ने दक्षिण एशिया की नीति तय करने वाले प्रतिष्ठानों में यह कहकर हलचल मचा दी थी कि परमाणु हथियारों की वजह से पाकिस्तान संभवतः दुनिया का सबसे खतरनाक देश है. ट्रंप का कहना था, 'यदि पाकिस्तान अस्थिर होता है तो आपको भारत को साथ लेना पड़ेगा. पाकिस्तान पर लगाम रखने का काम भारत कर सकता है. उनके पास भी परमाणु हथियार हैं और काफी ताकतवर सेना है.

Effect on India:

=>>एच-1बी वीजा

★अति कुशल कामगारों को अमेरिका में रहने के लिए एच-1बी वीजा से जुड़ी ट्रंप की सोच काफी उलझी हुई लगती है. उनके वेबसाइट कहती है कि वे वीजा के खिलाफ हैं लेकिन, ट्रंप भाषणों में कहते हैं, 'मैं इस मसले पर अपनी स्थिति में थोड़ा लचीलापन ला रहा हूँ क्योंकि हमें देश में प्रतिभावान लोगों की जरूरत होगी ही.'

★हो सकता है ट्रंप की सोच में इस लचीलेपन के पीछे भारतीय-अमेरिकी समुदाय का वोटबैंक भी अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा हो लेकिन, उनकी विदेशनीति के मुख्य सलाहकार सीनेटर जेफ सेजियंस एच-1बी वीजा के सख्त खिलाफ हैं. सीनेट में आव्रजन पर बनी उपसमिति का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर सवाल उठाए थे. यानी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की तकलीफ बढ़ सकती है क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा एच-1बी वीजा के आवेदन देती हैं.

=>भारत में ट्रंप के कारोबार पर कोई असर पड़ेगा?

- डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट कारोबारी हैं. भारत में उनके दो 'सुपर लग्जरी' प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इनमें पहला पुणे में पंचशील रियल्टी के साथ और दूसरा मुंबई में लोढ़ा ग्रुप के साथ चल रहा है. ट्रंप अगर राष्ट्रपति नहीं भी बनते तो भी भारत में उनका कारोबार बढ़ने की ही संभावना थी. ट्रिबेका डेवलपर्स भारत में ट्रंप का कारोबार देखते हैं. इस फर्म के मुताबिक ट्रंप और उनके बेटे कारोबार के लिहाज से भारत में काफी संभावनाएं देखते हैं और वे दूसरे शहरों में भी परियोजनाएं शुरू करना चाहते हैं.

=>अमेरिका में प्रवासी लोगों की स्थिति पर क्या असर हो सकता है?

- बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिका में प्रवासियों के विरोध का माहौल अब गहरा सकता है. उनके समर्थकों का एक बड़ा तबका तुलनात्मक रूप से कम पढ़ा-लिखा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कमजोर स्थिति में है और शायद इस वजह से प्रवासियों का कट्टर विरोधी है.
- अमेरिका के एक थिंक टैंक 'रैंड' के अध्ययन के मुताबिक ट्रंप समर्थकों का मानना है कि प्रवासी, अमेरिकी परंपराओं और मूल्यों के लिए खतरा हैं. लोगों में इस तरह के डर और गैरकानूनी प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के वादों को ट्रंप ने भुनाया भी है. अमेरिका में गैर-श्वेतों के लिए असहिष्णुता

बढ़ रही है। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गैर अमेरिकी मूल के लोगों और गैर-श्वेतों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले बढ़ सकते हैं। ट्रंप की रैलियों में भी इस तरह की हिंसा देखी गई है और यह इस बात का संकेत है कि यह चलन आगे बढ़ सकता है।

सुल्तान बनने की एर्दोआन की सनक तुर्की ही नहीं, सीरिया और इराक के लिए भी हालात बदतर कर सकती है।

सन्दर्भ:- तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन किसी निरंकुश तानाशाह की तरह देश के बुद्धिजीवियों की कमर तोड़ने और उसकी सीमाओं का विस्तार करने की दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं

★देश-विदेश के मीडियावाले तो पहले ही कहा करते थे कि अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बने रजब तैय्यब एर्दोआन अपने आप को तुर्की का नया सुल्तान समझते हैं। दो ही वर्षों में वे दिखाने भी लगे हैं कि उनके लंबे-तंबे कद के लिए राष्ट्रपति का पद भी बहुत छोटा ही है! वे डींग हांकने और शेखी बघारने में ही चतुर नहीं हैं, इतने दुस्साहसी भी हैं कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश-दुनिया से भिड़ जायें।

तुर्की के 93वें गणराज्य दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर को एक भाषण में उन्होंने कहा कि 'सुदृढ़ लोकतंत्र और मूल मानवीय मूल्यों के प्रति अपने समर्पण के कारण तुर्की पूरे विश्व के लिए प्रेरणा-स्रोत बन गया है।' नाटो सैन्य संगठन के सदस्य तुर्की के पश्चिमी प्रशंसक भी कुछ समय पहले तक कुछ यही कहा करते थे। वे कहते थे कि तुर्की लोकतंत्र और इस्लाम के बीच सुसंगति का ऐसा सबसे जीवंत प्रमाण है, जिससे न केवल सभी इस्लामी देश प्रेरणा ले सकते हैं, बल्कि जो इस्लामी और गैर-इस्लामी जगत के बीच पुल का काम भी कर सकता है। तुर्की में इस साल 15 जुलाई को एर्दोआन का तख्ता पलटने के कथित सैनिक प्रयास के बाद से पश्चिमी सरकारों की बोलती बंद है और लोकतंत्र के प्रेरणा-स्रोत बने घूम रहे एर्दोआन की लोकसंत्रासी मनमानी अपनी बुलंदी पर है।

=>निरंकुश अधिकारों के लिए आपातस्थिति

.यह तख्तापलट वास्तव में देश-दुनिया को भ्रमित करने के लिए एर्दोआन का ही रचा एक छलावा था। उन्होंने तख्तापलट के 15 जुलाई वाले कथित प्रयास को, उसके अंत से पहले ही, यूं ही 'अल्लाह का दिया तोहफ़ा' नहीं बताया था। अपने आप को किसी सुल्तान जैसे निरंकुश अधिकार देने के लिए उन्हें जनरलों से लेकर क्लर्कों तक और न्यायाधीशों से लेकर शिक्षकों व पत्रकारों तक ढेर सारे अवांछित लोगों का सफ़ाया करना था। इसके लिए जिस मनमानी की ज़रूरत थी, वह तख्तापलट का शोर मचा कर आपातस्थिति लागू करने से ही मिल सकती थी।

GENERAL STUDIES HINDI

आपातस्थिति लगा कर अब तक 35 हजार से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। चार हजार की धरपकड़ के लिए खोज हो रही है। 82 हजार अन्य लोगों के विरुद्ध जांच-पड़ताल चल रही है। चार हजार से अधिक सैनिकों व सैनिक अफ़सरों, 50 हजार से अधिक शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, जजों, सरकारी वकीलों और डॉक्टरों जैसे सार्वजनिक कर्मचारियों की नौकरियां छीन ली गई हैं। स्कूलों-कॉलेजों से लेकर अस्पतालों और न्यायालयों तक में सही क्रिस्म के लोगों का भीषण अकाल पड़ गया है, और एर्दोआन हैं कि वे निजी तौर पर शिकायतें दर्ज करवा कर अंधाधुंध गिरफ्तारियां करवा रहे हैं।

=●मीडिया का मुंह बंद

क़रीब 170 पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशन गृहों, समाचार एजेंसियों और रेडियो-टेलीविज़न चैनलों को बंद तक कर दिया गया है। 140 पत्रकार और प्रकाशक जेलों में हैं। कुछ दूसरों को तुर्की से भाग कर जर्मनी जैसे देशों में शरण लेनी पड़ी है। अक्टूबर के अंत में तुर्की के एक सबसे पुराने और जाने-माने दैनिक 'जम्हूरियत' के नए प्रधान संपादक मुरात साबुन्जु और उनके आधे दर्जन अन्य सहयोगी पत्रकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे कुर्दों की पार्टी 'पीकेके' और कभी एर्दोआन के परम सहयोगी रहे – किंतु अब उनकी नज़रों में उनके परम विरोधी बन गए – फ़ेतुल्ला ग्युलेन के साथ मिलीभगत रखते हैं। 'जम्हूरियत' को इस साल सितंबर में लोकतंत्र के प्रति उसकी अटल प्रतिबद्धता के लिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके मूल प्रधान संपादक जान द्युंदार को पहले ही जर्मनी में शरण लेनी पड़ी है। विभिन्न देशों में तुर्की के राजनयिक मिशनों के लगभग तीन दर्जन कूटनीतिज्ञों ने भी अकेले जर्मनी से शरण देने की मांग की है।

अक्टूबर के आखिर में एक बार फिर क़रीब 10 हजार सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का समाचार आया। इसे मिलाकर देखें तो 15 जुलाई के बाद से, उच्चशिक्षा संस्थानों के अब तक 3613 शिक्षाविद (प्रोफ़ेसर और लेक्चरर) अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। जेलें ठसाठस भरी होने से हज़ारों लोगों को स्टेडियमों जैसी जगहों में भी नज़रबंद रखा जा रहा है। तुर्की की जनसंख्या लगभग भारत के मध्य प्रदेश बराबर (लगभग साढ़े सात करोड़) है। कल्पना करें कि मध्य प्रदेश में तीन-चार महीनों के भीतर ही 50 हजार लोगों को जेलों में ठूस दिया जाए और एक लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाए तो शासनतंत्र और जनजीवन का क्या हाल होगा!

=>>जनता बनी प्रजा

नौकरियां छीन लेने और जेलों में ठूस देने के बाद 'मानवीय मूल्यों को समर्पित' तुर्की के 'सुदृढ़ लोकतंत्र' के नायक राष्ट्रपति रजब तैय्यब एर्दोआन अब अपने सच्चे-झूठे विरोधियों के लिए कब्रें खोदने पर तुले हुए हैं। तुर्की में मृत्युदंड का 2002 में अंत कर दिया गया था। एर्दोआन अब उसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। शनिवार, 30 अक्टूबर को, राजधानी अंकारा की एक जनसभा में उन्होंने ऊंची आवाज में ऐलान किया, 'अल्लाह की कृपा से मृत्युदंड भी अब जल्द ही आ रहा है.... महत्वपूर्ण यह नहीं है कि पश्चिम क्या कहता है, महत्वपूर्ण यह है कि मेरी जनता क्या कहती है.'

उन्होंने देश की जनता नहीं, 'मेरी जनता' कहा। ऐसा वही तो कहेगा, जो अपने आप को राजा और जनता को प्रजा समझता हो। प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की की पराजय होने तक तुर्की एक राजशाही साम्राज्य हुआ करता था। उसका सम्राट सुल्तान कहलाता था और साथ ही इस्लामी जगत का खलीफ़ा भी माना जाता था।

लगता है, एर्दोआन भी तुर्की का नया सुल्तान बनने के साथ-साथ इस्लामी जगत का नया खलीफ़ा बनने का शौक भी रखते हैं। जब तक 'आईएस' (इस्लामी स्टेट) के स्वघोषित खलीफ़ा अबू बकर अल बगदादी का सितारा बुलंदी पर था, तब तक एर्दोआन भी पर्दे के पीछे से उसका साथ दे रहे थे। 'आईएस' को खड़ा और बड़ा करने में उनकी भी एक घिनौनी भूमिका रही है। अब, जबकि इराक़ी सेना 'आईएस' अधिकृत मोसुल की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी की मार के आगे अल बगदादी को छठी का दूध याद आ रहा होगा, एर्दोआन उसकी खलीफ़त का एक हिस्सा खुद हड़प लेने की फ़िराक में हैं। वे दावा कर रहे हैं कि सीरिया में अलेप्पो से लेकर उत्तरी इराक़ के मोसुल और किर्कुक के बीच का इलाका तुर्की का भूभाग है।

=>कुर्दों का भय
27 अक्टूबर के एक टेलीविज़न प्रसारण में किसी सैनिक कमांडर की तरह बोलते हुए एर्दोआन ने कहा कि तुर्की के सैनिक 'आईएस' से लड़ते हुए उसके मुख्य गढ़ राक्का तक जायेंगे। 'सबसे पहले हम अल बाब की

तरफ आगे बढ़ेंगे,' उन्होंने कहा, 'और उसके बाद मन्बीज होते हुए राक्का पहुंचेंगे.' अल बाब और राक्का उत्तरी सीरिया में दो ऐसे प्रमुख शहर हैं, जो 'आईएस' के हाथों में हैं, जबकि मन्बीज सीरियाई कुर्दों के कब्जे में है. एर्दोआन सीरियाई कुर्दों की पार्टी 'पीवाईडी' और उसकी नागरिक मिलिशिया 'वाईपीजी' को आतंकवादी मानते हैं और कतई नहीं चाहते कि तुर्की की सीमा से सटे उत्तरी सीरिया के इस भाग को हथियाने में कुर्द उनके आड़े आएँ.

इस टेलीविज़न प्रसारण में एर्दोआन ने एक और दावा किया. उन्होंने कहा कि अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से टेलीफ़ोन पर बात कर ली है और साफ़ कह दिया कि वे अपने अभियान में सीरियाई कुर्दों की कोई भागीदारी नहीं चाहते. उनका कहना था कि अमेरिका ने इसमें 'सहयोग का संकेत दिया.'

अमेरिका की नीयत भी बहुत साफ़ नहीं लगती. 'आईएस' के खिलाफ लड़ाई में वह अब तक सीरियाई कुर्दों की 'वाईपीजी मिलिशिया के साथ रहा है, पर साथ ही सीरिया में तुर्क सेना के पैर आगे बढ़ने से भी रोक नहीं रहा है. बीते सितंबर में तुर्की ने सीरिया की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए उत्तरी सीरिया में एक असाधारण सैनिक अभियान छेड़ा. उसके सैनिक और युद्ध-टैंक सीरिया के उन सरकार-विरोधी विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं, जो सीरिया को 'आईएस' के बदले अपनी मुठ्ठी में देखना चाहते हैं.

तुर्की, सीरिया और इराक के कितने कुर्द लड़ाके भी अपने बल पर 'आईएस' से लोहा ले रहे हैं, कोई नहीं जानता. मोसुल की देर-सवेर मुक्ति के बाद ये कुर्द लड़ाके मोसुल को तुर्की की पसंद का केवल सुन्नियों का शहर बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैय्यब एर्दोआन के विस्तारवादी सुनहरे सुल्तानी सपने की राह का वे ही सबसे विकट रोड़ा सिद्ध हो सकते हैं. वैसे, कुर्द भी निःस्वार्थ नहीं लड़ रहे हैं. एक स्वतंत्र कुर्दिस्तान बनाने का तीन सदियों पुराना अपना सपना साकार करने के जितने करीब वे आज हैं, उतना पहले कभी नहीं थे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ रूस

- सीरिया में अपनी नीतियों के कारण युद्ध अपराध के आरोपों का सामना कर रहा रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परिषद के 14 सदस्यों का चुनाव किया है।
- चुने गए देशों में चीन, अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य शामिल हैं। निर्वाचित देशों का तीन वर्षों का कार्यकाल जनवरी 2017 से शुरू होगा
- सदस्य चुने गए अन्य देशों में ट्यूनीशिया, दक्षिण अफ्रीका, रवांडा, जापान, इराक, सऊदी अरब, हंगरी, क्रोएशिया, क्यूबा, ब्राजील, शामिल हैं।

=>>संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है?


★संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सभी मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

★महासभा ने 2006 में 60 वर्ष पुराने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह इसकी स्थापना की थी।

★परिषद का काम मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का समाधान और उसके अनुरूप सिफारिशें करना है।

- ★ परिषद आपात स्थिति में अपना काम करती है और मानवाधिकार हनन को रोकती है।
- ★ 193 सदस्यीय महासभा में गुप्त मतदान के जरिये परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
- ★ दो बार चुना गया कोई भी देश लगातार तीसरी बार निर्वाचित नहीं हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव : प्रक्रिया और घटनाक्रम



सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में हर चार साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को ही राष्ट्रपति का चुनाव होना तय रहता है। इसे अमेरिका के करीब 14 करोड़ 60 हजार वोटर तो तय करेंगे ही, लेकिन निर्णय पर अंतिम मुहर चुनाव की वह प्रक्रिया ही लगाएगी, जो कुछ मायनों में एकदम निराली है। यही वजह है कि चुनाव के लिए मतदान बेशक 8 नवंबर को होगा, पर नये राष्ट्रपति के नाम का फैसला 6 जनवरी को ही दुनिया के सामने आयेगा। चुनावी सर्वेक्षणों में हिलेरी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, पर सबकी नजरें उन वोटरों पर टिकी हैं जो अंतिम क्षणों तक अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं।

=>स्विंग स्टेट्स की भूमिका :-
 - अमेरिका के 50 में से 9 राज्य ऐसे हैं जिन्हें 'स्विंग स्टेट' कहा जाता है, ऐसे राज्य जो झूले की तरह दाएं-बाएं झूलते रहते हैं। इन 9 राज्यों के वोटर कभी भी किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं रहे हैं। पिछले चुनावों के

दौरान वे कभी डेमोक्रेट तो कभी रिपब्लिकन प्रत्याशी के पाले में जाते रहे। - एरिजोना, फ्लोरिडा, नार्थ केरोलीना, ओहियो तथा वर्जीनिया जैसे इन 'स्विंग स्टेट' के मतदाता अंतिम समय तक अपना मन नहीं बना पाते। हिलेरी और ट्रंप दोनों में से जो भी इन वोटर्स का मन जीत पायेगा, व्हाइट हाउस तक पहुंचने की उसकी राह आसान हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का अतीत बताता है कि ये 'स्विंग स्टेट' कई बार 'निर्णायक' साबित हुए हैं। - हालांकि, जीत का दारोमदार न्यूयार्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया व इलिनोइस जैसे बड़े राज्यों पर रहता है। 1992 के बाद राष्ट्रपति पद के 6 चुनावों में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी ने 18 राज्यों और एक जिले कोलंबिया में जीत दर्ज की है, यानी कुल 242 इलेक्टोरल वोट उसे मिले। इन सभी 6 चुनावों में रिपब्लिकन प्रत्याशी को 13 राज्यों में जीत हासिल हुई, यानी 102 इलेक्टोरल वोट उसके खाते में गए। यदि इस बार हिलेरी भी डेमोक्रेट प्रत्याशियों का इतिहास दोहरा पाती हैं और एक 'स्विंग स्टेट' फ्लोरिडा (29 इलेक्टोरल वोट) में जीत दर्ज कर पायीं तो उनका राष्ट्रपति बनना तय माना जा सकता है।

=>>अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली :- 'इलेक्टोरल कालेज'
 - अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 'इलेक्टोरल कालेज' प्रणाली से होता है। अमेरिकी नागरिक प्रत्यक्ष मदतान कर अपना राष्ट्रपति नहीं चुनते। जनता 'इलेक्टर' चुनती है। कुल 538 इलेक्टरों का यह समूह ही 'इलेक्टोरल कालेज' कहलाता है।
 - सभी 50 राज्यों और एक जिले कोलंबिया के खाते में जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टोरल कालेज वोट आते हैं। जिस राज्य से जितने लोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य होते हैं, उतने ही इलेक्टर उस राज्य को अलाट किए जाते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिसभा यानी कांग्रेस में 435 सदस्य होते हैं।
 - 100 सीनेटर और डीसी (डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया) को अलाट तीन इलेक्टरों को मिलाकर 538 का योग बनता है। ये 'इलेक्टर' ही हैं जो बैलेट के माध्यम से राष्ट्रपति चुनते हैं। इलेक्टर अपने वोटर्स से वादा करते हैं कि वे उनकी पसंद के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को वोट डालेंगे, पर वे इसके लिए बाध्य नहीं होते।

=>>कैसे चुने जाते हैं इलेक्टर
 - इलेक्टरों की चयन प्रक्रिया भी अपने आप में रोचक है। पहले चरण में आम चुनाव से पहले किसी भी समय विभिन्न राजनीतिक दल हरेक राज्य में अपने संभावित इलेक्टर चुनते हैं। ये संभावित दल पार्टी विशेष के निष्ठावान सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं।
 - दूसरे चरण में आम चुनाव के दिन हर राज्य के वोटर्स जब अपनी पसंद के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को वोट डाल रहे होते हैं तो वास्तव में वे अपने प्रत्याशी के लिए इलेक्टर चुनने के लिए मतदान कर रहे होते हैं। वोटर्स पार्टियों द्वारा चुने गए संभावित इलेक्टरों को सामने रखकर वोट डालते हैं। चुने गये इलेक्टर दिसंबर माह में अपने-अपने राज्यों में एकत्र होते हैं और अलग-अलग बैलेट पेपरों पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को वोट डालते हैं।
 - इसके बाद 6 जनवरी को हर राज्य के इलेक्टोरल वोटों की गिनती कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में होती है। इसके बाद सीनेट के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि कौन प्रत्याशी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है।
 - 20 जनवरी की तय तिथि को निर्वाचित राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलायी जाती है। तो फिर 20 जनवरी को किसे दिलायी जाएगी राष्ट्रपति पद की शपथ? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी जनता हिलेरी का 'स्ट्रॉंगर टुगेदर अमेरिका' चाहती है या फिर ट्रंप का 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा; NSG की सदस्यता पर भारत को न्यूजीलैंड का मिला साथ

भारत और न्यूजीलैंड ने कारोबार, रक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष जान की के बीच बातचीत के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनका देश NSG की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के संदर्भ में जारी प्रक्रिया में 'रचनात्मक' योगदान देगा।

- **दोनों देशों ने दोहरा कराधान निषेध संधि और आय पर कर संबंधी राजकोषीय अपवंचन रोकथाम समेत तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये।**
- दोनों पक्षों ने विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता करने के साथ साइबर मुद्दों पर आदान प्रदान करने की व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्णय किया।
- 48 सदस्यीय एनएसजी में भारत के प्रवेश के बारे में समर्थन के संबंध में भारत की यात्रा पर आए जान की ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस विषय पर कहा, 'न्यूजीलैंड वर्तमान प्रक्रिया में रचनात्मक योगदान देना जारी रखेगा जो एनएसजी में भारत की सदस्यता पर विचार करने के लिए चल रही है।' की ने कहा कि एनएसजी में भारत की सदस्यता के प्रयास के विषय पर उनकी विस्तृत चर्चा हुई।
- 'न्यूजीलैंड एनएसजी के सदस्यों के साथ काम करने को प्रतिबद्ध है ताकि जितनी जल्दी संभव हो, एक फैसले पर पहुंचा जा सके।' दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि न्यूजीलैंड, भारत के संदर्भ में एनएसजी में शामिल होने के महत्व को समझता है। इसमें कहा गया है कि **भारत ने जोर दिया कि इससे पेरिस समझौते के परिप्रेक्ष्य में भारत के स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।**
- न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल था जिसने जून में दक्षिण कोरिया में एनएसजी की पिछली बैठक में यह रूख अख्तियार किया कि **एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देश भारत के मामले में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।** बैठक में अमेरिका के समर्थन के बावजूद चीन ने इस आधार पर भारत की सदस्यता का मार्ग अवरूद्ध कर दिया था कि वह एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला करने के विषय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र समेत आतंकवाद एवं कट्टरपंथ के खिलाफ खुफिया सहयोग बढ़ाने और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त बयान के मुताबिक, दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवादी खतरों के सभी स्वरूपों से निपटने के लिए द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था और विशेष तौर पर 1267 समिति के दायरे में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- इसमें कहा गया, 'दोनों पक्षों ने आतंकवाद के पनाहगाह और आधारभूत ढांचे को खत्म करने, आतंकवादी नेटवर्क, उनके वित्तपोषकों को समाप्त करने और सीमापार आतंकवाद को रोकने का आह्वान किया। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि को जल्द से जल्द मंजूर करने का भी आह्वान किया ताकि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाने में मदद मिल सके।'
- दोनों नेताओं के बीच बातचीत में कारोबार और निवेश संबंधों को एक महत्वपूर्ण पहलू बताते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वृहद आर्थिक संबंधों की जरूरत की पहचान की। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि कारोबारी और वाणिज्यिक संबंधों को गठजोड़ के एक प्राथमिकता के विषय के रूप में बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जान की के साथ आये बड़े शिष्टमंडल को भारत के विकास की कहानी से रूबरू होने का मौका मिलेगा।

खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और कृषि को द्विपक्षीय सहयोग की संभावना वाले क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुए मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड की शक्ति और क्षमता को इन क्षेत्रों में भारत की वृहद प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जा सकता है और इससे दोनों देशों के समाज को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा, 'हमने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों की सरकारों को दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और समाज के बीच वृहद कारोबार कनेक्टिविटी समेत कुशल पेशवरों की गतिविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'इस संदर्भ में हमने संतुलित और आपसी लाभ वाले समग्र आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए करीबी तौर पर काम करने पर सहमति व्यक्त की।' उन्होंने व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को वैश्विक परिदृश्य में बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही दोनों ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार को दोनों देशों ने साझा जरूरत बताया। मोदी ने कहा, 'हम विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के संदर्भ में न्यूजीलैंड के समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।'

पॉल बीटी को 'द सेलआउट' के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार

पॉल बीटी को अमेरिका में नस्ल एवं वर्ग पर आधारित व्यंग्य 'द सेलआउट' के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है।

★ वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले **पहले अमेरिकी लेखक** हैं।

★ निर्णायकों ने इस उपन्यास को 'स्तब्ध कर देने वाला और अप्रत्याशित रूप से मजेदार' करार दिया है। इस उपन्यास में एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की कहानी बयां की गई है।

★ 54 वर्षीय लेखक को इस साहित्यिक पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड दिए गए।

- लेखक ने अमेरिकी राजनीतिक की पृष्ठभूमि में जिस तीक्ष्ण समझ, बोध एवं हास्य विनोद का परिचय देते हुए यह पुस्तक लिखी है, उसे निर्णायकों ने खूब सराहा और उनके कार्य की तुलना मार्क ट्वेन तथा जोनाथन स्विफ्ट से की। व्यंग्य एक मुश्किल विधा है और अमूमन इसके साथ न्याय नहीं हो पाता लेकिन 'द सेलआउट' उन अत्यंत दुर्लभ पुस्तकों में शुमार है जिनमें व्यंग्य का बेहतरीन प्रयोग किया गया है और यह पुस्तक समकालीन अमेरिकी समाज के दिल को छू जाती है।'
- यह तीसरी साल है जब यह पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीयता के उपन्यास लेखक को दिया गया है।

विकासशील देशों का बृहत संघ बनाकर सार्क के विकल्प तलाशे भारत

- सार्क का उद्देश्य है कि क्षेत्र के देशों के बीच आपसी व्यापार एवं समन्वय को बढ़ाकर एक-दूसरे की समृद्धि एवं खुशहाली में सहयोग हो। परन्तु कश्मीर विवाद के कारण पूरी व्यवस्था भटक जा रही है।

- **सार्क देश दो बड़े गुटों के बीच लटके हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान-चीन का गठबन्धन है तो दूसरी तरफ भारत।**

- भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान की तुलना में भारत भारी पड़ता है। पाकिस्तान के अतिरिक्त हमारी सरहद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से जुड़ी है। श्रीलंका एवं मालदीव समुद्री मार्ग से हमारे ज्यादा नजदीक हैं। हमारे

सामने चुनौती है कि अपनी भौगोलिक स्थिति को भुनाते हुए सार्क देशों को अपने से जोड़ लें जिससे इस क्षेत्र का विकास कश्मीर विवाद से ग्रास न कर लिया जाये। इस दिशा में हमें पाकिस्तान को छोड़कर शेष देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहिये।

1. एक संभावना है कि हम **बंगाल की खाड़ी को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनायें। इस मुक्त व्यापार क्षेत्र में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका को जोड़ा जा सकता है। म्यांमार, लाओस तथा दूसरे पूर्वी एशिया के देशों को भी जोड़ा जा सकता है।**

2. दूसरी संभावना है कि हम हिन्द महासागर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनायें। इसमें ऊपर बताये देशों के साथ अफगानिस्तान तथा ईरान को जोड़ा जा सकता है।

- हालांकि भारत सरकार द्वारा बीबीआईएन यानी भूटान, बांग्लादेश, इंडिया तथा नेपाल के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। ये प्रयास ही दिशा में हैं परन्तु इनमें भूटान तथा नेपाल छोटे देश हैं। व्यावहारिक स्तर पर यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र रह जाता है।

- इससे बहुत आगे सोचने की जरूरत है। भारत को सभी विकासशील देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की पहल करनी चाहिए। यानी भौगोलिक आधार के स्थान पर आर्थिक आधार को पकड़ना चाहिये। कारण कि सभी विकासशील देशों के आर्थिक हितों का विकसित देशों से दो विषयों पर सीधा गतिरोध है।

- पहला विषय पेटेंट कानून का है। आज विश्व के अधिकतर पेटेंट विकसित देश की कम्पनियों के पास हैं। उनके द्वारा पेटेंट कानूनों की आड़ में तमाम माल को महंगा बेचा जा रहा है जैसे जीवनदायिनी दवाओं को। विकासशील देशों के हित में है कि पेटेंट कानून को ढीला कर दिया जाये। डब्ल्यूटीओ की दोहा वार्ता में इस मन्तव्य को स्वीकार किया गया था परन्तु बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। इसके विपरीत विकसित देशों के हित में है कि इसे और सख्त बनाया जाये, जिससे वे अपने माल को और महंगा बेच सकें।

2. विकसित एवं विकासशील देशों के बीच दूसरा गतिरोध कृषि उत्पादों के व्यापार का है। वर्ष 1995 में डब्ल्यूटीओ संधि पर हस्ताक्षर होते समय विकसित देशों ने आश्वासन दिया था कि कृषि उत्पादों पर 10 वर्षों के भीतर समझौता कर लिया जायेगा लेकिन इस मुद्दे पर तनिक भी प्रगति नहीं हुई। विकासशील देशों के लिये यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे कृषि उत्पादों के लिये विकसित देशों के बाजारों को खोल दिया जाये तो हमारे करोड़ों किसान लाभान्वित होंगे। लेकिन विकसित देश इसमें रोड़ा अटकाये हुए हैं, चूंकि वे अपनी खाद्य सुरक्षा बनाये रखने के लिये अपनी जरूरत के कृषि पदार्थों का उत्पादन स्वयं करना चाहते हैं। इस प्रकार डब्ल्यूटीओ का वर्तमान ढांचा विकासशील देशों के हितों के विपरीत है। यही कारण है कि 20 वर्षों में वैश्विक आर्थिक समानता स्थापित करने में प्रगति नहीं हुई है। आज भी विकसित देशों के 25 प्रतिशत लोगों के पास विश्व की 75 प्रतिशत आय है। वैश्विक आय के इस अन्यायपूर्ण बंटवारे को डब्ल्यूटीओ की परिधि से दूर नहीं किया जा सकता।

- विश्व अर्थव्यवस्था की मूलभूत विसंगति को दूर करने के लिये जरूरी है कि सभी विकासशील देश एकजुट होकर विकसित देशों का सामना करें। अतः हमें 'विकासशील देश मुक्त व्यापार क्षेत्र' बनाने का प्रयास करना चाहिये।

- इस दिशा में वर्तमान गुटनिरपेक्ष आन्दोलन सहायक हो सकता है। इस आन्दोलन की शुरुआत पचास के दशक में हुई थी। तब दुनिया के दो केन्द्र अमेरिका और रूस थे। भारत के पंडित नेहरू, मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने विकासशील देशों के लिये इन दोनों गुटों के बीच रास्ता बनाने के लिये इस आन्दोलन का गठन किया था।

भारत के म्यांमार के साथ संबंध कैसे हों ?

- भारत को म्यांमार के साथ संबंध बढ़ाने की ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है जो कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों और पूर्वी तटों के लिए उभरी नई सामरिक परिस्थितियों में काफी अहम भूमिका निभा सकता है।

- इस बात पर यकीन करने के कारण हैं कि म्यांमार हमारे साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने में इच्छुक है लेकिन वह उसकी भूमि पर ठिकाना बनाए हुए एनएससीएन (के) आतंकियों पर भारत द्वारा बिना अनुमति सीमा पारीय सैन्य कार्रवाई का बार-बार ढिंढोरा पीटे जाने से खफा भी है। हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि अन्य देश जैसे कि अफगानिस्तान और श्रीलंका की बनिस्पत म्यांमार में परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने का हमारा रिकार्ड कमोबेश खराब ही रहा है।

- एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रि-देशीय **भारत-म्यांमार-थाईलैंड उच्च मार्ग (फ्रेंडशिप हाईवे) के जरिए पूर्वी पड़ोसियों से अधिक संपर्क बढ़ाने** की बात बार-बार कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस परियोजना पर हुआ काम बहुत सुस्त रफ्तार और नाकाफी है। यदि जर्जर सड़कों और पुलों का पुनर्निर्माण हो जाए तो यह मार्ग सैलानियों को मांडाले से मणिपुर तक तो क्या, थाईलैंड से भी परे जाने का एक मुख्य जरिया बन सकता है।

- कमजोर क्रियान्वयन और अदूरदर्शी प्रतिबंधों और नियमों के चलते इस मार्ग का इस्तेमाल बहुत कम हो पाया है। सीमा-पारीय बस-सर्विस भी अब ठप पड़ी है।

म्यांमार के साथ हमारी सीमा का विलक्षण पहलू यह है कि इसके **दोनों ओर बसे जनजातीय लोग बेरोकटोक इसके पार आ-जा सकते हैं**। इस बात के संकेत मिले हैं अब भारत इस सीमा-रेखा पर भी बाड़ लगाने का विचार कर रहा है। इसका म्यांमार से सटे चार राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पुरजोर विरोध किया है। दरअसल बाड़ सीमित इलाके में होनी चाहिए और ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका असर जनजातीय लोगों की निर्बाध आवाजाही पर न पड़ने पाए। इसका उपयोग चीनी उत्पादों के गैरकानूनी आयात को रोकने के लिए होना चाहिए।

- हमारी चूक है कि हम अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों को म्यांमार के भूमि और नदी मार्गों के जरिए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच मार्ग मुहैया करवाने में असफल रहे हैं, जिसके लिए **सित्तवे बंदरगाह** का विकास करने की योजना उलीकी गई थी। यदि परियोजना-क्रियान्वयन पर भारत और चीन की कार्यशैली की तुलना की जाए तो कमजोर और अदूरदर्शी योजनागत दृष्टि की वजह से म्यांमार में हमारा मजाक उड़ाया जाता है।

- क्या हमने सावधानीपूर्वक यह अध्ययन किया है कि किस तरह की वस्तुओं का आवागमन इस सामरिक दृष्टि से अहम मार्ग के जरिए होगा और इनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा? दो दशक से भी ज्यादा समय गुजर चुका है जब मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमा के पास **चिंदविन नदी पर 1800 मेगावाट** बिजली परियोजना बनाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। कुल मिलाकर इस विषय पर हमारी भद्द ही पिटी है।

- अब जबकि म्यांमार की सरकार बृहद वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के जरिए सबसे मुफीद फायदा लेने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने जैसे उपाय करने की बजाय सावधानीपूर्वक यह अध्ययन किया जाना चाहिए कि कैसे उसके अन्य पड़ोसी देश और खासकर चीन अपनी साड़ी सीमाओं का प्रबंधन करता है।

- हमें खुद से यह सवाल गंभीरतापूर्वक करना होगा कि क्यों हम म्यांमार के साथ वैसा फलता-फूलता आर्थिक संबंध नहीं बना पाए जैसा कि चीन अपने दूरदर्शी सीमा-प्रबंधन के जरिए अर्जित कर चुका है। म्यांमार में जापान की तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि हाल ही में उसने इस देश के साथ अर्थपूर्ण व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंध बनाने की दिशा में अनेक उपाय किए हैं। इस संदर्भ में हमें न केवल चीन बल्कि अपने जापानी मित्रों से भी काफी सीख लेने की जरूरत है।

ब्रिक्स :प्रतिक्रियाशील, समावेशी एवं सामूहिक समाधानों का निर्माण



=>ब्रिक्स की अवधारणा और उसका आधार :-

Recent Summit

GENERAL STUDIES HINDI

भारत की अध्यक्षता में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन गोवा में इस महीने के मध्य में संपन्न होने के लिए निर्धारित है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूहीकरण का एक अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय तंत्र है जो वैश्विक प्रभाव पुनर्संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था और राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं।

A look into facts

-सामूहिक रूप से BRICS देशों की दुनिया की आबादी में 43% हिस्सेदारी है, कुल विश्वभूमि क्षेत्र में लगभग 25% और विश्व व्यापार में लगभग 17% हिस्सेदारी के साथ विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में इनकी 30% की भागीदारी है।

- ये पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक मंच पर अपनी क्षमताओं के अनुकूल एक सही स्थान की तलाश कर रहे हैं। इनकी बढ़ती प्रमुखता निश्चित रूप से वैश्विक मुद्दों को एक बेहतर तरीके से हल करने में मदद करेगी।

A look into how BRICS idea got develop

- गोल्डमैन सैक्स द्वारा 2001 में वैश्विक अर्थशास्त्र पर प्रकाशित एक शोध पत्र 'बेहतर वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण- बीआरआईसी' में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ 'नील ने चार तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए 'ब्रिक्स' शब्द की रचना एवं प्रयोग किया था।
- 2006 में, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने नियमित रूप से एक अनौपचारिक कूटनीतिक समन्वय पहल शुरू की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस (संयुक्त राष्ट्र महासभा) के हाशिये पर विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ शुरू हुई। इन सफल बातचीतों का निर्णय यह निकला कि चर्चा को राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर वार्षिक शिखर सम्मेलनों के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए।
- सबसे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन **2009 में येकातेरिनबर्ग (रूस)** में हुआ था। ब्रिक्स समूह के सदस्यों के बीच संवाद का दायरा और गहराई वर्ष दर वर्ष बढ़ते गए जो 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने के साथ ही ब्रिक्स समूह बन गया।

What is significance of BRICS

- अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में उभरते हुए देशों के समूह के एक संक्षिप्त नाम से बढ़कर ब्रिक्स एक आशाजनक राजनीतिक एवं कूटनीतिक इकाई बन गया जो वित्तीय बाजारों की अपनी मूल अवधारणा से कहीं अधिक है।
- गत वर्षों में ब्रिक्स चरणबद्ध और प्रगतिशील तरीके से विकसित हुआ है, जिसने बहुत सावधानी से अपने दो मुख्य स्तंभों को मजबूती प्रदान की है जो क्रमशः 1)- आर्थिक और राजनीतिक प्रशासन पर ध्यान देते हुए बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय तथा 2)- सदस्यों में आपसी सहयोग है।
- वैश्विक शासन के मंचों और ढांचों में सुधार के लिए ब्रिक्स पुरजोर कोशिश करता है, विशेष रूप से आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों के मंच जैसे - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, जी -20 आदि। साथ ही राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर भी ब्रिक्स विशेष जोर दे रहा है।
- इंटर-ब्रिक्स सहयोग भी पिछले कुछ वर्षों में विकसित किये गए एक स्पष्ट और व्यापक एजेंडे के तहत मजबूती हासिल कर रहा है। **अन्य क्षेत्रों के अलावा इसमें वित्त, कृषि, अर्थव्यवस्था और व्यापार, अंतरराष्ट्रीय अपराध से मुकाबला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कॉर्पोरेट और शैक्षिक संवाद और सुरक्षा, जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।**
- यह समूह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने, और विशेष रूप से सतत विकास के वर्ष 2030 के एजेंडे को नज़र में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिक्स समूह के सदस्यों के लिए नए अवसर उत्पन्न करने के लिए तैयार है।

- ब्रिक्स के साथ ही अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे की कमियों और टिकाऊ विकास की जरूरतों को संबोधित करने के लिए कई बार प्रमुख वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- सितंबर 2016 में हांगजो, चीन में जी -20 शिखर सम्मेलन के हाशिए पर ब्रिक्स नेताओं ने एक अनौपचारिक मुलाकात की तथा इस अवसर पर जारी एक मीडिया नोट के अनुसार, ब्रिक्स नेताओं ने खुलेपन, एकता, समानता, आपसी समझ, समग्रता, पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित कूटनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित एक उचित और न्यायसंगत विश्व आधार व्यवस्था की स्थापना के महत्व को भी रेखांकित किया।

NDB and BRICS

इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, ब्रिक्स के पास अब खुद का अपना 'नया विकास बैंक' (एनडीबी) है जो ब्रिक्स और अन्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास की परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए उपयोगी साबित होगा तथा एनडीबी के कार्यों में सहायता करने के लिए समूह के पास 100 बिलियन डॉलर के शुरूआती पूँजी के साथ एक ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व कोष (सीआरए) भी है जो देशों की अल्पकालिक वित्तीय संकटों से निपटने में मदद करेगा।

NDB and its establishment

बैंक की स्थापना का सुझाव 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। **फ़ोर्टालेज़ा (ब्राजील) में छठे ब्रिक्स** शिखर सम्मेलन के दौरान सभी समझौतों पर ब्रिक्स सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और मई, 2015 में भारत के श्री के. वी. कामथ नए विकास बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किये गए जिसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में है। जुलाई 2015 में ऊफ़्रा (रूस) में हुए 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एनडीबी समझौता लागू हो गया।

हाल ही में बैंक ने 811 मिलियन डॉलर मूल्य के अपने पहले ऋण पैकेज को मंजूरी दी है। ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत में स्थित सभी चार परियोजनाएं अक्षय और हरित ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में हैं। एनडीबी के प्रवक्ता के अनुसार, "रूस की परियोजनाओं सहित कई अन्य परियोजनाएं भी कतार में हैं, जो इस वक्त विचार अथवा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने आगे कहा "एनडीबी विकासशील देशों की परिपक्वता तथा उनकी अपने पैरों पे खड़े होने की आकांक्षाओं का प्रतीक है।"

Goa declaration and BRIS

- भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था, "**राजनीतिक चुनौतियों, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और आर्थिक चुनौतियों से भरे इस विश्व में ब्रिक्स आशा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है**"।
- ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के जघन्य कृत्यों की जोरदार निंदा की जो कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बाधित करते हैं तथा सामाजिक और आर्थिक विश्वास को भी कमजोर करते हैं। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त वैश्विक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया जो अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार हो जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी सम्मिलित है।

- नेताओं ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता तथा ब्रिक्स सहयोग एजेंडे के विस्तार और कार्यान्वयन की अच्छी गति की सराहना की और भारत की अध्यक्षता में गोवा में होनेवाली आठवीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में पूर्ण सहमति से जोर दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों में आयोजित किये जा रहे विभिन्न ब्रिक्स कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच आदान-प्रदान को मजबूत बनाने की पहलकी भी सराहना की।
- भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की कार्य योजना के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में कहा, "हम पांच आयामी दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसमें संस्था निर्माण, क्रियान्वयन, एकीकरण, अभिनव खोज, तथा समेकन के साथ निरंतरता का समावेश होगा।"
- आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मलेन के पार्श्व में एक ब्रिक्स-बिस्स्टेक आउटरीच शिखर सम्मलेन भी आयोजित किया गया जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के नेता ब्रिक्स के नेताओं के साथ शामिल होंगे।

आंग सान सू की का भारत दौरा: भारत और म्यांमार के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमती



- भारत और म्यांमार के बीच विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर **कृषि, बिजली और बुनियादी ढांचे** के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विस्तृत बातचीत हुई और 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।

- इस मौके पर पीएम नरेन्द्र मोदी और भारत की यात्रा पर आयीं म्यांमार की स्टेट कौंसलर/ विदेश मंत्री ने आपसी विश्वास के क्षेत्र को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया।


- भारत ने सुश्री सू की को विश्व का महत्वपूर्ण नेता बताते हुए कहा कि अपने देश में **लोकतंत्र की स्थापना के लिए किये गये उनके संघर्ष और सफलता से पूरे विश्व को प्रेरणा मिली।**

- सुश्री सू की ने इस मौके पर महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद करते हुए कहा कि म्यांमार के लोग आर्थिक और राजनीतिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उससे लाभान्वित होने की उम्मीद कर रहे हैं।

- दोनों नेताओं ने भारत और म्यांमार के सुरक्षा हितों पर जोर दिया।
- भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने के लिए दोनों देशों के बीच ज्यादा करीबी सहयोग का आह्वान किया।
- भारत ने म्यांमार को एक अरब डॉलर की जो सहायता दी है, उसका उद्देश्य म्यांमार का चहुंमुखी विकास करना है।

- भारत को म्यांमार के साथ कलादान परियोजना और त्रिपक्षीय राजमार्ग समेत व्यापक साझेदारी की उम्मीद है। - सू की ने भारत और यहां के व्यापारिक समुदाय से कहा कि वे व्यापार और आर्थिक क्षेत्र के अलावा 'विश्वास में भी निवेश' करें।

भारत और रूस के बीच 43,000 करोड़ रुपये के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर, भारत को मिलेगी S-400 वायु रक्षा प्रणाली



GENERAL STUDIES HINDI

- रक्षा संबंध को मजबूत करते हुए भारत और रूस ने लगभग 43,000 करोड़ रुपये की लागत के तीन बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए। **इसमें सर्वाधिक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की खरीद शामिल है।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच विस्तृत बातचीत के बाद इन रक्षा सौदों के बारे में फैसले किए गए।

- अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंधों के बीच मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि रूस भारत का बड़ा रक्षा और सामरिक साझेदार बना रहेगा।

- दोनों देशों के बीच जो रक्षा सौदे हुए हैं उनमें एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए अंतर सरकारी समझौता सबसे अहम है। यह शत्रु के विमान, मिसाइल और ड्रोन को 400 किलोमीटर की दूरी से ही नष्ट करने में सक्षम है।

- भारत ने ऐसी कम से कम पांच प्रणालियां खरीदने की कोशिश की हैं। यह क्षमता हासिल करने के बाद **मिसाइलों को भेदने में भारत की ताकत बढ़ जाएगी। यह प्रणाली पाकिस्तानी और चीनी विमानों अथवा ड्रोन को भेदने में बखूबी सक्षम है।**

- रूस की 700 से अधिक प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिनिधि संगठन 'रोसटेक स्टेट कारपोरेशन' के सीईओ सर्गी चेमेजोव ने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली के लिए अनुबंध पर बातचीत अब शुरू होगी और उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक इसे मूर्त रूप दे दिया जाएगा।

- अगर सबकुछ ठीक रहता है तो इस प्रणाली की आपूर्ति 2020 तक आरंभ हो जाएगी। 'एस-400 उच्च स्तर की और सबसे अधुनिक हवाई प्रणाली है जो किसी भी ऐसे देश के लिए महत्वपूर्ण है जो खुद को सुरक्षित रखना चाहता है।'

- हर प्रणाली के साथ आठ लांचर, एक कंट्रोल सेंटर, रडार और 16 मिसाइलें रिलोड के तौर पर होंगी। हर प्रणाली पर एक अरब डॉलर से अधिक की लागत आएगी।

- रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करना मायने रखता है क्योंकि हाल के समय यह माना गया कि भारत अपने पारंपरिक रक्षा सहयोगी रूस से दूरी बना रहा है। दरअसल, भारत ने अमेरिका के साथ साजो-सामान आदान प्रदान समझौता ज्ञापन (लेमोआ) पर हस्ताक्षर किया है जो अमेरिका को भारतीय सैन्य ठिकानों पर पहुंच मुहैया करेगा।

- अन्य अहम समझौता चार एडमिरल ग्रिगोरोविच-क्लास) प्रोजेक्ट 11356) गाइडेड मिसाइल स्टीथ फ्रिगेट को लेकर है। इस सौदे के तहत दो युद्धपोत रूस से आर्येंगे और रूस के सहयोग से दो का निर्माण भारत में किया जायेगा। भारतीय शिपयार्ड के चुनाव को लेकर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

- भारत में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर का स्थान लेने के लिए 200 कामोव 226 टी हेलीकॉप्टर के निर्माण से जुड़ा जटिल समझौता दोनों देशों के बीच किया गया एक और अहम सौदा है।

ब्रिक्स सम्मेलन : सभी देशों ने मंजूर किया गोवा घोषणापत्र

GENERAL STUDIES HINDI

- ब्रिक्स देशों का **8वां सम्मेलन गोवा** में संपन्न हो गया। ब्रिक्स सम्मेलन में **आतंकवाद का मुद्दा अहम** रहा। सम्मेलन के समाप्त होने के बाद जारी घोषणापत्र को सभी देशों ने अपनाया। ब्रिक्स देश आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान के लिए राजी हुए।
- गोवा घोषणापत्र में कहा गया कि अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी सभी देशों की है।
- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 'सीमित' सत्र के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजीलियाई नेता माइकल टेमर को संबोधित

करते हुए मोदी ने कहा कि दुनिया भर के आतंकवाद के मॉड्यूल 'आतंकवाद के पोषण की इस भूमि' से जुड़े हुए हैं।

- उन्होंने कहा, 'हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद ने शांति, सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। दुखद है कि इसके पोषण की भूमि भारत के पड़ोस में एक देश है। दुनिया भर में फैले आतंकवाद के मॉड्यूल इसी भूमि से जुड़े हुए हैं।'
- भारत ने 'कंप्रिहेंसिव कनवेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म' (सीसीआईटी) (के जल्द अनुमोदन का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा करना आतंकवाद की समस्या से लड़ने के हमारे संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करने की ओर एक कदम होगा।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, 'जिस दुनिया में आज हम रहते हैं वहां अगर हमें अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करना है तो सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग जरूरी है। हमारे विकास और आर्थिक समृद्धि पर आतंकवाद का बड़ा साया है।'
- उन्होंने कहा, 'इसकी पहुंच अब वैश्विक हो गई है। यह और अधिक खतरनाक हो गया है और इसने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को अपनाया है। आतंकवाद को हमारा जवाब समग्र से कम कुछ नहीं होना चाहिए।' मोदी ने कहा कि आतंकवादियों और संगठनों को लेकर भेदभावपूर्ण रूख सिर्फ अनुपयोगी नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत परिणाम होंगे।
- उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच सुरक्षा सहयोग को प्रगाढ़ बनाने की जरूरत है।
- पुतिन और शी के साथ शनिवार को अपनी द्विपक्षीय मुलाकातों में मोदी ने पाकिस्तान की धरती से पैदा होने वाले आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को पुरजोर ढंग से रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को सहयोग देने वालों को दंडित किया जाना चाहिए।
- उन्होंने कहा, 'आतंकवाद के बढ़ते दायरे ने आज के समय में मध्य-पूर्व, पश्चिम एशिया, यूरोप और दक्षिण एशिया के लिए खतरा पैदा किया है।' मोदी ने कहा, 'इसकी हिंसक छाप हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है और आर्थिक प्रगति की ओर लक्षित हमारे प्रयासों को कमजोर करती है।' उन्होंने कहा, 'ब्रिक्स के तौर पर हमें खड़े होने और मिलकर काम करने की जरूरत है। ब्रिक्स को इस खतरे के खिलाफ एक सुर में बोलना होगा।'
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'हम अपने इस विश्वास को लेकर एकजुट हैं कि आतंकवाद और इसके समर्थकों को पुरस्कृत नहीं, बल्कि दंडित करना होगा।' मोदी ने ब्रिक्स देशों से यह भी कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र के 'कंप्रिहेंसिव कनवेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म' (सीसीआईटी) (के जल्द अनुमोदन के लिए मिलकर काम करें ताकि इस समस्या का मुकाबला किया जा सके और आतंकवाद के खिलाफ व्यावहारिक सहयोग हो सके।
- ब्रिक्स देशों के शांति, सुधार, तार्किक एवं उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के लिए एकजुट होने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, 'अगर प्रगति के नए वाहकों को जड़े जमानी हैं तो सीमाओं के पार कुशल प्रतिभा, विचारों, प्रौद्योगिकी और पूंजी का निर्बाध प्रवाह होना होगा।' विश्व के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा की जरूरत है।
- उन्होंने कहा, 'हमने मौजूदा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए नये वैश्विक संस्थानों का निर्माण किया है। 'एनडीबी एंड कंटेनरजेसी रिजर्व एरेंजमेंट' मौजूद हैं।' भारत की ओर से हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किए जाने का हवाला देते हुए मोदी ने कहा, 'हम विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच सद्भावपूर्ण संतुलन को लेकर प्रतिबद्ध हैं। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों अथवा एजेंडा-2030 द्वारा तय किया गया रास्ता आशा का मूल्यवान खाका है। भारत की अपनी विकासात्मक

प्राथमिकताएं हैं जो इनके साथ जुड़ी हैं।' मोदी ने साइबर क्षेत्र के खतरों और समुद्री क्षेत्र में लूट से लेकर मानव तस्करी जैसी गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अपने भाषण का समापन किया।

आतंक का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कठोर कदमों की आवश्यकता: बिम्स्टेक



• पाकिस्तान का परोक्ष किंतु स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक उन देशों के खिलाफ 'सख्त' कदमों का आह्वान किया जो आतंकवादी समूहों को प्रोत्साहित करते हैं, समर्थन करते हैं और उनका वित्तपोषण करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं।

- , भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल के समूह ने कहा कि आतंकवादियों का 'शहीद' के तौर पर महिमामंडन नहीं होना चाहिए।
- बात परोक्ष तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का उल्लेख करते हुए कही गई, जिन्होंने हिज्बुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को 'शहीद' बताया था।
- समूह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आतंकवादी समूहों और उनके नेटवर्कों को बाधित करने और उनका सफाया करने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि उनका समर्थन करने वाले देशों को भी दंडित किया जाना चाहिए।

बिम्स्टेक के नेताओं के बीच विचार-विमर्श का विवरण देने वाले एक परिणामी दस्तावेज में कहा गया है कि वह क्षेत्र में हालिया 'बर्बर आतंकवादी' हमलों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और नेटवर्कों को बाधित करने और उनका सफाया करने तक सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें उन देशों की पहचान करनी चाहिए, उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं, उसका समर्थन करते हैं और वित्तपोषण करते हैं, आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों को पनाह देते हैं और गलत तरीके से उनके गुणों की तारीफ करते हैं।'

GENERAL STUDIES HINDI

- दस्तावेज में कहा गया है कि नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए अविलंब कदम उठाने पर जोर दिया। दस्तावेज में कहा गया, 'आतंकवादियों का शहीद के तौर पर महिमामंडन नहीं होना चाहिए। हम आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और चरमपंथीकरण के प्रसार को रोकने और उससे मुकाबला करने के लिए अविलंब कदमों की आवश्यकता को स्वीकार करने की मांग करते हैं।
- हम अपने कानून प्रवर्तन, खुफिया और सुरक्षा संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करते हैं।' भारत उरी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयासों को तेज कर रहा है।

- नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स और बिस्स्टेक शिखर सम्मेलनों को रविवार को यहां संबोधित करते हुए पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद की 'जननी' बताया था और कहा था कि यह समस्या उसका 'प्यारा बच्चा' बन गया है।

आतंकवाद से निपटने में बिस्स्टेक के मजबूत रख का महत्व है क्योंकि ब्रिक्स घोषणा पत्र में सीमा-पारआतंकवाद पर आम सहमति नहीं बन पाई थी।

बिस्स्टेक ने कहा, 'आतंकवाद के हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा उल्लेखनीय खतरा बने रहने को पहचानते हुए हम आतंकवाद से उसके सभी स्वरूपों और प्रकटीकरण में लड़ने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी आधार पर आतंकवाद के कृत्यों को जायज नहीं ठहराया जा सकता।'

समूह ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता पर बिस्स्टेक संधि पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को तेज करने और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, सीमापारीय संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने में सहयोग पर बिस्स्टेक संधि का शीघ्र अनुमोदन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। समूह ने कई मुद्दों पर भी चर्चा की जिसमें संपर्क में सुधार, व्यापार बढ़ाने, ऊर्जा सहयोग और पर्यटन को प्रोत्साहन देना शामिल है।

समूह ने ने संपर्क में सुधार के लिए बिस्स्टेक मोटर वाहन समझौते की संभावना तलाशने पर भी सहमति जताई। यह फैसला दक्षिण देशों के बीच इसी तरह के समझौते की राह में पाकिस्तान के पिछले साल रोड़ा अटकाने की पृष्ठभूमि में किया गया है।

भारत और रूस : सहयोग के 70 वर्ष

- भारत और रूस की कूटनीतिक दोस्ती के **70 वर्ष पूरे** हो गए हैं। आपमें से बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा कि 1946 में अक्टूबर के महीने में तत्कालीन सोवियत संघ सरकार ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को एकचिट्टी लिखी थी और ये इच्छा जताई थी कि सोवियत संघ भारत के साथ मित्रता पूर्ण रिश्ते बनाना चाहता है। हालांकि तब ना तो जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और ना ही भारत आज़ाद हुआ था।

-भारत और रूस के बीच सामरिक रिश्ते की गहराई को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्ने भी पलटने होंगे।

- अमेरिका के साथ जो रिश्ते आज आपको दिखते हैं, वो इतिहास में इतने मधुर नहीं थे। क्योंकि अमेरिका ने हमेशा भारत के दुश्मन पाकिस्तान का ही साथ दिया है। अमेरिका भारत को नए और आधुनिक हथियार या तकनीक देने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ।

- लेकिन, रूस भारत को आधुनिक हथियार देने के साथ साथ तकनीक भी देता है और भारत में उसका उत्पादन भी करता है। रूस-भारत को अंतरिक्ष, मिसाइल, आधुनिक फाइटर प्लेन और परमाणु तकनीक सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद दे रहा है। और ये मदद वो पहले भी देता रहा है।

- जब भारत इन्फ्रस्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत कमजोर स्थिति में था, तब सोवियत संघ ने ही भारत में स्टील प्लांट लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भिलाई में स्टील प्लांट रूस के सहयोग से ही बना है। जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब भी अमेरिका समेत कई विकसित देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए।

- लेकिन संकट की ऐसी घड़ी में भी रूस भारत के साथ खड़ा रहा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे। अमेरिका ने तो भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपने जंगी जहाज़ भी भेज दिए थे।

- ऐसे वक्त में सोवियत संघ ही भारत के साथ मज़बूती से खड़ा रहा। 1971 में सोवियत संघ ने अपना युद्धपोत भारतीय सेना की सुरक्षा के लिये रवाना कर दिया था और जैसे ही ये ख़बर अमेरिका को मिली, उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और भारत की शानदार जीत हुई। जिसके बाद बांग्लादेश बना।

BRICS सम्मलेन हेतु रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा :-

- भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण सामरिक समझौते हुए।
- दोनों देशों के बीच कुल 18 समझौते हुए।
- रूस के सहयोग से Kudan-kulam nuclear power plant की तीसरी और चौथी यूनिट का निर्माण किया गया है।

- भारत रूस से लंबी दूरी तक मार करने वाले S-400, air defence missile system को खरीद रहा है।
- इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम है 'Triumf'
- इसे दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है और भारत रूस से ऐसे 5 सिस्टम खरीद रहा है।
- इसके अलावा भारतीय नेवी के लिए War-Ships बनाने को लेकर रूस से समझौता हुआ।
- दोनों देशों के बीच Kamov 226T हेलीकॉप्टर्स के संयुक्त रूप से निर्माण पर भी समझौता हुआ है।
- ये हेलीकॉप्टर्स बहुत ही ताकतवर और हल्के हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, और इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा होता है।
- ये हेलीकॉप्टर्स चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की जगह लेंगे। आपको बता दें कि चेतक और चीता हेलीकॉप्टर फ्रांस से लिए गये थे।

GENERAL STUDIES HINDI

Editorials

बाघों की मृत्यु दर और उनके अस्तित्व पर बढ़ता खतरा

देश में बाघों की संख्या एक बार फिर खतरनाक तेजी से कम होने लगी है। नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनटीसीए) के आंकड़ों के अनुसार इस साल देश भर में अभी तक 78 बाघ मर चुके हैं। यह संख्या पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है।

- अपने देश के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है कि कम से कम बाघों के मामले में दुनिया की उम्मीद भरी नजरें हम पर ही टिकी हुई हैं। बाघों की करीब 70 फीसदी आबादी भारत में रहती है और मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे आगे माना जाता रहा है।
- समस्या यह है कि इसी राज्य में बाघों के रख-रखाव में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। 2010 में टाइगर स्टेट, यानी सबसे ज्यादा बाघों वाले राज्य का तमगा मध्य प्रदेश से हट कर कर्नाटक के पास जा चुका था, इस बार बाघों की सबसे ज्यादा मौतें भी मध्य प्रदेश में ही दर्ज की गई हैं।
- 78 में से 26, यानी एक तिहाई बाघ इसी राज्य में मरे हैं। नौकरशाही से जुड़े सूत्र इसके कुछ ऐसे कारण गिनाते हैं, जिनसे उनके इंतजामों पर कोई सवाल न उठे। ताजा मामले में उनका कहना है कि चूंकि प्रदेश में बाघों की संख्या ही ज्यादा हो गई है, इसलिए आबादी का घनत्व उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों को पार कर अन्य क्षेत्रों में जाने को मजबूर करता है।

- वहां उनका टकराव इंसानी आबादी से होता है, नतीजन वे मारे जाते हैं। मगर बात इतनी सीधी नहीं है। कम से कम तीन ऐसे मामले हैं जिनमें तांत्रिकों की संलग्नता आधिकारिक तौर पर स्वीकार की गई है।

- कुछ आदिवासी समुदायों में यह मान्यता बनी हुई है कि तांत्रिक क्रियाओं में बाघ के पंजों और नाखूनों का इस्तेमाल जरूरी है। इसके अलावा कई मौतें दुर्घटना और आपसी लड़ाई के भी कारण हुई हैं। फिर भी असली खलनायक आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बाघों के अंगों तथा खालों की बढ़ी हुई मांग और इनकी स्वाभाविक रिहाइश माने जाने वाले क्षेत्रों का लगातार सिकुड़ते जाना ही है। इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बाघ बचाने के हमारे तमाम प्रयासों पर पानी फिर जाएगा।

(साभार :- टाइम्स ऑफ़ इंडिया)

==>हार्ट ऑफ़ एशिया सम्मेलन' और अफगानिस्तान का भविष्य (साभार : द हिन्दू)

अमृतसर में संपन्न 'हार्ट ऑफ़ एशिया सम्मेलन' में एक स्वर से आतंकवाद को दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और सहयोग के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा बताया गया। पहली बार सम्मेलन के घोषणापत्र में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र किया गया है।

- घोषणापत्र में कहा गया कि हम आतंकवाद के हर रूप के खात्मे के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का पुरजोर आह्वान करते हैं। इसमें आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करना और आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय और सामरिक सहायता के रास्तों को खत्म करना शामिल है।
- भारत से भी ज्यादा बढ़-चढ़कर अफगानिस्तान ने इशारों में कहा कि उसके यहां आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करीब 30 संगठन अफगानिस्तान में अपने पांव जमाने की कोशिश में हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी नेटवर्कों को उखाड़ फेंकने की जरूरत बताई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान खुद को सक्रिय दिखाना चाहता है। वहां की फौज मानती आई है कि भारत से लड़ाई होने पर उसे अफगानिस्तान की जमीन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे वहां 'स्ट्रैटजिक डेपथ डॉक्ट्रीन' कहा जाता है। पाकिस्तान की कोशिश इस अवसर का उपयोग भारत-पाक द्विपक्षीय वार्ता के लिए करने की थी। लेकिन भारत ने पहले ही कह रखा है कि जब तक सीमापार से हो रही आतंकी गतिविधियां खत्म नहीं होतीं, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।

=> 'हार्ट ऑफ एशिया' क्या है?

- 2001 में अमेरिकी हमले के बाद 'हार्ट ऑफ एशिया' ग्रुप का गठन अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए किया गया था। चीन, ईरान, भारत और पाकिस्तान सहित 14 देश इस समूह के सदस्य हैं।
- बाद में इसकी चिंताओं का दायरा बढ़ा दिया गया। अब इसमें चरमपंथ, ड्रग्स कारोबार, गरीबी और कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होती है। इसके सदस्यों के अलावा अमेरिका सहित 20 से ज्यादा अन्य देश भी इसमें सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं।
- जाहिर है, विश्व बिरादरी अफगानिस्तान में न सिर्फ अमन-चैन कायम करना चाहती है बल्कि उसका सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना चाहती है ताकि वह आत्मनिर्भर, आधुनिक और मजबूत देश बन सके। दिक्कत यह है कि अमेरिकी फौजों की वापसी के साथ चरमपंथी वहां फिर से सिर उठाने लगे हैं। उनकी इस कोशिश को पाकिस्तान से पूरा सहयोग मिल रहा है।

=> अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का योगदान :-

- भारत शुरू से ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगा हुआ है। दरअसल मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है।

- चाबहार पोर्ट के तैयार हो जाने के बाद न सिर्फ भारत और ईरान के आपसी व्यापार में आसानी होगी, बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक हमारे सामानों का आना-जाना भी आसान होगा।

- संसद का निर्माण, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण, बांध आदि के निर्माण, वहां के विद्यार्थियों को भारत में अध्यापन हेतु स्कालरशिप आदि की उपलब्धता।

--

क्या परमाणु सिद्धांत की समीक्षा की जरूरत (The Hindu)

what is the current nuclear policy of India

नो फर्स्ट यूज (NFU) न्यूक्लियर यूज के लिए भारत द्वारा अपनाई गई एक पॉलिसी है। इसके मुताबिक:

- भारत तब तक सामने वाले पर परमाणु हमला नहीं करेगा जबतक उसकी (दुश्मन) तरफ से ऐसा कोई हमला नहीं हो जाए।

GENERAL STUDIES HINDI

पहले यह ही पॉलिसी केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों पर लागू थी। पाकिस्तान ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना रखी है।

India's Nuclear Doctrine

- **“possible Indian Nuclear Doctrine”- January 2003**
- **India “will not be the first to initiate a nuclear strike, but will respond with punitive retaliation should deterrence fail.”**
- **The doctrine calls for nuclear forces based on a “triad of aircraft, mobile, land-based missiles, and sea-based assets.”**
- **May use weapons against a non nuclear weapons country if attacked by chemical or biological weapons.**
- **Bottom Line: Peaceful, but real**

Why in news :

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने की भारतीय नीति को केवल कालभ्रम करार दिया। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह केवल एक भ्रम है। उन्होंने कहा, 'मुझे क्यों मानना चाहिए कि मैं इन हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करने जा रहा? इस वक्तव्य ने भारत में फिर बहस छेड़ दी है की क्या भारत को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए या नहीं'

Why some are favouring change in Indias nuclear doctrine:

- अमेरिका के सामरिक विशेषज्ञों विपिन नारंग और क्रिस क्लैरी के अनुसार भारत की वर्तमान प्रचलित नीति के चलते भविष्य में कभी कोई दुश्मन यह मानकर भारत पर परमाणु हमला कर सकता है कि कहीं भारत उस पर पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग न कर दे
- किसी भी देश के रणनीतिक ढांचे को हमेशा **गतिशील और लचीला** होना चाहिए। 1999-2003 के दौर से लेकर अब तक परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। राजनीतिक-सामाजिक बदलाव, तकनीकी और सैन्य सुधार तथा शक्ति समीकरणों में हुए हेरफेर ने पिछले एक दशक में देश के भीतर और बाहर सुरक्षा और राजनीतिक परिवेश में नए पहलू पैदा कर दिए हैं। पड़ोस में सेना के जेहादीकरण और नॉन-स्टेट ऐक्टर्स की भूमिका में लगातार और बेरोकटोक वृद्धि ने अपनी सुरक्षा तैयारियों और जवाबी कार्रवाई करने की अपनी कार्यप्रणाली को मजबूत करना हमारे लिए बेहद जरूरी बना दिया है।

- **सुरक्षा वातावरण का आकलन** लगातार किया जाना चाहिए, उसी के अनुरूप परमाणु सिद्धांत समेत अपने तमाम सुरक्षा सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण भी किया जाना चाहिए। हमारा परमाणु सिद्धांत स्वयं ही हमारे लिए प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा, रासायनिक, जैव और रेडियोधर्मी हथियारों जैसी उन सभी नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी बनाता है, जिनका किसी न किसी किस्म प्रभाव इस सिद्धांत पर पड़ सकता है। इसके साथ ही हमारा परमाणु सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह जरूरत भी हमारे सामने पेश करता है कि हम किसी भी समय उन सभी बुनियादी प्रस्थापनाओं की जांच-पड़ताल करें, जो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को लेकर देश के नजरिये के केंद्र में हैं। बदलते हुए सुरक्षा परिवेश में भारतीय हितों की रक्षा के लिए सभी प्रासंगिक सैद्धांतिक विचारों की खोजबीन करना भी हमारे लिए जरूरी है।
- भारत के परमाणु सिद्धांत पर बुनियादी एतराज इस बात को लेकर है कि ये परमाणु हथियार लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को डराने के लिए हैं। इसी सोच से इन हथियारों का अपने दुश्मन पर पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति जन्म लेती है जिससे न केवल स्थिर **डेटरेंस** को संस्थागत आधार मिलेगा बल्कि भारत नैतिक रूप से भी उच्च धरातल पर खड़ा रहेगा। परन्तु इस नैयिकता और निति का क्या फ़ायदा जब इसका उपयोग हम तब करे जब हम पहले ही इसका attack झेल चुके हो
- **डेटरेंस** का अकल्पनीय सिद्धांत भारत को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया है। पाकिस्तान स्थित जिहादी आतंकी संगठन अब भी भारत में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वे भारतीय युवाओं को बरगलाकर अपने साथ शामिल कर रहे हैं और उन्हें हथियारबंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन कश्मीर के भीतर अलगाववादी उपद्रव को खुलकर समर्थन दे रहे हैं और खालिस्तानी अलगाववादियों को भी उकसाने में लगे रहते हैं।
- अपनी अस्तित्वगत दुविधा के चलते पाकिस्तान अपने यहां भारत को स्थायी शत्रु की तरह देखने के राष्ट्रीय विचार को बनाए रखना चाहता है। इस्लामाबाद पर लगातार दबाव बनाए रखने वाली ताकतें कभी यह नहीं चाहेंगी कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएं। शांति, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग पर चर्चा के हर प्रयास के पहले और बाद में आतंकवादी हमले अनिवार्य रूप से होंगे, हालांकि पाकिस्तान का राजनीतिक प्रतिष्ठान और वहां की सिविल सोसायटी हर बार इन हमलों में अपना कोई हाथ होने से इनकार करेगी। ऐसे में सवाल यह बनता है कि ऐसे हमलों के बाद भारत के पास चारा क्या रहेगा?

भारत को अपने परमाणु सिद्धांत की हरेक चार-पांच साल में समीक्षा करनी होगी ताकि उसे उस समय के साथ बदलती हुई सामरिक जरूरत के मुताबिक ढाला जा सके। यह एक तरह से capacity building का काम करे न की भारत को बस दर्शक बनाए रखने का।

GENERAL STUDIES HINDI

=>**साइबर चुनौती (The Indian Express)**

हाल ही में 19 बैंकों के 65 लाख से अधिक डेबिट कार्ड की जानकारी हैक किए जाने की खबर एक बड़ी चैतावनी है। देश की वित्तीय व्यवस्था अभी इतनी दुरुस्त नहीं है कि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा सकें और ऐसी किसी आशंका से निपटने की व्यवस्था लाई जा सके। यह hacking इसलिए भी चिंता का विषय है की एक तरफ भारत cashless transaction की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के cyber अपराध। यह अपराध नागरिकों के मन में संशय पैदा कर सकते है और कभी demonetisationकी exercise पर ही पानी नहीं फिर जाए जो cashless society की तरफ एक कदम माना जा सकता है।

A cause of tension

- हमारी वित्तीय व्यवस्था आपस में गहन संपर्क वाली है। कई ऐसे डाटा हैं जिनमें संवेदनशील जानकारीयां हैं। 60 करोड़ से अधिक डेबिट कार्ड फिलहाल चलन में हैं। इसके अलावा 2.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड और 13 करोड़ मोबाइल वॉलेट भी प्रचलन में हैं। ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और इनमें से कोई या शायद सभी जोखिम में पड़ सकते हैं।
- स्मार्ट फोन धारक बैंक खाताधारी यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई वित्तीय और निजी जानकारीयां स्थायी खाता संख्या और आधार से जुड़ी हैं। ये दो ऐसे डाटाबेस हैं जो हजारों सरकारी कर्मचारियों की पहुंच में हरदम रहते हैं।
- इतना ही नहीं एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल कार्ड रीडर जैसे उपकरण भी बहुत बड़ी संख्या में चलन में हैं। लाखों लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं जबकि उनके कनेक्शन असुरक्षित होने की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं उनकी फिशिंग या सोशल हैकिंग भी हो सकती है। इसके जरिये पीडित व्यक्ति को किसी झांसे में लेकर उससे व्यक्तिगत जानकारी निकलवाई जाती है।

Situation in developed world:

विकसित देशों में जहां वित्तीय सुरक्षा तंत्र मजबूत है वहां भी अक्सर डाटाबेस को संकट में पड़ते देखा जा चुका है। इन देशों ने बचाव के तगड़े रास्ते तैयार किए हैं।

- डाटाबेस कुछ इस तरह तैयार किया जाता है कि अगर एक तक किसी की पहुंच हो जाए तो भी दूसरे सुरक्षित रहें।
- उन देशों ने भारत से बाहर काम करने वाले कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था बनाई है ताकि वित्तीय साइबर अपराध और पहचान चोरी को जल्दी दर्ज किया जाए।
- वित्तीय सेवा प्रदाता और सरकारों ने स्पष्ट प्रमाणित संचार व्यवस्था विकसित की है ताकि पीडितों को तत्काल जानकारी देकर उनसे पिन और पासवर्ड बदलवाए जाएं।

हमारे यहां ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। मसलन डाटा सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। पैन और आधार का डाटा कितना सुरक्षित है यह स्पष्ट नहीं है। साइबर अपराध और पहचान चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने की व्यवस्था है लेकिन उनका प्रचार नहीं हुआ है। डिजिटल इंडिया पहल पर जोर ने सरकारी सेवाओं और वित्तीय व्यवस्था को ऑनलाइन किया है जो सराहनीय है। इससे हर किसी को आसानी होती है। परंतु इससे साइबर अपराधियों को भी मदद मिलती है। मौजूदा मामले जैसे निजता भंग के मामले न केवल उपभोक्ताओं के यकीन को क्षति पहुंचाते हैं बल्कि बेहतर व्यवस्था की जरूरत भी उजागर करते हैं।

क्या नोटबंदी से होने वाला नुकसान उसके फायदों पर भारी पड़ने वाला है?(The Hindu)

#Editorial द टेलीग्राफ

संदर्भ:- गिरती मांग, बाधित होता उत्पादन और नोटबंदी को अमल में लाने की असल आर्थिक कीमत मिलकर एक बड़ा नुकसान बनाते हैं। नोटेबन्दी का नकारात्मक पहलू।

★नोटबंदी का पूरा आर्थिक असर साफ होने में अभी कुछ समय लगेगा. एक चिंता यह जताई जा रही है कि इस कदम का इस वर्ष और 2017-18 में देश की आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव होगा. अगर हम मान लें कि जमा नकदी का एक हिस्सा और सारे फर्जी नोट बेकार हो जाएंगे तो साफ है कि आबादी का जो वर्ग बैंकों तक नहीं पहुंचेगा उसके पास रखी मुद्रा के भंडार में कमी आएगी.

★ बैंकों का जमा बढ़ेगा लेकिन, यह मुद्रा भंडार में आई गिरावट से कम होगा. यानी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नकदी की मात्रा में कमी आएगी. पूरी संभावना है कि रिजर्व बैंक नकदी की उपलब्धता बढ़ाएगा और अगले कुछ महीनों में कर्ज पर ब्याज की दरें गिरेंगी. लेकिन क्या इससे निवेश की रफ्तार बढ़ेगी?
★ शायद नहीं क्योंकि कारोबार तब भी नोटबंदी से पैदा हुई उथल-पुथल से जूझ रहे होंगे और उन्हें यह चिंता भी होगी कि संपत्ति या पैसे पर अगली सर्जिकल स्ट्राइक जाने कब और कैसे हो जाए. यानी अगले कुछ समय तक सस्ता कर्ज भी प्रगति की रफ्तार पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएगा.

★ दूसरा असर छोटे-मोटे कारोबारियों और टैक्स और सरकारी निगरानी के दायरे से बाहर रहने वाले उस क्षेत्र पर होगा जिसे इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है. भारत के कामगारों का करीब 80 फीसदी और सकल घरेलू उत्पाद का 45 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है.

★ यहां लंबे समय से नकद में ही काम होता रहा है और यह अब भी जारी है, भले ही सरकार ने लोगों के खाते खोल दिए हैं. दरअसल यह एक तरह से नौकरशाही के लिए टारगेट पूरे करने की कवायद थी जिसका लोगों के व्यवहार पर कोई खास असर नहीं पड़ा. इस क्षेत्र में जो उथल-पुथल मची है वह अगर शांत हुई भी तो ऐसा होने में भी बहुत लंबा समय लग सकता है.

★ हो सकता है सरकार ने एक चोट में ही इस क्षेत्र को हमेशा के लिए पंगु बनाने जैसा काम कर दिया हो. इससे छोटे दुकानदारों पर ग्रहण लग सकता है और ज्यादा लिखा-पढ़ी वाले बाजारों की व्यवस्था उभर सकती है.

★ तीसरा असर उपभोक्ता मांग पर होगा. जरूरी चीजों के अलावा सभी दूसरे उत्पादों की मांग गिरेगी क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा कैश में ही खरीदा जाता रहा है. गरीब तबके से जरूरी चीजों की मांग भी गिरेगी क्योंकि अभी कई महीने तक उसे नकदी के संकट का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा अपना पैसा निकालने या नोट बदलवाने के लिए लोगों की जो लाइनें लग रही हैं उनका आकलन अगर वक्त और मानव संसाधनों की बर्बादी के लिहाज से करें तो पूरा देश इसकी एक असाधारण कीमत चुका रहा है.

★ गिरती मांग, रुकता उत्पादन और इस कदम को अमल में लाने की असल आर्थिक कीमत जैसे ये सभी कारक मिलकर अर्थव्यवस्था में मंदी लाएंगे. यानी आर्थिक प्रगति की रफ्तार पर चोट पड़ेगी. लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि क्या अब भारत सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में चीन से पीछे हो जाएगा. सवाल यह है कि क्या नोटबंदी के लक्ष्य इस तरह हासिल नहीं किए जा सकते थे कि सामाजिक नुकसान कम होता और नतीजे ज्यादा टिकाऊ।

आईटी की मुश्किलें

GENERAL STUDIES HINDI

Business Standard Editorial

Reference: http://www.business-standard.com/article/opinion/challenges-for-indian-it-116042400643_1.html

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग इस समय एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस उद्योग की बड़ी कंपनियों के राजस्व में आ रही गिरावट और भविष्य के अनुमानों में भी कटौती किए जाने से इस क्षेत्र पर पड़ रहे दबाव को महसूस किया जा सकता है।

A look on falling growth in IT industry:

- आईटी उद्योग की प्रतिनिधि संस्था नैसकॉम ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए निर्यात राजस्व के अनुमान को 10-12 फीसदी के पूर्व-घोषित लक्ष्य से घटाकर 8-10 फीसदी कर दिया है।
- पिछले वित्त वर्ष (2015-16) की शुरुआत 12-14 फीसदी राजस्व वृद्धि के लक्ष्य के साथ हुई थी लेकिन अंत में यह केवल 107.8 अरब डॉलर ही रहा जो कि 9.4 फीसदी अधिक था।
- वर्ष 2014-15 में आईटी उद्योग का राजस्व 13 फीसदी की दर से बढ़ा था लेकिन वह भी 2010-11 से लेकर 2013-14 तक के 4 वर्षों में हासिल 20 फीसदी वृद्धि दर से काफी कम था।

गिरावट के कारण

- निर्यात--केंद्रित इस उद्योग की वृद्धि दर में आ रही गिरावट की व्याख्या आंशिक तौर पर वैश्विक विकास और उद्योग में आई सुस्ती से की जा सकती है।
- दो अनिश्चितताओं ने हालात को और बिगाड़ने का काम किया है। ब्रेक्सिट के बाद अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से अमेरिकी नौकरियों को संरक्षण देने और एच1बी वीजा में कटौती की आशंका ने परिदृश्य को और धुंधला कर दिया है।
- **अंदरूनी चुनौती** : इन बाहरी खतरों के अलावा भारतीय आईटी कंपनियां अंदरूनी चुनौती से भी जूझ रही हैं। बीती सदी के आखिरी वर्षों से भारतीय आईटी कंपनियों ने अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेहतर सेवाएं देकर अपनी खास जगह बनाई जिससे भारत जल्द ही दुनिया में आउटसोर्सिंग का अग्रणी केंद्र बन गया। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। स्वचालन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटलीकरण की समग्र कोशिशों के दौर में ग्राहक फर्म उम्मीद करती हैं कि आईटी कंपनियां उन्हें एक ही जगह पर ये सभी समाधान मुहैया करा दें।
- उन्हें न केवल दिग्गज वैश्विक आईटी सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है बल्कि विनिर्माण में जीई और खुदरा कारोबार में एमेजॉन जैसी कंपनियों के आईटी नवाचार से भी निपटना पड़ रहा है। GE और AMAZON अपनी आईटी क्षमताओं को इस तरह से विकसित कर रही हैं कि उन्होंने इसे शीर्ष स्तर तक पहुंचा दिया है।

How Indian IT companies Transforming themselves:

- भारत में सॉफ्टवेयर क्षेत्र के दिग्गज न केवल इस स्थिति से परिचित हैं बल्कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने विशेषीकृत क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के अधिग्रहण और नवाचार पर ध्यान देने के लिए अपने संसाधनों को पुनर्गठित करने जैसे तरीकों का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। इससे उन्हें अपने ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से सेवाएं देने में आसानी हो रही है।
- विशाल सिक्का की अगुआई वाली इन्फोसिस ने नवाचार के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाए हैं और वह स्वचालन को जल्द से जल्द लागू करने को बेहतर मानते हैं।
- एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टीसीएस ने कारोबार के डिजिटल हिस्से पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया है क्योंकि यह कंपनी अब मान रही है कि डिजिटल का मतलब केवल कंप्यूटर न रहकर सबकुछ हो गया है।

क्या और करना होगा :

- आईटी उद्योग को अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत डिजिटल सहायक की भूमिका निभाने के लिए अपने मौजूदा स्टाफ को नए सिरे से प्रशिक्षित करना होगा।

- आईटी कंपनियों को शिक्षण संस्थानों और सरकार के साथ मिलकर नए प्रशिक्षुओं के जानकारी स्तर को बेहतर बनाने की पहल करनी होगी।

पुआल के इस्तेमाल से मिलेगी धुंध से निजात

पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अलावा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों की पुआल आधारित खेती प्रणाली का दिल्ली के प्रदूषण से नजदीकी नाता है।

समय के साथ विकराल होती पुआल की समस्या :

- पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा पुआल पैदा हो रहा है।
- इस पुआल को समेट पाना पहले की तुलना में अधिक मुश्किल हो गया है।
- यह पुआल अब कहीं कम उपयोगी रह गया है और किसानों के पास उसे खेतों से हटाने के लिए समय भी कम मिल पाता है। ऐसी स्थिति में किसान इस पुआल को अपने खेत में ही आग लगाकर नष्ट कर दे रहे हैं।
- परंपरागत तौर पर पुआल का इस्तेमाल मवेशियों के चारे और उनका बिछावन बनाने के अलावा फूस का छप्पर बनाने में होता रहा है। लेकिन कम पौष्टिकता होने से पशु चारे के रूप में पुआल और भूसे का इस्तेमाल अब कम हो गया है।
- ह फूस का छप्पर और मिट्टी की दीवारों पर गोबर के साथ पुताई करने का दौर भी चला गया है। कृषि के आधुनिक तरीकों में पशुपालन भी काफी कम हो गया है। इसके साथ ही जल्दी-जल्दी फसल उगाने की चाहत भी किसानों को इतना समय नहीं देती है कि वे पुआल को लंबे समय तक खेतों में छोड़ सकें ताकि बाद में जुताई कर उसे मिट्टी में ही मिला दिया जाए। संक्षेप में कहें तो पंजाब को पुआल की अब कोई जरूरत ही नहीं रह गई है।
- पुआल की जरूरत बिजली उत्पादन, कागज निर्माण और फाइबर बोर्ड बनाने के अलावा पशु चारे के लिए बनी हुई है। वैसे अब इनके बेहतर विकल्प मौजूद होने से पुआल की उतनी मात्रा की जरूरत नहीं रह गई है।

नुकसान :

इससे खेतों की मिट्टी को काफी नुकसान पहुंचता है, खेती के लिहाज से लाभदायक कीटाणु और अन्य जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं, और गांवों तथा सुदूर शहरों में रहने वाले लोगों की सेहत और पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है।

क्यों पुआल जलाना को रोकना कठिन काम :

पुआल जलाने पर रोक लगा पाना वेश्यावृत्ति के खात्मे से कहीं अधिक मुश्किल काम है। इन लोगों को यह अंदाजा ही नहीं है कि तकनीकी-आर्थिक हालात के चलते किसानों के पास पुआल जलाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है।

धान और पुआल :

- 1960 के दशक के मध्य से ही खरीफ सत्र में धान की फसल के रकबे में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उस समय के 3 लाख हेक्टेयर भूभाग के मुकाबले आज करीब 30 लाख हेक्टेयर इलाके में धान की खेती होने लगी है। इस दौरान चावल उत्पादन भी एक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 6 टन प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गया है। अधिक उत्पादन क्षमता वाले बीजों की उपलब्धता के साथ ही समर्थन मूल्य बढ़ने और खरीदी प्रक्रिया में सुधार आने, सस्ती या मुफ्त बिजली आपूर्ति होने से किसान खेती के लिहाज से बहुत अनुकूल हालात नहीं रखने वाली फसल को भी बड़े पैमाने पर उगाने के लिए प्रेरित हुए हैं। कुछ समय के लाभ के लिए किसान अपने खेतों, आसपास की हवा और सतही जल का अनजाने में ही बड़ा नुकसान कर देते हैं।

क्या क्या उपाय संभव :

- **चावल की कम खरीददारी:** दिल्ली के आसमान में छाई धुंध को कम करने का एक तरीका तो यह है कि समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर जो गलतियां हुई हैं, उन्हें दूर किया जाए। सरकारें अगर चावल की कम खरीद करती हैं और कीमतों में भी कमी लाई जाती है तो किसान स्वाभाविक तौर पर अन्य फसलों की खेती का रुख करेंगे जिससे धान की खेती में अपने-आप कमी आ जाएगी। पहले से ही धान की खेती agroecologically / agroclimatologically उपयुक्त नहीं है और यह कदम सही कदम होगा किसानों को धान से दूसरी खेती करने के लिए
- धान की खेती कम इलाके में होने से पंजाब में भूमिगत जल का दोहन भी कम होगा और पुआल जलाने में कमी आने से खेतों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे आगे चलकर दिल्ली के आसमान में छाने वाली धुंध से भी छुटकारा पाया जा सकेगा।
- **पुआल संकलन पर ध्यान :** समय के साथ बदलती तकनीक ने कृषि के तरीकों को भी बदला है। आज के दौर में धान की पकी फसल की कटाई के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है वे बालियों को एक तरफ रखती जाती हैं जबकि पुआल को पूरे खेत में बिखेरती चलती हैं। इस स्थिति में अगर पुआल इकट्ठा करना है तो उसे पूरे खेत से जुटाना होगा जो कि काफी श्रमसाध्य और खर्चीला काम होगा। जैसे पुआल का गवार बनाने की मशीनें भी आ गई हैं लेकिन इनकी कीमत और परिचालन लागत काफी ऊंची है। पुआल के गवार के काफी फैले हुए होने से इन्हें कहीं ले जाना भी काफी मुश्किल होता है। इस तरह किसानों के पास अब न केवल पहले से कहीं ज्यादा पुआल है बल्कि उसे इकट्ठा कर पाना महंगा भी है।
- **धान की खूंटी की समस्या :** धान की खूंटी की को खेतों से निकाल पाना पुआल की तरह आसान नहीं है। जमीन में थोड़ा धंसकर जुताई करने वाली मशीन की लागत करीब डेढ़ लाख रुपये होने से किसान इस खूंटी को खेत में ही छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन रबी सीजन की फसल (आमतौर पर गेहूं) बोते समय यह खूंटी बड़ी रुकावट पैदा करता है। इससे बीज, खाद, पानी और जुताई की लागत भी बढ़ जाती है। जैसे गहरी जुताई करने वाली मशीनें अब किराये पर मिलने लगी हैं लेकिन इसका प्रसार होने में थोड़ा वक्त लगेगा।
- पुआल को बायोमास बिजली उत्पादकों, फाइबर बोर्ड निर्माताओं, पेपर मिल और पशुचारे के लिए स्वाभाविक पसंद बनाने से तत्काल फायदा मिल सकता है। अगर इन उद्योगों में पुआल की बड़ी मांग पैदा की जा सके तो किसान इसे जलाने के बजाय गार बनाकर रखने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि इन इकाइयों को केवल प्रोत्साहन या सब्सिडी देने से बात नहीं बनेगी।
- इस क्षेत्र में समुचित तकनीक के विकास के लिए शोध को भी अहमियत देनी होगी। लेकिन सीमित अवधि में तो पुआल का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देना ही होगा।

- कच्चे माल के तौर पर पुआल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी होगा। पुआल का गिर बनाने और खेतों में गहरी जुताई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने, पशु चारे के लिए पुआल के साथ पौष्टिक तत्व मिलाने, बिजली संयंत्रों में पुआल जलाने से निकलने वाली राख को सीमित करने, फाइबर बोर्ड में सिलिका की मात्रा को कम करने और कागज बनाने के लिए बेहतर मशीनों से इस समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है।

Reference: <http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/crop-burning-straws-in-the-wind/article9325140.ece>

राज्यों में बढ़ती यह प्रवृत्ति कानून के शासन के लिए शुभ संकेत नहीं है

सन्दर्भ:- सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले पर पंजाब का रुख संघीय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है.

<http://www.thehindu.com/opinion/editorial/punjab-assembly-election-punjabs-legislative-adventurism/article9335057.ece>

इसमें कभी संदेह नहीं था कि पड़ोसी राज्यों के साथ जटबंटवारे का समझौता रद्द करने के लिए पंजाब ने 2004 में जो कानून बनाया वह न्याय के सिद्धांतों के सामने टिक पाएगा. पंजाब के इस कदम पर राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि 1981 के उस समझौते को रद्द करके पंजाब अपने वादे से मुकरा है जिसके तहत उसे हरियाणा और राजस्थान के साथ पानी साझा करना था और इस काम के लिए सतलुज-यमुना लिंक नहर बनानी थी. पंजाब के इस कानून का मकसद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से बचना था जिसमें उसे अपने हिस्से की नहर के निर्माण के काम में तेजी लाने को कहा गया था.

शीर्ष अदालत के इस फैसले के पीछे वही कारण हैं जो कावेरी और मुल्लापेरियार बांध जैसे मामलों में दिए गए फैसलों के पीछे थे. अदालत ने फिर उसी सिद्धांत का हवाला दिया कि कोई राज्य किसी विधेयक के जरिये ऐसा काम नहीं कर सकता जो देश की शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए आखिरी फैसले के खिलाफ जाता हो. पांच सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा दिया गया यह फैसला एक लिहाज से समय रहते फिर याद दिला रहा है कि अगर राज्यों को तथ्यों और कानूनों पर आधारित फैसलों को रद्द करते हुए न्यायिक शक्तियों को हड़पने की छूट दी गई तो यह कानून के शासन और संघीय व्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा.

पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इस मुद्दे पर अब ज्यादातर पार्टियां यह दिखाने की कोशिश में लगी हैं कि राज्य के हितों का उनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं. राज्यों के अपने मामलों में सबसे बड़ा जज बनने की यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, खासकर पानी से जुड़े मुद्दों पर. सत्तासीन पार्टियों द्वारा बातचीत या विचार-विमर्श के बजाय विधेयक या फिर विधानसभा में प्रस्ताव पास करने का रास्ता अपनाने का चलन बढ़ता जा रहा है. विपक्षी पार्टियां भी इसमें इस डर के मारे बराबरी के साथ हिस्सा लेती हैं कि कहीं उन्हें राज्य के हितों का दुश्मन न समझ लिया जाए. पानी के बंटवारे क लेकर पंजाब की कुछ जायज शिकायतें हो सकती हैं. यही वजह भी थी कि 1985 में जब राजीव-लोगोवाल समझौता हुआ तो उसमें पानी के बंटवारे से जुड़े प्रावधान भी रखे गए. इससे पहले मतभेद केंद्र द्वारा 1976 में जारी एक अधिसूचना के जरिये सुलझाए गए थे. बाद में जब मामला अदालत में गया तो 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विवाद में मध्यस्थता की और दोनों राज्यों के बीच समझौता करवाया.

इसलिए देखा जाए तो मौजूदा व्यवस्था, जिससे पंजाब निकलना चाहता है, के तीन आधार हैं. यह समझौता और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 और फिर 2004 में पंजाब के खिलाफ सुनाए गए फैसले. इसलिए पंजाब को अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अपने हिस्से की नहर का काम पूरा करना चाहिए ताकि समझौते के मुताबिक जिस पानी पर हरियाणा का हक है उसका वह इस्तेमाल कर सके. अगर पंजाब को लगता है कि उसे नुकसान हो रहा है तो अब भी बातचीत और समझौते की गुंजाइश निकल सकती है. लेकिन यह अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता.

क्यों जरूरी है BRICS के लिए common agendas

ब्रिक्स का संघर्ष :

कागज पर पांच देशों का समूह ब्रिक्स एक मजबूत संगठन नजर आता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के बीच एक साझा पहचान और संस्थागत सहयोग कायम करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

Historical background :

ब्रिक्स 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री की ब्रिक अवधारणा का ही विस्तार है। शीतयुद्ध के बाद पहले महत्वपूर्ण गैरपश्चिमी ग्लोबल पहल के रूप में ब्रिक्स का उदय हुआ है।

Brics and global power

यह न सिर्फ अटलांटिक प्रभुत्व को धीरे-धीरे कम कर रहा है, बल्कि यह भी दर्शा रहा है कि विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन में किस तरह बदलाव आ रहा है। यदि ब्रिक्स देश सामूहिक रूप से मिलकर काम करने लगे तो यह ग्लोबल वित्तीय और गवर्नेंस प्रणाली में मौलिक बदलावों का वाहक बन सकता है।

Internal Contradiction in Brics:

आज ब्रिक्स जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वे मौलिक हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय लक्ष्य हैं और ये देश विश्व के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं। ब्रिक्स देशों में भी यह अंतर बहुत साफ है।

- उदाहरण के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और दुनिया के सबसे बड़े एकतंत्र चीन में क्या समानता है? चीन द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया जाता है। वह अपने इस दावे को लेकर इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि जब भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने इस राज्य का दौरा किया तो उसने सख्त ऐतराज जताया और अब जब दलाई लामा के वहां जाने की बात आ रही है तो फिर उसने आक्रामक तरीके से इसका विरोध किया। चीन के इस तरह के रुख के चलते दोनों देशों के बीच कैसे निकटता कायम हो सकती है?
- चीन दक्षिण चीन सागर पर मनमाने आचरण का परिचय दे रहा रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित हर जगह वह पाकिस्तानी आतंक का बचाव कर रहा है?
- हाल के वर्षों में ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से धराशायी हुई हैं उससे ब्रिक्स की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। यहां तक कि चीन की अर्थव्यवस्था भी उथलपुथल का सामना कर रही है और उसका प्रतिकूल प्रभाव विश्व बाजार पर भी पड़ा है।

- ब्रिक्स की मंदी का सिर्फ भारत ने ही सामना किया है। भारत को आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का गौरव मिला है। करीब छह साल बाद भी ब्रिक्स अभी भी एक सुसंगत समूह के रूप में काम नहीं कर पा रहा है ताकियह अपने साझा उद्देश्यों को हासिल कर सके और एक संस्थागत ढांचा का रूप ले सके।
- ब्रिक्स में शामिल किन्हीं दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध उतने प्रगाढ़ नहीं हैं जितने कि उनके मजबूत संबंध अमेरिका के साथ हैं।
- जहां तक **अंतरराष्ट्रीय संस्थागत सुधार** की बात है तो यहां भी चीन की सोच दूसरे सदस्य देशों से अलग है। चीन ग्लोबल वित्तीय ढांचे के संबंध में एक अलग तरह की शक्ति है। वह विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रतीकात्मक रूप से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और चीन निर्मित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा चुनौती देकर उन पर हावी होना चाहता है। इसी के साथ वह संयुक्त राष्ट्र में कोई सुधार नहीं चाहता है। अर्थात् वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र देश बना रहना चाहता है। इसका अर्थ हुआ कि वह भारत को इससे बाहर रखना चाहता है।
- हाल के गोवा सम्मेलन में यह चेतावनी थी कि ब्रिक्स को आगे बढ़ने के लिए एक साझा कार्ययोजना की अभी भी दरकार है।
- **Double standard on terrorism:** चीन की जिद के कारण गोवा घोषणापत्र में सीमापार आतंकवाद या राज्य प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र नहीं हो पाया। आइएसआइएस और अल नुसरा के उल्लेख के बावजूद पाकिस्तान स्थित किसी भी आतंकवादी संगठन का नाम इसमें नहीं शामिल किया गया।

Need for Common goals in front of BRICS:

ब्रिक्स के सामने आज यह सवाल है कि क्या इसके सदस्य देश अपने विभिन्न उद्देश्यों और हितों के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक हो सकते हैं?

यदि ब्रिक्स अपना सामूहिक रसूख बनाना चाहता है तो इसके सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का सामना करने के लिए साझा उद्देश्य और तौर तरीके विकसित करने चाहिए।

Lesson to be learnt from G7: जी-7 समूह भी ब्रिक्स की तरह ही चर्चा के मंच के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों में यह साझा हितों को परिभाषित कर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त आवाज के रूप में उभरा। ब्रिक्स में जी-7 की तरह साझा राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों का अभाव है। यह स्वयं को प्रासंगिक नहीं रख सकता है यदि यह अपने नेताओं और हितधारकों को बहस करने से आगे कुछ सोचने पर विवश नहीं करता।

GENERAL STUDIES HINDI

(The Hindu)

कार्यपालिका और न्यायपालिका का यह टकराव लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट कर रहा है

द टेलीग्राफ का संपादकीय

100 फीसदी खुद को सही ठहराने वाली जिद से किसी का भला नहीं होता. केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच की कड़वाहट पर अब खुले तौर पर नजर आने लगी है. यह एक चिंताजनक स्थिति है जिससे एक तरफ कुछ हासिल नहीं होगा और दूसरी ओर इन दोनों संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचेगा.

- हाल ही में 24 हाईकोर्टों में नियुक्ति प्रक्रिया के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक खंडपीठ का कहना था कि सरकार न्यायपालिका का नाश करने पर तुली है. अदालत ने सवाल किया कि अदालतों में ताले लगा दिए जाएं और लोगों को न्याय देना बंद कर दिया जाए.
- यह कड़ी टिप्पणी उन जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता पर थी जिनके नाम कॉलेजियम केंद्र को भेज चुका है. मुख्य न्यायाधीश अदालतों में जजों के खाली पड़े पदों को लेकर पहले भी भावुक टिप्पणियां कर चुके हैं.
- लेकिन केंद्र का बार-बार यही कहना है कि अड़ंगा उसकी तरफ से नहीं है. अपनी प्रतिक्रिया में उसने यह भी पूछा है कि निचली अदालतों में इतने पद खाली क्यों हैं जहां सुनवाई का इंतजार कर रहे मामलों की सूची सबसे लंबी है और जहां नियुक्तियों का जिम्मा सरकार नहीं बल्कि न्यायपालिका के ही पास है.
- दोनों पक्षों की इस जिद के पीछे की वजह है आपातकाल के वर्षों वाले दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण के बाद न्यायपालिका का जरूरत से ज्यादा सुधार. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर नियुक्तियों और जजों के तबादले का काम पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और सरकार की इसमें भूमिका सिर्फ औपचारिकता भर रह गई. यह व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है.
- इसमें सुधार की कोशिश राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के जरिये हुई थी जो सरकार को इस प्रक्रिया में एक सार्थक भूमिका दे रहा था लेकिन साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया. तब से केंद्र और शीर्ष अदालत, दोनों अपने-अपने रुख पर अड़ते गए हैं जिससे न्याय प्रक्रिया में लगने वाली देरी और बढ़ी है.
- इस टकराव का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वे तीन खंभे हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है. अगर सरकार सुशासन के प्रति गंभीर है तो उसे न्यायपालिका के साथ मिलजुलकर इस समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी होगी फिर भले ही दोनों पक्ष प्रस्तावित मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर पर सहमति बनाएं या फिर किसी और चीज पर.
- सरकार के सिफारिशों पर बैठे रहने से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा. पहले इस संकट को गंभीर होने से रोका जाना चाहिए. जिन मसलों के सुलझने में ज्यादा वक्त लगता है उन्हें पर्याप्त वक्त देना ही होगा.

वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर रिपोर्ट:- खतरा सिर्फ वन्यजीवन पर नहीं, हम सब पर मंडरा रहा है

सन्दर्भ :-

2020 तक वन्यजीवों की आबादी 50 साल पहले के मुकाबले एक तिहाई ही रह जाएगी. द इंडियन एक्सप्रेस की संपादकीय टिप्पणी

चर्चित संगठन वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की एक ताजा रिपोर्ट उन आशंकाओं को आंकड़ों में सामने रखती है जो पर्यावरणविद लंबे समय से जताते रहे हैं. लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2016 के मुताबिक 1970 से 2012 के दौरान दुनिया में वन्यजीवों की 58 फीसदी आबादी खत्म हो गई.

Highlights from Report:

- रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई है कि 2020 तक यह आबादी 50 साल पहले के मुकाबले एक तिहाई रह जाएगी.
- WWF के मुताबिक जो प्राणी खत्म हो रहे हैं उनमें हाथी, गोरिल्ला और गिद्ध जैसी खतरे में पड़ी चर्चित प्रजातियां तो हैं ही, सैलमैंडर्स, हिम तेंदुआ और मूंगा चट्टानें जैसे वे नाम भी शामिल हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते. यह रिपोर्ट 3700 से भी ज्यादा कशेरुकी (रीढ़ की हड्डी वाली) प्रजातियों से जुड़े वैज्ञानिक डेटा पर आधारित है.

=>जैव विविधता क्षरण के कारण:-

- वन्यजीवों की आबादी में गिरावट तब आती है जब उनके पर्यावास संकट में होते हैं. लेकिन उनके पर्यावास का विनाश सिर्फ उनके लिए संकट का सबब नहीं होता.
- हवा और पानी का संरक्षण और शोधन, जलवायु, परागण, बीजों के फैलाव और कीड़े-मकोड़ों और बीमारियों से बचाव जैसी चीजों के लिए हम भी स्वस्थ और विविधता वाली प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर निर्भर होते हैं.
- आज यह साबित हो चुका है कि दलदली भूमि या वेटलैंड्स के विनाश के चलते बाढ़ और तूफानों के खिलाफ हमारी प्रतिरोधक क्षमता काफी घटी है. पहाड़ों पर खत्म होते जंगलों के चलते भूस्खलन और भूकंप जैसे खतरों से हमें होने वाला नुकसान बढ़ा है.
- इन खतरों से निपटने के लिए विश्वव्यापी कदम उठाना हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगा. उदाहरण के लिए वन्यजीवों की घटती संख्या का एक बड़ा कारण यह है कि खेती के विस्तार के लिए जंगल काटे जा रहे हैं.

A look on how fast we destroying Biodiversity

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि उपभोग की जो मौजूदा दर है उसके हिसाब मनुष्यों और पशुओं की आबादी के लिए हमें धरती के क्षेत्रफल से 1.6 गुना ज्यादा जमीन चाहिए. लेकिन अगर हम खाने की बर्बादी से जुड़े आंकड़े देखें तो एक दूसरी ही तसवीर उभरती है.
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की बीते साल आई एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 में दुनिया में 1.3 अरब टन खाना बर्बाद हुआ. इसे दूसरी तरह से ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया में जितनी जमीन पर खेती होती है, उसके 30 फीसदी हिस्से में हुआ उत्पादन बर्बाद हो गया.

Reason for Loss

- विकासशील देशों में यह बर्बादी भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होती है. विकसित देशों में यह बर्बादी खाने के स्तर पर होती है. जब विकासशील देशों में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हों तो यह स्थिति और भी विडंबना भरी हो जाती है.
- इंसानी आबादी के पर्यावरण पर दबाव के क्या नतीजे हो रहे हैं यह अब सबको पता है. लेकिन इनका सामना करने के लिए हम सामाजिक रूप से एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना सके हैं जिसमें पारिस्थिकी और अर्थव्यवस्था जैसे पहलू शामिल हों.

2020 से अमल में आने वाली पेरिस संधि के तहत पर्यावरण को लेकर किए गए वादे ऐसी पहली प्रतिक्रिया हो सकते हैं. हालांकि तब भी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वे उस नुकसान को टाल देंगे जिसकी आशंका डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट में जताई गई है.

(The Hindu)

टीबी के खिलाफ यह जंग दुनिया जीतेगी या नहीं, यह भारत पर निर्भर करता है

ALARMING FIGURES	
<p>➤ Of the 9 million incident cases estimated in 2013 globally, only 5.7m were both detected and notified to national TB programmes (NTP)</p>	<p>because they were diagnosed but not reported</p>
<p>➤ 3.3 million people with TB were 'missed', either because they were not diagnosed or</p>	<p>➤ A recent study in India suggests that about 50% of detected cases are not reported to the NTP</p>
<p>➤ In 2013, 1,36,000 cases of Multi-Drug Resistant-TB detected globally and 97,000 people started treatment</p>	<p>➤ In 2013, 1,36,000 cases of Multi-Drug Resistant-TB detected globally and 97,000 people started treatment</p>

सन्दर्भ :- टीबी के मरीजों और इस बीमारी से होने वाली मौतों के लिहाज से भारत दुनिया में सबसे आगे है.द हिंदू की संपादकीय टिप्पणी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मांग की है कि तपेदिक यानी टीबी पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र की एक आम बैठक बुलाई जाए. उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे देश इससे निपटने के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं दिखा रहे.

India and TB

टीबी के खिलाफ लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक इससे सबसे ज्यादा ग्रस्त देश, जिनमें भारत सबसे ऊपर है, अपनी सरकारी मशीनरी को प्रभावी तरीके से हरकत में नहीं लाते.

- टीबी की दर और इस बीमारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा वैश्विक स्तर पर लगातार घट रहा था लेकिन, हाल में इसमें फिर बढ़ोतरी होने लगी है. यह बढ़ोतरी पहले लगाए गए अनुमान से कहीं अधिक है. इसकी मुख्य वजह है भारत में इस बीमारी के मरीजों की संख्या में आया तेज उछाल.
- 2014 में भारत में टीबी के 22 लाख मरीज थे. यह आंकड़ा 2015 में 28 लाख पहुंच गया. विडंबना यह है कि यह आंकड़ा भी अंतरिम है. वास्तविक आंकड़े का पता तभी चल सकेगा जब अगले साल शुरू होने वाला राष्ट्रीय टीवी सर्वे पूरा होगा और तब यह कहीं ज्यादा हो सकता है. अनुमानों के मुताबिक 2014 की तुलना में 2015 में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. मरीजों की तरह मौतों का यह आंकड़ा भी सर्वे के बात बढ़ सकता है.

Data on TB

- इस बढ़ोतरी की वजह यह भी है कि 2013 से 2015 के दौरान निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की तरफ से टीबी के मामलों की सूचनाओं में 34 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. लेकिन यह भी सच है कि 2015 में प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों द्वारा दी गई सूचनाएं ऐसी कुल सूचनाओं का 16 फीसदी ही थीं.
- 2012 में ये सूचनाएं दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन, 2015 में सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा टीबी के सिर्फ 17 लाख मामले सूचीबद्ध किए गए. इसलिए कोई नहीं जानता कि बाकी 11 लाख मरीजों का क्या हुआ.

Measures and lacunas

- टीबी के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत हर मरीज को इलाज मिलना और उससे जुड़ी जानकारियां दर्ज की जानी जरूरी हैं. निजी अस्पतालों या डॉक्टरों के पास आने वाले टीबी के मरीजों में से 50 फीसदी दवाइयों का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा नहीं करते.
- उधर, एक हालिया अध्ययन बताता है कि 2013 में अगर 19 लाख लोग टीबी की शिकायत लेकर सरकारी अस्पताल गए तो उनमें से सिर्फ 65 फीसदी ने पूरी दवाइयां लीं. इसके चलते दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके टीबी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है जिससे इस बीमारी का इलाज महंगा और मुश्किल होता जा रहा है. इसने संकट को और गहरा दिया है.

बच्चों के लिए सुरक्षित टीबी की दवा उपलब्ध कराने जैसे कई मायनों में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम अभी लक्ष्यों से पीछे चल रहा है. टीबी को काबू करने का काम तभी हो सकता है जब सब मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ी जाए. टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक भारत अपनी सीमाओं के भीतर इस लड़ाई में जीत हासिल नहीं करता.

Reference: <http://m.thehindu.com/opinion/editorial/get-serious-about-fighting-tb-says-who/article9285813.ece>

क्विटो सम्मलेन: शहरों को समावेशी और सतत बनायें; ताकि शहर जीने के लायक रहें **The_Hindu_Editorial**

सन्दर्भ:- यह एक बड़ी चुनौती है कि भारत सहित दुनिया भर में शहरों की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उस हिसाब से वहां जीवन की गुणवत्ता नहीं बढ़ रही. (द हिंदू का संपादकीय)

★दुनिया तेजी से शहर में तब्दील हो रही है और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बराबरी के मौके कैसे उपलब्ध कराए जाएं.
★हाल ही में इक्वाडोर के क्विटो में आवास और टिकाऊ शहरी विकास पर हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन का केंद्रीय विषय यही था. यह आयोजन 20 साल में एक बार होता है.
★इस लिहाज से सदस्य देशों के लिए यह अगले दो दशक का दिशासूचक नक्शा होता है और इसीलिए सरकारों और नागरिक समाज की इसमें खासी भागीदारी भी होती है.

★हालांकि अभी मजबूती से यह आकलन करने की जरूरत है कि पिछले दो सम्मेलनों के बाद अलग-अलग देशों ने शहरी गैरबराबरी को घटाने, घर, स्वच्छता और परिवहन में सुधार और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने जैसे मोर्चों पर कैसा प्रदर्शन किया है.
★इसके अलावा जैसे-जैसे शहरी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व स्थापित हुआ है, ऊंची तनख्वाह पाने वाले प्रोफेशनलों और कामकाजी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा कम आय वाले कामगारों की जिंदगी का फर्क और भी बढ़ा हुआ है. ये सभी बातें भारत के लिए प्रासंगिक हैं जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक 31 फीसदी आबादी शहरी है.

★देश की कामकाजी आबादी में 26 फीसदी शहरी क्षेत्र की भागीदारी है और शहरों-कस्बों की तरफ रुख करने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है.

★सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें शहरी प्रशासन से जुड़ी नीतियों का उन वादों से तालमेल करना होगा जो हमने पेरिस समझौते में कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को लेकर किए हैं.

★भारत ने स्मार्ट सिटीज और अटल पुनर्जीवन एवं शहरी रूपांतरण योजना जैसे कई नीतिगत फैसलों से यह संदेश दिया है कि वह विज्ञान और डेटा की मदद के जरिये व्यवस्थित तरीके से शहरी नियोजन की दिशा में बढ़ना चाहता है.

★लेकिन 21वीं सदी के शहरों को 20वीं सदी की औद्योगिक जरूरतों के हिसाब से बनाने के अपने विरोधाभास हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा. आज ये विरोधाभास कई रूपों में दिखते हैं. उदाहरण के लिए हमारे शहरों में पार्क और सार्वजनिक जगहें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं. अलग-अलग सेवाएं देने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के रहने के लिए ढंग की जगह नहीं है.
★सबको बराबरी का आभास कराने वाले परिवहन के स्वच्छ विकल्प नहीं हैं और न ही कम लागते वाले आवासों को लेकर कोई नया नजरिया है.

★क्विटो सम्मेलन के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय रिपोर्ट में शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने अपनी सबके लिए आवास नीति का जिक्र किया है. 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरों में कुल आवास का 17 फीसदी हिस्सा झुग्गियों से बनता है.

★रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि निजी एजेंसियों और आपदा प्रतिरोधी 'प्रीफैब्रिकेटेड' निर्माण के जरिये इन झुग्गियों का पुनर्विकास किया जाएगा. इस काम में सरकार सब्सिडी देकर अपनी भूमिका निभाएगी. यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी सालाना आधार पर समीक्षा होनी चाहिए और राज्यों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से इस संबंध में रैंक दिया जाना चाहिए.

★केंद्र को अपनी राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति को भी गंभीरता से लेना चाहिए जिसके तहत परिवहन नेटवर्क को आधार बनाकर शहरों का विकास किया जाना है।
★नए शहरी एजेंडे पर 2018 में कुआलालंपुर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इसकी समीक्षा होनी है कि हर देश इस दिशा में कितना आगे बढ़ा। तब इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि भारत ने अपने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के स्तर में कितना सुधार किया।

Reference :- <http://m.thehindu.com/opinion/editorial/making-cities-inclusive/article9258735.ece>

मुस्लिम पर्सनल लॉ : नैसर्गिक न्याय की पक्षधरता

#संपादकीय द ट्रिब्यून -:

What is the issue

मुस्लिम समाज में एक ही समय में तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह कर पत्नी का त्याग करने के रिवाज के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का स्वर निरंतर मुखर हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के समर्थन में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं का विरोध करके अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे दिया है।

Debate?

- अकसर सुनने में आता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी को टेलीफोन पर या फिर स्काइप अथवा फेसबुक के माध्यम से तलाक दे दिया है। इस तरह से तलाक दिये जाने से प्रभावित मुस्लिम महिलायें चाहती हैं कि मुस्लिम पर्सनल ला (शरियत) एप्लीकेशन कानून, 1937 की धारा दो असंवैधानिक घोषित की जाये क्योंकि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समता); 15 (नागरिकों में भेदभाव नहीं), 21 (जीने का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धर्म) का हनन होता है। चूंकि देश की शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केन्द्र सरकार से उसकी राय मांगी थी और सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के समर्थन में अपना हलफनामा दाखिल किया।

Stand of Government

- यह पहला मौका है जब केन्द्र सरकार ने इतने संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हुए तीन तलाक को भेदभाव से भरा करार दिया है। सरकार चाहती है कि संविधान में प्रदत्त समता और लैंगिक समानता के अधिकार तथा महिलाओं के सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा के लिये मुस्लिम समाज में इस तरह के प्रचलन पर नये सिरे से विचार होना चाहिए। सरकार ने इसके पक्ष में दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया है जिनमें ट्रिपल तलाक जैसे चलन के लिये कोई स्थान नहीं है। केन्द्र सरकार के इस रुख से भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन उत्साहित है लेकिन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरीखे कुछ मुस्लिम संगठन इस मसले पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।

AIMPLB Objection

- दूसरी ओर, मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सतत संघर्ष और इसके लिये उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाये जाने पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कुछ

संगठनों ने आपत्ति की है। आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड और जमीयत ए-उलेमा ने तीन-बार तलाक देने की रवायत का बचाव करते हुए दलील दी है कि यह कुरान से निर्देशित पर्सनल लॉ का हिस्सा है और इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।

- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा चार बीवियां रखने को भी जायज ठहराते हुए दावा किया है कि यह अवैध यौन संबंधों पर अंकुश लगाने और महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये जरूरी है।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रुख के खिलाफ महिला पर्सनल लॉ बोर्ड भी न्यायालय जाने के लिये कसर कस रहा है। उसका मत है कि शरियत में महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार दिये गये हैं।

Is this debate about equality

- सवाल यह है कि क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और समतावादी देश में, जहां महिलाओं को समान अधिकार देने की वकालत होती है, मुस्लिम महिलाओं को इस तरह की स्थिति से क्यों गुजरना पड़ रहा है।
- मुस्लिम समाज का एक वर्ग क्यों आज भी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास करता है जबकि पाकिस्तान सहित कई इस्लामिक देशों में प्राचीन व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव किया जा चुका है।

Earlier judgement

- तीन तलाक को लेकर छिड़े विवाद के बीच यह ध्यान रखना होगा कि यदि 1985 में बहुचर्चित शाहबानो प्रकरण में शीर्ष अदालत के फैसले को तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम समाज के एक वर्ग के दबाव में बदलने का निर्णय नहीं किया होता और संसद ने एक नया कानून नहीं बनाया होता तो शायद आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। मुस्लिम महिलायें और उनके संगठन चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि देश की शीर्ष अदालत इस मामले में एक सुविचारित निर्णय देकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा करे।

वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में हिन्दू उत्तराधिकार कानून से संबंधित एक प्रकरण पर विचार के दौरान संज्ञान लिया था। इस प्रकरण पर विचार होने से पहले ही पति के आचरण से परेशान उत्तराखंड की सायरा बानू और हावड़ा निवासी इशरत जहां ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया। इन महिलाओं का तर्क है कि जब संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गरिमा और सम्मान के साथ जीवन गुजारने का अधिकार है तो फिर एक मुस्लिम महिला को तीन बार तलाक देकर उसके वैवाहिक घर में रहने के अधिकार से वंचित करके उसे घर से कैसे कैसे बेदखल किया जा सकता है? केन्द्र सरकार के इस रुख और मुस्लिम महिलाओं के मुखर होते स्वर को देखते हुए अब सबकी नजर उच्चतम न्यायालय की ओर टिकी हुई है। देखना है कि शीर्ष अदालत मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा के संदर्भ में क्या व्यवस्था देती है।

Indias maritime boundary and Navy



नौसेन्य क्षमता	26 छोटे युद्धपोत (कोरवेट्स)	135 नटरक्षण जहाज
295 कुल जमी जहाज	10 विस्फोट युद्धपोत (डिस्ट्रॉयर्स)	6 एटी माइन युद्धपोत
1 विमानवाहक युद्धपोत	14 पनडुब्बी	7 बड़े बंदरगाह और टर्मिनल
14 बड़े युद्धपोत (फ्रिगेट)	2 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी	340 मरैट मरीन जहाज

अभेद्य बनाती हैं समुद्री सीमाएं

भारतीय नौसेना विश्व की पांचवीं ताकतवर नौसेना है। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में चार दिसंबर यानी आज ही के दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर कराची बंदरगाह में तीन पाकिस्तानी युद्धपोतों को नेशनलॉट कर दिया था। इस मिशन में सफलता के बाद से हर साल चार दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हमारी नौसेना देश और हमारी रक्षा के लिए दिन-रात मुस्तैद रहती है। साथ ही चीन और पाकिस्तान को भी मुहताज जवाब देने के लिए नौसेना हमेशा तैयार रहती है।



सेन्यकर्मी

9,866 अफसर
57,999 नौसेन्य कर्मी
7,000 कयुमराखा के सैनिक
2,000 मरीन कर्मांडो
1,000 सामर प्रहरी
बल सैनिक

मरीन कर्मांडो फोर्स (मारकोस)

यह भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्स यूनिट है। यह 1987 में अस्तित्व में आई। त्वरित कर्रवाई, अंतःकषाद से निपटना, छद्म युद्ध, इत्यादि मुख्य उद्देश्य है। 26/11 के मुहई आतंकी हमले में ताज हॉटेल में बंधक बनाए गए लोगों की मदद के लिए भी इनका सहयोग लिया गया।

- 96 युद्धपोत उन निर्माण जारी
- 2027 तक 212 युद्धपोत और 458 विमान शामिल होने की संभावना।

परमाणु ऊर्जा चालित

- आइएनएस चक्र (एएच 71) परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी को रूस से 2012 में दस साल की लीज पर लिया गया।
- आइएनएस अरिहत (एएच 3) स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है। इसे इसी साल अगस्त में नौसेना में शामिल किया गया है।

विमानवाहक युद्धपोत

आइएनएस विक्रमादित्य को 14 जून, 2014 को पीप मोदी ने देश को सौंपा था। इसमें मिग 29के लड़ाकू विमान जैसे 36 विमान रखे जा सकते हैं।

प्रमुख अभियान

- 1961 : ऑपरेशन व्हाइट - पुर्तगालियों से गोवा मुक्ति अभियान में फ्लोी बार नौसेना का प्रयोग
- 1988 : ऑपरेशन कैप्टन - बायुसेना के साथ मिलकर मालदीव संकट का समाधान
- 1999 : ऑपरेशन तलवार - कररील युद्ध के दौरान सहयोग
- 2004 : सुनामी संकट में राहत एवं पुर्नवास कार्यक्रम में सहयोग
- 2006 : ऑपरेशन सुकून - लेबनान में फसे भारतीय, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को निरक्षरने में सहयोग
- 2011 : ऑपरेशन सेफ होमवर्किंग के तहत युद्धरस लीकिय से भारतीयों को बचाने में अहम भूमिका निभाई।
- 2015 : ऑपरेशन राहत - यमन में फसे 3,074 नागरिकों को बचाने में अहम भूमिका। इसमें 1,291 दिल्ली नागरिक थे।



आइएनएस अरिहत का डिजाइन।



आइएनएस विक्रमादित्य।

1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाक सेना को धूल चटा दी थी। नौसेना के बहादुर जवानों ने इस युद्ध में चार दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के कराची हार्बर बंदरगाह को मिसाइलों से हमलाकर तबाह कर दिया था। नौसेना की इसी बहादुरी को याद करते हुए चार दिसंबर को नवसेना दिवस मनाया जाता है।

1. 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए कम्पनीज मरीन का गठन किया जिसे बाद में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना गया। देश को आजादी मिलने के बाद इसी रॉयल इंडियन नेवी का 26 जनवरी 1950 पुनर्गठन किया गया जिसे भारतीय नौसेना के रूप में जाना गया। भारतीय नौसेना का पहला मिशन 1961 में पुर्तगाली नौसेना के खिलाफ था।

2- भारतीय नौसेना के पास मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज गति से वार करने वाली कूज मिसाइल है। यह 2.8 मैक से 3 मैक तक की स्पीड से दुष्मन को निशाना बना सकती है।

3- महाराजा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले को इंडियन नेवी का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि शिवाजी राजे ने गोवा से कोंकण के बीच व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत नेवी तैनात कर रखी थी।

4- आईएनएस विराट भारतीय नौसेना का पहला एअरक्राफ्ट कैरियर है जिसका दुनिया का सबसे पुराना कैरियर भी माना जाता है। वहीं आईएनएस विक्रान्त भारतीय नौसेना का भारत में ही निर्मित पहला विमान वाहक पोत है।

5- 26/11 हमले के बाद इंडियन नेवी ने 2009 में सागर प्रहरी बल का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी बंदरगाह इलाके में लगातार गस्त लगाना और निगरानी रखना है।

6- भारतीय नौसेना की स्पेशन ऑपरेशन को अंजाम देने वाली इकाई नाम है मगरमच्छ। इस टुकड़ी से आतंकी खौफ खाते हैं और इन्हें दाड़ी वाली फौज के नाम से बुलाते हैं। मगरमच्छ या मारकोज जवानों की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि 90 फीसदी जवान इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग को पास करने वाले जांबाज किसी भी मुश्किल हालात में हर काम को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं।

7- दुनिया की दो नौसेनाओं के पास ही अपनी हवाई सुरक्षा की टीम है जिनमें एक भारतीय नौसेना है जिसके पास अपनी एरोबेटिक टीम है। इस टीम का नाम है सागर पवन।

8- भारतीय नौसेना ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पहुंचने का अभियान पूरा कर चुकी है।

9- 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान, भारतीय नौसेना ने अनोखा प्रयोग करते हुए एंटीशिप कूज मिसाइल से पाकिस्तान के बंदरगाह में मौजूद तेल टैंकों और अड्डों को तबाह कर दिया था।

10- केरल स्थित इझीमाला एकेडमी एशिया की सबसे बड़ी नेवी एकेडमी है।

--

कोंकण 16 अभ्यास

- भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी (Britten) के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 2016 संस्करण कोंकण 16 को मुंबई और गोवा में 05 से 16 दिसम्बर, 2016 तक आयोजित किया जाएगा।
- कोंकण अभ्यास का नाम भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के नाम पर रखा गया है, जिसे 2004 में संस्थापित किया गया था, तब से दोनों नौसेनाओं द्वारा इसकी बारीबारी से मेज़बानी की जाती है और इसकी जटिलता, पैमाने और तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है
- कोंकण 16, कोंकण श्रृंखला के तत्वावधान में समुद्री बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा, क्योंकि इससे दोनों नौसेनाएं एक दूसरे की योजना प्रक्रियाओं से परिचित होंगी और इससे तालमेल और अंतर परिचालनता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, मार्कोस और रॉयल मरीन की भागीदारी से इस अभ्यास में एक और आयाम जुड़ेगा, जिससे दोनों नौसेनाओं को समुद्री सुरक्षा परिचालनों के क्षेत्र में बातचीत करने और सहयोग करने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होगा।
- वर्तमान संस्करण से भारत और ब्रिटेन के बीच मित्रता की मौजूदा स्थिति को और मजबूत बनाने और वैश्विक रूप से समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

--

'कावेरी' के साथ तेजस भरेगा उड़ान

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के ठंडे बस्ते में पड़ी स्वदेशी एयरो इंजन परियोजना 'कावेरी' फिर से शुरू की जाएगी।
- DRDO की अनुषंगी इकाई गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई) को इस परियोजना में अब फ्रांसीसी कंपनी स्नेक्मा का साथ मिलेगा।

- डीआरडीओ ने वर्ष 2018 तक स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर कावेरी इंजन को परखने का लक्ष्य रखा है। कावेरी इंजन परियोजना में फ्रांसीसी एयरो इंजन निर्माता कंपनी स्नेक्मा की मदद 36 राफाल युद्धक विमानों के सौदे से ऑफसेट नीति के तहत मिलेगी।

why this :

अरबों यूरो के राफाल लड़ाकू विमान सौदे में अतिरिक्त फायदे के तहत फ्रांस ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की नाकाम हो चुकी कावेरी इंजन परियोजना को फिर से पटरी पर लाने और अन्य उच्च स्तरीय सहयोग के लिए भारत को मदद की बात कही है। ऑफसेट नीति के तहत फ्रांस की तरफ से सैन्य अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए 30 प्रतिशत ऑफसेट प्रतिबद्धता और बाकी 20 प्रतिशत यहां राफाल के लिए कल पुर्जा बनाने की है।

--

भारतीय नौसेना : Challenges and reforms needed

Neglected Indian Navy:

- भारतीय नौसेना का आकार तीनों सेनाओं में सबसे छोटा है लेकिन यह नीति निर्माण में निपुण है। परंतु रक्षा आवंटन में इसकी हिस्सेदारी चार साल पहले के 18 फीसदी से घटाकर 14.5 फीसदी कर दी गई है।
- नौसेना के कई युद्धपोत और खरीद फंड की कमी से जूझ रहे हैं। परमाणु हथियार क्षमता संपन्न विमानवाहक पोत जैसी परियोजना लंबे समय से रुकी पड़ी है

Why to pay attention towards Navy:

- नीतिकारों को नौसेना की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। क्योंकि युद्धपोत तैयार करने और उनको नौसैनिक व्यवस्था का अंग बनाने में वर्षों लगते हैं। ऐसे में जुगाड़ के भरोसे नहीं रहा जा सकता है।
- चीन की हिन्द महासागर में बढ़ती उपस्थिति भारत की महासागरीय समाओ के लिए खतरा है जिसे neglect नहीं किया जा सकता।
- Rimland theory के अनुसार अगला युद्ध world islands के लिए लड़ा जाएगा और उसमें नौसेना की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा यह area जमीन से नहीं अपितु सागर से ही जुदा हुआ है
- इसके अलावा हिन्द महासागर OBOR के पूर्ण होने पर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बनके उभरेगा और इसके लिए अपने सामरिक और आर्थिक interest की सुरक्षा के लिए NAVY का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है
- चीन की string of pearls का सामना करने के लिए भी strong NAVY आवश्यक है
- नेवी को दो सागरों और एक महासागर की रक्षा करनी होती है, समुद्री डकैतों से निपटना होता है, मानवीय सहायता और आपदा राहत का काम करना पड़ता है।

किन बातों पर ध्यान देना होगा NAVY को equip करने के लिए :

- नौसेना को युद्धपोतों की जरूरत है ताकि वह क्षेत्रीय सुरक्षा की अपनी विविध जिम्मेदारी निभा सके। नौसेना के योजना संबंधी दस्तावेज बताते हैं कि सन 2027 तक 198 युद्धपोतों की जरूरत होगी। इनमें से 120 यानी 60 फीसदी बड़े, आक्रामक, विमानवाहक और विध्वंसक पोत होने चाहिए और पनडुब्बियां भी। शेष 40 प्रतिशत छोटे युद्धपोत हो सकते हैं मसलन मिसाइल बोट, तेज हमला करने में सक्षम पेट्रोल बोट, उभयचर बोट और लॉजिस्टिक्स में मददगार बोट। फिलहाल नौसेना के पास केवल 140 पोत हैं जिनमें से बमुश्किल आधे ही पहली श्रेणी के भारी भरकम पोत हैं।
- **Capacity building of existing ship building docks:** देश में मझगांव डाक और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ऐंड इंजीनियर्स (जीआरसीई) ही भारी भरकम पोत बनाती हैं। वे क्षमता से ऊपर काम कर रही हैं। एमडीएल में चार विध्वंसक और चार युद्धपोत बन रहे हैं जबकि जीआरसीई छोटे पोत, तीन युद्धपोत और दो लड़ाकू जलपोत बना रही है। देश सबसे बड़े शिपयार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और छोटे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कभी भारी पोत नहीं बने। INDIA को इस पर विचार करना चाहिए।
- सेवारत युद्धपोतों की पूर्ण क्षमता भी सुनिश्चित करनी होगी। तमाम वजहों से इनकी क्षमता प्रभावित है। टॉरपीडो की खरीद स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के लिए नहीं की गई है, कई भारी युद्धपोत शत्रुओं की पनडुब्बियों के जोखिम के साये में हैं क्योंकि उनमें आधुनिक सोनार नहीं हैं। भारत-इजरायल लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्षमता की कमी ने कई युद्धपोतों को पोतभेदी मिसाइलों के समक्ष अक्षम बना रखा है।
- नौसेना के लिए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की खरीद पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हें बड़े पोतों पर तैनात किया जा सकता है। इनकी मदद से पोत की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। वे शत्रुओं के जहाजों का पता लगा सकेंगे। दशकों से भारतीय युद्धपोतों पर वेस्टलैंड सी किंग- 42बी हेलीकॉप्टर तैनात रहे हैं लेकिन भारत के परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिकी मातृ कंपनी ने कलपुर्जा पर रोक लगाई तो ये बेकार हो गए।
- **बेड़ों की मदद करने वाले जहाज:** ये मुख्यभूमि से दूर तैनात युद्धपोतों के लिए जरूरी हैं। इनसे ईंधन पहुंचाने, विभिन्न चीजों का भंडारण और मरम्मत आदि करने काम लिया जाता है। फिलहाल ऐसे चार पोत हैं।
- दो 27,500 टन के टैंकर हैं दीपक और शक्ति। 35,900 टन का आईएनएस ज्योति और 24,600 टन का आईएनएस आदित्य। इस क्षमता में इजाफे के लिए एचएसएल को 40,000 टन क्षमता वाले ऐसे पोत बनाने हैं।
- इनके लिए तकनीक हस्तांतरण हुंडई हेवी इलेक्ट्रिकल्स कर रही है। इस सिलसिले में दक्षिण कोरिया सरकार के साथ बहुत धीमी गति से चर्चा चल रही है जिसे तेज करना आवश्यक है।
- इसी प्रकार चार बहु उद्देश्य पोतों के निर्माण को गति देनी होगी। इसके निजी और सरकारी पोत कारखानों से गत वर्ष बोली आमंत्रित की गई थी।
- 4000-5000 टन क्षमता वाले ये पोत हर हुनर में माहिर होंगे। इनको लॉजिस्टिक्स सहयोग, एचएडीआर मिशन आदि के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। आखिर में, हमें छह पनडुब्बियों के निर्माण की दिशा में तेजी से काम करना होगा। यह परियोजना पहले ही काफी पिछड़ चुकी है। ऐसा करने से पनडुब्बी प्रभाग मजबूत होगा।
- वर्ष 2013 में आईएनएस सिंधुरक्षक के डूबने के बाद यह 12 तक सिमट गया है। वर्ष 2021 तक छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के बेड़े में शामिल होने के बाद कुछ राहतमिलेगी। फिलहाल एमडीएल में

पनडुब्बी निर्माण की महंगी तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जबकि सरकार प्रोजेक्ट 75एल को मंजूरी देने में भी समय गंवा रही है।

अभ्यास- सूर्य किरण

- भारत-नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था जिसने दोनों देश की सेनाओं को आतंकी कार्रवाइयों का मुकाबला करने एवं आपदा प्रबंधन पर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक आदर्श मंच मुहैया कराया।

PRIZED CATCH

A joint team of sleuths has unearthed a large cache of Mandrax tablets in Udaipur

What is Mandrax?

- ➔ A banned psychotropic substance
- ➔ A depressant; overdose can lead to coma and death
- ➔ It is used as a recreational drug in Africa and Asia
- ➔ It is commonly known as M-pills, buttons or smarties
- ➔ The substance is smoked mixed with cannabis



HUGE HAUL: Chairman of Central Board of Excise and Customs (CBEC) Najib Shah (right), with Director-General of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) Jayant Misra, at a press conference in New Delhi on Monday. — PHOTO: V. SUDERSHAN

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा मैड्रैक्स गोलियां (मेथाक्वालोन) जब्त

- नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों की एक सबसे बड़ी जब्ती के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की शीर्ष तस्करी रोधी एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने लगभग 23.5 मीट्रिक टन मैड्रैक्स गोलियां (मेथाक्वालोन) जब्त की हैं, जो एनडीपीएस नियम, 1985 की अनुसूची-1 के तहत एक प्रतिबंधित मादक पदार्थ है।
- यह न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में

मेथाक्वालोन की अब तक की एक सबसे बड़ी जब्ती है।

- मैड्रैक्स का मुख्य कच्चा माल एसिटिक एनहाइड्राइड है
- मेथाक्वालोन एक अवसाद है, जिसकी ज्यादा खुराक लेने पर संबंधित व्यक्ति कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसे आम तौर पर मैड्रैक्स, एम-पिल्स, बटन, या स्मार्टीज के रूप में जाना जाता है।

भारत और चीन ने पहली बार लद्दाख क्षेत्र में किया संयुक्त सैन्य अभ्यास

*पहली बार भारत और चीन ने जम्मू कश्मीर के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया।

- दिन भर के अभ्यास के दौरान भारतीय सीमा पर एक गांव में काल्पनिक भूकंप की स्थिति में मानवीय सहायता और आपदा राहत पर जोर दिया गया। संयुक्त टीमों ने बचाव अभियान चलाया, लोगों को सुरक्षित निकाला गया और मेडिकल सहायता प्रदान की।

- इसके पहले 6 फरवरी को संयुक्त अभ्यास किया गया था और यह उसकी अगली कड़ी था। फरवरी में हुआ अभ्यास चीन के क्षेत्र में था जबकि इस बार भारतीय क्षेत्र में अभ्यास किया गया। भारतीय टीम का नेतृत्व ब्रिगेडियर आर एस रमन ने कहा कि वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व सीनियर कर्नल फान जून ने किया।

- सेना ने कहा कि अभ्यास काफी सफल रहा और इसमें न सिर्फ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सीमावर्ती आबादी को राहत मुहैया कराने पर जोर दिया गया बल्कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा की रक्षा करने वाले दोनों बलों के बीच परस्पर भरोसे और सहयोग में भी वृद्धि हुई।

Society

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बन गए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में यह महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए एक कारगर माध्यम है।

What is self help group (क्या है स्वयं सहायता समूह):

- स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह है जो:-
- नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं।
- व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं।
- सामूहिक निर्णय लेते हैं।
- सामूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं।
- समूह द्वारा तय किये गए नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं।

CASE STUDY:

- कई सहायता समूहों की महिलाओं ने बकरी पालन का व्यापार शुरू किया है। ये महिलाएं अपनी बकरियों को एटीएम कार्ड कहकर पुकारती हैं। स्वयं सहायता समूह के पास ऋण सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद इतनी क्षमता नहीं होती कि बड़े दुधारू जानवर जैसे गाय, भैंस आदि खरीद सकें। इस तरह समूह एक बकरी चार से पांच हजार रुपये में और बकरी का बच्चा हजार रुपये में खरीदते हैं।
- राजीव गांधी महिला विकास परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है और ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। जब बकरों की मांग बढ़ती है तो बड़े शहरों से व्यापारी आते हैं उनको बकरियों को अच्छी कीमत पर बेचा दिया जाता है।

- गांवों में बकरी चराने की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर परिवारों के पास अपनी कृषि भूमि होते हैं, वह अपनी बकरियों को गेहूं और अन्य फसलों के अपशिष्ट खिलाकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुरुष भी महिलाओं के साथ इस काम को बढ़ावा देकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि बकरियों के पालन पोषण और अगर वह बीमार हो जाएं तो डॉक्टरी इलाज की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है।
- इस लिए इन्हें सामान्य पशु उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है। बकरी पालन के इस व्यवसाय में ज्यादातर महिलाएं एक विशेष प्रकार की बकरी पालती हैं जिसे "बारबरा पीढ़ी" कहा जाता है, उसके कान छोटे और रंग चितकबरा होता है। इस पीढ़ी की बकरी साल में दो बच्चे और दूसरी पीढ़ी के झुंड से अधिक दूध देती हैं। उक्त गांव में भी बकरी का दुध 100 रुपये लीटर मिलता है जबकी बरसात के मौसम में जब डेंगू बुखार का प्रकोप बढ़ जाता है तो दूध की कीमत 600 लीटर तक पहुंच जाती है। क्योंकि बकरी का दूध डेंगू बुखार में रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह से महिलाओं में आर्थिक निर्भरता बढ़ रही है।

--

महिला सुरक्षा : डार्क स्पॉट्स खत्म करना सराहनीय कदम परन्तु और भी बहुत कुछ की जरूरत

why in news

12500 डार्क स्पॉट्स रोशन करने का दक्षिणी नगर निगम का फैसला सराहनीय है। इसके बीच सवाल यह उठता है की हर एजेंसी अपना अलग अलग अभियान क्यों चला रही है एक समायोजित योजना क्यों नहीं बनाती। इसके लिए दिल्ली सरकार की भी अलग से योजना है।

Why lightning of these spots:

ये वो इलाके है जो सुरज ढलते ही अंधेरे में डूब जाते हैं और कोई भी रौशनी का प्रबंध नहीं है। ऐसे में महिलाओं का इन रास्तों से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए ऐसा करना बेहद जरूरी है। जिगिषा घोष हत्याकांड को सात साल बीत गए और उसके बाद वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड यह दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और नगर निगमों की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को इनसे निजात दिलाए।

GENERAL STUDIES HINDI

One question which should be asked mere identification and lightning of these dark spots will solve the problem of crime against women in urban area

जब कभी कोई वारदात होती है तो सरकार के सभी विभाग इन डार्क स्पॉट्स को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन एक बार स्थिति सामान्य होते ही उन्हें इसकी फिक्र नहीं रह जाती है। दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली नगर निगम, सभी बार-बार बातें करते रहते हैं, लेकिन योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने की जल्दबाजी नहीं दिखाते। इससे समय के साथ डार्क स्पॉट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सोचने वाली बात

यह है कि क्या सिर्फ डार्क स्पॉट्स को ही खत्म करने भर से ही दिल्ली में अपराध कम हो जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि :

- दिल्ली पुलिस रात के वक्त सभी सड़कों पर गश्त की उचित व्यवस्था करे।
- यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिसकर्मी हर सड़क पर मौजूद होंगे। इसके लिए जल्द से जल्द पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए।
- दिल्ली सभी प्रमुख सड़कों को सीसीटीवी कैमरे की जद में लाने की जरूरत है।
- यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन सीसीटीवी कैमरों की हर वक्त निगरानी हो।
- पुलिस कंट्रोल रूम को किसी भी तरह की गलत हरकत दिखे तो उसे तुरंत पीसीआर (पुलिस कंट्रोल रूम) वैन को सूचित करना होगा ताकि वक्त रहते अपराध को रोका जा सके।
- इसके अलावा पुलिसकर्मियों को भी अपने व्यवहार में बदलाव करना होगा।
- उन्हें लोगों से बातचीत में सौम्यता बरतनी होगी। दिल्लीवालों को भी हर तरह की सूचना पुलिसवालों को देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- उन्हें भी यह समझना होगा कि दिल्ली पुलिस उनकी मदद के लिए है। दोनों ओर से जब तक हाथ नहीं बढ़ेगा तब तक अपराध को कम कर पाना मुमकिन नहीं होगा।

यह बात दिल्ली पर ही लागू नहीं होती अपितु देश के तमाम शहर जो बढ़ती आबादी के साथ इस तरह के अपराधों का शिकार है

दिल्ली में पुलिस मित्र योजना

पुलिस मित्र योजना इस बात से प्रेरित है की पुलिस को आगे बढ़कर जनता से सहयोग लेने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह जनता और पुलिस के बीच परस्पर सहयोग सोच पर आधारित है

लाभदायक पहल :

- पुलिस मित्र योजना की शुरुआत सराहनीय पहल है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे पुलिस और जनता के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने व अपराध रोकने में मदद मिलेगी। समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है।
- इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसका लाभ यह होगा कि विभिन्न वर्गों की समस्याएं पुलिस अधिकारियों तक पहुंच सकेगी।
- इससे पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी क्योंकि कई लोग अपराध का शिकार होने के बावजूद पुलिस को शिकायत करने में हिचकते हैं। इस वजह से अपराधी बच निकलते हैं।
- इसी तरह से जागरूकता की कमी की वजह से लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की जानकारी पुलिस को नहीं देते हैं। लेकिन जब उनके बीच के लोग पुलिस मित्र बनेंगे तो आम लोग उनके माध्यम से पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने को प्रेरित होंगे।
- इस योजना में महिलाओं की भागीदारी होने से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने में भी मदद मिलेगी। योजना के शुरुआत में ही जिस तरह से महिलाओं ने उत्साह दिखाया है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

Analysis :

न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना के साथ जोड़ने की जरूरत है बल्कि इसकी नियमित समीक्षा भी जरूरी है ताकि इसकी कमियों को दूर कर इसे प्रभावी बनाया जा सके। पुलिस मित्र योजना को सफल बनाने के लिए उच्च पुलिस अधिकारियों से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के साथ ही जनप्रतिनिधियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों और अन्य जिम्मेदार नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। योजना को आगे बढ़ाने में कहीं भी कोई कोताही दिखे या कोई इसका दुरुपयोग करता मिले तो तुरंत इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जानी चाहिए। ।

भ्रूण परीक्षण :search engines पर लगाम

खबरों में क्यों

भ्रूण परीक्षण पर कानूनन प्रतिबंध है, मगर अब भी बहुत सारे लोग वेबसाइटों के जरिए यह कारोबार चला रहे हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसे सर्च इंजनों से कहा है कि छत्तीस घंटे के भीतर वे भ्रूण परीक्षण संबंधी विज्ञापनों, सूचनाओं आदि को हटा दें।

क्या है आदेश

- अदालत ने इस पर नजर रखने के लिए एक नोडल एजेंसी गठित करने का भी आदेश दिया है।
- सर्च इंजन चलाने वाली कंपनियां ऐसे विज्ञापनों और सूचनाओं को हटाने के बाद नोडल एजेंसी को इत्तला करेंगी।

भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध क्यों

कुछ साल पहले तक प्रसव-पूर्व लिंग परीक्षण का धंधा आम था। जगह-जगह परीक्षण केंद्र बड़ी-बड़ी तख्तियां लगा कर भ्रूण परीक्षण किया करते थे। इसी तरह बहुत सारे अस्पतालों में अनचाहे गर्भ से मुक्ति की तख्तियां लटकी रहती थीं। दरअसल, समाज में लड़का और लड़की के बीच भेदभावपूर्ण मानसिकता के चलते इस कारोबार को बढ़ावा मिल रहा था। प्रसव-पूर्व परीक्षण से पता चलता था कि शिशु कन्या है तो लोग गर्भपात करा लिया करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे राज्यों में लड़के और लड़कियों का अनुपात लगातार बिगड़ता गया। हरियाणा की स्थिति इस मामले में सबसे ज्यादा चिंताजनक है।

- तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद चोरी-छिपे प्रसव-पूर्व लिंग परीक्षण पर अंकुश लगाना मुश्किल बना हुआ है। जो
- परीक्षण केंद्र खुलेआम ऐसा करते थे, वे अब गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच के बहाने करने लगे हैं।
- कई परीक्षण केंद्र और चिकित्सक इंटरनेट पर सूचनाएं जारी कर भ्रूण परीक्षण के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं

Argument of search engines:

- सर्च इंजन चलाने वाली कंपनियों का कहना है कि वे कानून को ध्यान में रखते हुए ही भ्रूण परीक्षण संबंधी जानकारीयां उपलब्ध कराती हैं।

- इसके साथ ही उनका तर्क है कि वेबसाइटों से भ्रूण परीक्षण संबंधी सभी तरह की जानकारियां हटा देने से सूचनाधिकार कानून का उल्लंघन भी हो सकता है।
- दरअसल, सर्च इंजनों, यानी जिनके जरिए पता किया जाता है कि किस विषय की जानकारी किस वेबसाइट पर मिलेगी, से भ्रूण परीक्षण संबंधी सूचनाओं और विज्ञापनों को हटाने का प्रयास किया जाएगा तो उससे चिकित्सीय महत्त्व की सूचनाओं को तलाशने में भी कठिनाई आ सकती है।

भ्रूण परीक्षण करने वाले केंद्र लोगों में लड़के और लड़की के बीच भेदभाव की मानसिकता को भुनाने से बाज नहीं आ रहे। इसलिए किसी तरह का बहाना तलाशने के बजाय सर्च इंजनों को इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। जिस देश में लड़के और लड़कियों का अनुपात काफी चिंताजनक रूप से बिगड़ पहुंच चुका हो, गर्भपात के चलते महिलाओं की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, यहां तक कि गर्भपात के दौरान बहुत सारी महिलाओं की अकाल मृत्यु हो जाती हो, वहां ऐसे कारोबार को किसी भी रूप में नहीं चलने देना चाहिए।

भारत की राष्ट्रीय आय में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी यदि महिला कार्यबल पुरुषों के स्तर का हो जाये

- भारत की राष्ट्रीय आय में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है यदि यहां के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के स्तर के बराबर हो जाए। यह बात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कही है। IMF ने कहा कि उदाहरण के तौर पर यदि महिलाएं भी पुरुष के बराबर कार्यबल में हिस्सेदारी करेंगी तो अमेरिका की राष्ट्रीय आय में पांच प्रतिशत, जापान में नौ प्रतिशत और भारत में 27 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी।
- वीमेंस एंपावरमेंट: एन इकोनॉमिक गेम चेंजर में IMF ने कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर और समान मेहनताने से बेहतर आर्थिक वृद्धि होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी देश के लिए आर्थिक तौर पर स्थितियां बदलने वाला हो सकता है। महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों से विविधता को बढ़ावा मिलेगा और विश्वभर में आर्थिक असमानता में भी कमी आएगी।
- ग्लोबल मैकेजी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार कामकाजी क्षेत्र में लैंगिक समानता के मामले में भारत अपने कई पड़ोसी देशों से भी पीछे है।
- रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं की आबादी 60 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन देश के श्रम शक्ति में उनकी हिस्सेदारी केवल 27 फीसदी है जबकि वैश्विक स्तर पर ये औसत 40 फीसदी से ज्यादा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर पुरुष भी घर में महिलाओं के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दें तो महिलाओं के पास काम करने के लिए ज्यादा मौके होंगे। इसका असर जीडीपी पर भी पड़ेगा।

पिछले दशक में घटा कामकाजी महिलाओं का अनुपात

भारत में शहरी क्षेत्रों की तुलना में कामकाजी महिलाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। पिछले साल आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सालों में भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या घटी है। एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार ने 2005 से 2014 के बीच महिलाओं के अनुपात में दस फीसदी की गिरावट आई है। इस दौरान महिलाओं का अनुपात 37 से घटकर 27 फीसदी पर आ गया।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता उनका आर्थिक सशक्तिकरण

महिलाएं देश की आधी आबादी मानी जाती हैं, ऐसे में उनके समुचित विकास के बिना हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। महिलाओं का समुचित विकास बिना उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किए नहीं हो

सकता है। महिला सशक्तीकरण की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ उनकी सुरक्षा, सामाजिक अधिकार जैसे मुद्दों तक बात सीमित रह जाती है, लेकिन महिला सशक्तीकरण के लिए जरूरी है उनका आर्थिक सशक्तीकरण। इसके पीछे कई कारण हैं मसलन

1. सदियों से महिलाओं की आवाज़ दबी हुई है। अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो समाज में भी उनकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि समाज में आर्थिक रूप से सबल इंसान को ज्यादा महत्व दिया जाता है।

2. आर्थिक रूप से सशक्त होने पर महिलाओं की निर्भरता पुरुषों पर से खत्म हो जाएगी, ऐसे में उन्हें अपने अधिकारों के लिए पुरुषों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा।

3. महिलाएं कमाएं हुए पैसे या परिवार के किसी अन्य स्रोत से मिले पैसे को बच्चों के भरण पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण केरल है। ऐसे में अगर महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने पर बच्चों के भी विकास में मदद मिलेगी।

4. आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं आत्मविश्वास से लबरेज होती हैं, ऐसे में उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके अधिकारों की लड़ाई वो खुद लड़ सकती है, जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में कारगर साबित हो सकता है।

5. हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में लैंगिंग समानता के मामले में भारत को 87 वां स्थान मिला है, जिसमें आर्थिक तौर पर असमानता को सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। यानी बिना आर्थिक खाई को पाटकर हम लैंगिंग समानता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि ये काम बिना समाज और सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं मसलन

1. 2001 में सरकार ने महिला उत्थान नीति बनाई, जिसके तहत उनके आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर कई कदम उठाए गए।

2. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया जैसी कई योजनाएं चलाई गईं, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है।

3. प्रधानमंत्री जनधन योजना और महिला बैंक जैसे कदम उठाकर महिलाओं की पहुंच बैंक तक आसान की गई, ताकि वो अपनी कमाई को सुरक्षित रख सकें।

हालांकि अभी भी इस दिशा में कई कदम उठाए जाने बाकी हैं। सबसे जरूरी है महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर समाज के एक बड़े हिस्से की सोच बदले।


ग्लोबल जेंडर गैप के मामले में भारत 87 स्थान पर

At a glance

India **87** rank

out of 144 countries

Scores at a glance



Key indicators

GDP (\$ billions)	2,073.54
GDP per capita (constant '11 intl. \$, PPP)	5,730
Total populations (thousands)	1,311,050.53
Population growth rate (%)	1.15
Population sex ratio (female/male)	0.93
Human capital optimization (%)	57.73

	2016		2006	
	Rank	Score	Rank	Score
Global Gender Gap Index	87	0.683	98	0.601
Economic participation and opportunity	136	0.408	110	0.397
Educational attainment	113	0.950	102	0.819
Health and survival	142	0.942	103	0.962
Political empowerment	9	0.433	20	0.227
Rank out of	144		115	

- वैश्विक लैंगिक विषमता रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को महिलाओं और पुरुषों के बीच सबसे चुनौतीपूर्ण असमानता के रूप में सूचित किया गया है।
- इस रिपोर्ट में भारत लैंगिक समानता सूचकांक में 21 पायदान ऊपर उठा है। मगर भारत अभी भी 144 देशों में निराशाजनक 87वें स्थान पर है।
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत ने पूरी तरह से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दाखिले में लैंगिक अंतर को खत्म कर दिया है।
- रिपोर्ट में जारी रुझानों के हिसाब से अगले 170 सालों तक महिलाओं और पुरुषों के बीच में कमाई को लेकर बना ये वैश्विक अंतर खत्म भी नहीं हो सकता।
- दुनियाभर में महिला-पुरुषों के बीच वेतन और शिक्षा के क्षेत्र में समानता में गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट आर्थिक समानता में भी देखी गई है। इस नए परिवर्तन की वजह से दुनिया एक साल में 52 साल पिछड़ गई है।
- **कौन जारी करता है रिपोर्ट** : विश्व आर्थिक मंच (WEF)

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स' में शामिल 144 देशों में भारत 87वें स्थान पर

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में उसने पिछले साल के मुकाबले 21 पायदानों की छलांग लगाई है। हालांकि, इस मामले में भारत की स्थिति अब भी बांग्लादेश से खराब है।

★2015 की सूची में भारत जहां 108वें पायदान पर था वहीं, **2016 में प्रदर्शन में सुधार करते हुए वह 87वें स्थान पर पहुंच गया है।**

★दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो बांग्लादेश इस सूची में 72वें, श्रीलंका 100वें, नेपाल 110वें और भूटान 121वें स्थान पर है।

★भारत की रैंकिंग में सुधार पिछले एक साल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में विकास की वजह से हुआ है। रैंकिंग में सुधार के साथ ही महिला और पुरुष के बीच असमानता में दो फीसदी की कमी हुई है। हालांकि, यह अभी भी 68 फीसदी है।

★डब्ल्यूईएफ आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे चार मानकों के आधार पर यह सूचकांक जारी करता है।

★भारत के संदर्भ में संस्था का कहना है, 'भारत ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर शिक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर को पूरी तरह खत्म कर दिया है।' हालांकि संस्था के मुताबिक आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

★शिक्षा के क्षेत्र में भारत 144 देशों के बीच 113वें, स्वास्थ्य में 142वें और आर्थिक मामलों में 136वें पायदान पर है। सूची में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन राजनीतिक क्षेत्र में है जहां यह नौवें पायदान पर बना हुआ है।

★लैंगिक असमानता को दूर करने के लिहाज से आइसलैंड ने बाजी मारी है जो सूचकांक में पहले पायदान पर है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने अपना दबदबा कायम किया है।

★इस मामले में सबसे बदतर स्थिति यमन की है जो सूची में 144वें पायदान पर है।

ऑनलाइन अपराधों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं बच्चे : UNICEF

- युनिसेफ का मानना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी बच्चों के विकास के बहुत से अवसर प्रदान करती है लेकिन डिजिटल साक्षरता और आनलाइन सुरक्षा की कमी के कारण बच्चों के साथ आनलाइन अपराध, उत्पीड़न एवं शोषण की सम्भावना कई गुना अधिक होती है। बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो प्रकाश में आ पाते हैं।

- इन अपराधों से निपटने के लिए तमाम प्रतिभागियों जैसे कि सरकारी संस्थाओं, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मीडिया, समाजसेवी संस्थाओं, स्कूलों, अध्यापकों तथा माता-पिता को मिलकर काम करने की जरूरत है। सबसे अधिक जरूरत तो बच्चों को इन अपराधों के खिलाफ जागरूक करने की है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में अश्लील संदेश, अश्लील फोटो, पोर्न, साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग, बच्चों को डराना-धमकाना आदि शामिल हैं। बहुत बार तो बच्चों को डरा-धमकाकर उनसे बड़ी रकम भी ऐंठ ली जाती है। ऐसी बातें कई बार अखबारों और चैनल्स की खबर भी बनी हैं।

- आजकल दुनियाभर में बच्चों की आनलाइन सुरक्षा को काफी महत्व दिया जा रहा है लेकिन भारत अभी इस दिशा में काफी पीछे है। सच तो यह है कि कोई भी एक संस्था इस तरह के अपराधों से नहीं निपट सकती। इसके लिए सबको मिल-जुलकर काम करने की जरूरत है। बच्चों को जागरूक करने के लिए पुस्तकालयों की मदद ली जा सकती है। वहां ऐसे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं जहां बच्चों को बड़ी संख्या में आनलाइन अपराधों के प्रति सचेत किया जा सके।

- आमतौर पर देखा गया है कि माता-पिता समझते हैं कि बच्चा जो कुछ कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी अध्यापकों और स्कूल की है। और अध्यापकों को लगता है कि बच्चों की प्राथमिक जिम्मेदारी माता-पिता की ही है। कहा जाता है कि घर वालों को यह देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन आजकल के समय में जहां बड़े शहरों के माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं, वे पूरे समय इस बात की निगरानी कैसे कर सकते हैं

कि उनका बच्चा पूरे दिन कम्प्यूटर पर क्या कर रहा है। जबकि भारत में फेसबुक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाले बच्चे ही हैं।

- कई बार विरोधाभासी बातें भी सामने आती हैं। जैसे कि बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन कहते हैं कि बच्चों की जासूसी नहीं की जानी चाहिए। उन्हें आजादी देनी चाहिए। आनलाइन सुरक्षा की बात करने वाले कहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर अध्यापकों और परिवार वालों को नजर रखनी चाहिए। कई बार तो पुलिस भी स्वयं को इस तरह के अपराधों से निपटने में अक्षम पाती है क्योंकि इस तरह के अपराध उनके लिए भी नए हैं।

- बच्चों के खिलाफ होने वाले ये अपराध नेशनल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट्स में भी अलग से जगह नहीं पाते। जब तक साइबर अपराधियों को सजा नहीं मिलती तब तक उनके अपराधों में कमी आने की गुंजाइश कम दिखती है। इसीलिए इनसे निपटने के लिए अमेरिका के एक एनजीओ की मदद ली जा रही है। इस दिशा में झारखंड सरकार ने 2012 में ई-रक्षा नाम से एक अभियान शुरू किया था। यहां बच्चों को एक हैल्पलाइन नम्बर दिया गया। इस हैल्पलाइन पर सिर्फ झारखंड के बच्चों के ही नहीं, तमिलनाडु और दूरदराज के इलाकों के बच्चों के फोन आते हैं जो पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार करते हैं। कई बच्चे तो आत्महत्या करने की बातें करते हैं। उनकी लगातार काउंसलिंग की जाती है। बड़ी संख्या में लड़कियां भी फोन करती हैं।

सच बात यह भी है कि आनलाइन यौन अपराधों में लड़कियों और छोटे बच्चों को फंसाने के लिए अपराधी तैयार बैठे रहते हैं। तेलंगाना सरकार ने बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के अपराधों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने के अभियान की शुरुआत की है। सारी बातों पर नजर डालने पर एहसास होता है कि बच्चों की दिनचर्या के बारे में माता-पिता को ध्यान देना जरूरी है। आज एकल परिवारों में इस बात की जरूरत ज्यादा है।

- अगर किसी के बच्चे के साथ कोई साइबर अपराध हुआ है तो बच्चे को समझाया जाना चाहिए कि वह डरे नहीं। फिर इसकी सूचना जल्दी से जल्दी पुलिस को अवश्य देनी चाहिए क्योंकि अपराधियों से निपटने के लिए आज भी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने बल पर शायद ही कोई पूरी तरह से इन अपराधियों से निपट सकता है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2016 : भारत के तथाकथित विकास के चेहरे पर दाग

- इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2016 में शामिल 118 देशों में भारत का 97वें नंबर पर आना शर्मसार करने वाला है। यह आंकड़ा हमारे विकास के तमाम दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।

- जिस देश में 15 फीसदी लोग आधा पेट खाने से जीवनयापन करते हों, वह देश वैश्विक ताकत होने का दंभ कतई नहीं भर सकता। जिस देश में 39 फीसदी बच्चे अविकसित हों यानी कुपोषण के शिकार हों, उस देश के भविष्य की कल्पना करना कठिन नहीं है। इन हालात में हम पड़ोसी पाकिस्तान के समकक्ष हैं और अन्य पड़ोसी देशों म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका व बांग्लादेश से पीछे हों तो यह हमारी तमाम उपलब्धियों पर सवालिया निशान लगाने वाला है।
- सवाल खड़े किये जा सकते हैं कि सर्वे करने वाली संस्था ने किसमकसद और किनतौर-तरीकों से सर्वे किया। यह भी कि भारत विशाल आबादी के चलते विकास के आंकड़ों में पीछे नजर आता

है। मगर इसके बावजूद स्थिति चिंताजनक तो है ही। ऐसे में भूख के खिलाफ युद्धस्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है।

- दरअसल, वैश्वीकरण और उदार आर्थिक नीतियों ने देश में आर्थिक विषमता का दायरा बढ़ाया है। देश की बहुसंख्यक आबादी कृषि व कुटीर उद्योग-धंधों के जरिये जीविका का उपार्जन करती रही है।

बदलते वक्त के साथ खेती का रकबा कम हुआ, पीढ़ी-दर-पीढ़ी बंटवारे से खेत की जोत संकुचित हुई, चीन के सस्ते माल से गांव-देहात के कुटीर उद्योग-धंधों पर मार पड़ी।

- इन सभी कारणों से गरीबी का दायरा बढ़ा। इसके बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ललक लोगों को कम आय के बावजूद गांव-देहात से जोड़े रखती है। बेहतर रोजगार के लिये पलायन तभी होता है जब जीवन पर बन आती है।
- दूसरे, देश में गहराये भ्रष्टाचार ने सार्वजनिक अन्न वितरण प्रणाली को घुन की तरह खोखला कर दिया। जिस देश में दो करोड़ के लगभग फर्जी राशनकार्ड हों, वहां न्यायपूर्ण ढंग से अनाज का मिलना संभव नहीं है।
- दलालों, ठेकेदारों व भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से अनाज बाजार में बिक जाता है। कहीं न कहीं अशिक्षा व अज्ञानता भी कुपोषण की वाहक बनती है। मनरेगा जैसी रोजगारपरक विकास योजनाएं भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं हैं। बहरहाल, तमाम राजनीतिक प्रपंचों से मुक्त होकर भूख के खिलाफ युद्ध के ऐलान करने का वक्त आ गया है। यदि ऐसा हुआ तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी भूख की हक चुभती रहेगी।

Economics

विमुद्रीकरण : इसके प्रभाव

प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा कर काले धन के खिलाफ भारत में अब तक का सबसे कठोर फैसला लिया। बंद हुए नोटों का कुल मूल्य 14.2 लाख करोड़ रुपये है, जो कि 31 मार्च, 2016 के आंकड़ों के अनुसार चलन में मौजूद कुल नोटों का 86.4 प्रतिशत है। इस कदम का उद्देश्य :

- काला धन रखने वालों को सबक सिखाना है
- भ्रष्टाचार पर चोट करने के इरादे से
- नशे के कारोबार तथा तस्करी अवैध लेन-देन को ध्वस्त करना
- आतंकवाद और उग्रवाद की गतिविधियों के लिए अवैध लेन-देन को ध्वस्त करना

Positives:

- बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के विस्तार को गति मिल सकती है

- संपत्ति और सर्राफा बाजारों की सफाई के साथ ही अनाप-शनाप खर्चों पर अंकुश लगेगा और आतंकवाद, उग्रवाद पर प्रहार से देश को दीर्घकाल में लाभ मिलेगा
- इस फैसले की वजह से बैंकों का कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा जिससे वो लोन पर ब्याज दर कम कर सकते हैं, और अगर बैंक लोन पर ब्याज की दर कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश होगा।
- रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा कालाधन लगा हुआ है। नोटबंदी से इस सेक्टर पर काफी असर पड़ सकता है।
- नोटबंदी के बाद अघोषित आय पर लगाए गए टैक्स और जुर्माने से सरकारी खजाने में बड़ी राशि आ सकती है।
- नोटबंदी से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 प्रतिशत (65 हजार करोड़ रुपये) टैक्स के रूप में पा सकती है। इससे वित्तीय कनसॉलिडेशन बढ़ेगा और सरकार इस पैसे का उपयोग आधारभूत ढांचे को विकसित करने में कर सकती है।
- नोटबंदी से अर्थव्यवस्था की एक तरह से सफाई भी होगी जिससे बचत और निवेश पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आने से कारोबारी सहूलियत बढ़ेगी। निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा।
- चुनावों में धन का प्रभाव कम होगा
- cashless हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा

Negatives

- विश्व बैंक के पूर्व चीफ़ इकनॉमिस्ट कौशिक बासु का कहना है, भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अर्थव्यवस्था के लिए ठीक था लेकिन विमुद्रीकरण (नोटों का रद्द किया जाना) ठीक नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी जटिल है और इससे फायदे के मुक़ाबले व्यापक नुक़सान उठाना पड़ेगा
- यदि अप्रत्यक्ष सेक्टर और कीमतों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह कदम अल्पकालिक आर्थिक मंदी का कारण भी बन सकता है या यदि नकदी का अभाव कुछ हफ़्ते तक बना रहता है तो यह दौर लंबा भी खिंच सकता है।

रेपो दर में बदलाव नहीं

रिजर्व बैंक ने उम्मीदों से उलट मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। माना जा रहा था कि इस बार रेपो दर में कुछ कटौती की जाएगी। ब्याज दरें कम करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। मगर रिजर्व बैंक ने इसमें कोई बदलाव करने का जोखिम उठाने से परहेज किया

क्या होता अगर रेपो रेट में कटौती की जाती तो

- रेपो दर में कटौती की जाती तो लोगों को कर्ज पर मासिक किश्तों का बोझ कुछ कम पड़ता।
- उद्योगजगत को अपने विस्तार में मदद मिलती।

- रेपो दरों में कटौती का लाभ सबसे अधिक कर्ज पर नए मकान, वाहन, घरेलू उपकरण खरीदने वाले लोगों को होता है। मगर इसके उलट उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, जो बैंकों में अपना पैसा इसलिए जमा कराते हैं कि उसके बदले उन्हें ब्याज मिल सकेगा।

क्या कारण था अक्टूबर में रेपो दर में कटौती करने का

रिजर्व बैंक अक्टूबर में रेपो दर में पच्चीस आधार अंक की कटौती करने का साहस इसलिए कर सका कि महंगाई काबू में आती दिख रही थी। राजकोषीय घाटा नियंत्रण में आ रहा था। मानसून अच्छा रहने से जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान बेहतर होने का आकलन था

=>> क्या होती है रेपो रेट (Repo RATE):

★ रेपो रेट वह दर होती है जिसपर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन मुहैया कराते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले तमाम तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। मसलन, गृह ऋण, वाहन ऋण आदि।

=>> रिवर्स रेपो रेट:

★ यह वह दर होती है जिसपर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है।

--

कैशलेस की दिशा में बड़ा कदम

सरकार ने नोटबंदी का एक महीना पूरा होने के बाद कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सारी सुविधाओं का एलान कर दिया। सरकार ने इस दिशा में 11 बड़े ऐलान किए। यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव लागू करने की तैयारी है।

1. डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल-डीजल पर 0.75% डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे पेट्रोल-डीजल के 4.5 करोड़ कंज्यूमर्स को फायदा होगा।
2. देश में 10 हजार तक आबादी वाले एक लाख गांव हैं। ऐसे हर गांव में सरकार के फाइनैशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें फ्री दी जाएंगी। बता दें कि प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS मशीनें डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए होती हैं। सरकार चाहती है कि PoS मशीनों के जरिए 75 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा जाए।
3. किसानों को रुपये कार्ड दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए रूरल, रीजनल और को-आपरेटिव बैंक के 4.32 लाख किसान कस्टमर्स हैं। उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। सरकार उन्हें रुपये कार्ड भी देगी। इन्हें वे POS, एटीएम और माइक्रो एटीएम के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे।
4. सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट डिजिटल मोड से लेने वालों को 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा। यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगा। मुंबई सब अर्बन रेलवे के साथ इसकी शुरुआत होगी।
5. सरकार ने कहा है कि जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, उनमें से 58% ऑनलाइन रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ 10 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलेगा।

6. रेलवे कैटरिंग, एकोमडेशन और रिटायरिंग रूम जैसी फैसिलिटीज के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को 5% का डिस्काउंट मिलेगा।

7. सरकारी बीमा कंपनियों के कस्टमर्स को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और उसका ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। यह जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए है। इसी तरह 8 फीसदी का डिस्काउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और उसकी प्रीमियम के ऑनलाइन पेमेंट पर मिलेगा।

8. PSUs के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर लगने वाली फीस का भार पब्लिक सेक्टर यूनिट ही उठाएगी। इसका भार ऑनलाइन पेमेंट करने वाले कस्टमर्स पर नहीं आएगा।

9. PoS मशीनों का किराया 100 रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होगा। यानी ये मशीनें सस्ती होंगी।

10. 2000 रुपए तक के डेबिट-क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स से मिलेगी छूट। इसके लिए सरकार जून 2012 के सर्विस टैक्स नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए संसद में एक अमेंडेड नोटिफिकेशन पेश करेगी।

11. नेशनल हाईवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, उन पर टोल के लिए RFID या फास्टैग कार्ड के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा।

दरअसल सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करंसी मैथेड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है। और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यकीनन इससे आने वाले दिनों में कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जरूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को सुगम बनाने की।

—

कैशलेस की अड़चनें

नोटबंदी के समय नकली नोटों से छुटकारा मिलने, आतंकवादियों की फंडिंग रुकने और काले धन पर करारी चोट पहुंचने का दावा किया गया था लेकिन अब इस अभियान का केंद्र भारत को नकदी-रहित अर्थव्यवस्था बनाना हो गया है।

क्या है दिक्कत :

- **Infrastructure** : देश में नकदी-रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाला भौतिक ढांचा या कानूनी ढांचा नहीं होने जैसी अनेक खामियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों की केवल 38 फीसदी शाखाएं ही ग्रामीण इलाकों में हैं। पिछली जुलाई तक हर पांच में से चार गांवों और हर तीन में से एक कस्बे में कोई बैंक नहीं है। पूरे देश के 593,000 गांवों के लिए केवल 120,000 बैंकिंग प्रतिनिधि हैं। यानी ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाली 60 करोड़ से भी अधिक आबादी की बैंकों तक पहुंच नहीं है।
- **Banking Account**: इसी तरह 30 करोड़ से भी अधिक वयस्क आबादी के पास कोई बैंक खाता नहीं है। देश की करीब 94 फीसदी वयस्क आबादी के पास आधार कार्ड होने का अनुमान है। लेकिन 6 करोड़ वयस्क लोग अब भी ऐसे हैं जिनके पास बैंक खाते खुलवाने लायक कोई दस्तावेज नहीं है।
- **Electricity**: हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में सक्रिय बैंकों के लिए कोर बैंकिंग जैसा काम भी कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बिजली आपूर्ति काफी अनियमित है। एटीएम के संचालन में भी इसी तरह की व्यावहारिक परेशानियां आती हैं।

- **Internet:** इंटरनेट कनेक्शन की हालत खराब होने से वहां ऑनलाइन लेनदेन काफी मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद से ही लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे बैंकिंग सेवाओं के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में संचार घनत्व केवल 51 फीसदी होना यह संकेत दे देता है कि ग्रामीणों की एक बड़ी संख्या अब भी फोन से वंचित है। भारत में इस समय जो 90 करोड़ मोबाइल फोन हैं उनमें से 65 करोड़ तो फीचर फोन हैं और मोबाइल लेनदेन के लिए जरूरी स्मार्टफोन की श्रेणी में केवल 25 करोड़ फोन ही आते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन की पहुंच काफी कम होने से यूपीआई या मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल की संभावना ही खत्म हो जाती है। देश भर में करीब 35 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं लेकिन उनमें भी शहरी क्षेत्र हावी हैं।
- **Lack of PoS:** व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्ड स्वाइप करने वाली पीओएस मशीनों की संख्या पूरे देश में केवल 14 लाख है और अधिकांशतः शहरी इलाकों में ही उनका संकेंद्रण है। प्रति 10 लाख आबादी पर पीओएस मशीनों की संख्या केवल 693 है जो दुनिया में न्यूनतम पीओएस अनुपात में से एक है। चीन में यह अनुपात 4,000 और ब्राजील में 33,000 पीओएस प्रति 10 लाख है।
- **PoS and high cost:** जहां तक पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट का सवाल है तो वे प्रत्येक लेनदेन पर 2 फीसदी का कमीशन वसूलते हैं। खास तौर पर छोटे कारोबारियों के लिए तो यह काफी महंगा सौदा होगा। भौतिक ढांचे में इन कमियों के साथ ही भारत के पास मजबूत डेटा सुरक्षा कानून भी नहीं है।
- **Cyber Security:** पिछले कुछ महीनों में ही ऑनलाइन डेटा चोरी करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। डेटा प्राइवैसी कानून भी नहीं होने से यह खतरा बना हुआ है कि मोबाइल लेनदेन से हासिल डेटा को कंपनियां बाद में दूसरों को भी बेच सकती हैं।

Government measures:

सरकार इनमें से कुछ खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। फीचर फोन पर भी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की सुविधा देने वाली यूएसएसडी तकनीक अपनाने के लिए सरकार मोबाइल कंपनियों पर काफी जोर डाल रही है। सरकार ने पीओएस मशीनों पर लगाने वाले उत्पाद शुल्क को भी कम कर दिया है। नकदी-रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के तरीके सुझाने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई है। इन उपायों से वह सवाल एक बार फिर उठ खड़ा होता है कि क्या सरकार नोटबंदी के पहले ऐसा नहीं कर सकती थी? सच तो यह है कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में नकदी-रहित लेनदेन अपनाने में खासा समय और भारी निवेश लगेगा।

--

क्या surge pricing पर लगाम लगाने की जरूरत **TUDIES HINDI**

What is surge pricing:

ज्यादा मांग वाले समय में अपनी सेवाओं का किराया बढ़ाना जिसे बाजार की भाषा में 'सर्ज प्राइसिंग' कहा जाता है। बढ़े हुए किराये की सर्ज प्राइसिंग व्यवस्था का इस्तेमाल विमानन और होटल क्षेत्र के अलावा रेलवे में भी पहले से होता रहा है।

क्यों इसका विरोध

सर्ज प्राइसिंग की धारणा को बुनियादी तौर पर शोषक और ग्राहकों के हितों के खिलाफ माना जाता है। जब उपभोगताओं को ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है।

Process of surge pricing:

- सर्ज प्राइसिंग एक संकेतक प्रणाली है जो मांग एवं आपूर्ति में अंतर की पहचान पर आधारित है।
- यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर चलती है कि मांग को कम करने या आपूर्ति को बढ़ाने से ही हालात सुधर सकते हैं।
- किसी एक कैब के लिए अगर कई दावेदार हों तो किराया बढ़ाकर वहां मांग को कम किया जा सकता है। संभावित ग्राहकों को कैब बुकिंग के समय ही सर्ज प्राइसिंग के बारे में बता दिया जाता है। दरअसल मांग और आपूर्ति के बीच अंतर जितना अधिक होगा, सर्ज प्राइसिंग उतनी ही अधिक होगी। किराया बढ़ने से उस कैब के लिए मांग कम हो जाती है और स्थिति साम्यावस्था में आ जाती है।

Balancing demand and supply

- किसी इलाके में आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? जिस तरह संभावित ग्राहकों को मौजूदा कीमतों के बारे में बताया जाता है, उसी तरह कैब प्रदाताओं के पास भी किराये का क्षेत्रवार विवरण पहुंचता रहता है।
- ऐसे में अधिक मांग वाले इलाकों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए कैब प्रदाता अपने ड्राइवर्स को जाने का निर्देश देते हैं ताकि बढ़े हुए किराये का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इस तरह मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन साधने में सर्ज प्राइसिंग की भूमिका अहम हो जाती है।

Is there chance of cheating by companies:?

संभावित ग्राहकों को किसी खास कंपनी की सेवा लेने के लिए ही बाध्य नहीं किया जाता है। लोगों के आने-जाने की सुविधाओं के लिए कैब सेवा प्रदाताओं के अलावा निजी टैक्सी ऑपरेटर, ऑटो, बस और अन्य परिवहन साधन भी मौजूद हैं। अगर कैब सेवा कंपनी सही किराया नीति नहीं रखती है तो उसे अपने ग्राहक अन्य साधनों के हाथों गंवाने पड़ सकते हैं।

कंपनियों को भी पता होता है कि किसी खास समय में एक जगह पर उसके ऐप का इस्तेमाल कर रहे सभी लोग उसके ग्राहक ही नहीं होंगे। अगर किराया ग्राहक की उम्मीद से बहुत अधिक हुआ तो वह कैब के बजाय अन्य साधनों का इस्तेमाल कर सकता है या फिर कुछ समय तक इंतजार कर सकता है। लेकिन अगर एक साथ कई ग्राहक इंतजार करने लगते हैं तो मांग में कमी आ जाती है और सर्ज प्राइसिंग भी काफी नीचे आ जाती है। सर्ज प्राइसिंग की अवधारणा का एक मकसद यह भी है।

GENERAL STUDIES HINDI

किराये की सर्ज प्राइसिंग न होने पर क्या होगा?

- उस स्थिति में कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मांग और आपूर्ति में अंतर है।
- इसके अभाव में किसी खास जगह पर कैब का इंतजार कर रहे कुछ लोगों को ही गाड़ी मिल जाएगी जबकि अन्य लोग इंतजार ही करते रह जाएंगे।
- दरअसल सर्ज प्राइसिंग से यह पता चलता है कि कैब की आपूर्ति की तुलना में मांग कहीं अधिक है।
ॐ

- चा किराया होने से संभावित ग्राहक कुछ समय तक इंतजार करने और कैब ड्राइवर उस इलाके का रुख करने के लिए सोचने लगते हैं। इससे मांग को नीचे लाने में मदद मिलती है। इससे कैब किराये में भी काफी कमी आती है।

अगर इस सर्ज प्राइसिंग नीति पर ही रोक लगा दिया जाए तो मांग-आपूर्ति अंतराल की वास्तविक तस्वीर का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर किराया सामान्य से पांच गुना है तो उससे पता चलता है कि उस जगह पर मांग आपूर्ति की तुलना में काफी अधिक है। दोगुने किराये वाली स्थिति से कहीं अधिक बेहतर तरीके से पता चल सकता है कि कैब की भारी कमी है। अगर सर्ज प्राइसिंग पर रोक लगा दी जाए तो बाजार काफी धीमी गति से हालात पर प्रतिक्रिया देगा और स्थिति सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा।

Use of surge pricing other than auto and cab industry:

- सर्ज प्राइसिंग का मॉडल आपूर्ति की कमी से जूझ रहे विमानन और होटल जैसे क्षेत्रों में भी अपनाया जाता रहा है। लेकिन कैब कंपनियों की सर्ज प्राइसिंग ऐसी इकलौती ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिये मांग के अनुपात में आपूर्ति सुधारने पर ध्यान दिया जाता है।
- रेलवे भी गतिशील किराया प्रणाली को अपनाने लगा है जिसमें मांग के आधार पर किराया तय किया जाता है। वैसे इन क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती है, केवल आपूर्ति को कीमतों के जरिये नियमित किया जाता है। इस तरह किरायों में बढ़ोतरी केवल प्रतिस्पर्धा के जरिये ही सीमित की जा सकती है लेकिन विमानन और रेलवे में इसकी काफी कमी है।

What benefit have been accrued from cab companies like Ola/ UBER

- कैब कंपनियों के आने का सबसे बड़ा फायदा किराया निर्धारण में हुआ है।
- कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही कंपनियों को नई तकनीक के साथ भी तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। इससे वे ग्राहकों को उनकी पसंद के मुताबिक सुविधाएं मुहैया करा पाने में सफल रहे हैं।
- सरकार भी कैब कंपनियों की आपूर्ति व्यवस्था में आने वाली अड़चनों को दूर करने में मददगार बन सकती है। अभी तक कैब वाहनों को परमिट देने पर कई तरह की रोक लगी हुई है। जहां तक किसी इलाके में कैब कंपनियों की संख्या सीमित करने के सुझाव की बात है तो उसमें खास दम नहीं दिखता है।
- इस तरह के व्यवधानों से सड़कों पर निजी गाड़ियों की ही संख्या बढ़ी है जिसने भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ाने का ही काम किया है।

गतिशील किराया निर्धारण व्यवस्था पर लगाम लगाना अपने आप में प्रतिगामी कदम होगा और इससे सार्वजनिक परिवहन पर विपरीत असर पड़ेगा। इकलौती शर्त बस यह होनी चाहिए कि कैब कंपनियां अपने संभावित ग्राहकों को सर्ज प्राइसिंग के बारे में पूरी जानकारी दें।

--

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुगमता में भारत 102 वें स्थान पर

- WEF और ग्लोबल एलायंस फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन की ग्लोबल इनेब्लिंग ट्रेड रिपोर्ट 2016

में व्यापार में सुगमता पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की सूची में भारत ने चार पायदान के सुधार के साथ 102वां स्थान हासिल किया है।

- ब्रिक्स देशों में ब्राजील की रैंकिंग 97 से घटकर 110 पर रह गई जबकि रूस का स्थान 105 से घटकर 111 रह गया
- 136 देशों की इस सूची में सिंगापुर में शीर्ष पर है।

What was taken into consideration

- इस इंडैक्स में सीमा से बाहर वस्तुओं के मुक्त व्यापार और गंतव्य स्थान पर पहुंच के लिए विभिन्न देशों द्वारा किये गये उपायों पर गौर किया गया है।
- इसमें घरेलू और विदेशी बाजारों में पहुंच, सीमा प्रशासन, परिवहन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारी माहौल जैसे फैक्टरों पर ध्यान दिया गया है।

Remarks about India:

- भारत के बारे में कहा गया है कि घरेलू परिवहन, अपराध व चोरी, सीमा पर भ्रष्टाचार और आयात की पेचीदा प्रक्रिया के चलते आयात की लागत बढ़ने और देरी होने की समस्या सबसे प्रमुख है।
- लोकप्रिय धारणाओं के विपरीत भारत में बड़ी आबादी अंतरराष्ट्रीय व्यापार या ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बन पाई है।

What is WEF

- स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है।
- स्विट्स अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी-सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।
- यह संस्था प्रबुद्ध मंडल की भी भूमिका निभाता है और अपने द्वारा किए गए अनुसंधानों पर आधारित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है।
- यह सारी रिपोर्ट अधिकतर **प्रतिस्पर्धा**, वैश्विक जोखिम और परिदृश्य सोच से सम्बंधित होती हैं। प्रतिस्पर्धा टीम ने वैश्विक रिपोर्ट में विश्व भर में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में लिखा था और विश्व भर के सभी देशों में फैले पुरुष और नारी के बीच असमानता पर भी एक रिपोर्ट बनाई थी।

--

आर्थिक राष्ट्रवाद और global growth

रेटिंग एजेंसी FITCH की 'ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट के मुताबिक

- लगातार बढ़ रहा लोकप्रियतावाद और व्यवस्था विरोधी रुझान दुनिया को आर्थिक राष्ट्रवाद के युग में धकेल देगा।
- इसके चलते संरक्षणवाद जोर पकड़ेगा, जो लंबी अवधि में ग्लोबल ग्रोथ के लिए खतरा बन जाएगा।
- एजेंसी ने कहा है कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से निकलना (ब्रेक्जिट) और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुना जाना ऐसे ही प्रमुख उदाहरण हैं
- रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यापारिक संरक्षणवाद व पेशेवरों की आवाजाही रोकने से विकसित देशों की आर्थिक विकास दर लंबी अवधि में धीमी हो जाएगी। अल्पकाल में इनको थोड़ा फायदा दिख सकता है।
- विश्व की औसत विकास दर चालू साल के 2.5 फीसद की तुलना में 2017 के दौरान 2.9 फीसद रह सकती है।
- अमेरिका में निवेश बढ़ने और ब्राजील व रूस के मंदी से बाहर आने की वजह से यह सुधार छोटी अवधि के लिए होगा।

क्या है संरक्षणवाद

यह वह आर्थिक नीति है जिसका अर्थ है विभिन्न देशों के बीच व्यापार निरोधक लगाना। व्यापार निरोधक विभिन्न प्रकार से लगाये जा सकते हैं जैसे :-

- आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना,
- प्रतिबंधक आरक्षण और
- अन्य बहुत से सरकारी प्रतिबंधक नियम

इनका उद्देश्य आयात को हतोत्साहित करना और विदेशी समवायों (कंपनियों) द्वारा स्थानीय बाजारों और समवायों के अधिग्रहण को रोकना है

--

जानें क्या है डिजिटल पेमेंट

नोटबंदी के बाद सरकार का डिजिटल पेमेंट पर जोर है। यूपी के कुशीनगर में रैली में भी पीएम ने बाकायदा उदाहरण देकर समझाया कि कैसे आपका मोबाइल आपका बटुआ बन सकता है। सरकार का लक्ष्य है कैशलेस इंडिया बनाना।

GENERAL STUDIES HINDI

★क्या है डिजिटल पेमेंट ?

- मोदी जिस डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं वो क्या है, डिजिटल यानी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में ही बैंकिंग से लेकर भुगतान तक की सुविधा। यानी आप अपने मोबाइल के जरिए ही सब्जी, दूध से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत का सामान खरीद सकते हैं।

◆ अभी डिजिटल भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट के जरिए किया जाता है। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। पेटीएम से रोज 120 करोड़ रुपये का लेन-देन हो रहा है। पेटीएम यूजर्स की संख्या 15 करोड़ पहुंच चुकी है। चाय, गोलगप्पे जैसे 10 लाख छोटे-बड़े दुकानदार भी पेटीएम से खुशी-खुशी पेमेंट ले रहे हैं।

★ पे वर्ल्ड नाम की कंपनी 10 करोड़ यूजर्स हैं। एक लाख जगहों पर पे वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन होता है। 630 शहरों के साथ साथ 80 हजार गांवों में भी पे वर्ल्ड की पहुंच है। नोटबंदी के बाद कंपनी का बिजनेस 25 फीसदी बढ़ा है।

=>> कैसे सच होगा पीएम का डिजिटल इंडिया बनाने का सपना

◆ पीएम मोदी का सपना देश को डिजिटल इंडिया बनाने का है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। देश में 65 फीसदी मोबाइल यूजर्स के पास स्मार्ट फोन नहीं है। 93 फीसदी ग्रामीण भारत ने कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन किया नहीं है।

=> अभी मोबाइल वॉलेट ट्रांजेक्शन 20 हजार 600 करोड़ का

◆ लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म (बीसीजी) की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक गांवों में मोबाइल यूजर्स की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा होगी। इसीलिए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक यानी अगले चार सालों में मोबाइल वॉलेट से ट्रांजेक्शन 55 लाख करोड़ तक हो सकता है, जो अभी 20 हजार 600 करोड़ है। अनुमान भविष्य का सच लगता है क्योंकि 2014-15 में मोबाइल वॉलेट यूजर्स की जो संख्या 25 करोड़ थी वो अब 60 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है।

--

स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता

टाटा संस के अध्यक्ष पद से साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई के एक महीने बाद भी विवाद जारी है। दोनों पक्ष लंबे और एक अप्रिय मुकाबले को तैयार हैं, जिसमें शेयरधारक भी शामिल होंगे और शायद अदालतें भी। यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि टाटा संस ने मिस्त्री को क्यों हटाया? और न ही यह साफ है कि इस लड़ाई में मिस्त्री क्या पाने की उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि इस विवाद में टाटा के स्वतंत्र निदेशकों को भी घसीट लिया गया है। कुछ वाकई इस लड़ाई के पक्ष में हैं, जबकि कुछ नहीं।

मगर सवाल यह है कि स्वतंत्र निदेशक आखिर किस हद तक स्वतंत्र हैं?

- स्वतंत्र निदेशकों की परिभाषा कंपनी ऐक्ट 2013 में बखूबी परिभाषित की गई है। अगर कंपनियां इस कानून की धारा 149 (6) का अक्षरशः पालन करतीं, तो शायद उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता कि उनके बोर्ड में अधिकतर स्वतंत्र निदेशक वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे कि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन एनआर नारायणमूर्ति के रिश्तेदार डीएन प्रहलाद को कंपनी के बोर्ड में शामिल करने के बाद एक छद्म सलाहकार कंपनी ने कहा था कि डीएन प्रहलाद 'संस्थापकों के मनोनीत (निदेशक)' लगते हैं, कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं।
- कई भारतीय कंपनियों में वर्षों से जो हो रहा है, वह यही बताता है कि स्वतंत्र निदेशक हमेशा स्वतंत्र नहीं होते; भले ही वे तमाम मानकों पर खरे उतरें। कुछ मामलों में तो यह देखा गया है कि उद्योगपति या संरक्षक उन पूर्व नौकरशाहों को यह पद देते हैं, जिन्होंने पिछले दिनों उनके हक में कोई काम किया था।
- कुछ मामलों में तो उद्योगपति अपने दोस्तों या दोस्त के संबंधियों को स्वतंत्र निदेशक बनाते हैं, जो शायद ही उनके फैसले की मुखालफत करते हैं

- मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे स्वतंत्र निदेशक, जो ऊपर दी गई श्रेणियों में नहीं आते, वे भी बमुश्किल उन शेयरधारकों या संरक्षकों के खिलाफ जाते हैं, जिन्होंने उन्हें इस ओहदे पर बिठाया होता है। असलियत में कुछ तो इनके कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है और कंपनी के फायदे में उनकी हिस्सेदारी होती है।

इस सन्दर्भ में कानून

- स्वतंत्र निदेशकों को लेकर बना 2005 का कानून, उनके कार्यकाल से जुड़ा 2013 का कानून और महिला निदेशकों के संदर्भ में बना 2015 का कानून भारतीय कंपनियों के आंतरिक प्रशासन में सुधार करता और बोर्ड को बेहतर बनाता दिखता है।
- 2005 के कानून में जहां यह तय किया गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे, वहीं 2013 का कानून कहता है कि स्वतंत्र निदेशक अधिकतम दस वर्ष तक काम करेंगे यानी उन्हें लगातार दो कार्यकाल ही मिलेंगे।
- 2015 के कानून में महिला अधिकारों की बात कही गई है और बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक (वह स्वतंत्र हो या नहीं) रखने के निर्देश सूचीबद्ध कंपनियों को दिए गए हैं।

इन कानूनों का थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा है, मगर अंततः किसी बोर्ड की बेहतरी इसी पर निर्भर करेगी कि उसके स्वतंत्र निदेशक कितने कुशल हैं और उन्हें किस हद तक आजादी मिली हुई है। ऐसे में, मिस्त्री और टाटा का यह विवाद असल में, तमाम नियामकों, संरक्षकों, स्वतंत्र निदेशकों, शेयरहोल्डर एडवाइजरी फर्म व मीडिया को एक बार फिर इस व्यवस्था पर वही पुराने सवाल उठाने का मौका देता है।

--

नोटबंदी के फायदे और नुकसान : अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रिया

पूर्व वित्त सचिव सी एम वासुदेव की राय

1. कालाधन बाहर आएगा. नकली नोट में लगाम लगेगी.
2. टेररिस्ट, नक्सल, दहशतगर्द की फाइनेंसिंग पर भी अंकुश लगेगा.
3. हमेशा से कैश इकोनॉमी भारत में रही है, लेकिन अब लोगों को डिजिटल सिस्टम का पता चलेगा.
4. बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार होगा. बैंकों में ज्यादा खाते खुलेंगे.
5. सी एम वासुदेव भी मानते हैं कि इस कालाधन बाहर आएगा.

- नोट बंदी के नुकसान बताते हुए सी एम् वासुदेव का कहना है

1. आर्थिक व्यवस्था कुछ महीने के लिए ठप्प हो जायेगी.
2. हमारी व्यवस्था अभी कैश में चलती है. ऐसे में संशय लोगो के बीच बना रहता है. इकोनॉमिक सिस्टम को छेड़ना अपने पोलिटिकल गेन के लिए खतरनाक है. 3. नए नोट भी रिश्वत की मार्किट में आ गए हैं. गरीब को रोज के रोजगार में जीत है उसका हक मारा गया. क्योंकि उसका रोजगार खत्म हो गया है.

4. आने वाले दिनों में सब्जी के रेट आसमान छूने लगेंगे. जीडीपी पर भी असर पड़ेगा. ये डाउन जायेगी.
5. वित्तमंत्री को खुद एक दिन पहले नोटबंदी के बारे में पता चला है. तैयारी के बिना इस फैसले के साथ आई है पूरी तरह गलत है.

नोटबंदी के फायदों पर उद्योगपति सुनील अलग

1. आतंकवाद और जाली नोट पर लगाम लगेगी.
2. कैश की जगह बैंकिंग चैनल से लेन-देन बढ़ेगा.
3. सरकार के पास पैसे होंगे तो गरीबों के लिए अस्पताल खुलेंगे, सड़कें बनेंगी, घर सस्ते हो जाएंगे.
4. ब्याज दरें घटेंगी. उद्योग जगत की बरसों पुरानी मांग पूरी होगी.
5. निवेश बढ़ेगा, जिससे ज्यादा रोजगार पैदा होगा.

#मोहन गुरुस्वामी की राय

नोटबंदी के नुकसान

1. सरकार बिना तैयारी के इस नोटबंदी के मैदान में कूद पड़ी हैं और अब निकल नहीं पा रही है.
2. आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए अर्थव्यवस्था को ठप किया है और असली काले धन पर कुछ नहीं किया है. काला धन अब भी विदेश जा रहा है.
3. गरीब, मजदूर, किसान परेशान हैं. उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है. सब्जीवाले के पास, किसान के पास सब्जियां सड़ गई हैं. सरकार ने ऐसा क्यों किया इसका सही जवाब देना चाहिए.
4. 500 का हर नोट काला धन नहीं होता. ज्यादातर वो पैसा है, जिस पर टैक्स दिया जा चुका है.
5. इस फैसले का असर होगा कि अगले 2 तिमाही में विकास दर और गिरेगी. असली विकास दर 4 फीसदी के आसपास है जो इस फैसले से और कम हो जाएगी.

अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक ये हैं नोटबंदी के खराब असर

1. सरकार ने जाली करेंसी और काले धन को रोकने का लक्ष्य घोषित किया, लेकिन ये दोनों ही काम नहीं होंगे. काले धन का बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं लगा होता है, सर्कुलेशन में होता है. इसलिए नोटबंदी से काला धन खत्म नहीं होगा.
2. काली कमाई हर साल करीब 93 लाख करोड़ होगी. कुल काला धन इससे 4 गुना होगा. जबकि काली कमाई में कैश का हिस्सा सिर्फ 1 या 2 फीसदी ही होगा.

3. लोग तरह-तरह से काला धन सफेद करने में भी लगे हैं. कई तरीके निकाल लिये हैं, जिसके कारण जो 3 लाख करोड़ तक कैश होगा भी वो भी पूरा सरकार को नहीं मिल पाएगा. अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है.

4. देश में 94 फीसदी लोग गैर-संगठित क्षेत्र में हैं, जिन्हें काफी मुश्किल हो रही है. कागज और इंक की कमी के कारण रद्द हुए नोटों की भरपाई में रिजर्व बैंक को 8-10 महीने या साल भर भी लग सकते हैं.

5. काली कमाई वालों से ज्यादा आम जनता परेशान है क्योंकि काली कमाई वाले रास्ते निकाल लेते हैं.

जाली नोटों का छपना बंद करना होगा और सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा. आतंकवाद पर काबू पाने के लिए भी दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे, नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ेगा. सरकार के कदम से मंदी आने का खतरा है. रोज़गार, उत्पादन, खपत और निवेश सबमें कमी आएगी. गरीब आदमी की परेशानी और बढ़ेगी. पैसे की किल्लत पैदा होगी. लोग सोने की तरफ झूकेंगे, विदेशी मुद्रा ज्यादा रखेंगे जिसका असर ये होगा कि अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा.

--

भारतीय रुपए में आई गिरावट के पीछे कारण

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये ने डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो स्तर छुआ। रुपये का यह स्तर 28 अगस्त 2013 के बाद से अबतक का सबसे निचला स्तर है। भारतीय मुद्रा में आई इस गिरावट की मुख्य वजह तमाम मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स में आई तेजी मानी जा रही है।

भारतीय रुपए की गिरावट के पीछे पांच बड़े कारण:

1. यूएस बॉण्ड यील्ड में इजाफा:

एक नवंबर 2016 से अबतक भारत की 10 वर्षीय बॉण्ड यील्ड में 60 बेसिस प्वाइंट की गिरावट आ चुकी है। हालांकि यूएस की 10 वर्षीय बॉण्ड यील्ड बढ़कर 2.35 फीसदी हो गई है, जो कि 1 नवंबर से पहले 1.82 फीसदी थी। इस वजह से ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसों की तेज निकासी कर रहे हैं।

एक अक्टूबर से 23 नवंबर तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार से 16,936.20 करोड़ के शेयर्स ऑफलोड कर चुके हैं।

2. डॉलर की मजबूती:

डॉलर इंडेक्स ने 13 वर्ष का उच्चतम स्तर छुआ, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अच्छी हालत का संकेत दे रही है। डॉलर इंडेक्स में आई तेजी के कारण तमाम मुद्राएं कमजोर हो रही हैं जिनमें रुपया, इंडोनेशियन रुपिया आदि शामिल हैं।

3. एफसीएनआर रीडेम्प्शन:

वर्ष 2013 सितंबर में रुपए में भारी कमजोर आई थी। रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई ने एफसीएनआर विंडो खोली ताकि देश में डॉलर आ सके। इस विंडो के जरिए अबतक 29 बिलियन डॉलर जुटा लिए गए हैं। इसकी मियाद अब पूरी होने वाली है। इसलिए रुपए पर इसका दबाव बढ़ रहा है।

4. सिस्टम में liquidity

एडलवाइसेस के मुताबिक देश में नोटबंदी के बाद से लोगों के हाथ में नकदी घट गई है। इस वजह से इंटर बैंक लिक्विडिटी बढ़ गई है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक बैंकों के पास 6 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि इकट्ठा हो गई है। आरबीआई ने बताया कि उसके पास बैंकों की तरफ से जो भारी मात्रा में नकदी आई है उस पर उसे बैंकों को ब्याज देना होगा, जो करीब 80,000 करोड़ प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच गया है।

5. US FED रेट में बढ़ोतरी:

बाजार विश्लेषकों के अनुसार दिसंबर के महीने तक फेड रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। ब्याज दरों में इजाफे की संभावना से फंड मैनेजरों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिन्हें 0 फीसदी ब्याज दर पर पैसा मिला हुआ है, वो मुनाफा कमाने के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों का रुख करेंगे।

रुपये की गिरावट का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर

डॉलर में मजबूती के चलते रुपया लगातार गिर रहा है और संभावना जताई जा रही है कि रुपया अभी और कमजोर हो सकता है। आर्थिक जानकारों के मुताबिक माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह 70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है। जानें रुपये की गिरावट के कौन-कौन से निगेटिव असर आपको देखने को मिल सकते हैं-

1. रुपये की गिरावट से महंगाई बढ़ने का डर: रुपये की गिरावट से import महंगे होंगे जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। इसका सीधा असर महंगाई बढ़ने के रूप में देखा जाएगा।

2. सरकारी घाटा बढ़ेगा:- रुपए में कमजोरी से देश के सरकारी घाटे पर दबाव बढ़ने का डर रहता है जिसके चलते सरकार को खर्च नियंत्रित करना पड़ सकता है, इसका सीधा असर देश की विकास दर पर देखने को मिल सकता है।

3. पेट्रोल-डीजल होंगे महंगे:- भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों के इंपोर्ट में जाता है और ये डॉलर में भुगतान किया जाता है। रुपए में गिरावट की वजह से कच्चे तेल के इम्पोर्ट बिल (आयात बिल) महंगे हो सकते हैं जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। इसके चलते आने वाले समय में आपको पेट्रोल-डीजल के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

4. विदेश में पढ़ाई और घूमना होगा महंगा: डॉलर महंगा होने और रुपया सस्ता होने से विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाएगी। इसके अलावा विदेशी पर्यटन की लागत भी बढ़ सकती है। लोगों को विदेश घूमने पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा।

5. पेंट, साबुन, शैंपू इंडस्ट्री पर असर:- रुपए में गिरावट बढ़ने से अगर पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हुए तो पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ साबुन, शैंपू, पेंट इंडस्ट्री की लागत बढ़ेगी जिससे ये प्रोडक्ट भी महंगे हो सकते हैं।

6.ऑटो इंडस्ट्री की बढ़ेगी लागत:- भारी मात्रा में इम्पोर्ट होने वाले ऑटो और मशीनों के कम्पोनेंट के डॉलर पेमेंट में इजाफा हो सकता है. इसकी वजह से कंपनियों को डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपये देने पड़ेंगे.

7.माल ढुलाई होगी महंगी:- वहीं, कूड में अगर कोई गिरावट आती है तो भी रुपए में गिरावट से इसका असर खत्म हो सकता है. डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि महंगे डीजल से माल ढुलाई बढ़ने की आशंका है.

8.Exports में आएगी गिरावट:- हालांकि रुपये की गिरावट से एक्सपोर्ट में आमतौर पर इजाफा होता है लेकिन मौजूदा स्थिति में शायद से संभव ना हो सके क्योंकि अमेरिका और यूरोप वैसे ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं जिससे वहां से एक्सपोर्ट में ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद नहीं है.

=>क्यों बढ़ी डॉलर की कीमत और रुपये में आई गिरावट?

बताया जा रहा है कि तेल कंपनियों की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ने के चलते डॉलर को मजबूती मिल रही है. वहीं 9 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने भी डॉलर को मजबूत करने की दिशा में सहारा दिया. रुपये की लगातार गिरावट के पीछे मुख्य वजह विदेशी फंडों की लगातार निकासी बताई जा रही है. इसके अलावा अमेरिका की केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से भी रुपये का स्तर गिर रहा है. दरअसल अमेरिका में अगले महीने ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़कर 94 फीसदी पर चली गई है, ऐसे में डॉलर 14 साल की ऊंचाई पर है. अमेरिका में इकोनॉमी के अच्छे आंकड़ों से भी डॉलर को सपोर्ट मिला है, जबकि नोटबंदी से घरेलू बाजार में रुपये पर दोहरा दबाव है. नोटबंदी को भी इसके पीछे वजह माना जा रहा है लेकिन नोटबंदी का बहुत ज्यादा असर रुपये की कीमत को गिराने में नहीं है.

--

क्या होता है पेमेंट बैंक, कैसे खोलें इसमें खाता

क्यों है खबरों में?

एयरटेल ने देश के पहले पेमेंट बैंक की शुरुआत कर दी है. केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी का ऐलान किए जाने के बाद देश में इस तरह का पहला बैंक राजस्थान में खुला है. एयरटेल का यह बैंक बचत खातों पर 7.25 फीसदी की दर से ब्याज देगा, जबकि ज्यादातर बैंक बचत खातों पर सिर्फ चार फीसदी ब्याज ही देते हैं.

=>>क्या होता है पेमेंट बैंक

GENERAL STUDIES HINDI

★पेमेंट बैंक सेविंग्स डिपोजिट स्वीकार करते हैं ताकि आप ट्रांजेक्शन में इनका इस्तेमाल कर सकें.

ये बैंक लोन नहीं देते हैं. ये फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट भी नहीं खोलते हैं.

♂इन बैंकों में जमा करने की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये हैं.

♂पेमेंट बैंक सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं. ये मेनस्ट्रीम बैंक के अपने खाते में 25 फीसदी तक राशि जमा कर सकते हैं.

♂इन बैंकों में रकम जमा करने पर ग्राहकों को अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है.

ये बैंक तो जैसे वॉलेट जैसे होते हैं लेकिन डेबिट कार्ड और चेक बुक जैसी तमाम सुविधाएं भी देते हैं।

=>> पेमेंट बैंक से जुड़े सवाल-जवाब

- कौन और कैसे खुलता है पेमेंट बैंक में खाता?

इस बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज है।

अकाउंट खुलवाने के लिए क्या एयरटेल मोबाइल का ग्राहक होना जरूरी है?

नहीं, अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है तो आप एयरटेल के मोबाइल ग्राहक नहीं होते हुए भी

खाता खुलवा सकते हैं।

★ खाता खुलवाने की प्रक्रिया क्या है?

इसके लिए एयरटेल रिटेल आउटलेट खोले गए हैं जहां आप आधार कार्ड के साथ जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खोलने की प्रक्रिया 'पेपरलेस' है और मिनटों में यह काम हो जाता है। केवाईसी फॉर्म भी इलेक्ट्रॉनिकली भरा जाता है।

★ क्या डेबिट/क्रेडिट कार्ड सुविधा भी मिलेगी?

शुरुआत में एयरटेल पेमेंट बैंक एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड सुविधा नहीं देगी। लेकिन आप एयरटेल रिटेल आउटलेट पर कैश जमा कर और निकाल सकते हैं। ये आउटलेट एयरटेल बैंकिंग प्वाइंट्स की तरह काम करेंगे।

★ अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक किया जाएगा?

चूंकि यह पेपरलेस बैंक है, ऐसे में आप एयरटेल मनी एप्प, यूएसएसडी या आईवीआर सिस्टम के जरिये मोबाइल फोन से बैलेंस जान सकते हैं।

★ क्या इससे दोस्तों या परिजनों को पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं?

एयरटेल मनी एप्प या यूएसएसडी के जरिये मोबाइल से *400# डायल करके मनी ट्रांसफर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। एक एयरटेल नंबर से दूसरे एयरटेल नंबर पर बैंक में पैसा भेजना निशुल्क होता है।

--

किसानों के हितों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्णय

सरकार ने चालू रबी सीजन में किसानों के हितों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष निर्णय लिये हैं। ये निर्णय परिचालनगत उपायों के रूप में हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

1. नाबार्ड ने रबी सीजन में कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्य सहकारी बैंकों के जरिये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को 21,000 करोड़ रुपये की सीमा उपलब्ध कराई है। इससे डीसीसीबी को प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी (पीएसीएस) के नेटवर्क के जरिये किसानों के लिए फसल ऋणों को मंजूरी देने एवं इनका वितरण करने में सहूलियत होगी। इससे 40 फीसदी से भी ज्यादा ऐसे छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे, जो संस्थागत कर्ज/फसल ऋण लेते रहे हैं। यही नहीं, आवश्यकता के मुताबिक नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त सीमाएं सुलभ कराई जाएंगी।
2. आरबीआई और बैंकों को डीसीसीबी में आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। इससे चालू रबी सीजन के दौरान विशेषकर बुवाई एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋणों का त्वरित एवं निर्बाध प्रवाह के साथ-साथ आवश्यक नकदी भी सुनिश्चित होगी।
3. छोटे कर्जदारों (अर्थात् एक करोड़ रुपये तक के कर्ज लेने वाले लोग) को राहत देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक बकाया रकम के पुनर्भुगतान के लिए 60 दिनों का अतिरिक्त समय देने का निर्णय पहले ही ले चुका है। यह फैसला आवास एवं कृषि ऋणों सहित उन सभी पर्सनल एवं फसल ऋणों पर लागू होगा, जो बैंकों, एनबीएफसी, डीसीसीबी, पीएसी अथवा एनबीएफसी-एमएफआई से लिये गये हैं।
4. कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिनमें जन धन खाता धारकों को जारी किये गये रुपये डेबिट कार्ड भी शामिल हैं। पिछले 12 दिनों में रुपये डेबिट कार्डों के इस्तेमाल में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस डेबिट कार्ड के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों ने 31 दिसम्बर, 2016 तक ट्रांजैक्शन शुल्क (एमडीआर) न लेने का निर्णय लिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद (एनपीसीआई) ने रुपये कार्डों के लिए स्विचिंग चार्ज को पहले ही माफ कर दिया है। इन सभी कदमों से विभिन्न प्रतिष्ठानों ने डेबिट कार्डों की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
5. डेबिट कार्डों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ कुछ निजी बैंकों ने भी 31 दिसम्बर, 2016 तक एमडीआर शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा भी इस आशय का निर्णय लिये जाने की आशा है। इस तरह स्विचिंग सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों सहित ट्रांजैक्शन शुल्क को 31 दिसम्बर, 2016 तक माफ कर दिया गया है।
6. ई-वॉलेट के जरिये भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई ने आम लोगों के लिए मासिक ट्रांजैक्शन सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने कारोबारियों के लिए भी इस सीमा में इतनी ही बढ़ोतरी की है।
7. यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आरक्षित ई-टिकट लेते समय द्वितीय श्रेणी पर 20 रुपये का सर्विस चार्ज और इससे ऊपर की श्रेणी के टिकटों पर 40 रुपये का सर्विस चार्ज 31 दिसम्बर, 2016 तक न लेने का निर्णय लिया है। इससे नकदी के जरिये रेलवे के काउंटरों पर टिकट खरीदने के बजाय ई-टिकटों को खरीदने के लिए यात्रीगण प्रोत्साहित होंगे।

टिकटों की कुल खरीद में ऑनलाइन ई-टिकट खरीदने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 58 प्रतिशत और नकदी के जरिये काउंटरों पर टिकट खरीदने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 42 प्रतिशत है। अब ई-टिकट की खरीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से लोग नकदी रहित लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

8. टीआरएआई ने बैंकिंग से संबंधित लेन-देन और भुगतान के लिए यूएसएसडी चार्ज को मौजूदा 1.50 रुपये प्रति सत्र से घटाकर 0.50 रुपये प्रति सत्र करने का निर्णय लिया है। इसने संबंधित चरणों की संख्या को भी मौजूदा पांच से बढ़ाकर आठ चरण कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियां भी प्रति सत्र 50 पैसे के उपर्युक्त यूएसएसडी चार्ज को 31 दिसम्बर, 2016 तक माफ करने पर सहमत हो गई हैं। इसके परिणामस्वरूप यूएसएसडी चार्ज 31 दिसम्बर, 2016 तक शून्य रहेगा। इससे विशेषकर फीचर फोन वाले गरीब लोगों (इनकी संख्या फिलहाल देश में कुल फोनों का 65 फीसदी है) को डिजिटल वित्तीय लेन-देन की अत्यंत किफायती सुविधा सुलभ हो जाएगी।

9. वाहन चालकों को अपना काफी समय चेक पोस्ट और टोल प्लाजा पर गुजारना पड़ता है। जहां एक ओर जीएसटी की बढ़ती चेक पोस्ट पर यह समस्या दूर हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित टोल प्लाजा पर भुगतान में सहूलियत के लिए कुछ विशेष उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वाहन निर्माताओं को अपने सभी नये वाहनों में ईटीसी के अनुरूप 'आरएफआईडी' सुलभ कराने की सलाह दे रहा है।

10. सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी प्राधिकरणों को सलाह दी गई है कि वे सभी हितधारकों और कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए केवल डिजिटल भुगतान वाली प्रणालियों जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, कार्डों, 'आधार' के अनुरूप भुगतान प्रणाली इत्यादि का ही उपयोग करें। भुगतान करने के समय प्राधिकरणों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे कार्डों, इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, 'आधार' के अनुरूप भुगतान प्रणाली इत्यादि के जरिये भुगतान का विकल्प मुहैया करायें।

--

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का असर

लगातार दो वर्षों के सूखे के बाद इस साल बेहतर मॉनसून की मेहरबानी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आखिरकार सुधार होता दिख रहा था। आशा जताई गई कि खरीफ उत्पादन में भारी बढ़ोतरी से ग्रामीण उपभोग में इजाफा समग्र आर्थिक वृद्धि को तेजी देता। मगर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का जो फैसला किया, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बुरी तरह शिकंजे में कस रहा है।

क्यों हुआ असर

- असल समस्या है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत हद तक नकद लेनदेन पर आधारित है, जबकि शहरी मध्यम वर्गीय लोगों के पास ऑनलाइन, मोबाइल मनी के अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं।

- यह स्वाभाविक कमजोरी परिदृश्य को और बदतर बना देती है कि 90 फीसदी से अधिक ग्रामीण इलाके बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके कारण नए नोटों को उन तक पहुंचाने की सरकारी कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं।
- जबसे सरकार ने नोटबंदी का निर्णय किया, उसके 10 दिनों के भीतर सरकार अखिल भारतीय स्तर पर केवल 10 फीसदी नकद निकासी को ही संभव बना पाई है। हैरानी की बात नहीं कि इसके कारण नकदी की किल्लत हो गई, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल कर दिया है।
- ग्रामीण मजदूरी दरें नवंबर, 2013 से ही गिरावट की शिकार हैं और यह गौर करने वाला पहलू है कि इस दौरान सूखे की मार बहुत प्रभावी रही। कुल मिलाकर ग्रामीण आमदनी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई।
- विमुद्रीकरण के समय को लेकर भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं क्योंकि यह घोषणा कृषि से जुड़ी गतिविधियों के बेहद व्यस्त दौर के बीच में हुई है, जहां किसान या तो खरीफ फसल की कटाई कर रहे थे या फिर रबी फसल की बुआई में लगे थे।
- तमाम किसानों को अपने उत्पादों के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि खरीदारों के पास नकदी नहीं है, जिसके कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है।
- पहले कटाई करके फसल बेचने वाले खुशकिस्मत किसानों को एक और बदनसीबी ने आ घेरा है क्योंकि फसल बेचने के बदले उन्हें जो नोट मिले, वे अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में इन किसानों के पास नई फसल की बुआई के लिए बीज और खाद जैसी बुनियादी चीजों को खरीदने के लिए नकदी नहीं है।

सरकार के कदम इस दिशा में

ग्रामीण इलाकों से तमाम दर्दनाक वाक्यों के बाद सरकार की भी आंखें खुलीं और उसने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए। जैसे किसानों के लिए नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी। इसके अलावा फसल बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए 15 दिनों की मोहलत भी बढ़ा दी। कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर शुरुआत में विरोध जताने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह मांग भी मान ली कि किसानों को 500 रुपये के पुराने नोट के बदले बीज खरीदने की इजाजत दी जाए।

विश्लेषण

बीज खरीदारी में रियायत जैसे कदम उठाने में सरकार ने बहुत देर कर दी। जैसे साल दर साल केवल 30 फीसदी बीज ही बदले जा रहे हैं। दुखद पहलू है कि रबी फसल में गेहूं बुआई के लिए 15 से 20 नवंबर का समय आदर्श माना जाता है। अगर देर से बुआई होती है और खासतौर मार्च में अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है तो इससे फसल उत्पादन प्रभावित होगा। साथ ही यह राहत उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे अहम उत्पादों के लिए नहीं दी गई है, जिनकी कमी से उत्पादन घटकर आधा भी रह सकता है। वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि क्षेत्र में 0.2 फीसदी की गिरावट आई, जबकि 2015-16 के दौरान इसमें महज 1.2 फीसदी का इजाफा हुआ। अगर कमजोर आधार की भी बात करें तो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में 1 फीसदी से भी कम बढ़ोतरी का अनुमान है। स्पष्ट है कि ग्रामीण आपदा को दूर करने के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत है।

प्लास्टिक मनी और काले धन के सृजन में कमी

काले धन पर सरकार का प्रहार : विमुद्रीकरण

सरकार द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के मूल्य वाले नोट बंद करने के फैसले को काले धन पर एक बड़े प्रहार के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। इससे इन नोटों के रूप में भारी पैमाने पर जमा काले धन के बड़े हिस्से पर चोट होगी।

- सरकार का अनुमान है कि इन नोटों के रूप में तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा वित्तीय तंत्र में है।
- अगर समांतर अर्थव्यवस्था का आकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 20 फीसदी के बराबर है तो 3.4 लाख करोड़ रुपये का काला धन इन नोटों के रूप में है और अब इन पर भारी हजनि के बाद कुछ तंत्र में आ सकता है।
- इसमें से कुछ राशि (जीडीपी के 2 फीसदी से अधिक) नष्ट भी की जा सकती है क्योंकि लोग मुकदमेबाजी से बचने के लिए इसका खुलासा करने से डरेंगे क्योंकि सरकार ने दो महीने पहले सितंबर, 2016 तक अपनी अघोषित आमदनी का ऐलान करने का एक अवसर दिया था लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने ऐसा नहीं किया।

हालांकि यह लोगों के व्यवहार पर निर्भर करेगा लेकिन सरकार का कर राजस्व और भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, मगर यह असर बहुत ज्यादा नहीं होगा।

इस फैसले के अहम पहलुओं का आकलन

a) **क्या Black money पर नियंत्रण होगा :** इन नोटों को अवैध घोषित करने से जरूरी नहीं कि नए काले धन के सृजन पर विराम लग जाए। इसमें केवल उसी से निपटा जाएगा, जो अघोषित आमदनी के रूप में होगा। काले धन के सृजन पर तब तक विराम नहीं लगेगा जब तक कि सरकार रियल एस्टेट और चुनावों के रूप में उनकी प्रमुख जननी को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाती। साथ ही प्लास्टिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी का रुख करने वाले लोगों के लिए किसी तरह का पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है। इससे कई बार क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को उस उत्पाद या सेवा की असल कीमत से कुछ अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है।

अगर सरकार प्लास्टिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ प्रोत्साहन देती है तो यह बेहतर होगा।

GENERAL STUDIES HINDI

b) इसके फायदों पर बहस :

- मिसाल के तौर पर इसमें सरकार का क्या नुकसान होता अगर सार्वजनिक उपयोग और आकस्मिक सेवाओं के लिए तीन से लेकर छह दिन के बजाय महीने भर पुराने बड़े नोटों में भुगतान की इजाजत दी जाती?
- इससे बैंकों और डाकघरों के बाहर लगी लंबी कतारों के साथ हुए भारी गतिरोध और कई बाजारों में ठप हुए खुदरा व्यापार की स्थिति से बचा जा सकता था। छोटे कारोबारी, घरों में काम करने वाली

मेड, सब्जी विक्रेता और साफ सफाई करने वालों को उतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़तीं, जिनसे फिलहाल वे दो-चार हो रहे हैं।

- समाज के आर्थिक रूप से संपन्न तबके के पास फिर भी तमाम विकल्प हैं। मसलन क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के जरिये वे अपनी तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस फैसले को अमल में लाने से पहले बैंकों और डाकघरों की अपर्याप्त शाखाओं पर विचार नहीं किया गया कि इसे मूर्त रूप देने में उन्हें कितनी मुश्किलें आएंगी।
- लंबी समयसीमा से काला धन रखने वाले ऐसे लोगों को मौका मिल जाता, जो इनका उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं। मगर तब आतंक से निपटने के लिए कुछ और तरीके अपनाए जा सकते थे, जिन पर बहस हो सकती है। लेकिन यह तय है कि लंबी समयसीमा से छोटे व्यापारियों और गरीब तबके के लोगों के एक बड़े वर्ग को ऐसी परेशानी नहीं होती। ऐसे में इस कवायद के बुनियादी लक्ष्य यानी काले धन पर अंकुश लगाने की मुहिम तब भी पूरी हो जाती।

c) इसके लागू करने के तरीको पर प्रश्नचिन्ह :

- सरकार ने आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत अधिसूचना के जरिये इन नोटों को अमान्य कर दिया।
- वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने 1,000 के अलावा 5,000 और 10,000 रुपये के नोट बंद करने के लिए अध्यादेश का सहारा लिया था। यह अध्यादेश मार्च 1978 में कानून बन गया।
- इसके दो दशक बाद दिसंबर, 1998 में 1,000 रुपये का नया नोट शुरू करने के मामले में भी यशवंत सिन्हा को यही करना पड़ा, जिसके लिए उच्च मूल्य बैंक नोट (मुद्राकरण) अधिनियम, 1978 में संशोधन करना पड़ा।
- मोदी सरकार ने आरबीआई अधिनियम का विकल्प चुना, जिसके तहत केंद्रीय बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सुझाव के बाद सरकार किसी मुद्रा को अमान्य घोषित करने का फैसला कर सकती है। 8 नवंबर को जो हुआ, उसका मर्म यही है कि विमुद्राकरण किसी सरकारी अधिसूचना के जरिये भी हो सकता है और उसके लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता नहीं है जैसा कि 1978 में देसाई सरकार और 1998 में सिन्हा ने किया।

मेट कोक पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी के खिलाफ देसी स्टील निर्माता

Why in News:

देसी स्टील निर्माताओं ने सरकार से कहा है कि वह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया व चीन से आयातित मेटलर्जिकल कोक पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी न लगाए क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय ने ऐसे आयात पर 25 डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

Why this opposition:

मेट कोक पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने से भारत में स्टील क्षेत्र की लागत बढ़ जाएगी। यह शुल्क लगाए जाने से तैयार स्टील की कीमत 700-1500 रुपये प्रति टन बढ़ जाएगी। मेट कोक की कीमत जनवरी 2016 के 121 डॉलर प्रति टन के मुकाबले बढ़कर अभी 285 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गई है।

Imported from:

WHERE STATES STAND

States & Union Territories in terms of agriculture marketing & farm friendly reforms

TOP 5

Rank	States/UTs	Score
1	Maharashtra	81.7
2	Gujarat	71.5
3	Rajasthan	70.0
4	Madhya Pradesh	69.5
5	Haryana	63.3

BOTTOM 5

Rank	States/UTs	Score
30	Puducherry	4.8
29	Delhi	7.3
28	Jammu & Kashmir	7.4
27	Lakshwadeep	7.4
26	Meghalaya	14.3

Source: Agriculture Marketing & Farmer Friendly Reforms Index

पर

देश

ऑस्ट्रेलिया व चीन से

What is Met Coke

○ मेटलर्जिकल कोक या मेट कोक स्टील क्षेत्र का प्रमुख कच्चा माल है और कच्चे स्टील की कुल लागत में इसका योगदान 40-50 फीसदी है।

○ यह low ash व low sulphur बिटुमिनस कोल से बनाया जाता है।

एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंडेक्स होगी राज्यों की रैंकिंग

में कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर

रिफॉर्म इंडेक्स पेश किया है। अब राज्यों के बीच प्रत्येक वर्ष इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे देश में कृषि क्षेत्र में व्यवसाय के लिए माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

किसने तैयार किया है यह index

कृषि क्षेत्र में सुधारों पर इस तरह का पहला इंडेक्स नीति आयोग ने तैयार किया है।

Ranking

- इसमें महाराष्ट्र को किसानों के हितों के लिए सबसे अधिक कार्य करने वाला राज्य चुना गया है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान हैं।
- इंडेक्स में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और छत्तीसगढ़ हैं।

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर सहित 29 राज्यों में से 20 का कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिहाज से प्रदर्शन खराब रहा।

Some other points about Index

- यह इंडेक्स राज्यों की ओर से कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए उठाए गए कदमों पर आधारित है।

- इंडेक्स का उद्देश्य राज्यों को कृषि क्षेत्र में समस्याओं की पहचान और उनका समाधान निकालने में मदद करना है। देश में इस क्षेत्र की वृद्धि दर कम है और किसानों को भी कम आमदनी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
- इंडेक्स में मॉडल एपीएमसी एक्ट के सात प्रावधानों को लागू करने, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) में शामिल होने की कोशिश, मंडियों में टैक्स के लेवल को भी देखा जाएगा।

कोर सेक्टर की ग्रोथ सुधरी, सितंबर में बढ़कर

- कोर सेक्टर के आंकड़े इकोनॉमी में बेहतरी के संकेत दे रहे हैं। सितंबर में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ महीने दर महीने आधार पर 3.2 फीसदी से बढ़कर 5 फीसदी रही है
- सीमेंट, बिजली, कोयला के उत्पादन में सुधार से कोर सेक्टर की ग्रोथ सुधरी है।

STATUS CHECK	
The 2016 rankings were based on a 340-point business reform action plan and their implementation by States	
Rank	Period covered July 1, 2015 to June 30, 2016
1. Andhra Pradesh	
2. Telangana	
3. Gujarat	
4. Chhattisgarh	
5. M.P.	
6. Haryana	
7. Jharkhand	
8. Rajasthan	
9. Uttarakhand	
10. Maharashtra	
Findings: Four of the seven States with the lowest income levels in India have found a place in the top ten ranks, while all the seven States had an implementation rate of over 75 %	
Implementation rates (On the 340-point reform scale)	
1 Chhattisgarh 97.32 %	2 Madhya Pradesh 97.01 %
3 Jharkhand 96.57 %	4 Rajasthan 96.43 %
	5 Odisha 92.73 %
Assessment: World Bank, along with the Centre's Department of Industrial Policy & Promotion, was involved in the process of reviewing the evidence submitted by States/Union Territories	

- कूड ऑयल, नैचुरल गैस, फर्टिलाइजर उत्पादन में गिरावट देखी गई है।
- फर्टिलाइजर और स्टील उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है।

What is core sector

कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रो रिफाइनिंग, बिजली और नेचुरल गैस उद्योगों को किसी अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। यही आठ क्षेत्र कोर सेक्टर कहे जाते हैं। इनकी विकास दर में कमी या बढ़ोत्तरी बताती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद की हालत क्या है।

व्यापार सुगमता मामले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अव्वल

- विश्व बैंक और डीआईपीपी की व्यापार सुगमता सूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं जबकि गुजरात फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया है।
- केंद्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के 340 बिंदु वाले व्यापार सुधार कार्य योजना के क्रियान्वयन के आधार पर तैयार सूचकांक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा क्रमशः चौथे, पाचवें और छठे स्थान पर हैं।
- कुल 10 सुधार क्षेत्रों से जुड़ी कार्ययोजना में 58 नियामकीय प्रक्रियाएं, नीतियां, गतिविधियां या कार्यप्रणाली शामिल हैं।
- ये मुख्य रूप से एकल खिड़की मंजूरी, कर सुधार, श्रम एवं पर्यावरण सुधार, विवाद समाधान तथा निर्माण परमिट हैं।
- पिछले साल के सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर था। आंध्र प्रदेश दूसरे तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर था।

केंद्र सरकार ने रिलायंस को डेढ़ अरब डॉलर के जुर्माने का नोटिस भेजा

संदर्भ:- ओएनजीसी ने आरोप लगाया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने उसके गैस ब्लॉक से 11.12 अरब क्यूबिक मीटर गैस निकाल ली

- कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ओएनजीसी के ब्लॉक से गैस चोरी के मामले में केंद्र ने रुख सख्त कर लिया है. रॉयटर्स के मुताबिक शुक्रवार को पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके विदेशी साझेदारों (ब्रिटिश पेट्रोलियम और निको रिसोर्स) को 1.55 अरब डॉलर के जुर्माने का नोटिस जारी किया है.

★ यह मामला **कृष्णा गोदावरी यानी केजी बेसिन** में एक दूसरे से लगते इन कंपनियों के दो गैस ब्लॉकों से जुड़ा हुआ है. ओएनजीसी ने पहली बार जुलाई 2013 में यह मामला उठाया था. ★ उसका आरोप था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अवैध तरीके से उसकी गैस निकाल ली. ओएनजीसी के मुताबिक रिलायंस ने जानबूझकर दोनों ब्लॉकों की साझा सीमा पर ड्रिलिंग की जिसके चलते उसके गैस ब्लॉक से 11.12 अरब क्यूबिक मीटर गैस आरआईएल के ब्लॉक में चली गई जिसकी कीमत करीब 30 हजार करोड़ रु बैठती है. उसने डीजीएच को चिट्ठी लिखकर इस बारे में स्पष्ट सबूत होने की बात भी कही थी. रिलायंस ने शुरुआत में इस आरोप को मानने से इंकार कर दिया था.

★ सरकार ने इसकी जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर **चीफ जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में एक समिति** बनाई थी. इसने बीते अक्टूबर की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट दी थी. ★ समिति ने इस मामले में चर्चित अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार फर्म डिगॉलियर एंड मैकनॉटन (डीएंडएम) की रिपोर्ट के निष्कर्षों को सही ठहराया था.

★ इन निष्कर्षों में भी ओएनजीसी के ब्लॉक से 11.12 अरब क्यूबिक मीटर गैस आरआईएल के ब्लॉक में जाने की बात कही गई थी. इस गैस की निकासी एक अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच हुई थी. डीएंडएम ने यह रिपोर्ट दिसंबर 2015 में पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाले हाइड्रोकार्बंस महानिदेशालय (डीजीएच) को दी थी.

★ हाइड्रोकार्बंस महानिदेशालय (डीजीएच) ने पिछले महीने जुर्माने पर अपनी सिफारिशें मंत्रालय को सौंपी थीं. डीजीएच ने जुर्माने का आकलन करते समय रिलायंस के पूंजी और संचालन खर्च को ध्यान रखा है. ★ शाह समिति ने कहा था कि जुर्माना कितना हो, यह फैसला सरकार को करना चाहिए, जिसका सिद्धांत है कि इस गैस निकासी से रिलायंस को जितना लाभ हुआ है, वह केंद्र सरकार को वापस मिले. ओएनजीसी का कहना था कि रिलायंस द्वारा निकाली गई गैस की बाजार कीमत के आधार पर जुर्माना तय होना चाहिए. उधर, रिलायंस की दलील थी कि उसे गैस की कीमत में से पूंजी और संचालन खर्च पाने का हक है.

जीएसटी की चार दरों पर सहमति

GST INCHES TOWARDS REALITY

A look at the four-tier GST structure of 5, 12, 18 and 28 per cent approved on Thursday

<p>28 per cent tax On white goods and luxury items</p> <p>18 per cent tax On fast moving consumer goods</p> <p>5 per cent tax On items of common use</p> <p>WHAT NEXT: Parliament has to pass the tax rates agreed upon in Thursday's council meeting</p>	<p>Cess on top of 28% GST On ultra luxury cars, tobacco, pan masala and aerated drinks</p>  <p>Compensations to States for loss of revenue during the first five years of implementation of the new tax system will be part-funded by collections from the GST Cess and the Clean Energy Cess</p>
---	--

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली इस समिति में शून्य के अतिरिक्त जीएसटी की चार दरों पर सहमति बनी है।

- राज्यों ने चार स्तरीय 5, 12, 18 और 28 फीसदी जीएसटी पर सहमति बबनी है
- खाद्यान्न सहित खुदरा महंगाई दर की टोकरी में शामिल करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी की दर शून्य रहेगी।
- अन्य वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
- तंबाकू उत्पाद, शीतल पेय और लकजरी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा

अतिरिक्त सेस भी लगेगा।

- जीएसटी की ये दरें किन उत्पादों पर लागू होंगी इसकी विस्तृत सूची सचिवों की समिति तय करेगी।
- सेस की दर फिलहाल तय नहीं है
- तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल 65 प्रतिशत टैक्स और शीतल पेय पर करीब 40 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों श्रेणियों के उत्पादों पर इससे कम टैक्स नहीं लगेगा।
- इसके अतिरिक्त मौजूदा स्वच्छ ऊर्जा सेस भी जारी रहेगा। दोनों प्रकार के सेस से जुटाई जाने वाली राशि से केंद्र सरकार राज्यों को संभावित राजस्व क्षति की भरपाई करेगी।
- सोने पर लगने वाली जीएसटी की दरों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका।
- सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की दो स्टैंडर्ड दरें रखी हैं। इसके तहत 12 और 18 प्रतिशत की दर का चुनाव किया गया है।

IMPROVED PERFORMANCE

India was ranked 130 among 189 countries, an improvement of four places from last year's ranking of 134*

GLOBAL DOING BUSINESS RANKING 2016

Rank	Country
1	Singapore
2	New Zealand
3	Denmark
4	South Korea
5	Hong Kong SAR, China
6	UK
7	US
8	Sweden
9	Norway
10	Finland

BRICS RANKINGS	
51	Russian Federation
73	South Africa
84	China
116	Brazil
130	India

*The 2015 report takes into account data till June 2015. Scores for 2015 and 2016 are based on a new methodology. The 2015 report had given India's score as 134.

Source: World Bank

भारत में बिजनेस करना आसान नहीं, वर्ल्ड बैंक की (ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) रिपोर्ट में मिली 130वीं रैंकिंग

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भारत सरकार के विकास के दावों पर आघात पहुंचाया है। वर्ल्ड बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, बिजनेस करने में आसानी वाले देशों की रैंकिंग में भारत 130वें पायदान पर है।

- पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया।

- वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, देश ने निर्माण परमिट, कर्ज हासिल करने और अन्य मानदंडों के मामले नाममात्र या कोई सुधार नहीं किया है।

- वर्ल्ड बैंक की ताजा 'डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले कोई सुधार नहीं हुआ है। विभिन्न मानदंडों के आधार पर भारत 190 देशों में 130वें पायदान पर था। हालांकि पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 131वां कर दिया गया है। इस लिहाज से देश ने एक पायदान का सुधार किया है।

=>सरकार ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल

सरकार व्यापार सुगमता के लिये प्रयास कर रही है और उसका लक्ष्य देश को शीर्ष 50 में लाना है। वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स में रैंकिंग में कोई सुधार नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार ने निराशा जताई और कहा कि रिपोर्ट में उन 12 प्रमुख सुधारों पर विचार नहीं किया गया जिसे सरकार कर रही है।

-अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और बेहतर गतिविधियों के बीच अंतर को मापने वाला 'डिस्टेंस टू फ्रंटियर'के लिए 100 अंक है। इसमें भारत को इस साल 55.27 अंक मिले, जो पिछले साल 53.93 था। भारत एकमात्र देश है जिसकी रिपोर्ट में एक बॉक्स है। जिसमें जारी आर्थिक सुधारों की बातें हैं।

- वर्ल्ड की डूइंग बिजनेस 2017 की सूची में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर जबकि सिंगापुर दूसरे पायदान पर है। उसके बाद क्रमशः डेनमार्क, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, नार्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन तथा पूर्व यूगोस्लाव मैसिडोनिया गणराज्य का स्थान है।

- सुधारों को आगे बढ़ाने के आधार पर 10 प्रमुख देश ब्रुनेई दारूसलाम, कजाकिस्तान, केन्या, बेलारूस, इंडोनेशिया, सर्बिया, जॉर्जिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात तथा बहरीन हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया में 137 अर्थव्यवस्थाओं ने प्रमुख सुधारों को अपनाया जिससे छोटे और मझोले आकार की कंपनियों को शुरू करना और कारोबार करना करना आसान हुआ है।

=>>इन 10 मानदंडों के आधार पर रैंकिंग

1. व्यापार शुरू करना,
2. निर्माण परमिट हासिल करना,
3. बिजली प्राप्त करना,
4. संपत्ति का पंजीकरण,
5. कर्जप्राप्त करना,
6. अल्पांश निवेशकों का संरक्षण,
7. कर का भुगतान,
8. सीमा पार कारोबार,
9. अनुबंधों को लागू करना तथा
10. शोधन अक्षमता का समाधान.

=>बिजली के मामले में 51वें से 26वें पायदान पर आया भारत

- विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग सुधरी है। बिजली प्राप्त करने के मामले में भारत 51वें स्थान से 26वें स्थान पर आ गया है। इसी प्रकार, सीमाओं के पार व्यापार के मामले में रैंकिंग एक स्थान सुधरकर 143 तथा अनुबंधों को लागू करने के मामले में छह पायदान बढ़कर 172 पर पहुंच गया।

=>>इन मामलों में गिरी भारत की रैंकिंग

- हालांकि कारोबार शुरू करने के लिहाज से भारत की रैंकिंग चार स्थान खिसककर 155वें स्थान पर आ गयी जबकि निर्माण परमिट के मामले में एक पायदान नीचे 185वें पर आ गई. कर्ज के मामले में रैंकिंग दो अंक नीचे 44वें पर आ गई।

रिकॉर्ड कृषि उत्पादन: दलहन –तिलहन के उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी (एक व्यापक चर्चा)

- कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ मौसम का खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के 1240 लाख टन से बढ़कर इस साल 1350 लाख टन होने का अनुमान है जो अभी तक का रिकार्ड होगा। पिछले साल के मुकाबले यह 9 प्रतिशत अधिक होगा।

=>दलहन –तिलहन के उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी :-

- इसमें खास बात यह है कि हालांकि चावल का उत्पादन मात्र 3 प्रतिशत ही बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन **दालों का उत्पादन 57 प्रतिशत और तिलहन का उत्पादन 41 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ने वाला है।** उत्पादन के अग्रिम अनुमानों में एक अन्य उत्साहवर्द्धक बात यह है कि मोटे अनाज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 19 प्रतिशत बढ़ेगा। तिलहन का उत्पादन पिछले साल के खरीफ उत्पादन 166 लाख टन से बढ़कर इस साल 234 लाख टन होने वाला है।
- वास्तव में यह देश के लिए और खासतौर पर गरीब आम आदमी के लिए एक खुशखबरी है। **देश में एक तरफ बढ़ती जनसंख्या और दूसरी तरफ दालों और तिलहनों के लगभग स्थिर उत्पादन के कारण देश का घरेलू उत्पादन देश की बढ़ती जरूरतों के मुकाबले बहुत कम रह गया।** जहां तक खाद्यान्नों का प्रश्न है, गेहूं और चावल की लगातार बढ़ती हुई प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और बढ़ते क्षेत्रफल के चलते देश खाद्यान्नों में लम्बे समय से आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि चावल का लगातार बड़ी मात्रा में निर्यात भी कर रहा है।
- गन्ने के उत्पादन में वृद्धि का असर यह है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता, लेकिन दालों और तिलहनों में स्थिति लगातार बदतर होती गई।
- गौरतलब है कि **1960 में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 70 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी जो 2013-14 तक आते-आते लगभग 40 ग्राम ही रह गई।** हालत यह हुई कि हमारा दालों का आयात बढ़ता हुआ वर्ष 2015-16 तक लगभग 25,609 करोड़ रुपए और खाद्य तेलों का आयात 68,630 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का पलायन तो हुआ ही, साथ ही साथ दालों और खाद्य तेलों में महंगाई भी बढ़ती चली गई। दालों की कीमतें 150 से 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई और आम आदमी की थाली से दाल गायब होने लगी।
- उधर खाद्य तेलों पर तो हमारी निर्भरता विदेशों पर जरूरत से ज्यादा होने लगी। पिछले सालों के उत्पादन की प्रवृत्ति को देखा जाए तो पता चलता है कि अपने देश में दालों का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है। 2014-15 के खरीफ के मौसम में जहां दालों का उत्पादन 57 लाख टन हुआ था, रबी के मौसम में यह उत्पादन 114 लाख टन था। इस बार खरीफ के मौसम में उत्पादन 87 लाख टन हुआ है और अगर रबी के मौसम में भी उत्पादन में वृद्धि इसी अनुपात में होती है तो संभव है कि हमारे देश की विदेशों पर दालों के मामले में निर्भरता बहुत कम रह जाए और दालों की कीमतें भी नियंत्रण में आ जाएं।

- गौरतलब है कि इस आशा के साथ ही कि दालों का उत्पादन बढ़ने वाला है, दालों की कीमतों में कुछ गिरावट भी दर्ज हुई है। दालों के संदर्भ में बढ़ती महंगाई का फायदा कभी किसान को नहीं हुआ, बल्कि इसका लाभ सट्टेबाजों को ज्यादा मिला। **सरकार ने हाल ही में देश में दालों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मोजाबिक समेत अफ्रीकी देशों से भी कुछ समझौते किए हैं।**
- उधर तिलहनों के उत्पादन में 41 प्रतिशत की वृद्धि से एक आशा की किरण दिखाई है कि इससे देश में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। यह सही है कि हमारे देश में कृषि योग्य भूमि बढ़ने की बजाय पहले से थोड़ी-बहुत कम ही हुई है।

=>हरित क्रांति और दलहन-तिलहन का उत्पादन :-

- हरित क्रांति के समय से सरकार द्वारा गेहूं और चावल के क्षेत्र में बेहतर बीजों के उपयोग और समर्थन मूल्यों के चलते देश में **गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहन** मिला।
- उधर **गन्ने के उत्पादन को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के चलते खासा प्रोत्साहन** मिला, हालांकि चीनी मिलों द्वारा गन्ने के भुगतान में देरी से किसान बुरी तरह से प्रभावित भी होता रहा।
- लेकिन कृषि उत्पाद में सबसे ज्यादा प्रभावित फसलों में दालें और तिलहन रहे। गौरतलब है कि जहां 1990-91 में गेहूं का उत्पादन मात्र 550 लाख टन था, 2014-15 में 865 लाख टन हो गया। चावल का उत्पादन इस दौरान 740 लाख टन से बढ़कर 1055 लाख टन हो गया।
- जबकि दालों का उत्पादन इस दौरान 143 लाख टन से बढ़कर मात्र 172 लाख टन ही हुआ। तिलहनों का उत्पादन भी इस दौरान 190 लाख टन से बढ़कर मात्र 275 लाख टन ही हुआ। 2009-10 तक तो यह मात्र 250 लाख टन ही हुआ था। लेकिन इस दौरान आम आदमी की आमदनियों में वृद्धि के चलते **प्रोटीन के स्रोत के नाते दालों की मांग में खासी वृद्धि हुई, जिसके चलते देश में दालों का आयात बढ़ता गया।**
- इसी प्रकार खाद्य तेलों की कमी ने विदेशों से आयात बढ़ाया। 2015-16 में दालों और खाद्य तेलों का आयात 94,239 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी लगभग 14.4 अरब डालर।

=>दलहन और खाद्य तेलों के बढ़ते आयात: कारण और निदान :-

- हम देखते हैं कि एक तरफ कृषि योग्य भूमि में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, सिंचाई की सुविधाओं में थोड़ी-बहुत वृद्धि होने से साल में दो या तीन बार खेती होने के कारण खेती का सकल क्षेत्रफल थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन दालों और तिलहनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल लगातार घटता गया।
- सरकार की उपेक्षा अथवा प्रोत्साहन के अभाव में हमारे देश में तमाम प्रकार के खाद्य तेल धीरे-धीरे विलुप्त होने लगे। तिल के तेल समेत कई प्रकार के तेलों का उत्पादन घटा और अब कुछ नए प्रकार के तेलों का उत्पादन होने लगा, जिसमें सोयाबीन का प्रमुख स्थान रहा। लेकिन तेल की कमी को पूरा करने के लिए रेप सीड ऑयल, पॉम ऑयल, सोया ऑयल और कनोला ऑयल जैसे तेलों का भारी मात्रा में आयात शुरू हो गया।

- इस वर्ष खरीफ की फसल में तिलहनों और दालों की बेहतर खेती ने एक आशा की किरण दिखाई है, लेकिन अभी भी दालों और तिलहनों में देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष उत्पादन बढ़ने से यह सिद्ध होता है कि भारत में दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना संभव है,
- जरूरत है:-
 1. सरकार द्वारा किसानों को इस हेतु समर्थन मूल्य,
 2. बीज की उपलब्धता,
 3. सिंचाई की सुविधाओं,
 4. वित्त और भंडारण की सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए।
- यह सही है कि कीमतों को येन-केन-प्रकारेण नियंत्रित करने के लिए दालों और तेल की कमी होने पर सरकार को आयात करना ही पड़ता है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 25 सालों से ज्यादा समय से दालें और खाद्य तेल लगातार सरकार की उपेक्षा का शिकार होते रहे और देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अकारण बर्बाद होती रही। अभी सरकार द्वारा थोड़े प्रयास हुए हैं और थोड़ा-बहुत दालों की कीमतों ने भी किसान को अवश्य प्रोत्साहित किया होगा, लेकिन दीर्घकाल में दालों और तिलहनों के लिए सरकार को सघन प्रयास करने होंगे।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): भारत के लिए क्रांतिकारी कदम

- 122वां संविधान संशोधन भारत के राजनैतिक-आर्थिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि इस क्रांतिकारी कदम से देश को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में अब तक का सर्वाधिक प्रगतिशील कर सुधार प्राप्त हो रहा है। इससे एक तरफ कारोबार और उद्योग के लिए आसानी होगी, वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी आएगी। इस कदम से केंद्र और राज्यों को राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटी से ऐसी कर व्यवस्था वजूद में आएगी जिससे सकल घरेलू उत्पाद में एक से डेढ़ प्रतिशत का इजाफा होगा और करों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी।

अब भारत का स्थान कई बिन्दुओं के मद्देनजर देश में व्यापार की आसानी के संदर्भ में विश्व बैंक की रैंकिंग में ऊंचा हो जाएगा। यह सही है कि जीएसटी विधेयक पिछले एक दशक से लंबित था और राजग सरकार ने विस्तृत राजनैतिक सहमति बनाकर इसे पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विधेयक के संबंध में बहुत विवाद था जिसे हल करके भारत ने पूरे विश्व को यह सकारात्मक संदेश दिया है कि देश में एक अरब लोगों की भलाई के लिए आर्थिक सुधारों के प्रति राजनैतिक समर्थन प्राप्त किया जा सकता है।

जीएसटी क्या है?

विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के जरिये राज्यों को भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है और उसका लगभग आधा यानी लगभग 16 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर आबादी के एक छोटे हिस्से से ही प्राप्त होता है जबकि प्रत्यक्ष करों का प्रभाव प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है।

चूंकि अप्रत्यक्ष कर खपत के संबंध में होते हैं, इसलिए अमीरों और गरीबों, दोनों को समान रकम चुकानी होती है।

वर्तमान में संविधान, केंद्र और राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य संवर्धन कर (वैट), बिक्री कर, मनोरंजन कर, चुंगी, प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर जैसे अप्रत्यक्ष करों और विभिन्न अधिभारों को लागू करने का अधिकार देता है। केन्द्र और राज्य दोनों के पास इन करों को वसूलने के लिए अपने-अपने आधिकारिक तंत्र हैं, लेकिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और वैट के लिए अधिकांश करों की गणना एक आधार पर की जाती है, जो कुछ चरण में स्वयं कराधान या विनिर्माण मूल्य श्रृंखला की अन्य चरण की शर्त पर भी की जाती है। इसलिए यह टैक्स पर लगने वाला टैक्स है, जिससे अंतिम उपभोक्ता के लिए सामान और सेवाएं ज्यादा महंगी हो जाती हैं और इसके अलावा उद्योग तथा व्यापार जीवन में भी कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस तंत्र की खामियों का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण अंतर्राज्यीय सीमाओं पर देखा जा सकता है। जहां विभिन्न किस्मों के टैक्स की जांच और चुंगी तथा प्रवेश कर के भुगतान के लिए ट्रकों की लंबी लाइनें राजमार्गों पर यातायात को कई-कई घंटे जाम कर देती हैं। 1 अप्रैल, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने की उम्मीद है। इससे ये सभी टैक्स उपभोक्ता के लिए एक ही टैक्स में शामिल हो जाएंगे। केन्द्र, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) लागू करेगा और वसूल करेगा, जबकि राज्य अपने-अपने राज्य के अंदर सभी लेन-देन पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लागू करेंगे और वसूल करेंगे। सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्येक चरण में उत्पादन पर सीजीएसटी देयता की अदायगी पर उपलब्ध होगा। इसी प्रकार कच्चे माल पर भुगतान किये गये एसजीएसटी का क्रेडिट उत्पादन पर एसजीएसटी के भुगतान के लिए लागू किया जाएगा। सेवाएं और वस्तुएं प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर लगने वाले कर के अधीन होंगे। इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए करों के समग्र भार को कम किया जा सकेगा।

विनिर्माण से गंतव्य तक

वर्तमान प्रणाली में जहां उत्पाद एवं केन्द्रीय बिक्री कर फैक्ट्री के गेट पर विनिर्माण स्तर पर ही लागू कर दिए जाते हैं या सामानों की अंतर्राज्यीय ढुलाई पर लगा दिए जाते हैं, वहीं जीएसटी में यह कराधान गंतव्य स्तर पर लागू होता है। इसका अर्थ यह है कि इससे खपत वाले राज्य को लाभ और विनिर्माण वाले राज्य को हानि हो सकती है।

यही कारण है कि अच्छे विनिर्माण आधार वाला राज्य जैसे कि तमिलनाडु जीएसटी के खिलाफ था और व्यापक उपभोग करने वाले राज्य जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इसके समर्थन में थे। हालांकि, जीएसटी विधेयक में पांच वर्षों तक राज्यों को होने वाले नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई करने का प्रावधान किया गया है। नुकसान में रहने वाले राज्यों के लिए अतिरिक्त एक फीसदी शुल्क लगाने के पूर्ववर्ती प्रावधान को हटा दिया गया है।

महंगाई पर असर

विश्लेषकों का मानना है कि अल्पावधि में सेवाओं की कीमतों पर कुछ असर पड़ सकता है, जिन पर अभी केंद्रीय स्तर पर केवल तकरीबन 14 फीसदी का ही सेवा कर औसतन लगता है। हालांकि, निर्मित उत्पादों जैसे कि ऑटोमोबाइल के मामले में मानक जीएसटी का असर उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले करों के संयुक्त वर्तमान असर की तुलना में बहुत कम रह सकता है। वैसे, मध्यम से लेकर दीर्घ अवधि में इसका असर समाप्त हो जाना चाहिए। विशुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो जीएसटी महंगाई के कहर को कम

कर सकता है और इस तरह यह व्यापार/उद्योग जगत के साथ-साथ आम जनता के लिए भी अनुकूल साबित हो सकता है। इसके अलावा, यह अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के बड़े हिस्से को मुख्य धारा में लाएगा।

जीएसटी दर

इसकी तकरीबन तीन दरें होंगी- 'x' के रूप में मानक दर, जिसके दायरे में ज्यादातर वस्तुएं होंगी, आम उपभोग वाली वस्तुओं के लिए 'x-माइनस' और विलासिता वाली वस्तुओं अथवा तथाकथित 'नीति विरुद्ध वस्तुओं' के लिए 'x-प्लस'। संविधान संशोधन में जीएसटी दरों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके बारे में निर्णय जीएसटी परिषद लेगी जिसमें अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। जीएसटी परिषद में लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए परिषद के तीन चौथाई सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। राज्यों के पास दो तिहाई मताधिकार और केंद्र के पास एक तिहाई मताधिकार होंगे। कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी दर के लिए 18 फीसदी की सीमा तय करने की मांग की है, जबकि सरकार ने राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। आरएनआर में व्यापक तब्दीली या तो महंगाई अथवा राजकोषीय विवेक के लिहाज से प्रतिकूल साबित हो सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए उचित आरएनआर तय करना एक बड़ी चुनौती साबित होगा।


दायरे से बाहर रखना

राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों और मादक पेय को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि राजस्व के लिहाज से काफी अहम माने जाने वाले इन उत्पादों के लिए सौदेबाजी नहीं की जा सकती है। व्यापक राजनीतिक सहमति की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन मदों को अब आगामी सुधारों में ही शामिल किया जाएगा।

आगे क्या?

संसद में पारित हो जाने के बाद जीएसटी विधेयक पर कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की संभावना है। इसके बाद संसद को एक बार फिर दो संबंधित विधेयकों को पारित करना होगा, जिनमें से एक विधेयक केंद्रीय जीएसटी और दूसरा विधेयक एकीकृत जीएसटी के लिए होगा। इसके अलावा, राज्यों की विधानसभाओं को राज्य जीएसटी से जुड़े कानून को पारित करना होगा। इस बीच, अगले वित्त वर्ष से जीएसटी को लागू करने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन की ओर से केंद्रीय आईटी से जुड़े ढांचे पर कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

मौद्रिक नीति का देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव और उसकी समीक्षा



संदर्भ:- रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा घोषित करते हुए रेपो रेट कम करने के कदम से बाजार में भरोसे का निर्माण हुआ है।

=>प्रभाव कैसे :-

- दरअसल ब्याज दरों के घटने से निवेश लागत घटती है और व्यवसायों में ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश बेहतर होता है। इसका अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।

- यही नहीं, इससे घर, कार या अन्य साजो-सामान खरीदना भी आसान हो जाता है क्योंकि ईएमआई घट जाती है।

- उर्जित पटेल की मौद्रिक नीति समीक्षा की खास बात यह है कि उन्होंने स्वयं को स्फीति बाज (इंफ्लेशन हॉक) की छवि से अलग कर लिया है।

- जब रघुराम राजन ने कार्यभार संभाला था, उस समय लक्षित मुद्रा स्फीति थोक मूल्य सूचकांक से देखी जाती थी, जिसे उन्होंने बदलकर उपभोक्ता कीमत सूचकांक से जोड़ दिया था। गौरतलब है कि यह सुझाव **उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनी समिति** ने ही दिया था।

- उसका असर यह हुआ जब थोक मुद्रा स्फीति शून्य से नीचे चली गई और उपभोक्ता मुद्रा स्फीति 5 प्रतिशत तक आ गई तो भी यह कहकर कि अभी यह लक्षित मुद्रा स्फीति से ज्यादा है, वे ब्याज दरों को घटाने के लिए मना करते रहे।

=> उंची ब्याज दरों की नीति के पक्ष में तर्क :-

1. मुद्रा स्फीति के चलते ब्याज दरों को इसलिए उंचा रखना जरूरी है ताकि वास्तविक ब्याज दर धनात्मक रहे।
2. जब ब्याज दर घटेंगी तो विदेशी निवेशक अपना निवेश स्थानांतरित कर देंगे
3. ब्याज दर घटने से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाएगी और आपूर्ति कम होने के कारण मुद्रा स्फीति बढ़ सकती है।

=> उंची ब्याज दरों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :-

- लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि उंची ब्याज दरों के चलते हमारी ग्रोथ भयंकर रूप से प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि जैसे-जैसे रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि की, उसके साथ ही जीडीपी ग्रोथ रेट घटने लगे।

उदाहरण :- देखा जाए तो 2010 में, जबकि रेपो रेट 5 प्रतिशत था, जीडीपी की ग्रोथ की दर 8.9 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। 2014 से लेकर अब तक रेपो रेट 8 प्रतिशत से घटती हुई वर्तमान 6.25 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसका असर यह हो रहा है कि 2015-16 में ग्रोथ की दर 7.6 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है और 2016-17 में इसका 8 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

=> मौद्रिक नीति का देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव की अर्थशास्त्रीय व्याख्या :-

- अर्थशास्त्री गोर्डन के अनुसार सैद्धांतिक रूप से यदि मुद्रा स्फीति पूर्ति घटने के कारण हो रही हो तो इसे रोकने हेतु ब्याज दरों को घटाने की नीति सही नहीं है क्योंकि ब्याज दरों को घटाने से उत्पादन और अधिक घटता है। इससे निजी निवेश ही नहीं, सार्वजनिक निवेश बुरी तरह से प्रभावित होता है।

- गौरतलब है कि भारत में पिछले कुछ समय से मुद्रा स्फीति का मुख्य कारण कृषि उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि थी। 2012-13 में कृषि विकास की दर 0.9 प्रतिशत, 2013-14 में 3.7 प्रतिशत और 2014-15 में 1.1 प्रतिशत रही। यानी तीन सालों में कृषि की ग्रोथ दर औसतन 2 प्रतिशत से कम रही।

- देश में मुद्रा स्फीति का मुख्य कारण कृषि वस्तुओं की कमी रहा। ऐसे में ब्याज दरों में वृद्धि ने गैर कृषि क्षेत्र में ग्रोथ को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्याज दरों में वृद्धि के कारण भी हमारी ग्रोथ प्रभावित हुई।

=>दुनिया के अन्य देशों की मौद्रिक नीति से तुलना :-

- दुनिया के विकसित देशों में ब्याज दरें शून्य के आसपास चल रही हैं। ऐसे में भारत में ऊंची ब्याज दरों के कारण हमारी प्रतिस्पर्धा शक्ति घटती है, जिसके कारण दुनिया के मुकाबले में हम पीछे रह सकते हैं।

- आशा की जानी चाहिए कि ग्रोथ बढ़ने के साथ-साथ कीमतें भी नियंत्रण में आयेंगी और भविष्य में ब्याज दरें और घटेंगी। यह पहली बार हुआ है कि अब मौद्रिक नीति खासतौर पर ब्याज दर निर्धारण में मौद्रिक नीति समिति की भूमिका रहेगी। सरकार ने मौद्रिक नीति समिति के लिए अपने प्रतिनिधि नामजद किए हैं। इसलिए RBI के लिए यह जरूरी होगा कि सरकार के साथ समन्वय बनाकर मौद्रिक नीति बनाए।

National Issues

=>हिंदी का भविष्य: साल 2050 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक होगी हिन्दी

एक भाषा जिसने हमें और आपको एक सूत्र में बांधा है उसका नाम है हिंदी भाषा। हिंदी भारत के 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा है जबकि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का इस्तेमाल Second Language के तौर पर करते हैं। यानी जो संवाद हम हिंदी में करते हैं..वो भारत के करीब 48 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंचता है। इतना ही नहीं। दुनिया के करीब 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं।

- यानी हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में शामिल है। और इसे बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक बन जाएगी।
- World Economic Forum ने एक Power Language Index तैयार किया है। इस Index में वो भाषाएं शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाएं होंगी। हिंदी भी इस Ranking में Top 10 भाषाओं में शामिल है।
- वर्ष 2050 को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस Index में हिंदी 10वें नंबर पर है। लेकिन इसमें ऊर्दू और हिंदी की स्थानीय बोलियों को नहीं जोड़ा गया है।
- लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा अफसोस होगा कि अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभाने के मामले में हिंदी 16वें नंबर पर है। Geography यानी क्षेत्रफल के हिसाब से 13 वें नंबर पर, Communication यानी संचार के मामले में 8वें नंबर पर और कूटनीति यानी Diplomacy के मामले में 10वें नंबर पर है। इसी वजह से हिंदी की OverAll Ranking बाकी की 9 भाषाओं के मुकाबले कमजोर है। लेकिन हिंदी की ताकत का आंकलन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भारत ने 5 हज़ार वर्ष के इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और दूसरे देशों में उपनिवेश भी स्थापित नहीं किए।
- अंग्रेज़ी शक्तिशाली भाषाओं की Ranking में पहले नंबर पर है तो उसका सबसे बड़ा कारण है। अंग्रेज़ों द्वारा दूसरे देशों को अपना उपनिवेश बनाना। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और अरब देशों का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि इन देशों ने दूसरे देशों पर हमले करके, वहां अपनी भाषा और संस्कृति का प्रसार किया। चीन इस Ranking में दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और वहां के 140 करोड़ लोगों में से ज्यादातर चाइनीज़ ही बोलते और लिखते हैं।

- चीन में Internet और सोशल मीडिया पर भी वहां की भाषा Mandarin का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि चीन में Twitter, Facebook और Wikipedia जैसी साइट्स पर प्रतिबंध है। और वहां इन Sites की Chinese भाषा में तैयार की गई नकल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदी पर आपको गर्व करना चाहिए। वैसे लिखने-पढ़ने की बात हो या बोलने की। देश-दुनिया में हिंदी लोकप्रिय भाषा के रूप में उभर रही है। इंटरनेट से इसे एक नई ताकत मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के Digital World में तो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी सामग्री यानी content की मांग 5 गुना तेज़ी से बढ़ रही है।

- भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन में औसतन 32 Apps होते हैं, जिनमें से 8 या 9 हिंदी के हैं। भारतीय युवा YouTube पर 93 प्रतिशत हिंदी वीडियो देखते हैं।

- Digital World यानी इंटरनेट की दुनिया में हिंदी को बढ़ाने में Unicode ने अहम भूमिका अदा की है। Unicode एक ऐसी तकनीक होती है, जो कंप्यूटर पर हर एक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है। इससे इंटरनेट पर हिंदी के इस्तेमाल में आसानी होती है।

- अभी इंटरनेट पर 15 से ज्यादा हिंदी सर्च इंजन मौजूद हैं।

- डिजिटल मीडिया में हिंदी content की मांग 94 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जबकि अंग्रेजी content की मांग 19 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

- 21 प्रतिशत भारतीय हिंदी में इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी हिंदी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना आसान नहीं है।

- हिंदी अभी भी इंटरनेट पर दस सबसे बड़ी भाषाओं में शामिल नहीं है।

- सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की 95 प्रतिशत सर्च सामग्री अभी भी अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध है।

- गूगल पर बाकी 5 प्रतिशत में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सामग्री है और दुनिया में सिर्फ 0.04 प्रतिशत वेबसाइट ही हिंदी में हैं।

- वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में इसलिए शामिल हो जाएगी क्योंकि हिंदी अब बाज़ार और अर्थव्यवस्था की भाषा भी बनने लगी है।

- हिंदी के बगैर देश की आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। इस बात को बहुत पहले ही समझ लिया गया था। लेकिन हिंदी को Hit से Super Hit भाषा बनने में कई वर्ष लग गए।

- हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल किया था।

- राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है और राजभाषा का मतलब राष्ट्र भाषा नहीं होता। हालांकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर कई तरह के आंदोलन होते रहे हैं।

- वर्तमान दौर में हिंदी भारत के करीब 40 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है।

- अंग्रेजी, Mandarin और स्पेनिश के बाद हिंदी दुनियाभर में बोली जाने चौथी सबसे बड़ी भाषा है।
- दुनियाभर में हर छठा इंसान हिंदी बोलता या समझता है। 'प्रेम सागर' को आधुनिक हिंदी में प्रकाशित हुई पहली किताब माना जाता है। लेखक लल्लू लाल की ये किताब 1805 में प्रकाशित हुई थी।
- 1930 में दुनिया को पहला हिंदी टाइपराइटर मिला था। हालांकि आधुनिक देवनागरी स्क्रिप्ट 11वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आ गई थी।
- हिंदी छपाई का पहला सबूत कोलकाता में 1796 में जॉन गिलक्रिस्ट की किताब 'Grammar of Hindustani Language' के रूप में मिलता है।
- हिंदी दुनिया की उन गिनी-चुनी भाषाओं में से एक है जिनमें जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है।
- हिंदी में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा भी अलग हो। इसी वजह से अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट Phonetic Language कहा था, जबकि अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है, कई बार वैसा बोला नहीं जाता है और ये कई लोगों के लिए परेशानी की वजह बन जाती है।
- अमेरिका के 45 विश्व विद्यालयों सहित दुनिया के 176 विश्व विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
- विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगज़ीन रोज़ हिंदी में निकलते हैं। दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते या समझते हैं।
- दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है..जिनमें जर्मनी, मॉरीशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं।
- हिंदी अपने ही देश हिंदुस्तान में उपेक्षा की शिकार हो रही है जबकि पूरी दुनिया हिंदी के महत्व को जान भी रही है और मान भी रही है।
- People's Linguistic Survey of India के मुताबिक, दुनिया में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अंग्रेजी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है।
- पिछले 8 वर्षों के दौरान दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 50 फीसदी बढ़ गई है।
- US Census 2011 के मुताबिक वर्ष 2000 से 2011 के दौरान अमेरिका में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 105 फीसदी बढ़ गई।
- वैसे हिंदी सिर्फ भारत की राजभाषा नहीं है। फिजी की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है जिसे स्थानीय लोग फिजी हिंदी या फिजी बात कहते हैं।
- आधुनिक हिन्दी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का मानना था कि - 'निज भाषा यानी कि मातृ भाषा की उन्नति ही सब तरह की उन्नतियों का मूल आधार है।'
- आज के दौर में अंग्रेज़ी को सफलता की गारंटी माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ी को सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। आज अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आपको प्रथम श्रेणी का नागरिक माना जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको दूसरी या तीसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता है।

- कई लोग हमेशा ये दलील देते हैं कि अंग्रेज़ी ज्ञान-विज्ञान और विकास की भाषा है। जबकि रूस, जर्मनी, जापान और चीन जैसे कई देशों ने अपनी मातृभाषा को अपनाकर ये साबित कर दिया है कि मातृभाषा में विद्यार्थी अधिक सफल होता है और अपनी मातृभाषा के दम पर भी देश तरक्की करता है।

=>डिजिटल पेमेंट और साइबर सुरक्षा

एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकॉनमी की तरफ कदम बढ़ा रही है, जबकि दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी साइबर सिक््योरिटी कंपनी 'फायर आई' ने दावा किया है कि कुछ ठगों ने भारत के 26 बैंकों के कई ग्राहकों की खुफिया जानकारी उड़ा ली है।

- 2017 सिक््योरिटी लैंडस्केप एशिया-पेसिफिक की अपनी रिपोर्ट में कंपनी का कहना है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया में फिशिंग, हैकिंग और ऑनलाइन ठगी के मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर रहने वाला है। जाहिर है साइबर सिक््योरिटी को मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।
- हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए फिशिंग कोई नई बात नहीं है। गाहे-बगाहे ठगी की ऐसी साइट्स पकड़ में आती रही हैं। इन्हें रोका जा सकता है और बैंकिंग सिस्टम को हैकिंग व फिशिंग जैसे खतरों से बचाया भी जा सकता है, बशर्ते इस दिशा में पुख्ता तैयारियां हों।
- भारत सरकार ने इस दिशा में काफी देर से सोचना शुरू किया और बस तीन साल पहले सन 2013 में देश की पहली साइबर सुरक्षा पॉलिसी बनी। इसके बाद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और रक्षा क्षेत्र में काफी काम भी हुआ। लेकिन चीन और रूस के हैकरों की कारस्तानियों को देखते हुए इस तरह की तैयारियां और सेटअप आज तकरीबन आउटडेटेड ही मानी जाएंगी।
- हर साल संसद में बताया जाता है कि इस वर्ष एक हजार सरकारी वेबसाइट्स हैक हुईं तो पिछले साल डेढ़ हजार हुई थीं। वर्ष 2015 में राज्यसभा में बताया गया कि साइबर अटैक के खतरों से निपटने के लिए नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया जाना है, जिसे मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन यह अभी तक नहीं बना है।
- अभी हमारे देश में भारी संख्या में आउटडेटेड कंप्यूटर सिस्टम चल रहे हैं जो साइबर ठगों का सबसे आसान टारगेट हैं। यही हाल मोबाइल फोन के सेटों में है। लोग सस्ते मोबाइल फोन से ही काम चलाते हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगातार झोल पकड़े जाते रहे हैं।

हमारी साइबर सिक््योरिटी की व्यवस्था सुस्त सरकारी तंत्र में घटिया कोऑर्डिनेशन का शिकार है। रहीं-सहीं कसर घटिया क्वालिटी के कंप्यूटर और मोबाइल पूरी कर दे रहे हैं। सरकार साइबर सुरक्षा को अपने अजेंडे में सबसे ऊपर रखे और इसके लिए हरसंभव उपाय करे।

--

भारत और ग्लोबर हंगर index

- भारत में करीब बीस करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं।
- यह भुखमरी खाद्यान्न की कमी के कारण नहीं बल्कि खाद्यान्न की बर्बादी और भ्रष्टाचार की वजह से भी है। लालफीताशाही की और भ्रष्टाचार की वजह से देश में करोड़ों लोग भुखमरी की गिरफ्त में हैं।

- संस्था के आकलन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत के लिहाज से भारत की स्थिति केवल अफ्रीका के सब-सहारा देशों से ही बेहतर है।
- विश्वबैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 2013 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की सबसे अधिक संख्या भारत में थी। रिपोर्ट के अनुसार उस साल भारत की तीस प्रतिशत आबादी की औसत दैनिक आय बहुत कम थी और दुनिया के एक तिहाई गरीब भारत में थे। यह संख्या नाइजीरिया के 8.6 करोड़ गरीबों की संख्या के ढाई गुणा से भी अधिक है। नाइजीरिया दुनिया में गरीबों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।

An analysis of Hunger in India:

- भारत में गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए सैकड़ों योजनाएं हैं, लेकिन आजादी के 69 साल बाद भी देश की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजारा कर रही है।
- गरीबी एक बीमारी की तरह है जिससे अन्य समस्याएं जैसे अपराध, धीमा विकास आदि जुड़ा है। भारत में अब भी ऐसे कई लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं और एक समय के भोजन के लिए भी पूरा दिन भीख मांगते हैं।
- गरीब बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं और यदि जाते भी हैं तो एक साल में ही छोड़ भी देते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग गंदी हालत में रहते हैं और बीमारियों का शिकार बनते हैं।
- इसके साथ खराब सेहत, शिक्षा की कमी और बढ़ती गरीबी का यह दुश्चक्र चलता रहता है।
- खेती पर निर्भर देश की पैसठ फीसद आबादी का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा घटकर सत्रह फीसद हो गया।
- आर्थिक विकास के इस दर्शन ने धनी और गरीब, कृषि एवं उद्योग के बीच के अंतर को बढ़ाया है। इससे गांवों और शहरों के बीच की भी खाई चौड़ी हुई है। तीन-चार साल के भीतर चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हर चीज में पचास से सौ प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि हो चुकी है; केवल किसानों की उपज और मजदूरों की मजदूरी छोड़ कर। भारत में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उसकी पहुंच से दूर हो गई हैं। निचले स्तर पर अभी देश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी वजह से सरकारी सुविधाओं का फायदा भी ठीक तरह से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

Liberalization and Hunger in India

- देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद के बाद एक खास तबके का जबर्दस्त विकास हुआ है जबकि बाकी लोग पिछड़ते चले गए।
- वर्तमान आर्थिक नीतियों और उदारीकरण के कारण देश में कुछ लोग अपार संपत्ति के मालिक बन गए, जबकि अधिकांश जनता गरीबी में जीवन बसर कर रही है। उसे न तो भरपेट भोजन मिल रहा है और न न्यूनतम मजदूरी।
- बुनियादी जरूरतों के लिए एक आम आदमी को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देश में खेती-किसानी के हालत बहुत खराब है और देश में किसान आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आजादी के बाद से अब तक कोई भी सरकार ग्रामीण स्तर पर कृषि को ठीक से प्रोत्साहित नहीं कर

पाई, न ही कृषि को जीविकोपार्जन का प्रमुख माध्यम बना पाई, जबकि देश के करोड़ों लोग आज भी कृषि पर ही निर्भर हैं।

- **Growth v/s development paradigm:** आज लगभग हर क्षेत्र में भारत अच्छी तरक्की कर रहा है। हमारी क्षमता का लोहा सारी दुनिया मान रही है। लेकिन इतनी तरक्की होने के बावजूद भारत आज भी गरीब राष्ट्रों में शुमार है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी एक अभिशाप बनकर उभरी है। इसलिए राष्ट्रहित में यह आवश्यक है की गरीबी का उन्मूलन किया जाए। आज जीडीपी के आंकड़े सिर्फ कागजों तक सीमित है ।
- असल में तो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग चालीस से पचास रुपए रोजाना कमाते हैं। उनका जीवनस्तर काफी निम्न है। उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
- देश की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।

Corruption and failure of schemes:

विश्व संस्थाएं, विश्व बैंक आदि भी निर्धनता दूर करने के लिए काफी मदद करते हैं। लेकिन वह मदद भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। इसके कारण उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे निपटने के लिए सबसे पहले सरकार को भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा। तभी सही मायने में गरीबी का उन्मूलन होगा। इसके लिए सरकार के साथ-साथ जनता का भी फर्ज बनता है कि अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा गरीबों को देना चाहिए। तभी हम इस स्थिति से निपट सकते हैं।

आज भी देश में हालत ऐसे है कि आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी विभागों में लालफीताशाही इतनी हावी है कि वह अपने छोटे छोटे कामों और दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकता रहता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर गरीब को कभी सही लाभ नहीं मिल पाता और अधिकांश योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है । देश में दिख रहा कागजी और तथाकथित विकास किसके लिए है और किसको लाभ पहुंचा रहा है, यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है, हम सब के सामने क्योंकि सच तो यह है कि देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी वर्ग के लिए फिलहाल दो वक्त की रोटी जुटा पाना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।

विश्व में भुखमरी

GENERAL STUDIES HINDI

- वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट ने भारत की बहुत शर्मनाक तस्वीर पेश की है। दुनिया भर के 118 देशों में भुखमरी और कुपोषण को ध्यान में रखकर तैयार की जाने वाली इस सूची में भारत 97 वें स्थान पर है।
- इसमें जिन देशों की स्थिति भारत से बेहद खराब है, उनमें चाड, इथोपिया, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल हैं। भारत के दूसरे पड़ोसियों की स्थिति बेहतर है। मिसाल के तौर पर नेपाल 72वें नंबर है जबकि म्यांमा 75वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 90वें स्थान पर है।

- भूख का जहां तक सवाल है, तो ताजा आंकड़े बताते हैं कि एशियाई देशों में सबसे ज्यादा बुरी हालत पाकिस्तान और भारत की है।

<p>रोज भूखे पेट सोते हैं 80 करोड़ लोग</p> <p>कुपोषण की समस्या दुनिया में अपनी जड़ें गहरी कर रही है। इसके चलते एक अरब लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। 80 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोने को अभिशप्त हैं। यह हालात तब हैं जब कि दुनिया में सालाना एक अरब टन से ज्यादा खाद्य सामग्री बर्बाद होती है। संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक कुपोषण की समस्या को अगर समय रहते नहीं रोका गया तो 2035 तक दुनिया की आधी आबादी इसकी चपेट में होगी।</p>		<p>खड़ी चपत</p> <p>संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया की एक तिहाई आबादी कुपोषित है। इनके स्वास्थ्य सेवाओं और उत्पादकता में नुकसान के रूप में सालाना 3.5 लाख करोड़ डॉलर की चपत लग रही है।</p> <p>1.5 अरब</p> <p>बच्चे जिनका कद उनकी आयु के हिसाब से छोटा रह गया</p> <p>1.9 अरब</p> <p>मोटापाग्रस्त लोग</p>	<p>गरीब देशों का बुरा हाल</p> <p>भूखमरी के शिकार कुल लोगों में से 78 करोड़ लोग विकासशील देशों में रहते हैं। इसमें से 51 करोड़ लोग एशिया में और 23 करोड़ लोग अफ्रीका के रहने वाले हैं।</p> <p>2 अरब</p> <p>पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार</p> <p>60 करोड़</p> <p>अति मोटापाग्रस्त</p>
<p>अन्न की बर्बादी</p> <p>दुनिया में सालाना 1.3 अरब टन अन्न की वैश्विक बर्बादी होती है। विकसित देशों में इसके कारण 680 अरब डॉलर और विकासशील देशों में 310 अरब डॉलर का नुकसान होता है।</p>	<p>अमीरों की लापरवाही</p> <p>अमीर देश भोजन के सदुपयोग में लापरवाही बरतते हैं। इन देशों में सालाना 22 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है। जबकि उपसहारा अफ्रीका में सालाना 23 करोड़ टन अनाज पैदा किया जाता है।</p>	<p>बढ़ाना होगा उत्पादन</p> <p>2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब संभावित है। इसे भोजन उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक ने वैश्विक कृषि उत्पादन 60 फीसद बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल करीब 30 फीसद उत्पादित अनाज हर साल बर्बाद हो जाता है। भोजन का उत्पादन बढ़ाने से पहले बर्बादी को रोकना जरूरी होगा अन्यथा भविष्य में भूखमरी में इजाफा हो सकता है।</p>	

क्या है वैश्विक भूख अंक (Global hunger index)

- ये सूची कुपोषित आबादी, पांच से कम उम्र के कुपोषित बच्चे और इसी आयु वर्ग की शिशु मृत्यु दर के आधार पर बनाई जाती है।
- वैश्विक भूख अंक (ग्लोबल हंगर स्कोर) ज्यादा होने का मतलब है उस देश में भूख की समस्या अधिक है। उसी तरह किसी देश का अंक अगर कम होता है तो उसका मतलब है कि वहां स्थिति बेहतर है।
- यह रिपोर्ट इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और दो स्वयं सेवी संगठनों-वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्डवाइड ने मिलकर तैयार की है।
- रिपोर्ट के लिए 118 विकासशील देशों के बारे में अध्ययन किया गया है।
- **इसे नापने के चार मुख्य पैमाने हैं-**
 - कुपोषण,
 - शिशुओं में भयंकर कुपोषण,
 - बच्चों के विकास में रुकावट और
 - बाल मृत्यु दर।
- इस सूचकांक के जरिए विश्व भर में भूख के खिलाफ चल रहे अभियान की उपलब्धियों और नाकामियों को दर्शाया जाता है।
- इस बार से रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित 2030 के एजेंडे से भी जोड़ा गया है जिसमें 'जीरो हंगर' का लक्ष्य रखा गया है।

हादसे की पटरी

Why rail accidents in News:

इंदौर-पटना एक्सप्रेस ट्रेन का कानपुर देहात में रेल हादसा , भारतीय रेल किस प्रकार गंभीर है हादसों को रोकने में उस पर प्रश्न चिह्न करते हैं।

Looking into Causes

- ऐसी दुर्घटनाएं आमतौर पर पटरियों के उखड़ने या फिर पहियों में खराबी आने की वजह से होती हैं। रेल महकमा इससे अनजान नहीं है। मगर इस मामले में प्रायः लापरवाही बरती जाती है।
- स्टेशनों के आसपास की पटरियों की नियमित जांच तो होती रहती है, पर दूर-दराज की जगहों पर मुस्तैदी प्रायः नहीं दिखाई जाती।
- तेज रफ्तार गाड़ियों के गुजरने से अक्सर पटरियों की फिश-प्लेटें खिसकने की शिकायत मिलती है। वैसे भी यात्रियों का दबाव कम करने के लिए देश की ज्यादातर रेल लाइनों पर क्षमता से अधिक गाड़ियों का बोझ रहता है। इसलिए उनकी देखभाल, मरम्मत आदि में अधिक सतर्कता की जरूरत होती है, मगर इस मामले में अक्सर लापरवाही देखी जाती है। इसी का नतीजा है कि रेल हादसों पर रोक लगाना मुश्किल बना हुआ है।

Failure to implement rail safety recommendations of past

हर साल बजट में रेल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने का संकल्प दोहराया जाता है। मगर रेल हादसों पर अंकुश लगाने संबंधी जरूरी कदम अब तक नहीं उठाए जा सके हैं।

- गाड़ियों में टक्कररोधी उपकरण लगाने की योजना बरसों पहले बनी थी, पर अभी तक वह कागजों पर ही सिमटी हुई है।
- इसी तरह गाड़ियों में आधुनिक संचार उपकरण लगाने की योजना बनी थी, पर इस दिशा में अभी तक पहल नहीं हो पाई है।

ताजा रेल हादसे में एक बार फिर जांच के आदेश और मुआवजे वगैरह देकर जिम्मेदारियां पूरी समझ ली जाएंगी, पर जब तक सुरक्षा के आधुनिक उपाय नहीं किए जाते, ऐसे हादसों पर अंकुश का भरोसा दिलाना संभव नहीं होगा।


--

GENERAL STUDIES HINDI

1% भारतीयों के पास है देश की 58.4% संपत्ति: ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट

- देश में नोटबंदी पर जारी चर्चा के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 फीसदी भारतीयों के पास देश की 58.4 प्रतिशत संपत्ति है।
- वेल्थ रिपोर्ट की मानें तो भारत में संपत्ति बढ़ रही है लेकिन इसका फायदा सभी को नहीं हो रहा है। 96 फीसदी वयस्क आबादी की संपत्ति 6.84 लाख रुपए (10,000 डॉलर) से कम है।
- रिपोर्ट के अनुसार 10 फीसदी अमीरों के पास देश की 80.7 फीसदी संपत्ति है। वैश्विक स्तर पर 10 फीसदी आबादी के पास 89 फीसदी संपत्ति है। वहीं बीते साल यह आंकड़ा 87.7 फीसदी का रहा था।

- रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 फीसदी भारतीयों के पास देश की 58.4 प्रतिशत संपत्ति है तो वहीं थाइलैंड में 1 प्रतिशत के पास 58 प्रतिशत, ब्राजील में 43.8 प्रतिशत और चीन में 43.8 प्रतिशत है।



-कैप्टन राधिका मेनन

- देश की पहली महिला मर्चेन्ट नेवी
- कैप्टन राधिका मेननको असाधारण बहादुरी के लिए IMO द्वारा सम्मानित किया गया है
- वे आईएमओ के पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली दुनिया की पहली महिला है
- राधिका मेनन को सात मछुआरों की जान बचाने के लिए आईएमओ (इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन) की ओर से सम्मानित किया गया है।
- क्या थि घटना : पिछले साल बंगाल की खाड़ी में सात मछुआरे नाव से मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे। लेकिन खराब मौसम में अचानक नाव का इंजन खराब हो गया और वे रास्ता भटक गये। इसके बाद नाव ओडिशा में गोपालपुर के तट से करीब ढाई किलोमीटर दूर शिपिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज संपूर्ण स्वराज को दिखाई दी। इस जहाज की प्रभारी राधिका मेनन थीं। उन्होंने तुरंत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अदम्य साहस का परिचय देते हुए सभी मछुआरों को सफुल बचा लिया।

--

डॉ. एम बालमुरलीकृष्ण

- कर्नाटक संगीतज्ञ
- डॉ. बालमुरलीकृष्ण ने तेलुगु, संस्कृत, कन्नड और तमिल जैसी विभिन्न भाषाओं में खूबसूरत रचनाओं के जरिए लगभग सात दशकों तक देश और विदेश के संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया।
- वे अपनी प्रयोग करने की आदत और रचनात्मकता के लिए जाने जाते थे।

- उन्होंने कर्नाटक संगीत की समृद्ध पारम्परिकता से छेड़छाड़ किए बिना ताल प्रणाली और कर्नाटक संगीत प्रणाली में परिवर्तन किया।
- वे संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान करने में भी शामिल थे।

—
प्रोफेसर एम.जी.के मेनन

- जाने-माने भौतिकी विज्ञानी और प्रशासक MambillikalathilGovind Kumar Menon
- उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा राज्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के अध्यक्ष और टीआईएफआर के निदेशक सहित कई पदों पर रहकर देश की सेवा की।
- प्रोफेसर मेनन को कॉस्मिक किरणों के क्षेत्र में और विशेष रूप से प्राथमिक कणों के उच्च ऊर्जा संपर्कों की खोज से प्रसिद्धी मिली।
- वे देश की सभी तीनों विज्ञान अकादमियों के अध्यक्ष रहे।
- 2008 में एक छोटे तारे 7564 गोकुमेनन का नाम उनके सम्मान में रखा गया।

पांच राज्यों के आठ शहरों और चंडीगढ़ को जन परिवहन को प्रोत्साहन के सम्बंध में बेहतरीन शहर करार दिया

- पांच राज्यों के आठ शहरों और केंद्र शासित चंडीगढ़ को जन परिवहन, नॉन-मोटराइज्ड यातायात तथा सड़क सुरक्षा के सम्बंध में 'उत्कृष्ट' और 'प्रशंसनीय' शहरों के रूप में चिन्हित किया है।
- इनमें गुजरात के सूरत, गांधीनगर और राजकोट, मध्यप्रदेश के इंदौर और जबलपुर, कर्नाटक का धारवाड़, हरियाणा का करनाल तथा सिक्किम की राजधानी गंगटोक शामिल हैं।
- बेहतरीन जन शहरी यातायात वर्ग में सूरत के एकीकृत जन यातायात प्रणाली को 'उत्कृष्ट' अल्पकालिक जन यातायात के लिये सिंहस्थ को चुना गया है।
- इंदौर को 2016 के लिये 'प्रशंसनीय पहल' करने के लिये चुना गया है।
- गांधीनगर के जी-बाइक और करनाल के सांझी साइकिल पहलों को 'प्रशंसनीय पहल' वर्ग के लिये चुना गया है।
- इसी तरह कर्नाटक की धारवाड़-हुबली सेवा सम्बंधी 'सिटी बस सेवा' के लिये बेहतरीन और गुजरात के राजकोट को प्रशंसनीय पहल के लिये चुना गया है।
- गंगटोक की एकीकृत डिपो प्रबंधन प्रणाली और जबलपुर के 'जे-कार्ड' को प्रशंसनीय पहल वर्ग के लिये चुना गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गुजरात को पछाड़कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अव्वल स्थान पर

यह रैंकिंग 'एसेसमेंट ऑफ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स 2016' के नाम से जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे विश्व बैंक और उद्योग विभाग ने तैयार किया है

- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गुजरात को पीछे छोड़ते हुए व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रैंकिंग में संयुक्त रूप पहले स्थान पर आए हैं।

- 'एसेसमेंट ऑफ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स 2016' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करते हुए इसकी घोषणा की है. यह रैंकिंग इसी रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट को विश्व बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) ने साथ मिलकर तैयार किया है.


What has been taken into account

- एक जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 तक की व्यापार सुगमता रैंकिंग को कारोबार सुधार से जुड़े '340 प्वाइंट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान' और राज्यों द्वारा इसे लागू किए जाने के आधार पर तैयार किया गया है.
- इन सुधारों में कर सुधार, श्रम और पर्यावरण सुधार और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे सुधार शामिल हैं. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने यहां इन सुधारों को लागू करने से जुड़े दस्तावेज जमा किए थे और इनकी समीक्षा विश्व बैंक और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा की गई थी.
- इन दस्तावेजों के आधार पर सबसे ज्यादा 98.78 फीसदी अंकों के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जहां पहले स्थान पर रहे वहीं गुजरात को इस साल 98.21 फीसदी के साथ दूसरे पायदान से ही संतुष्ट होना पड़ा है. इन राज्यों के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे.
- साल 2016 में कुल 17 राज्यों ने 50 फीसदी से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन मार्क्स (कारोबार सुधार कार्यक्रम लागू करने से जुड़े अंक) हासिल किए हैं, वहीं 16 राज्यों ने 75 फीसदी से ज्यादा मार्क्स के साथ सूची में शीर्ष स्थानों पर जगह बनाई है.

★ पिछले साल केवल सात राज्यों ने ही 50 फीसदी से अधिक मार्क्स हासिल करने में सफलता पाई थी. राष्ट्रीय स्तर पर भी इम्प्लीमेंटेशन औसत में सुधार देखने को मिला है. पिछले साल के 32 फीसदी के मुकाबले इस साल यह 48.93 फीसदी रहा.

स्वास्थ्य क्षेत्रक चुनौती : भारत में बीमार पड़ना बन गया है महंगा सौदा

GENERAL STUDIES HINDI



- हमारे देश में बीमार पड़ना बहुत महंगा सौदा बन चुका है क्योंकि भारत में दवाइयों की कीमत पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। भगवान ना करे कि किसी को कैंसर या ऐसी दूसरी गंभीर बीमारियां हो क्योंकि ये बीमारियां मरीज के साथ-साथ उसके परिवार को भी बर्बाद कर देती हैं। इस बर्बादी में मुख्यभूमिका निभाते हैं निजी और सरकारी अस्पताल।

- इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले आपको दवाओं से जुड़ी कुछ जानकारियां देना ज़रूरी है।

भारत में ज़रूरी दवाओं के दामों को नियंत्रण में रखने के लिए एक **National List of Essential Medicines बनाई गई है। इसे NLEM** कहते हैं और इसमें शामिल दवाओं के दाम कंपनियां अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। फिलहाल इस लिस्ट में 376 दवाएं शामिल हैं। जबकि बाकी दवाएं इस लिस्ट से बाहर हैं। यानी भारत में बिकने वाली करीब 80 प्रतिशत दवाएं ऐसी हैं जिनके दामों पर किसी का नियंत्रण नहीं है।

- इन दवाओं में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने वाली दवाएं भी शामिल हैं।
-ये दवाएं बाज़ार में अलग-अलग दामों पर मिलती है। इन दवाओं के दामों में अंतर जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
-Breast Cancer के इलाज में Can-mab नामक दवा का इस्तेमाल होता है।
-Can-mab प्राइवेट अस्पतालों में करीब 57 हज़ार 500 रुपये की मिल रही है। यही दवा दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट से करीब 41 हज़ार रुपये में मिल जाती है।
-जबकि Chemist से ये दवा खरीदने के लिए करीब 32 हज़ार 999 रुपये देने पड़ते हैं।

-ये कहानी सिर्फ एक दवा की नहीं है, बाज़ार में सैकड़ों ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिनके दाम कंपनियां, केमिस्ट, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल अपनी मर्ज़ी से तय कर रहे हैं।

- नियमों के मुताबिक जो दवाएं National List of Essential Medicines में शामिल नहीं है। उनके दाम कंपनियां हर वर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ा सकती हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो अब लाइलाज नहीं हैं अगर वक्त रहते इन बीमारियों का ठीक से इलाज़ किया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन भारत में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो महंगी दवाओं की वजह से आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके हैं। और जिन्हें महंगे इलाज ने दीवालिया बना दिया है।
- भारत में कुछ **मेडिकल प्रक्रियाएं सबसे महंगी** हैं। जैसे -कैंसर का इलाज, डायलिसिस, हार्ट अटैक का इलाज, दिल की धमनियों को खोलने के लिए की जाने वाली ग्राफ्टिंग और दिल के वाल्व बदलने के लिए होने वाली सर्जरी। भारत में हर साल कैंसर से करीब साढ़े 6 लाख लोगों की मौत हो जाती है। जबकि भारत में Dialysis करा रहे मरीज़ों की संख्या 55 हज़ार है और ये हर साल 10 से 20 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है।
- इसी तरह **दिल से जुड़ी बीमारियां** भारत में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह है। भारत में करीब 24 प्रतिशत मौतें दिल की बीमारियों की वजह से ही होती है। भारत में किसी मरीज़ के इलाज से फायदा उठाने वाला एक नेक्सस बन चुका है। इस नेक्सस में शामिल लोगों को बीमार लोगों में..एक मरीज़ नहीं दिखता..एक इंसान नहीं दिखता बल्कि एक ग्राहक दिखता है जिसकी जेब से वो आखिरी सिक्का तक लूट लेना चाहते हैं। ये ऐसी मानसिकता है जो भारत के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है।

-लेकिन अक्सर प्राइवेट अस्पताल जहां आपको X ray के लिए भेजते हैं वहां इसके लिए 400 से 500 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं।

-इसी तरह एक साधारण MRI दो हज़ार रुपये में हो जाना चाहिए लेकिन अस्पताल अक्सर इसके लिए आपसे 5 हज़ार रुपये से लेकर 7 हज़ार रुपये तक वसूल लेते हैं।

-खून में हिमोग्लोबिन का पता लगाने वाला टेस्ट 10 रुपये में हो जाना चाहिए लेकिन अक्सर Private Labs इसके लिए 50 रुपये वसूलती हैं। यानी करीब 5 गुना ज्यादा।

-इसी तरह जो CT स्कैन 700 से 1000 रुपए के बीच में हो जाना चाहिए उसके लिए अस्पताल आपसे 2500 रुपये तक वसूलते हैं।

- **Common Civil Code की तरह देश में एक Common Food Code भी होना चाहिए और ये सरकारों पर लागू होना चाहिए ताकि देश के हर नागरिक को खाने का अधिकार मिल पाए।**

- **इसी तरह देश में एक Common Medical Code भी होना चाहिए। जिसे देश भर के सरकारी और गैरसरकारी अस्पतालों, दवा कंपनियों, डॉक्टरों, केमिस्ट और Test LABs पर लागू किया जाना चाहिए।**

भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे अबूधाबी के शहजादे

अबूधाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान अगले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे।


- शहजादे नाहयान ने कहा, 'हमारे गहरे रिश्ते इतिहास से गहराई से जुड़े हैं। हमारा रणनीतिक सहयोग बढ़ा है और यह विकास की साझा आकांक्षाओं से प्रेरित है।'

- यूएई के सशस्त्र बलों के डिप्टी सुप्रीम कमांडर अल नाहयान की यात्रा से कारोबार और सुरक्षा समेत दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है।

- यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यूएई और पाकिस्तान करीबी सहयोगी हैं और सीमापार आतंकवाद को लेकर भारत, पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करना चाहता था।

पिछले वर्ष अगस्त में मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद को राष्ट्र नीति के रूप में इस्तेमाल करने या दूसरे देश के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने, इसे उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने का निर्णय किया।

यूएई के साथ द्विपक्षीय संबंध में कारोबार एक महत्वपूर्ण आयाम है और चीन एवं अमेरिका के बाद भारत, यूएई का तीसरा बड़ा कारोबारी सहयोगी है। भारत और यूएई के बीच 60 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार है।



GENERAL STUDIES HINDI